राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का छत्तीसवां दिवस [संख्या: 22

गुरुवार,

30 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल, श्री जगदीश मीणा।

जमवारामगढ़ बाँध को चंबल या मेज नदी से जोड़ने की योजना

477. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में नदियों को जोड़ने की कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश की नदियों को जोड़ने की कार्य योजना के तहत चंबल नदी या मेज नदी को जमवारामगढ़ बांध से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (डा. रामप्रताप): (1) जी हां। प्रदेश में नदियों को जोड़ने की नीति अन्तर्गत अब तक की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश में नदियों को जोड़ने की कार्य योजना अंतर्गत 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना' की डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य प्रगतिरत है। डी.पी.आर. प्राप्ति पर तकनीकी उपादेयता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इस संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी के वर्तमान हालात को देखते हुए विषय बहुत ही गंभीर एवं अतिआवश्यक है। राजस्थान प्रदेश को अकाल से बचाने के लिये इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करने का समय भी आ चुका है। राजस्थान की जनता बड़ी आशाओं के साथ सरकार की तरफ देख रही है। माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर के खंड दो में बताया कि प्रदेश में नदियों को जोड़ने की कार्य योजना अंतर्गत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगतिरत है। डीपीआर प्राप्ति पर तकनीकी उपादेयता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इस संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय की गंभीरता को देखते हुए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था को सरकार को प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिये क्योंकि इससे बड़ा विषय कोई हो ही नहीं सकता, इससे गंभीर विषय कोई हो नहीं सकता। मुझे भरोसा है, उत्तर के अनुसार जैसे माननीय मंत्री महोदय ने दर्शाया है कि सरकार गंभीर भी है, डीपीआर तैयार भी हो चुकी है, लेकिन मंत्री महोदय से थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि इसको और ज्यादा त्वरित गति से प्राथमिकता के आधार पर लें तो राजस्थान की जनता का भला हो सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा विचार आप रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी इस राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को लेकर अत्यंत गंभीर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 13 जिले नदियों को जोड़ने से इसके रास्ते में आएंगे और उसमें जो पानी हमें उपलब्ध होगा वह हमारे 2051 तक की डिमांड को देखकर होगा, उसमें पूरा पेयजल का भी मामला है और यह हाइली डैफिसिट पार्ट है। इसमें सरकार पूरी तरह से गंभीर है और इसकी 22 करोड़ के करीब की डीपीआर है, कार्य प्रगति पर है। इसका हाइड्रोलोजी का काम भी बहुत एडवांस स्टेज पर चल रहा है। लेडार से इसका सर्वे हम कर चुके हैं। कहने का भाव एक ही है कि हमारी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से मैं संतुष्ट हूं और इसके लिये माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री रामलाल शर्मा। सवाल रिलेवेंट होना चाहिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी इस तरीके से मोनीटरिंग कमेटी बनाकर इस बाँध में जो पानी की आवक थी उनके बीच में जिन्होंने अतिक्रमण कर रखे हैं, उनको हटाने के आदेश दिये। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि जमवारामगढ़ बाँध में जो पानी के आने के रास्ते थे उनके ऊपर जो अतिक्रमण किये गये हैं, क्या उनको हटाने का विचार रखते हैं? इस बहाव क्षेत्र में जिन भी अधिकारियों ने खातेदारी अधिकार जिनको दिया है, या जमीन का आवंटन किया गया है, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इस मामले के प्रति बिलकुल गंभीर है और बहुत ही जटिल समय से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें कामयाबी हासिल करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वास्तव में मुख्य मंत्रीजी गंभीर है और मंत्रीजी भी गंभीर है, नदियों को जोड़ने की मैं बात कर रहा हूं, आज पूरे सदन से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में सबसे बड़ी अगर कोई जरूरत है तो वह नदियों को जोड़ने की है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए आप जरूर मुख्य मंत्रीजी एवं सदन की नेता को और मंत्री महोदय को, नदियां जुड़ जाएगी तो हर खेत को पानी मिल जाएगा, हर हाथ को काम मिल जाएगा और पूरे राजस्थान में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई योजना की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नदियां जुड़ना बहुत जरूरी है। मेरा निवेदन है कि आप मंत्रीजी को जरूर कहे कि इसको जल्दी नहीं, बहुत जल्दी करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: और स्पीडअप कीजिए, उनका यही कहना है।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और जल्दी और क्या होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लियर कराने के लिये भरपूर प्रयास कर रहे हैं और जैसा मैंने मेरी डिमांड के टाइम में निवेदन किया था कि राजस्थान को आज तक कोई नेशनल प्रोजेक्ट नहीं मिला, नेशनल प्रोजेक्ट के लिये सीडब्ल्यूसी में, वाटर रिसोर्सेज में प्रजेंटेशन दिया।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नदियों को जोड़ने के विषय का जवाब सारा दे दिया है लेकिन इसके बारे में मंत्रीजी पूरे चिंतित है, इसमें सरकार को और ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: हो गया, हो गया, उन्होंने जवाब दे दिया। अगला सवाल श्री जगसीराम। (व्यवधान)... श्रवण जी जैसे चलते हैं वैसे ही सरकार चल रही है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह डीपीआर बहुत बनाते हैं। पीडब्ल्यूडी में डीपीआर, पेयजल में डीपीआर, यह डीपीआर से बड़े खुश हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजो, विराजो।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय बड़ा गंभीर है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम एक भी फर्जी डीपीआर नहीं बनवा रहे हैं और यह जो पहले की डीपीआर बनी है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज जो हमारे सामने सबसे बड़ा संकट बना हुआ है, वह इन डीपीआर का बना हुआ है। we are very serious about it.

सिरोही जिले में खनन सामग्री पर अवैध वसूली

478. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में बजरी, रोड़ी एवं चेजा पत्थर के खनन, दोहन एवं परिवहन पर अवैध वसूली की जा रही है? यदि हां, तो

(श्री जगसी राम)

इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त जिले में गत एक वर्ष में बजरी, रोड़ी एवं चेजा पत्थर के खनन, दोहन एवं परिवहन से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अवैध वसूली के पेटे प्रत्येक नाके पर सादा कागज पर रसीद बनाकर दी जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अवैध वसूली कर्ताओं एवं उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त जिले में बजरी, रोड़ी एवं चेजा पत्थर की नियमानुसार लीज जारी कर खान के माध्यम से बजरी, रोड़ी एवं चेजा पत्थर उपभोक्तावर्ग को आपूर्ति कर राहत प्रदान करने के साथ ही राजस्व बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, खान (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि जिला सिरोही में बजरी, रोड़ी एवं चेजा पत्थर के खनन, दोहन एवं परिवहन पर अवैध वसूली की जा रही है। खनिज बजरी की कीमत की वसूली को अवैध वसूली मानते हुए शिकायतें प्राप्त हुई, जिनकी जांच किये जाने पर मंशा पत्र धारक द्वारा खनिज बजरी पर रॉयल्टी मय परमिट फीस, ईएमएफ/डीएमएफटी राशि की वसूली नियमानुसार किया जाना पाया गया। खनिज बजरी की कीमत वसूली मंशा पत्र धारक द्वारा पृथक से कैश मीमो जारी कर की जा रही है। गत तीन वर्षों में प्राप्त शिकायत एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। खनिज चेजा पत्थर एवं रोड़ी में गत तीन वर्षों में अवैध वसूली की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जिले में खनिज बजरी, रोड़ी एवं चेजा पत्थर से वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, खान)

खनिज	प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
बजरी	483.68 लाख
चेजा पत्थर मय ग्रिट	179.86 लाख
कुल आय	663.54 लाख

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि अवैध वसूली पेटे प्रत्येक नाके पर सादा कागज पर रसीद बनाकर दी जा रही है। खनिज चेजा पत्थर की रॉयल्टी एवं डीएमएफटी राशि की वसूली अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार द्वारा नियमों में वर्णित दरों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रसीद जारी कर की जा रही है। खनिज बजरी पर रॉयल्टी, परमिट फीस एवं डीएमएफटी राशि की वसूली तहसील सिरोही में विभाग द्वारा रॉयल्टी रसीद से एवं तहसील शिवगंज, पिण्डवाड़ा व रेवदर में मंशा पत्र धारक द्वारा अस्थाई कार्यानुमति में अंकित शर्त अनुसार विभागीय रवन्ना के अनुरूप लाल पर्ची जारी कर की जा रही है, जो अवैध वसूली की श्रेणी में नहीं आती है। खनिज बजरी की कीमत वसूली मंशा पत्र धारक द्वारा पृथक से कैश मीमो जारी कर की जा रही है। खनिज बजरी, चेजा पत्थर एवं रोड़ी पर नियमानुसार वसूली की जाने से किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(4) वर्तमान में सिरोही जिले में खनिज बजरी के खनन पट्टा आवंटन हेतु तहसील सिरोही, शिवगंज, पिण्डवाड़ा व रेवदर में 4 मंशा पत्र जारी किये गये हैं, जिनमें मंशा पत्र धारकों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में अस्थाई कार्यानुमति के तहत खनन कार्य किया जा रहा है, जिनसे जिले में खनिज बजरी की आपूर्ति हो रही है। इसी प्रकार जिले में खनिज चेजा पत्थर के 119 खनन पट्टें स्वीकृत हैं, जिनसे खनिज चेजा पत्थर व रोड़ी की आपूर्ति हो रही है। इसके अतिरिक्त जिले की तहसील आबू रोड अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आती है एवं जनजाति क्षेत्र में खनन पट्टे के आवंटन पर पूर्व में लगा हुआ प्रतिबंध राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2015 से हटा दिया है एवं खनन पट्टा आवंटन के संबंध में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 दिनांक 01.03.2017 से

(राज्य मंत्री, खान)

अधिसूचित कर दिये गये हैं। अत: नवीन खनन पट्टों का आवंटन इन नियमों में वर्णित प्रावधान अनुसार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, माननीय खान मंत्री ने मेरे तारांकित प्रश्न के चार बिंदुओं के उत्तर को सदन के माध्यम से मुझे अवगत कराया है। इस जवाब से मैं कतई संतुष्ट नहीं हूं। कारण यह है कि यह मामला मेरे गृह जिले और विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक घर बनाने वाले आम आदमी से जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा है, जो आम आदमी व आम किसान व किसी न किसी की अर्थव्यवस्था को सीधे रूप से प्रभावित करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही आत्म विश्वास से इस जवाब को गलत मान रहा हूं क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र व सिरोही जिले में बजरी व पत्थर पेटे में खान विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग तथा संबंधित ठेकेदार लीज धारक द्वारा संगठित रूप से रायल्टी के नाम से कच्ची पर्ची देकर अवैध वसूली की जा रही है, जिससे मैं स्वयं और मेरे क्षेत्र की जनता पीड़ित है। माननीय मंत्री महोदय, मेरे पास ऐसी फर्जी रसीद हैं, जिनके आधार पर रायल्टी के नाम पर अवैध वसूली की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप सभी के समक्ष यह रसीद पहुंचाने के लिए लाया हूं। इनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और मौके पर उल्टा-पुलटा काम करने के बाद सरकार और सदन को गुमराह करने के लिए गलत जवाब जिन अधिकारियों ने भिजवाए हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। खान, राजस्व, वन और पुलिस की जुगल बंदी को तोड़ा जाए ताकि आम आदमी को रॉयल्टी के नाम पर ठगा नहीं जाए।

माननीय मंत्रीजी, यह गंभीर मुद्दा है। सरकार ने पहले से ही बजरी की दरें सातवें आसमान पर पहुंचा दी है और रसूखदारों को लीज जारी की हुई है। लीजधारकों की मनमानी, मनमर्जी में सरकारी विभाग भी मददगार बने हैं। क्षेत्र की पुलिस दुर्घटना स्थलों पर इतनी गति से नहीं पहुंचती।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिए। आप तो यह सारा वर्णन कर रहे हैं।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध रॉयल्टी वसूली के प्रकरण का यदि कोई विरोध दर्ज करवाता है तो पुलिस तत्काल प्रभाव से प्रकट हो रही है। वन अधिकारियों से वन क्षेत्र संभल नहीं रहा। वृक्षारोपण व विकास के नाम पर भारी धांधली कर रहे हैं और पिछले ही दिनों मेरे एवं माननीय विधायक पिण्डवाड़ा द्वारा आबूरोड़ रेंजर की हकीकत बताने पर वन मंत्रीजी ने उन्हें ए.पी.ओ. किया। यही नहीं, वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी अवैध खनन और अवैध रायल्टी वसूलने में मशगूल हैं। आबूरोड़ के तहसीलदार की जब से आबूरोड़ में पोस्टिंग हुई है, तब से आज तक उनका पब्लिक को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं है। लीज धारक जो बड़े ब्लॉक निकालते हैं, उसके बाद शेष कचरे और पत्थर के टुकड़ों को जो आस-पास के खेत खलिहानों और सरकारी भूमि गोचरों में डाल रहे हैं। जब किसान या आम आदमी उन पत्थर के टुकड़ों को अपने वाहन से भरकर अन्यत्र ले जाता है तो खान विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और वन विभाग सक्रिय होकर उनके साथ अवैध वसूली में लग जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिए।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब किसान पैदावार को गुजरात में बेचने जाता है और वहां से अपने खुद के साधन से बजरी भरकर ले आता है तो संबंधित विभाग के अधिकारी अवैध वसूली करने में लग जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि निम्न लोक महत्व के बिंदुओं पर आश्वासन दिलाने की कृपा करें। मंत्रीजी आप यह बताने की कृपा करें कि जो फर्जी रसीद है, इसमें लाल रसीद के साथ एक पीली रसीद है, उसमें 'खान एवं भू-विज्ञान, राजस्थान' लिखा हुआ है और इसमें शेरसिंह सोलंकी, तहसील, रेवदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है और इस पर्ची के अंदर कुछ नहीं है। किसी प्रकार के उनके नाम दर्शाए हुए नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। ये अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये बहुत कम बोलते हैं।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, क्या यह प्रावधान है कि जे.सी.बी. या बड़ी पोकलेन से नदियों को 15-15 मीटर गहरी करके लोडिंग करके बजरी महाराष्ट्र तक जा रही है और उसके उपरांत भी सरकार इस पर

(श्री जगसी राम)

किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है, तो मंत्री महोदय, क्या आप इस पर विचार करेंगे? मेरा लास्ट सवाल यह है कि जो माइनिंग से ब्लॉक निकलते हैं, उसके उपरांत जो छोटे पत्थर या कचरा रहता है, उस कचरे को यदि स्थानीय लोग या किसान खुद के काम के लिए ले जाते हैं तो वहां के मौजूद अधिकारी-कर्मचारी या कोई भी उसके बीच में आकर आम लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। मंत्री महोदय, उस पर क्या आप नियंत्रण करने की कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) सब सुन लो एक बार तसल्ली से।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। क्या मतलब है, बीच-बीच में..।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की जो बजरी की सारी समस्या है, चाहे रेटों की है या जो भी यहां पर प्रश्न उठ रहे हैं, उसके लिए 100 प्रतिशत 2012 की कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। (व्यवधान) क्यों? मैं सच कह रहा हूं। सुनिए, पहली बात 2012 से पहले जो भी बजरी किसी भी नदी में होती थी, उसको कोई भी आदमी उठा सकता था और वह नाके पर रॉयल्टी देकर चला जाता था। इसलिए न तो कोई बजरी कीमत पर बेचता था, न उसकी रसीद देने की जरूरत थी। 2012 में आपने पता नहीं किस को खुश करने के लिए पहले का कानून तोड़ा। पहले 50 हैक्टेयर से ज्यादा का एक ब्लॉक नहीं बना सकते थे, दो-दो हजार के ब्लॉक बना दिए। सुनिए।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहिए। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): दूसरा, उसमें जितनी बजरी है उस बजरी की कीमत बोली से लगवा ली। अब उस बजरी का मालिक जो लीज होल्डर है, वह बन गया। अब कोई भी आदमी बिना पैसे के एक दाना बजरी भी उससे नहीं ले सकता। पहले तो सब ले लेते थे। जो 2012 का चल रहा है, उसे अब सुप्रीम कोर्ट स्थायी अनुमति दे रही है।

दूसरी बात, जो कीमतें हैं। कीमतें एल.ओ.आई. के अंदर निर्धारित होती

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

हैं और कीमतों के लिए अगर ये कंडीशन लगाते कि कीमतें हम निर्धारित करेंगे, तो इन्होंने उसमें यह शर्त नहीं रखी। पता नहीं इनको किसको फायदा देना था?

तीसरी बात, हमने कीमतों को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में इसको डाला और कलक्टरों को पावर दी, लेकिन जितने एल.ओ.आई. होल्डर थे, वे सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इनसे जब बजरी की कीमत ले ली, इनका प्रीमियम आपने जमा करा लिया तो अब ये अपने हिसाब से बेचेंगे, सरकार इसमें इंटरफियरेंस नहीं करे, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं, फिर भी हम रोक रहे हैं और उसके अंदर जो दो पर्चियों का सवाल है। एक पर्ची तो हमारी है, जिसमें प्योरली हमारी रॉयल्टी, परमिट फीस और प्रीमियम फीस, ये तीन होते हैं। प्रीमियम उसने दे दिया, परमिट और रॉयल्टी इस पर्ची से कटती है। ये जो पीली पर्ची की कह रहे हैं, ये क्रेता और विक्रेता की है। कोई बजरी लेने जाता है तो वह जितने टन बजरी लेता है तो उसका यह कैश-मेमो है। इसके अंदर कैश-मेमो लिखा हुआ है। अगर कैश-मेमो के अलावा कोई पर्ची है, तो वह इल्लीगल है, उसकी मैं जांच करा लूंगा। लेकिन वे जितनी पर्ची देते हैं, दस टन बजरी ली। सत्तर रुपए के हिसाब से वह हिसाब रखने के लिए सात सौ रुपए की काट देता है और हमें यह चैक करने में मदद मिलती है कि क्या भाव बिक रही है? इसलिए इस पर्ची पर जो शिकायतें हैं, वे 12 आई थीं। इसमें तीन थी कि इसमें आर.एस.टी. और सी.एस.टी. का नंबर नहीं है। वैट अधिनियम, 2003 में बजरी, रेता और सैंड को बिक्री कर से मुक्त कर दिया है। इसलिए इस पर सी.एस.टी. नहीं लगती है, सेल्स टैक्स नहीं लगता है। इसलिए इस पर्ची को तो केवल क्रेता और विक्रेता है, जो लेता है, किस भाव में लेता है? वह भाव भी हमें पता रहे, तो यह पर्ची तो केवल वही है और इसके अलावा कोई नहीं है।

इसके अंदर लिखा हुआ है 'कैश-मेमो'। आप किसी भी दुकान पर जाओ, क्योंकि अब तो केंद्र ने जरूरी कर दिया कि कोई भी चीज खरीदो, आपको उसकी पर्ची देनी पड़ेगी। ये वही पर्ची है। इसको बिना मतलब के कहें कि वसूली हो रही है। हां, इसके ऊपर विभाग की कोई मोहर हो या कोई और

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

हो तो लेकिन यह केवल कैश-मेमो है। यह जो लाल रसीद है, यह डिपार्टमेंट की है। इसमें रॉयल्टी कटती है। जहां तक भावों की बात है, आज भी बजरी के भाव पूरे देश में, हरियाणा में साढ़े सात सौ, दिल्ली में नौ सौ, उत्तर प्रदेश में हजार, मध्य प्रदेश में पाँच सौ और राजस्थान में ढ़ाई सौ एवं साढ़े तीन सौ के बीच में चल रहे हैं।

ये हम कण्ट्रोल किये हुए हैं। हालांकि इन्होंने एल.ओ.ई. में शर्त नहीं डाली लेकिन हम अपने प्रभाव से कण्ट्रोल किये हुए हैं। जहां तक सिरोही का सवाल है, सिरोही के रेट, सिरोही के अन्दर जो बिकती है, चार हैं वहां, जो सिरोही है इसमें रेवदर है, शिवगंज है और सिरोही है। सिरोही में ट्राली से जाती है, यह 95 से सौ रुपये में बिकती है। शिवगंज में 95 से सौ रुपये ट्राली से। यहां ट्रक से नहीं होता लेकिन रेवदर और पिण्डवाड़ा में ट्रक जाते हैं। वहां ट्राली से तो 95 और 100 रुपये ही प्रति क्विंटल का है लेकिन ट्रक से कोई ले जाता है तो उसको 140 से 150 लेते हैं। सबसे कण्ट्रोल्ड रेट हैं, जो ये आये हैं। लेकिन यह पर्ची जो है, जो आप कह रहे हैं, अगर कोई पर्ची, जिसमें कैश मीमो नहीं लिखा, या कोई अवैध वसूली आप दे दें, मैं जांच करा लूंगा और सख्त कार्यवाही करेंगे। हम क्यों लूटने देंगे। ईमानदारी की बात है, अगर ये उस समय एल.ओ.ई. में शर्त डालते कि कीमत निर्धारण सरकार करेगी तो यह दिक्कत ही नहीं आती। अब इन्होंने उस समय किया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कारण से हम तो बंधे हुए हैं। नहीं तो हमने तो कलेक्टरों को भी बाउण्ड कर दिया था कि कलेक्टर रेट निर्धारित करेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इसलिये हमने रेट कण्ट्रोल किये हुए हैं और कोई रेट नाजायज नहीं हो रहा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): साढ़े तीन साल हो गये अब तो पिछली बातों को गाते, साढ़े तीन साल से हम पिछली बातें गाते रहेंगे क्या। ...(व्यवधान)... कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया?

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न ...(व्यवधान)... आप बैठिये।

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आप विराजिये, हीरालालजी, विराजिये।

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, ये रिकार्ड पर नहीं जायेगा फिर। दूसरा पूरक प्रश्न वे कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिये। ...(व्यवधान)...

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो बात कही है।

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री अध्यक्ष: हीरालालजी, हीरालालजी। ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): रोजाना क्या-क्या भ्रष्टाचार के कारनामे हो रहे हैं ...(व्यवधान)... पता चलेगा। ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि यह बात सही है कि ये पूर्ववर्ती सरकार के घोटाले हैं, लेकिन अभी वर्तमान में यहां से रेवदर की बजरी, जो महाराष्ट्र जा रही है, उसके खड्डे 15-15 मीटर खोद रहे हैं, उसका कोई मापदण्ड नहीं है। उस पर आप रोक लगाएंगे? नम्बर, एक। और जो फर्जी रसीदें सामने आई हैं उसकी आप जांच करवाएंगे क्या? यह मुझे बताएं।

श्री अध्यक्ष: कह दिया जांच कराने के लिये, विराजिये।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): एक मिनट रुकिये। जहां तक सिरोही में अवैध खनन का सवाल है तो केवल सिरोही में ही पिछली सरकार ने पूरे पाँच साल में 929 केस बनाये थे। हमने इनसे पाँच गुना ज्यादा केवल सिरोही में कर दिये हैं। इन्होंने 60 महीनों में, कांग्रेस टाइम में पाँच साल में 27 अवैध खनन पकड़े थे। हमने केवल 36 महीनों में 173 केस पकड़े हैं जो अवैध खनन कर रहे थे। इन्होंने 3.3 लाख ही वसूल किया था पाँच साल में, हमने साढ़े उनचास लाख किया, जो सोलह गुना ज्यादा है। अवैध के ऊपर हम पूरा कण्ट्रोल कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर कहीं भी किसी ठेकेदार की शिकायत हो तो हम 48 घण्टे के अन्दर-अन्दर उसकी कार्यवाही करके दिखाएंगे और उसके ऊपर हैवी पैनल्टी लगाएंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री देवेन्द्र कटारा, ये सिरोही का मामला है।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): सिरोही से ही।

श्री अध्यक्ष: हां, सिरोही से।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही में अवैध परिवहन और अवैध खनन के कितने-कितने प्रकरण आपने दर्ज किये हैं? अवैध खनन क्षेत्र में डीजल और इलेक्ट्रिकल जो मशीनें हैं, नावें, इसके बाद में जे.सी.बी., एल.एण्ड टी. और अन्य प्रकार की इलेक्ट्रिकल मशीनें जो खनन के उपयोग में आती हैं, कितनी जब्त की गयीं? इसी में दूसरा, कांग्रेस ने अगर 2012 में गलती की है तो क्या मंत्री महोदय उस गलती को सुधारते हुए वर्तमान में कोई पारदर्शी नीति लागू करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही के अन्दर हमने कुल 272 प्रकरण दर्ज किये हैं, चार एफ.आई.आर. भी कराई हैं, चार इस्तगासे भी हुए हैं और 88 लाख की पैनल्टी वसूल की है। इसमें नियम है। इसमें अगर ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी जाती है तो उसके लिये 25 हजार है, जे.सी.बी. पकड़ी जाती है तो एक लाख है, जो भी साधन पकड़ा जाता है वह सारे के सारे, जो पैनल्टी 88 लाख है, इसमें आये हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम रॉयल्टी नाके पर, जो भी है, सी.सी. कैमरे भी लगाएंगे, ई-वेटिंग भी कराएंगे। हर तरह की ऐसी पुख्ता व्यवस्था कर देंगे कि अवैध खनन का ज्यादा से ज्यादा कण्ट्रोल हो जाये और जो भी हम करेंगे वह सारा इस तरह आई.टी. से जोड़ कर करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): नहीं, नहीं, और अवैध परिवहन, दोनों के अलग-अलग आंकड़े मैं कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): देखिये अवैध परिवहन, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, अध्यक्षजी, अवैध खनन के अन्दर पाँच तरह की कार्यवाही होती है। एक तो डी.टी.ओ., वह अवैध खनन में जो ज्यादा वैट होता है उसका चालान करता है। वन में खनन का वन विभाग करता है। अगर कोई चारागाह है तो उसका पंचायत करती है। हम तो केवल अपने

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

उसमें करते हैं, जिसमें सिवाय चक है या राज रकबा है। लेकिन फिर भी हमने चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। अब हम जिलों में भी एक कमेटी बना रहे हैं। जो भी डी.टी.ओ., हमारी पुलिस, वन विभाग, खनन विभाग हम सब मिल कर इकट्ठे ड्राइव चलाएंगे, हर महीने बाद चलाएंगे और उसके अन्दर सारे संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे। मान लो एक ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी गई, डी.टी.ओ. को हम बाउण्ड करेंगे कि अगर इस ट्रैक्टर ट्राली में खनन है तो फिर हमारे विभाग को बुलाओ, अगर वन विभाग का है तो वन विभाग को बुलाओ। तो उसमें डबल चालान करेंगे। इसलिये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवैध खनन राजस्थान में रुके। उसके लिये नई नीति में हमने सारा आई.टी. से जोड़ दिया है। यहां तक कि जो हमारे अधिकारी जाएगे उनके भी जी.पी.एस. सिस्टम लगा दिया तो किससे बात कर रहे हैं, उसका भी पूरा खयाल करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। दूसरा पूरक प्रश्न, चन्द्रभानसिंह 'आक्या'।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो नदियां खुद रही हैं, दस फीट खुदे, पाँच फीट खुदे, पन्द्रह फीट खुदे, पर जो एल.एण्ड टी. मशीनें चल रही हैं, सिरोही जिले में चल रही हैं या किसी दूसरे जिले में चल रही हैं, तो आप देखिये कि 20-20, 25-25 फीट तक नदियां गहरी हो गयीं तो पानी का लेवल कहां जाएगा, नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष: यह सिरोही का प्रश्न है।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): सिरोही का ही पूछ रहा हूं, मैं सिरोही के बारे में ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बाहर की नदियां मत पूछिये आप।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): सिरोही जिले की नदियों की पोजीशन यह है कि वहां पर 20-20, 25-25, 30-30 फीट तक गहरी खोद दी हैं। उनके बारे में मंत्रीजी क्या कहेंगे और कितने लेवल तक ही खोद सकते हैं, वह भी बता दें। दूसरा यह कि ठेका तो सिरोही में है और दूसरे जिलों में भी नाके लगा रखे हैं, जहां आपकी लीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

उनके बारे में क्या करेंगे। वे भी एक बार बता दें।

श्री अध्यक्ष: यह अलग से सवाल है, बैठिये। ...(व्यवधान)... यह अलग से सवाल है।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, एक और है। माइनिंग वालों को ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मिस्टर चन्द्रभान, सिरोही के अलग से सवाल मत कीजिये, बैठिये आप।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): अध्यक्ष महोदय, तीन मीटर तक खनन का अधिकार है और तीन मीटर से ज्यादा कोई भी खनन करता है तो अवैध है। कोई भी शिकायत हमारे पास आती है तो तीन मीटर से नीचे जब कोई जाता है तो हम उसके दस गुना पैनल्टी लगाते हैं। इस पैनल्टी के अन्दर मैंने आपको विवरण बता दिया कि पिछली सरकार से दस गुना ज्यादा की पैनल्टियां और केस बनाये हैं। ...(व्यवधान)... सुन तो लो। कोई भी शिकायत माननीय सदस्य हमें दे तो मैंने पहले कह दिया कि 48 घण्टे में हम उसके खिलाफ कार्यवाही कर देंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): साहब, विभाग की जिम्मेदारी नहीं है क्या चैक करने की। ...(व्यवधान)... दस परसेंट बता रहा हूं, वहां दो परसेंट ...(व्यवधान)...

श्री जगसी राम (रेवदर): तीन मीटर की बात कहां कर रहे हैं। जाकर आप एक कमेटी गठित करो और बताओ। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): पहले सुन लें।

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप, बैठिये। ...(व्यवधान)... बैठो आप।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): अध्यक्ष महोदय, पहले मशीनों से खनन की अनुमति नहीं थी लेकिन अब मशीनों से खनन की अनुमति हो गई। इसलिये हम जे.सी.बी. को ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब शोर्ट कीजिये। जो पूछे वह जवाब दीजिये। इससे ज्यादा कुछ नहीं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): तीन मीटर से ज्यादा कोई करेगा, कोई शिकायत आएगी, तुरन्त हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न ...(व्यवधान)... और बैठे हैं, कर चुके आप। श्री समाराम, तीसरा पूरक प्रश्न, श्री समाराम।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहूंगा कि सिरोही जिले और अलग का ठेकेदार एक ही है या कोई अलग है कि जिस प्रकार से रॉयल्टी, आम गरीबों और किसानों का जुड़ा हुआ मामला है। गरीब लोग तो क्या करेंगे, साढ़े छह सौ रॉयल्टी के पैसे लगेंगे। बाकी लोग तो यूं ही बना लेंगे, इससे भ्रष्टाचार होता है। मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि 2012 में कांग्रेस सरकार ने किया। वे तो खड्डे में गिरे ही गिरे, अपन खड्डे में न गिरें, इसकी व्यवस्था मंत्रीजी करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सिरोही जिले के अन्दर पिण्डवाड़ा में रॉयल्टी,, बाकी जगह तो नहीं चलता, बाकी जगह सब ओवरलोड चलता है, लेकिन सिरोही में 16 टन ही क्यों चलता है, इसका भी आप जवाब दें।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): बैठो-बैठो, मैं बताता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हमेशा गरीब की, किसान की सोच रखती है। आपको मैंने जवाब में भी उस दिन बताया था कि जितने काश्तकार हैं उन सबको जहां जिप्सम था, हमने उनको अधिकृत कर दिया और जो ट्राइबल एरिया था, उसमें 15 साल से खानों के आवंटन पर प्रतिबंध था, हमने वह खोल दिया। अब ट्राइबल एरिया में भी जो ट्राइबल 12 साल से खनन के पट्टे लेने में जिनको अधिकार नहीं था, हमने इस पॉलिसी में खोल दिया है। जितने भी लोग आपके पट्टे मांगे, वन थर्ड आपके लिए रिजर्व भी कर दिये हैं। काश्तकार को भी हमने राइट दे दिया है। कोई भी खातेदारी वाला काश्तकार अगर वह अपना क्वारी लाइसैंस लेना चाहेगा तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था कर दी है और 01 मार्च से लागू कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए मंत्रीजी। विराजिए। अगला सवाल- श्री विजय बंसल।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: श्री विजय बंसल। नो-नो सवाल गया। तीन पूरक सवाल हो गये। नो-नो। श्री विजय बंसल।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्रवणजी बैठिये। यह अलग से सवाल कीजिए। यह अलग से सवाल कीजिए। अलग से, अलग से सवाल कीजिए। रिकार्ड नहीं हो इनका कुछ भी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अलग से सवाल कीजिए आप। आप सीनियर मैम्बर हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: बोलने के तरीके हैं मिस्टर श्रवण कुमार, बैठिये। अंकित नहीं हो। कोई अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: बैठो।

भरतपुर जिले में उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण

479. श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भरतपुर जिले में वर्तमान में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं? उपखण्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2008 से 2016 तक किन-किन अधिकारियों द्वारा उक्त दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में उक्त अवधि में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानों के लाइसैंस निलम्बित किये गये व कितनी दुकानों को संबद्ध करने के आदेश किन कारणों से जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री बाबूलाल वर्मा): (1) भरतपुर जिले में वर्तमान में कुल 877 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, उपखण्डवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2008 से 2016 तक भरतपुर जिले में पदस्थापित अधिकारियों

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

द्वारा किये गये उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण एवं उनमें पाई गई अनियमितताओं तथा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) भरतपुर जिले में उक्त अवधि में कुल 207 उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस निलम्बित किये गये एवं वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उक्त 207 दुकानों को अन्य उचित मूल्य की दुकानों से संबद्ध करने के आदेश जारी किये गये। उक्त उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा वितरण में अनियमितताएं करने पर उनके निलम्बन आदेश जारी किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-एक।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, जवाब में इन्होंने दिया है कि 372 दुकानों में अनियमितता पाई गयी जिनमें से 207 के लाइसेंस निलंबित किये गये, बाकी पर क्या कार्यवाही गयी? नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): नम्बर-दो, क्या किसी एक जुर्म की अलग-अलग सज़ा भी होती है? किसी दुकान का लाइसेंस निलंबित किया तो किसी पर 500 रुपया जुर्माना किया गया, ऐसा क्यों? इसका पहले जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी जो हमारे एफ.पी.एस. डीलर हैं, उन पर विभाग के द्वारा निरीक्षण करने की, उनके नियम बनाए गये हैं। डी.एस.ओ., ई.ओ. और ई.आई. द्वारा हर दुकान पर सभी निरीक्षण हों, इसके लिए व्यवस्था की गयी है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि 372 दुकानों का 2008 से 2016 तक निरीक्षण किया गया और 207 का निलंबन/निरस्त किये गये। बिलकुल जो 372 दुकानें हैं, उनका विवरण मेरे पास है। कुछ दुकानों पर उनके पैनल्टी लगाई गयी। जिस प्रकार की उसमें अनियमितता पाई गयी,

(श्री बाबूलाल वर्मा)

यदि अनियमितता गंभीर प्रकार की है, यदि उसने कोई ज्यादा अधिक प्रकृति का अपराध किया है तो उसका निलंबन भी किया गया है और यदि उससे भी अधिक मतलब, उसने ऐसा कोई गबन या घोटाला किया है तो उसके खिलाफ निरस्त भी की गयी है और वह दुकानें टर्मिनेट भी की गयी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की गड़बड़ियों को देखते हुए ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश में पोस मशीन की व्यवस्था लागू की। उससे नियमित रूप से लोगों को राशन मिले और उसके बाद जो कार्यवाही की गयी है, मैं भरतपुर जिले के बारे में कहना चाहता हूं कि जो दुकानें जिनमें अनियमितता पायी गयी, 54 दुकानें ऐसी थीं जिनमें फर्जी ट्रांजक्शन पाये गये। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि 54 में से 42 दुकानों पर एफ.आई.आर. करके उनको निरस्त कर दिया है, 12 दुकानें निलंबित की गयी हैं।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से डीलर के खिलाफ यदि किसी प्रकार की अनियमितता की जाती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है और फिर भी यदि कोई बात होगी, माननीय विधायक महोदय कोई शिकायत अगर बताएंगे तो उसकी निश्चित रूप से मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे?

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): जी।

श्री अध्यक्ष: कीजिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय मंत्री महोदय, भरतपुर क्षेत्र में कितनी पोस मशीनें सही तरह से काम कर रही हैं और जो काम नहीं कर रही हैं, उनकी बजाए आप राशन के लिए रजिस्टर खोलने का विचार रखते हैं या नहीं? नम्बर-एक।

नम्बर-दो, भरतपुर जिले में नई एफ.पी.एस. दुकानों के साक्षात्कार हुए करीब छह महीने से ज्यादा हो चुके हैं, आज तक उनको खोलने के आदेश नहीं हुए हैं, इसका क्या कारण है? यह और बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पोस मशीनों की जो जानकारी चाही है, कुछ दुकानों पर अभी कुछ कनेक्टिविटी की प्राब्लम है जहां मतलब कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होने की वजह से वहां मैनुअली उसको वितरण किया जाता और उसमें भी उनको दूसरे दिन अपने विभाग में उसको रजिस्टर मतलब, उसको यह इंटिमेट करके हैड-आफिस को सूचना करनी पड़ती है।

हमारी वितरण व्यवस्था, माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार इस प्रकार रही कि प्रत्येक व्यक्ति को या तो बॉयोमैट्रिक सिस्टम से उसको वितरण होकर मिले और उसके अलावा भी यदि कोई व्यक्ति का कोई अंगूठा या कोई नहीं मिल पाया उसके बावजूद भी उसको सामग्री वितरण करते हैं लेकिन दूसरे दिन डी.एफ.ओ. आफिस में उसको रिकार्ड करना पड़ता है कि इसको रजिस्टर में नोट करके उसको वहां उसकी सूचना करता है कि इस व्यक्ति को राशन सामग्री दी है।

और, माननीय सदस्य ने जो दूसरा विषय नवीन दुकानों के लिए जो जिक्र किया है, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि भरतपुर जिले में 194 दुकानों के लिए आवेदन किया गया। उनमें कुछ औपचारिकताओं की कमी की वजह से उनका अभी जितना भी साक्षात्कार है, इंटरव्यू है वह इंटरव्यू जनवरी माह तक पूरा कर लिया गया है और तहसीलवाइज कलक्टर को हमने निर्देश कर दिये हैं और उसने जिन-जिन तहसीलों की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं, उनको हम बहुत जल्दी, भरतपुर तहसील की वह सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और भरतपुर जिले की सभी तहसीलों के लिए यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से इसको आठ-दस रोज के अंदर आवंटन प्रक्रिया को पूरी करके उस पर हम लोग निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्रीमती अनीता।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): एक और है, ओनली वन, थोड़ा सा एक-एक मिनट, साहब प्लीज, एक रह गया है कि भरतपुर में ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: नो-नो, बिलकुल नहीं। बिलकुल नहीं, बैठिये आप। दो प्रश्न पूछ चुके आप। नहीं। श्रीमती अनीता।

श्रीमती अनीता (नगर): आप बैठ जाओ, मैं कह लूंगी।

श्री अध्यक्ष: बैठो आप।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक तो यह कहना चाहती हूं कि आपके द्वारा, हमारी मुख्य मंत्रीजी के द्वारा, हमारे जो पहले मंत्री थे श्री हेमसिंहजी भड़ाना द्वारा इस डिपार्टमेंट में जितनी ईमानदारी से और गरीबों का जो हक है, उसको देने के लिए जो कोशिशें की गयी हैं, उसकी तो मैं पूरे सदन में बहुत तारीफ करती हूं लेकिन फिर भी मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि जो यह पोस मशीनें, भरतपुर जिले में बटी हुई हैं, इन पोस मशीनों में आए दिन खराबी होती है और आए दिन खराबी होने के बाद रजिस्टर खुल रहा है। कभी यह अंगूठा जैसे ही दबाते हैं तो वह दो बार दब जाता है तो वह दो महीने का राशन उसमें चढ़ जाता है, इस तरह की परेशानियां बहुत आ रही हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि यह जो खराब पोस मशीनें हैं, इनको बदल कर आप नई मशीनें देते हैं या आपकी और जो मशीनें पड़ी रहती हैं, जिनको आप ठीक कराते रहते हो उनको अदल-बदल करते रहते हो तो इनकी जगह आप नई मशीनें दें जो अच्छी क्वालिटी की हों और आपका जो सर्वर हमेशा ज्यादातर खराब रहता है, उस सर्वर को ठीक कराने के लिए डिपार्टमेंट कुछ काम कर सकता है या नहीं?

और, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मंत्री महोदय, कि यह जो कैरोसिन ऑइल है, इसके अंदर जो सब्सिडी है, उस सब्सिडी को आप, उस केरोसिन ऑइल को प्रति व्यक्ति कितना लीटर आप देते हैं? यह जरूर आप बताएं क्योंकि हमारे जिले में इस कैरोसिन ऑइल में बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं।

और दूसरा, मंत्री महोदय बतायें कि क्या सरकार कैरोसिन की सब्सिडी बंद करके सीधा उपभोक्ता के खाते में राशि देने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो पोस मशीनों से वितरण की बात कही है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन लाभार्थी को पोस मशीनों से वितरण नहीं हो पाता है या उनको कोई नहीं मिल पाता उनका मोबाइल नम्बर हमारे पास रजिस्टर्ड होता है। उस मोबाइल नम्बर में आधार कार्ड के माध्यम से यदि वह उसमें बॉयोमैट्रिक सिस्टम से आता है तो वह वितरण व्यवस्था भी हमारे पास है। मतलब, वितरण व्यवस्था की इतने सुदृढ़ तरीके से हमने व्यवस्था की है कि हर व्यक्ति को उसकी राशन सामग्री मिले और इसके लिए मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं और दूसरी बात जो माननीय सदस्या ने कैरोसिन ऑइल के लीटर की बात कही है, तीन लीटर प्रति परिवार को हम लोग अभी कैरोसिन दे रहे हैं, पहले यह ढाई लीटर था।

श्रीमती अनीता (नगर): मंत्री महोदय, यह जो तीन लीटर है न यही पूरा नहीं मिलता है। इसको पूरा करने के लिए जरूर करें आप।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में प्रति राशन कार्ड तीन लीटर कैरोसिन वितरण की व्यवस्था है और यदि सभी माननीय सदस्य इस बात की यदि मुझे कोई जानकारी देंगे कि कहीं पर कम वितरण हो रहा है तो निश्चित रूप से उस जगह मैं कार्यवाही करवाऊंगा।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने जो कनेक्टिविटी के लिये कही है, हमारा विभाग निरन्तर रूप से आई.टी.विभाग से लगातार विचार-विमर्श इसकी व्यवस्था और अच्छी तरह बने, इसकी कोशिश करता रहता हैं। जहां भी हमें इस टैक्नोलॉजी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होती है, हम निश्चित रूप से पोस मशीनों में इम्प्रवूमेंट करने की कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती अनीता (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह कहना चाहती हूं कि ढ़ाई लीटर के करीब कैरोसीन मिलता है। सदन के माध्यम से मैं आपको सूचना देना चाह रही हूं कि आधा लीटर कम रहता है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्रीमती अनीता (नगर): दूसरा जो विचाराधीन प्रकरण है, उस विचाराधीन प्रकरण का आप कितने समय में निर्णय कर देंगे? क्योंकि जो विचाराधीन प्रकरण हैं, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र के भतरपुर जिले के प्रकरण बहुत लम्बे-लम्बे होते जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य। मंत्रीजी, इसका जवाब और दे दीजिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जो भी केस दर्ज होते हैं, या जो भी शिकायत आती है, तीन माह में यानी 90 दिन में उस प्रकरण का निस्तारण करना ...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: पप्पू बन्डा, बैठिये। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 90 दिन के अंदर उस दुकान की जांच करके उस प्रकरण का निस्तारण हम लोग कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे सदन को यह लोग गुमराह कर रहे हैं। धरातल की बातें मैं बताता हूं। यह रोड से चार फीट ऊपर चलते हैं, इनको यह मालूम नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है। बूढ़ा आदमी है जो 70-80 साल का हो गया, उसकी अंगूठे की रेखा घिस गयी। वह जाता है तो दुकान वाला कहता है आपकी रेखा नहीं आ रही है, आप भाग जाओ। अब बताओ 70-80 साल के आदमी की रेखा घास खोदते-खोदते खत्म हो गयी। यह क्या करते हैं, उसको भगा देते हैं। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें, सवाल करने दीजिये। इम्पोर्टेंट सवाल है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उसकी रेखा खतम हो गयी तो उस बूढ़े आदमी को भगा देते हैं। तेल जितना भी है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, वह तेल बसों और गाड़ियों के अंदर डल रहा है। आज की तारीख में चाहे लाइट डेढ़ किलोमीटर से लानी पड़े, चोरी करके ले आएंगे, लेकिन दीपक कोई नहीं जलाएगा।

श्री अध्यक्ष: अब आप सवाल कीजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नम्बर तीन, और सुनो आप। जितने भी

(श्री श्रवण कुमार)

गांव के आदमी बाहर शहरों में रहते हैं, उनके राशन कार्ड ऑन लाइन निकलवाकर उनके फार्म भरकर गेहूं खा जाते हैं। सारा सिस्टम कोलेप्स हो चुका है। यह सारे के सारे केवल धरातल की बातें नहीं करते, आकाश की बातें करते हैं। मंत्रीजी यह बताए कि शहरों में जो मिलावट हो रही है खाद्य पदार्थों में, डालडा घी को देशी घी बनाया जा रहा है, आपने कितनी जांच करवायी? एक भी इंस्पेक्टर काम नहीं कर रहा है। सारे के सारे बैठे हैं, कोई काम नहीं करता है। सबने मिलकर राजस्थान का भट्टा बिठा दिया।

श्री अध्यक्ष: यह सवाल भरतपुर का था, मैंने आपको अलाऊ किया। ...(व्यवधान)... नहीं, बैठिये आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप जवाब देदो न। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मिस्टर श्रवण कुमार, यह जनरल भाषण नहीं होगा। भरतपुर का सवाल है, इस बारे में पूछना हो तो पूछिये, नहीं तो बैठिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राजस्थान में कितनी जांचें करवायीं, कितने इंस्पेक्टरों को दंडित किया गया, कितने इंस्पैक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की गयी? यह पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आपके पास जवाब हो तो दीजिये। ...(व्यवधान)... यूं बोलने से काम नहीं चलेगा।

श्री हीरालाल (निवाई): आपको मालूम है क्या बाबूलाल नागर जी का? खाद्य मंत्री बाबूलाल जी नागर कहां गये वह? ...(व्यवधान)... सारा आटा-दाल खा गये। ..(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो श्रवण कुमार जी का। ..(व्यवधान)..

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय माननीय सदस्य ने यहां रखा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। राजस्थान की लगभग 5 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में होगा कि एक जमाना वह था, जब हमारी सरकार के पहले आपको अखबारों के माध्यम से कई प्रकार की ऐसी जानकारियां मिलती होंगी

(श्री बाबूलाल वर्मा)

कि कहीं गबन हो गया, कहीं घोटाला हो गया, कहीं ट्रक पार हो गये। आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक ऐसी व्यवस्था की मुझे तीन साल के अंदर बताइये कहां पर आपको ऐसी शिकायत मिली। जितने भी गबन-घोटाले जो पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में हुए थे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा थी कि पोस मशीन लगाकर यह योजना लागू की और हर आदमी का हक उसको मिले, आज यह व्यवस्था की है और निश्चित रूप से उसके बाद भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि कहीं इस तरह की कोई शिकायत आये माननीय सदस्य के यहां तो मैं स्वागत करता हूं, उस पर कार्यवाही करने का भरोसा दिलाता हूं, यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000 ...(व्यवधान)....

श्री हीरालाल (निवाई): यह खुद ही गायब कर देते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उस समय मंत्रीजी के खिलाफ सोनिया जी ने भी पत्र लिखा था कि जांच करो। खाद्य विभाग में बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है, इसकी जांच करने के लिये स्वयं सोनिया गांधीजी तक ने लिखकर दिया है और उसके आधार पर इनके मंत्रीजी की जांच हुई।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न श्री जोगाराम।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा आपने बताया कि पर्टीकूलर इतना लीटर हम प्रति राशन कार्ड देते हैं...(व्यवधान)...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, यह सचेतक महोदय उनका नाम ले रहे हैं, जो सदन का सदस्य नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप स्पष्ट करें कि एक राशन कार्ड पर दो यूनिट हो सकती है, दो आदमी हो सकते हैं, एक राशन कार्ड पर पचास आदमी भी हो सकते हैं। राशन कार्ड में घासलेट की वितरण व्यवस्था किस तरह से होती है, कृपया स्पष्ट करें।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह वितरण व्यवस्था प्रति परिवार है माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)....

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): आपने कहा यह पूरे राजस्थान का है, हमें तो हमारे जिले की बात करने दो। ..(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट प्रश्न, श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

प्रदेश के वन क्षेत्रों में अतिक्रमणों का नियमन करने की कार्यवाही

480. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? क्या सरकार द्वारा वन क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

(2) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी वन भूमि पर अतिक्रमण है? उक्त अतिक्रमण में से आदिवासियों का अतिक्रमण कितना है? क्या गत 5 वर्षों में सरकार द्वारा उक्त अतिक्रमणों की पहचान कर नियमन की कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.59 प्रतिशत वन भूमि है। प्रदेश की वन भूमि (Forest land) में सामान्यता वृद्धि की संभावनाएं नहीं हैं, क्योंकि वन भूमि में वृद्धि सिर्फ गैर वन भूमि (यथा सिवाय चक, राजस्व भूमि) के वन विभाग को आवंटित होने से ही होती है। अपितु प्रदेश में वन आच्छादन (Forest cover) में वृद्धि हेतु निम्न विकास योजनाओं के माध्यम से वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण के कार्य किये जा रहे हैं-

1. राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना
2. नाबार्ड ऋण अंतर्गत वनारोपण

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

3. जलवायु परिवर्तन एवं मरू प्रसार रोक कार्यक्रम

4. परिभ्रंशित वनों का पुनरारोपण

5. भाखड़ा नांगल नहर वृक्षारोपण

6. गंग नहर वृक्षारोपण

7. कैम्पा के अन्तर्गत वृक्षारोपण

8. राज्य वन विकास अभिकरण

9. पर्यावरण वानिकी

10. फार्म फोरेस्ट्री

11. घाटी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण

(2) नवीनतम स्थिति अनुसार प्रदेश में 13552.82 हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण दर्ज हैं। आदिवासियों के लिए भी वन भूमि पर अतिक्रमण के नियमन का प्रावधान नहीं है। अपितु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 यथा संशोधित नियम, 2012 के अन्तर्गत पात्र आवेदकों को वन अधिकार पत्र दिए जाने का प्रावधान है इसके अन्तर्गत वन भूमि पर 28 फरवरी, 2017 तक इनमें से 36255 मामलों में वन अधिकार पत्र प्रदान किये गये हैं जिसका कुल वन क्षेत्रफल 22501.348 हैक्टेयर है। 34230 दावे निरस्त किए गए हैं। वन अधिकार पत्र हेतु 71203 लोगों ने ग्राम सभा में दावे प्रस्तुत किए थे। शेष मामले प्रक्रियाधीन हैं।

(3) जी नहीं। वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण को नियमित किये जाने के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की मार्ग निर्देशिका के एनेक्चर-IV (प्रति संलग्न परिशिष्ट "ए") में दिनांक 205.10.1980 से पूर्व के अतिक्रमणों के केवल ऐसे प्रकरणों का नियमन किये जाने का प्रावधान है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पूर्व ही निर्णय ले लिया गया था, किन्तु किन्हीं कारणोंवश इनकी पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। ऐसे नियमन के लिए यह भी आवश्यक शर्त है कि अतिक्रमियों के विरुद्ध तत्समय प्रचलित वन अधिनियम के तहत प्रथम अपराध रिपोर्ट दर्ज

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

की गई हो। उक्त एनेक्चर-IV के बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसार दिनांक 24.10.1980 के पश्चात के किसी भी अतिक्रमण के प्रकरण को नियमित नहीं किये जाने के निर्देश हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्रवण कुमार जी ने मेरे खिलाफ गलत टिप्पणी की है, वह कार्यवाही से निकाली जाए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या टिप्पणी की है, वह बताओ न।

श्री हीरालाल (निवाई): गलत टिप्पणी की है, जयपुर भेजने की, वह कार्यवाही से निकाली जाये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जयपुर में तो हो, पर कहां हो? आपको ये ही मालूम नहीं है क्या, निवाई से जयपुर आ गये न आप।

श्री हीरालाल (निवाई): आपको कोई अधिकार नहीं है जयपुर भेजो, मुम्बई भेजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप जयपुर आ गये न। ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल (निवाई): कोई अधिकार नहीं है आपको।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जयपुर में तो आये हो न। आप जयपुर में ही हो न।

श्री हीरालाल (निवाई): किसी सदस्य के कहने के लिये कोई अधिकार नहीं है। किसी के लिये कोई गलत टिप्पणी नहीं कर सकते आप। ..(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इनको तो भेजना ही पड़ेगा।

श्री हीरालाल (निवाई): कांग्रेस के टाइम में राशन का दुरूपयोग किया, वह कहा है मैंने। ..(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो आपके बीच में बोलने की जरूरत कहां है। मंत्रीजी जवाब देंगे ना। ..(व्यवधान)... फिर आपको बीच में बोलने की जरूरत कहां है?

श्री हीरालाल (निवाई): किसी सदस्य के लिये गलत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैंने किसी का नाम नहीं लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री हीरालाल (निवाई): मैंने क्या गलत टिप्पणी की है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैंने नाम पुकारा क्या? ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल (निवाई): इसको कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या कार्यवाही से निकालें? इनका नाम लिया क्या? यह अपने आप ही कह रहे हैं कि मेरा नाम लो।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): इसको एक्सपंज करवा दीजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह अपना नाम प्रदर्शित कर रहा है। ...(व्यवधान)... यह अपना नाम प्रदर्शित कर रहा है, मैंने नाम नहीं लिया है। यह खुद अपना इंडिकेट कर रहा है कि मेरा नाम लो। ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल (निवाई): उस टिप्पणी को कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री अध्यक्ष: मैं रिकार्ड देख लूंगा और अमर्यादित या संसदीय परम्परा के विरुद्ध होगा तो एक्सपंज करूंगा। ठीक है। माननीय शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यहां जयपुर में ही तो भेजा है, निवाई से जयपुर में तो आ गये न।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही पूछना चाहता हूं कि वन विभाग के अन्दर आदिवासी बंधु वहां पर परिवार लेकर रह रहे हैं, अब आपकी कोई नियमन की कार्यवाही है? लेकिन उसमें कम से कम जिसका कोई घर नहीं है उनके लिए कोई न कोई नियमन की कार्यवाही, जैसे आबू पिंडवाड़ा में हमारी पूर्ववर्ती, पहले 2003 से 2008 में हमने कानून बनाया, पट्टे दिये, पूर्ववर्ती सरकार ने वापस रोक दिये, उनके लिए कोई एक नियम बनाया जाय। अब आदिवासी चारों तरफ, आपकी वन विभाग की जमीन है लेकिन वो वहां पर रहते हैं, उनके कोई न कोई पट्टे तो देने के नियम बनायें। एक तो यह।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

दूसरा, यह जो ग्राम पंचायत स्तर पर बरसात के सीजन में आपके वनीकरण के लिए बहुत बड़ा फंड लगता है, बजट लगता है, अब उस बजट की आप पंचायत स्तर पर करते हो, वन विभाग करता है उसकी कोई मोनीटरिंग करने की हो। आपने एक पंचायत पर जैसे पांच हजार पौधे लगाये, पांच हजार पौधों में कितने पौधे जीवित हैं, कितने क्या कर दिये? मतलब यह है कि आपके विभाग के अन्दर यह वनीकरण के नाम पर वास्तव में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी मोनीटरिंग करने की चिंता आप करेंगे क्या और जो बजट का फिजूल खर्च हुआ है, उन पर कार्यवाही करेंगे क्या? यह दो हैं, उसके बाद तीसरा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन लेवल की कमेटीज बैठती हैं, ग्राम पंचायत लेवल में, एस.डी.ओ. के लेवल में और एक आपके स्टेट लेवल पर जिसके चीफ सैक्रेटरी उसे चेयरमैन हैं। इसके अन्दर जो भी आवेदन है, जो एक्ट बना है उसके तहत, उसकी गाइड लाइंस के तहत अधिकार पत्र दिया जाता है।

माननीय सदस्य ने, आपने बेसिकली जो इश्यू रेज किया था कि राजस्थान के अन्दर हमारा विभाग पौधे लगा देता है लेकिन उसका जो सर्वाइवल है, उसका क्या होता है? मतलब कि खाली पौधे लगा कर एक टारगेट जो है उसको फुलफिल करने का ही हमारा उद्देश्य नहीं है। इसके अन्दर सर्वाइवल क्या होता है, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे वन विभाग में 40 प्रतिशत से कम अगर सर्वाइवल हो तो उसको हम फेल्योर मानते हैं और उन अधिकारियों को चार्जशीट दी जाती है और इसकी इंक्वायरी की जाती है।

इसके बाद में जो कई ऐसी परिस्थितियां हैं, डेजर्ट एरिया के अन्दर सर्वाइवल कम होता है, सोइल पर भी डिपेन्डेंट है और सर्वाइवल के बारे में, अध्यक्ष महोदय, हमारी अलग-अलग लेवल की कमेटीज बनी हुई हैं। आपके सी.सी.एफ. लेवल की और डी.एफ.ओ. लेवल की जो मोनीटरिंग सिस्टम और टारगेट्स की जो कमेटी है, उसके अन्दर सी.सी.एफ. के नीचे डी.सी.एफ. उनके ऑफिस में बैठते हैं प्लानिंग एण्ड मोनीटरिंग के, वो अपने डिवीजन में

(श्री गजेन्द्रसिंह)

जाते हैं, अपने रेन्जर्स के थ्रू मोनीटरिंग करते हैं। इसके बाद स्टेट लेवल के अन्दर एडीशनल पी.सी.सी.एफ. हैं, मोनीटरिंग और इवेल्युएशन, उनके अण्डर एक सी.एफ. बैठे हैं, सी.सी.एफ. हैं और यह सरप्राइज विजिट कर के एट रेण्डम जाकर सैम्पलिंग कर के यह भी चैक करते हैं। थर्ड पार्टी इवेल्युशन हैं, इसमें इन्डिपेंडेंट एजेंसीज करते हैं, जहां बहुत बड़ी स्कीम है और क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, उसके अन्दर इन्डिपेंडेंट एजेंसी जो हैं वो आकर इसकी मोनीटरिंग करती हैं। एडिशनल पी.सी.सी.एफ. और सी.सी.एफ. जो हैं उनका इसके अन्दर पूरा रोल होता है।

यदि कहीं पर शिकायत है कि सर्वाइवल रेट 40 परसेंट से कम हुआ है तो कोई भी माननीय सदस्य इसके बारे में मुझे सूचित करे, मैं इस पर आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, खाली इतना है कि इस सिस्टम को ठीक करो। अब जैसे एक पंचायत में, जालौर जिले की पंचायतें हैं, ऐसी कई पंचायतों में हमने सर्वे किया है, 40 रुपये खर्च हुए हैं और वहां पर पांच पौधे नहीं हैं, उसका कहीं न कहीं सिस्टम तो बनाना चाहिए। इसमें जो कुछ भी तकलीफ है उसका सिस्टम बनाओ।

अब मेरा एक दूसरा प्रश्न यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे वन विभाग की जमीन पूरी होती है उसके बाद में माइनिंग की जमीन चालू होती है, माइनिंग के पट्टे दिये जाते हैं, अब जो माइनिंग का पट्टा धारक है, आपके पट्टे को तो रखता है सुरक्षित और अपनी माइनिंग करता है फोरेस्ट में। ऐसे जालौर जिले में कितने ही केस हैं, क्या उस पर कार्यवाही करेंगे? एक। और अगर वास्तव में उसने अपने पट्टे को सुरक्षित रख कर फोरेस्ट में माइनिंग की है, तो जो अवैध माइनिंग की है उस पर कार्यवाही करेंगे और उनके द्वारा एल. एण्ड टी. और जे.सी.बी. को जब्त करने की कार्यवाही करेंगे क्या? यह बता बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को हमारे नोर्म्स तो बता दिये। आपने बताया कि इतने लाख रुपये खर्च हुए आपके विधान सभा क्षेत्र के अन्दर और खाली पांच ही पौधे पनपे हैं तो यह मैं आपसे सूचना लेकर जहां भी, खाली आपके नहीं कोई भी यहां पर माननीय सदस्य विराजमान हैं, किसी के क्षेत्र के अन्दर अगर सर्वाइवल रेट 40 प्रतिशत से कम हुआ है तो मैं इसके अन्दर इंक्वायरी के तुरन्त एकशन लूंगा।

आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा इल्लीगल माइनिंग के बारे में, मैं यह एडमिट करता हूं कि हमारे पूरे राजस्थान के अन्दर फोरेस्ट एरियाज के अन्दर इल्लीगल माइनिंग बहुत हो रही है। इसके अन्दर माफियाज इन्वाल्व्ड हैं और एक बहुत लम्बा तांता ये इल्लीगल माइनिंग को करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर हो सकता है, जहां शिकायत आती है हम पूरे प्रयास करते हैं कि यह जो इल्लीगल माइनिंग है, इनको फोरेस्ट से हटा दी जाए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। ...(व्यवधान)... नो, नो, नो। जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जालौर जिले का सर्वे करवा लीजिए, उसमें अगर अवैध है, उन पर कार्यवाही करो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जवाब देने की जरूरत नहीं। पूरक प्रश्न। श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मेरे उदयपुर जिले के अन्दर सैंकड़ों फाइलें वन अधिकार पत्र लेने के लिए कितने ही वर्षों से पड़ी हुई हैं और छह महीने पहले कह रहे थे कि हम अधिकार पत्र हम देने वाले हैं। मैंने कहा, एक बड़ा प्रोग्राम बना कर देंगे मगर 15-20 दिन पहले कह रहे हैं कि दुबारा कोई जांच हो रही है।

मंत्री महोदय, ऐसी क्या जांच है जो वन अधिकार पत्र भी नहीं मिल

(श्री फूलसिंह मीणा)

रहे हैं? पीएमजीएसवाई में जो मकान आ रहा है एक लाख 48 हजार 290 का, तो जब तक अधिकार पत्र नहीं मिलेगा तो वो बेचारा वन भूमि में रहने वाला जनजाति परिवार, वो डेढ़ लाख का मकान नहीं बना जायेगा। इसलिए, मंत्री महोदय, कब तक यह कार्यवाही पूरी हो जायेगी और जनजाति भाइयों को यह अधिकार पत्र कब तक मिल जायेगा ताकि प्रधानमंत्री की मंशा से डेढ़ लाख का मकान बना पाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैंने पहले भी बोला है कि आपकी पंचायत लेवल की कमेटीज बनती हैं, आपके एस.डी.एम. लेवल की है, स्टेट लेवल की है और हमारे जो फोरेस्ट ऑफिसर्स हैं उसके मैम्बर्स होती हैं। यदि ऐसे कोई भी केसेज हैं तो आप मेरे को बताएं।

मेरे पास पूरे डिटेल्स पड़े हुए हैं कि फरवरी, 2017 तक राज्य में कुल प्राप्त दावे, क्लेम्स 71 हजार 203, राज्य में कुल स्वीकृत दावे, एप्रूव क्लेम्स 36 हजार 280, राज्य में विभिन्न स्तर पर निरस्त दावे, जो रिजेक्ट हुए हैं 34 हजार 230, कुल निर्णीत दावे, जो डिसाइडेड क्लेम्स हैं 70 हजार 510, जारी अधिकारी पत्रों की कुल संख्या, टोटल वन अधिकार पत्र जो फरवरी, 2017 तक दे चुके हैं 36 हजार 255, जारी अधिकारी पत्रों का कुल क्षेत्रफल 22 स्क्वायर मिलोमीटर है। यह मेन है।

मेरे पास जिलेवार भी सूची है तो अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं या तो पढ़ लूं या माननीय सदस्य को उनके उदयपुर जिले का जो टोटल डेटा है, मैं उनको प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: इनको, सदस्य को भिजवा दीजिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): साहब, मैं दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। श्रीमती द्रोपती।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 में

(श्रीमती द्रोपती)

कितनी भूमि पर वन माफियाओं ने पेड़ काटे व विभाग ने कितनी भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवायी? ग्रामवार सूचना देवें। क्या सरकार वन भूमि पर वर्षों से बसे हुए परिवारों के लिए कोई विशेष योजनाएं बना रही हैं और इनको नियमन करने का मंत्री जी बताएं।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे।

श्री अध्यक्ष: इसके बाद आपका है।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं। तीसरा पूरक प्रश्न होगा खांट जी का।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पीलीबंगा से पधारने वाली माननीय सदस्य ने पीलीबंगा के बारे में फिगर्स मांगें हैं, मेरे पास पीलीबंगा के फिगर्स हैं नहीं, मैं उनको मंगा कर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक, ठीक। विराजिये। हां, मिस्टर खांट। हां, करो, करो।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्रीजी ने बताया है कि शेष प्रकरण विचाराधीन हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाह रहा हूं कि वनाधिकार का विषय है, सम्पूर्ण उदयपुर डिविजन प्रभावित होता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि क्या मंत्री महोदय, ग्राम सभा का नाम लेकर, यह सिर्फ यहां तक इतिश्री नहीं करें। आप अभियान चलाकर पट्टा वितरण करने की मंशा रखते हैं क्या?

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए प्रश्नकाल समाप्त।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

ललित सिंह शक्तावत, श्री, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा

शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री ललित सिंह शक्तावत के निधन पर संवदेना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सदस्य श्री ललित सिंह शक्तावत का जन्म 20 अप्रैल, 1934 को

(श्री अध्यक्ष)

चित्तौडगढ़ जिले के बान्सी ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री ललित सिंह शक्तावत चौथी एवं पांचवी राजस्थान विधान सभा में बड़ी सादड़ी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयासरत रहे।

श्री शक्तावत अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1960 से 1962 तक वल्लभनगर पंचायत समिति के सरपंच तथा वर्ष 1962 से 1964 तक पंचायत समिति भीण्डर के सदस्य रहे। खेलकूद में रूचि रखने वाले श्री शक्तावत राजस्थान खेलकूद परिषद के उपाध्यक्ष तथा ग्रामीण खेल समिति के सभापति रहे। आप फील्ड क्लब, उदयपुर के सदस्य भी रहे।

श्री ललित सिंह शक्तावत का दिनांक 27 मार्च, 2017 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्य की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री ललित सिंह शक्तावत को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से दिनांक 25.03.2017 को जिला जोधपुर के ग्राम हरियाणा के सरपंच, पटवारी व अन्य तीन चार साथियों द्वारा पेड़ काटने का विरोध करने पर एक महिला का जिंदा जलाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में अनूसूचित जाति के खातेदारों की कृषि भूमि पर 90ए/बी की कार्यवाही होने, लेआउट प्लान स्वीकृत होने के पश्चात् भी नगर परिषद/नगर पालिका द्वारा पट्टे जारी नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से देशनोक नगरपालिका में वर्ष 2013 में भर्ती किए गए 69 सफाई कर्मचारियों को स्थाई नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री रामनारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की पंचायत समिति पीसांगन के ग्राम रामपुरा में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. म.रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से प्रदेश में छोटी बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों व बलात्कारियों के लिए कठोर सज़ा के प्रावधान करने के संबंध में।

6. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा ट्रकों से की जा रही अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के जसरापुर गांव में दिनांक 26 मार्च, 2017 को दबंगों द्वारा दलितों के घर में घुसकर जानलेवा हमला एवं तोड़फोड़ करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रामनारायण, म.रणधीर सिंह भीण्डर, श्री हनुमान बेनीवाल एवं श्री पूरणमल सैनी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायती राज विभाग में लंबित कनिष्ठ लिपिक व अधीनस्थ संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में।
2. श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य की ओर से जयपुर की लाल कोठी फल सब्जी मंडी में सब्जी व फल विक्रेताओं के लिए बनाए गए स्थान पर सूअर पालन किए जाने के संबंध में।
3. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नागौर शहर में रीको क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं में सुधार किए जाने के संबंध में।
4. श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना तथा जिला बाड़मेर में चिकित्सा विभाग के रिक्त पदों को भरने के संबंध में।
5. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चाकसू में रीको औद्योगिक क्षेत्र खुलवाने के संबंध में।
6. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम में पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के संबंध में।
7. श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सरकारी भूमियों पर अवैध कालोनियों का निर्माण किए जाने के संबंध में।
8. श्रीमती सुशील कंवर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मसूदा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।
9. श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) की कतिपय ग्राम पंचायतों के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के संबंध में।
10. श्री तरूण राय कागा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन के पंचायत समिति मुख्यालय धनाऊ में पुलिस थाना स्थापित किए जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री कंवर लाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में नर्सिंग काउंसिल द्वारा संचालित नर्सिंग प्रेक्टिसनर्स कोर्स को संसाधनयुक्त संस्थान से चालू करवाए जाने के संबंध में।
12. श्रीमती गोलमा, सदस्य की ओर से जिला दौसा की तहसील महुवा में न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश की स्थापना किए जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 42 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री जीतमल खांट, माही बजाज सागर परियोजना के दांई और बांई मुख्य नहरें टूटने से किसानों को पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2. श्री कैलाश चौधरी, बायतू के उपखण्ड कार्यालय के निर्माण को पूर्ण करवाये जाने तथा सार्वजनिक विश्राम गृह स्वीकृत करवाने के संबंध में।
3. श्रीमती शकुन्तला रावत, प्रदेश में शराब बन्दी किए जाने के संबंध में।
4. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, प्रदेश में सहकारी समितियों के निर्वाचित सदस्यों एवं अध्यक्षों के निर्वाचन से संबंधित विभिन्न विसंगतियों के संबंध में।

श्री रामनारायण।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इनफोर्मेशन है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: रामनारायण जी बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल की व्यवस्था ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत फर्माएं।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप रुक जाओ अभी, खर्रा साहब, पांइट आफ इन्फोर्मेशन बाद में कर लेना। पहले व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, हां, कोई बात नहीं है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): कोई बात नहीं क्या होती है। ...(व्यवधान)... क्यों उठा रहे हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं अध्यक्षजी अनुमति ले रहा हूं। अगर माननीय अध्यक्षजी, अनुमति देंगे तो ही मैं बोलूंगा। अध्यक्षजी, अनुमति नहीं देंगे तो मैं नहीं...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप रामनारायण जी को बोलने दो न। पहली बार रामनारायण जी कोई बात कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बोलने ही नहीं दे रहे, इनकी पार्टी के लोगों को बोलने ही नहीं दे रहे। रामनारायण जी पहली बार कुछ बोलना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: रामनारायण जी पहली बार बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई दिक्कत नहीं बोल लेंगे। मैं तो व्यवस्था की, एक सैकिण्ड की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: एक सैकिण्ड तो हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): अध्यक्ष महोदय, तय कर रखा है, इन्होंने तय कर रखा है, इनके अलावा इनके दल से कोई आदमी अपनी बात ही नहीं कह पाए। पहली बार माननीय सदस्य बोल रहे हैं। सारा सदन चाहता है उनको सुने। यह बीच में ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो भगा देते हो माननीय सदस्यों को। सत्तापक्ष के एक भी सीनियर को नहीं बुलवाते हो। आप हम पर आरोप लगा रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सत्ता पक्ष के सारे सीनियर बोलते हैं और आज भी सीनियर ही बोलेंगे। पर आपके यहां से जूनियर बोलेंगे, सीनियर को आप बोलने नहीं देते हो। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कल हमारे एक माननीय सदस्य ने 273 का नोटिस दिया था...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न ...(व्यवधान)...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): रामनारायण जी को बोलने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): व्यवस्था का प्रश्न यो नहीं उठाया जा सकता यह नियमों में प्रावधान है ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): रामनारायण जी खड़े हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): शून्य काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): व्यवस्था का प्रश्न उठा ही नहीं सकते ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): प्रस्ताव लेकर आए हैं हम ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): क्या है और किस पर बोल रहे हैं आप ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कल का चैप्टर ही मत खोलिए, विराजिए आप ...(व्यवधान)... नो, नो, नो ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: दे दूंगा। इन्फोर्मेशन के आधार पर ऐसी बात नहीं की जाती ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आसन को यह बाध्य नहीं कर सकते ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हम विशेषाधिकार हनन ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): जबरदस्ती बोल रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): विराजो, विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: वह इस प्रक्रिया से अलग है इस पर अभी बात ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

एक माननीय सदस्य: जीरो ऑवर के बाद में बोलेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: मामला साथ नहीं आ सकता ...(व्यवधान)... 273 का मामला आज नहीं आ सकता ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: 273 का मामला कभी भी उठाया जा सकता है ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आपने इनको इजाजत नहीं दी उसके बाद भी बोले जा रहे हैं ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, इनको चुप किया जाए ...(व्यवधान)... किस पर बोल रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: बात पूरी हो गई। इन्फोर्मेशन दे दी आपने। विराजिए ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अब आप विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अब आप विराज जाएं। आप विराज जाएं। आप विराजो तो सही।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप इनको अलाऊ कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री हीरालाल (निवाई): आप आदेश दे रहे हैं क्या आसन को ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजें ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने अलाऊ किया है क्या ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, आपने इनको अलाऊ किया है क्या ...(व्यवधान)... यह क्या बोल रहे हैं? किस पर भाषण दे रहे हैं ...(व्यवधान)... अलाऊ किया है इनको? अलाऊ किया है इनको ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: मैं देख लूंगा कि क्या व्यवस्था है, उसके बाद उस पर निर्णय दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह क्या-क्या बोल रहे हैं? इनको आपने अलाऊ थोड़े ही किया है? ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): काहे पर बोल रहे हैं यह?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): काहे पर बोल रहे हैं यह?

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिए।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह जो बिना अनुमति के बोल रहे हैं वह विलोपित कराएं। अध्यक्ष महोदय, वह एक्सपंज कराएं ...(व्यवधान)... जो बिना अनुमति के बोले हैं वह एक्सपंज कराएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह बिना अनुमति के कुछ भी बोलेंगे ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह एक्सपंज कराएं आप। जो डोटासरा जी ने बोला है वह एक्सपंज कराएं ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): जो बात बोली है वह एक्सपंज की जाए ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। बैठ जाइए।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह जो बिना अनुमति के बोले हैं वह एक्सपंज कराएं। यह बिना अनुमति के बोल रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब आपने अनुमति नहीं दी है बोलने की तो एक्सपंज कराइए जो यह बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य डोटासरा को मैंने अनुमति नहीं दी है और उनका अंकित नहीं किया जाए। अनुमति नहीं दी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सदन आपकी बपौती नहीं है। सदन आपकी बपौती नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ता ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: व्यवस्था का प्रश्न आपने दिया था ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): जिस व्यक्ति ने यह नोटिस दिया था वह खुद ...(व्यवधान)... करना चाहता है कि नहीं चाहता है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सौ चूहे खाकर के बिल्ली हज को जा रही है ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): केवल हल्ला करके किसी पर भी आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं ...(व्यवधान)...

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अगर ईमानदार हैं तो नियमों के तहत आइए ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): सदस्य हैं सिर्फ हल्ला करके ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): इस प्रकार माननीय मंत्रीजी पर गलत आरोप लगाना ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप आज सदन की कार्यवाही चलने देना चाहते हैं कि नहीं? यह मुझे पूछना है ...(व्यवधान)... बस तो, रामनारायण जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: मैंने रामनारायण जी को पुकारा है ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): केवल एक सदस्य के आधार पर ...(व्यवधान)... सदन चलेगा तो आपके आदेश पर चलेगा ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सदन इनकी बपौती नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने का काम इन्होंने किया और अभी भी खड़े होकर ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था देंगे ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आसन को हाई जैक करना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह भागना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): टोडाभीम से आने वाले जो सदस्य हैं वह अपने भाई की कंपनी को लाभ देने के लिए यह इन्होंने उठाया है ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सदन में इस तरह के आरोप ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: असत्य को छुपाने के लिए सदन से भागना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमारा प्रिविलेज मोशन था, उसको रिकार्ड पर लाने नहीं देना चाहते हैं यह ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): पता लगेगा, इसलिए भाग रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 1.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.17 बजे, 13.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(13:00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: सबको राम-राम। आज राजस्थान का स्थापना दिवस है और ठीक अड़सठ साल पहले राजस्थान की स्थापना हुई थी, उसकी आपको सबको बधाई।

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए और स्थगित की जाती है। धन्यवाद।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13:00 बजे आधे घण्टे के लिए स्थगित हुई।)

(13.30 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री महोदय।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

रमेश, श्री, सदस्य द्वारा आसन की कार्यवाही वृतान्त फ्रीज सम्बन्धी व्यवस्था के विपरीत आचरण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज समायानुकूल, समयानुसार हमने 157 के अंदर एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विशेषाधिकार का प्रस्ताव मैं प्रस्तुत करता हूं। इसके लिए 10 माननीय सदस्यों को इसके समर्थन में खड़े करने के लिए आप आज्ञा फर्माएं, तो 10 माननीय सदस्य खड़े होंगे।

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्य प्रस्ताव के समर्थन में अपनी सीटों से खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष: Ok. You are more than ten, ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य के रूप में जब हम अपना कार्य प्रारंभ करते हैं उससे पहले हम संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की मर्यादाओं से हम सब बंधे हुए हैं और इसी संविधान के आर्टिकल 208(1) के अंतर्गत राजस्थान विधान सभा के नियम, प्रक्रिया और संचालन के नियम बने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान ने आर्टिकल 174 में हर भारतवासी को अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने का अधिकार दिया है, परन्तु इससे आगे बढ़कर आर्टिकल 194 में संविधान ने संसद और विधान सभा के माननीय सदस्यों को अपने अधिकारों को व्यक्त करने का (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैंने आसन से यह निवेदन किया था, जब अध्यक्ष महोदय आसन पर थे कि हमारे माननीय सदस्य ने 273 का विधिवत नोटिस देकर आरोप लगाये थे। आपके द्वारा, आसन के द्वारा यह व्यवस्था दी गयी थी कि क्या 273 का नोटिस संबंधित मंत्री को सर्व हुआ या नहीं हुआ, यह आप साबित करेंगे। तो यह मामला फ्रीज या डिफ्रीज की जो भी व्यवस्था आपको देनी थी।

अब सबसे पहले, चूंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो प्रिविलेज मोशन लाये हैं वह यह लाये हैं, कि अंदर जो बात थी, वो बाहर कैसे गयी, जैसा ये बोल रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि जब हम यह प्रमाणित करने के लिए ...

श्री उपाध्यक्ष: आपको कैसे मालूम कि वे प्रिविलेज क्या लेकर आये हैं? Let him speak what his privilege is. It may be in your personal knowledge but your personal knowledge cannot be used on the Floor of the House, till the motion is moved in the context.

अब आप विराज जाओ। आप जो बात फरमा रहे हो, पहले जो आपका ऑब्जेक्शन है, when the motion will be moved, then the description and subject that has been disclosed through the motion, will be disclosed and will become the property of House. If you are personally aware of about what is being done, the Chair has nothing to do with that. The Chair will come to the knowledge of this. This is of the knowledge because the privilege has been allowed by the Speaker. Let him put it before. मैं आपको इजाजत दूंगा। वे एक बार मूव कर लें then I will first give a chance to review.

मूव करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था हम संविधान की मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। जहां एक ओर संविधान हर भारतीय नागरिक को अपने विचारों को स्वतंत्रता से अभिव्यक्त करने का अधिकार देता है, वहीं हमें भी, जो इस सदन के सदस्य हैं, चाहे संसद के सदस्य हों, चाहे विधान सभा के सदस्य हों, आर्टिकल 194 यह कहता है कि हम जो अपने विचार यहां व्यक्त करते हैं या सदस्य के रूप में जो कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, उसमें हमारे द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर न्यायिक विवेचना नहीं हो सकती, यानी जुडीशियल रिव्यू से हम मुक्त हैं।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, यह जो किताब आपने हमें दी है इस किताब में पालनीय नियम भी हैं 259(9) और 272 के मार्फत हमें एक अनुशासन के दायरे में भी बांधा जाता है। जिस नियम 273 का माननीय प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय उल्लेख कर रहे हैं, मैं उसी को पढ़कर आपसे कुछ निवेदन करना चाहूंगा। नियम 273 में लिखा है- "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक प्रकृति का आरोप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पूर्व में सूचना न दे दी हो।" अब व्यक्ति कौन है जिसके विरुद्ध आरोप लगाये जा रहे हैं? अब संबंधित मंत्री कौन? सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य जब आरोप लगा रहे थे तब आसन ने यह कहा था कि संबंधित मंत्री वो जिसको महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री की सिफारिश से उन्हें किसी विभाग के बारे में कार्यभार दिया गया हो। उसके पश्चात् भी आसन ने उदारता दिखायी और कहा कि आप अपनी बात कह सकते हो।

उपाध्यक्ष महोदय, सपोटरा से आने वाले माननीय विधायक ने जो नोटिस 27 मार्च को दिया, नोटिस देने का मतलब है कि संबंधित मंत्री को पूर्व में सूचना दे दी हो। सूचना दी या नहीं, एक प्रश्नगत है जिस पर आसन निर्णय करेगा। पर एक सवाल उस समय खड़ा हुआ जब समाज कल्याण मंत्री महोदय ने यह कहा, जब सदन के अंदर इस बात का विवाद चल रहा था कि इन्होंने नोटिस दिया, नोटिस संबंधित पक्षकार या मंत्री महोदय को सर्व हुआ या नहीं, तब समाज कल्याण मंत्री महोदय ने एक बात उठायी थी कि जब तक यह तय नहीं हो जाए, जब नियम 273 की अनुपालना पूर्ण होना सुनिश्चित नहीं हो जाए तब तक इसको फ्रीज किया जाए। आसन ने इस बात को कहा। माननीय सदस्य ने यहां से आसन की सारी आज्ञा की अवहेलना करके पश्चिमी गेट पर जाकर इन्होंने प्रेस कांफ्रेंस करके उन आरोपों को दोहराने का काम किया, जो आरोप इन्होंने लगाये, जिसकी सीडी मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कौल एण्ड शकधर की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। कौल एण्ड शकधर, पेज 322, उसमें लिखा है "सभा अथवा उसकी समितियों के स्वरूप या कार्यवाही अथवा सभा के किसी सदस्य के बारे में संसद सदस्य के रूप में उसके चरित्र अथवा आचरण पर आक्षेप करने वाला कोई भाषण देना अथवा अपमानजनक लेख मुद्रित अथवा प्रकाशित करना सभा के विशेषाधिकार का हनन और सभा की अवमानना है।" सभा के निर्णय के विरुद्ध, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कौल एण्ड शकधर में क्या लिखा है, "सभा के निर्णय के विरुद्ध किसी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बाहरी व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित करना सभा के निर्णय पर आक्षेप के बराबर है और परिणामत: यह सभा की अवमानना है।" यानी आपके निर्देशों के बाद किसी बाहरी व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित कर सभा के निर्णय की सारी बातें, सूचना बाहर देना यह सभा की अवमानना है। "यदि कोई सदस्य सभा के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए समुचित उपाय यह है कि वह सभा के निर्णय का विखंडन करने हेतु सभा में प्रस्ताव लेकर आए।"

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, कौल एण्ड शकधर में पेज 327, "गोपनीय सत्रों की कार्यवाही का प्रकाशन।" "किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी रीति से सभा की गोपनीय बैठक की कार्यवाही या उसमें लिए गए विनिश्चियों का प्रकटन जब तक कि सभा गोपनीय रखने पर लगे प्रतिबंध को हटा नहीं लेती हैं", यानी अगर आप फ्रीज करने का प्रतिबंध लगा लेते तो ये कह सकते थे। "सभा का घोर विशेषाधिकार हनन माना जाएगा।" यानी आपके फ्रीज करने के पश्चात माननीय सदस्य ने सारी बातें जो इनको कहनी थीं, अनर्गल आरोप माननीय पूर्व जलदाय मंत्री और वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री पर लगाए। इन्होंने, मैं नहीं कह रहा, कौल एण्ड शकधर कह रहा है "इन्होंने सभा का घोर विशेषाधिकार हनन किया है।"

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, कौल एण्ड शकधर में पेज 325 पर लिखा है, ‘‘प्रत्येक सभा को अपने वाद-विवाद और कार्यवाही के प्रकाशन पर नियंत्रण और यदि आवश्यक हो तो उसके प्रकाशन का निषेध करने की शक्ति प्राप्त है।" यानी शक्ति आपके पास है। "सामान्यत: सभा की कार्यवाही की रिपोर्ट देने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, परन्तु जब वाद-विवाद की दुर्भावनापूर्वक रिपोर्टिंग होने की आशंका है, जब वाद-विवाद को जान-बूझकर गलत ढंग से पेश किया जाने का प्रश्न उठता है तब सभा को अधिकार है कि वो इसको प्रतिबंधित करे और सभा की बात को नहीं मानना विशेषाधिकार भंग की श्रेणी में आता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया कि विशेषाधिकार क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने एम.एल. शर्मा वर्सेज कृष्णा सिन्हा, एआईआर 1959, सुप्रीम कोर्ट नम्बर 395, "कार्यवाही से निकाले गए वृत्तान्त या वृत्तान्त को रोका गया हो उसका प्रसारण, प्रकाशन या उजागर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करना विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है।" यह सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं इसके अंदर 345 में, कौल एण्ड शकधर में इसी प्रकार उद्धृत किया गया है और हमारी अध्यक्षीय व्यवस्था के अंदर, अध्यक्षीय व्यवस्था वर्ष 1970, पेज 282, "नियम 273 के संबंध में आज व्यवस्था का जो प्रश्न श्री यशवंत सिंह नागर ने उठाया है, उसको स्वीकार करते हुए मैं अपना प्रारंभिक निर्णय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कहना चाहूंगा कि अपनी अध्ययनशील व्यवस्था मैं बाद में दूंगा। मैंने इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है और नियम 273 एक साधारण प्रकार का नियम है जो वाद-विवाद की स्प्रिट, उसकी सीमाओं और संयम को कायम रखने की दृष्टि से सदन द्वारा बनाया गया है। इसकी मंशा केवल यही है कि यदि कोई माननीय सदस्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक अथवा अपराधारोपक स्वरूप का आरोप लगाने का विचार रखता है तो उसकी पूर्व सूचना माननीय सदस्य को पूर्व सूचना अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को अवश्य देगा जिससे कि उत्तर की अपेक्षा हो।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस सदन की अवमानना को भंग किया है और माननीय सदस्य विशेषाधिकार हनन की पूरी उसमें आते हैं। ये ही नहीं, माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने सूचना दी। मैं सदन के सामने, उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, माननीय मंत्री, उच्च, तकनीकी, संस्कृत शिक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी, इनके जितने भी उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी इनके यहां, इनके विशिष्ट सहायक से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, यानी ये 15 लोग हैं जो इनके कार्यालय में काम करते हैं, इनके व्यक्तिगत स्टाफ के रूप में, या इनके घर के अन्दर काम करते हैं चतुर्थ श्रेणी तक, इनके सब के प्रमाणित हस्ताक्षर लेकर आया हूं जिन हस्ताक्षरों को माननीय मंत्री महोदय ने अटेस्टेड किया है, लिखा है नीचे अटेस्टेड। माननीय सदस्य अगर कोई इस प्रकार का पत्र प्रस्तुत करते हैं उपाध्यक्ष महोदय, तो निश्चित तौर पर इस पर बात होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन बिलकुल नियमों से चलता है। हमने भी कुछ बातें कहीं, उन बातों पर हम आज भी कायम हैं। हमने भी कहा कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सदस्य अपने व्यक्तिपरक, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए और जिस काम में खुद संलिप्त हैं उसके बारे में यहां सदन में अपनी बात को प्रकट नहीं कर सकते। इस प्रकार की अनेकों हमारी परम्परा भी रहीं, हमारी व्यवस्था भी रही।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सम्बन्धित मंत्री महोदय ने सारी बातों का खुलासा करके सदन में यह बात सारी स्पष्टता से सबके सामने रख दी कि ये सारे मामले जितने भी एस.पी.एम.एल. कम्पनी से सम्बन्धित थे, सारे मामले पूर्ववर्ती सरकार के सम्बन्धित थे। अब उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय जो डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी मंत्री थे, उनकी और माननीय सदस्य की कोई कयावत है। ये चाहते हैं कि पुरानी सरकार के सारे मुद्दे उखड़े और उन मुद्दों के आधार पर निश्चित तौर पर कोई जांच हो ताकि पूर्व मंत्री उसमें फंसे। मैं समझता हूं कि यह सदन की गरिमा का एक तरह से उल्लंघन के साथ-साथ सदन की गरिमा का दुरुपयोग है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं जो प्रेस कांफ्रेंस इन्होंने की उसकी सी.डी. भी मेरे पास है और उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिन नियमों को और कौल एण्ड शकधर का उल्लेख किया है उसके अनुसार बिलकुल स्पष्ट है कि माननीय सदस्य सदन की गरिमा का उल्लंघन करते हुए विशेषाधिकार हनन की परिधि में आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने बहुत बड़ी कृपा की थी, आपने कृपापूर्वक, जब आपने पूछा था कि क्या माननीय सदस्य ने आरोप लगाने के साथ-साथ 273 के इन्ग्रेडिएंट्स को पूरा करने के लिए 273 के इन्ग्रेडिएंट्स में एक बड़ा इन्ग्रेडिएंट है कि यह माननीय सदस्य ने सम्बन्धित को सूचित कर दिया। आपने, जब आसन ने इस बात को माननीय सदस्य ने यह कहा था, हां, मैंने इनको माननीय सदस्य को, माननीय मंत्री जी को नोटिस सर्व कर दिया। तब आसन ने यह कहा था कल, कल ये कहा था, आज, यानी आज के दिन माननीय सदस्य उस पूरी पावती की रसीद लेकर आएंगे जिस आधार पर ये कह सकते हैं कि इन्होंने नोटिस सर्व किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह न केवल विधान सभा की गरिमा के प्रतिकूल है बल्कि संविधान की उस शपथ की, जिस शपथ में हम गोपनीयता

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की शपथ लेते हैं उसका और हमारे उस आचरण के विपरीत है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव मूव किया है उसको आसन स्वीकार करे और माननीय सदस्य को कठोर से कठोर दण्ड दें। और मैं तो यह मांग करूंगा कि माननीय सदस्य को सदस्यता से निलम्बित किया जाए, निष्कासित किया जाए ताकि राजस्थान विधान सभा की गरिमापूर्ण हमारी जो परम्परा रही है, इस राजस्थान की विधान सभा की गरिमापूर्ण परम्पराओं के कारण, यहां सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता रहे भैंरोसिंह जी शेखावत ने राज्य सभा में भी उस बात को बार-बार कहा है कि राजस्थान विधान सभा वो विधान सभा है जो नियमों से चलती है, जिसके अन्दर सारी परम्पराएं इतनी सुदृढ़ हैं कि लोकतंत्र के अन्दर, मैं समझता हूं कि जिस सम्मान के साथ इस विधान सभा को लिया जाता है उस सम्मान को कलंकित करने का काम नहीं हो, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति आसन पर विराजें हों और आपके देखते-देखते नियमों के प्रतिकूल और आसन के द्वारा दिये गये आदेश, जिस आसन के मुख से निकले हुए एक-एक शब्द पर हम सब लोग न केवल उसकी पालना करने के लिए आतुर रहते हैं, बल्कि हम देखते रहते हैं कि आसन हमसे किसी तरह विमुख नहीं हो जाए, नाराज नहीं हो जाए। आपके द्वारा दिये गये आदेश के विपरीत जिस प्रकार का आचरण किया है और आचरण के तथ्य जो मैंने सामने रखे हैं, आप कहो तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये टेबल कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को सदन मंजूर करे और माननीय सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में कोई न कोई निर्णय होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय। एक मिनट, विराज जाएं। फर्माएं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी और आपने विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 157 के अन्तर्गत विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष: I will allow you to speak, Sir. I will allow you. You want to speak now on this? आप बोलना चाहेंगे न इस इश्यू पर?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हां।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब सपोटरा के माननीय सदस्य ने जो धारा 273 के अन्तर्गत यहां पर विषय रखा और मंत्री जी ने अपना उत्तर भी दिया, उसको आपने बिलकुल फ्रीज कर दिया था। तो माननीय सदस्य इतना इंतजार कर सकते थे कि जब ये डी-फ्रीज हो या जो कुछ भी व्यवस्था बने, उस व्यवस्था का पालन करने के लिए माननीय सदस्य को इंतजार करना चाहिए था। माननीय सदस्य ने एक मिनट भी इंतजार नहीं किया और यहां से तुरन्त बाहर निकल कर मीडिया के सामने खुद साक्षात् खड़े होकर के वो सब बातें कह दीं जो फ्रीज की गईं थीं। तो इन्होंने निश्चित् रूप से उसका उल्लंघन किया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने मोशन मूव करने के लिए कहा है, भाषण ठोकने के लिए नहीं कहा।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं वही बात कह रहा हूं। मैं मोशन ही मूव कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मोशन में मेरे साथ ये भी प्रस्तावक हैं। मेरे साथ ये भी प्रस्तावक हैं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप दोनों विराज जाएं।

The motion, more or less, has been moved by the Parliamentary Affairs Minister. I will give five minutes to you, whatever you have to say. Because I have allowed the motion to be moved. I will give enough time to the respective Members who are co-signatories on that motion, to put in their views across.

But मैं आपको बीच में ही, अब मैं तीन चीज बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब यह मोशन आया। सबसे पहले तो इस बात का स्पष्टीकरण है कि क्या नोटिस सम्बन्धित मंत्री को, सम्बन्धित मंत्री नहीं, जिस पर आक्षेप था, सम्बन्धित विभाग का मंत्री नहीं, सम्बन्धित मंत्री जिस पर

(श्री उपाध्यक्ष)

आक्षेप था, उनको वो नोटिस सर्व हुआ या नहीं हुआ। जब तक यह बात, हम नहीं निर्णय कर लेते, तब तक यह विषय, आसन की तरफ से कहा गया था कि इस विषय पर जो भी अभिव्यक्ति की गई वो हम फ्रीज कर रहे हैं। तो पहला विषय तो आसन के पास में यह है कि व्हेदर जिस सम्माननीय सदस्य ने इस विषय को उठाया था उन्होंने सैक्रेटेरिएट को इन्फार्म किया या नहीं किया और आसन ने सम्माननीय सदस्य को किस प्रकार की साक्ष्य की अपेक्षा की थी जो स्पष्ट है। आसन ने यह बात कही थी कि आपके पास में उसकी कोई रिसीट है, तो आसन को यह बात कही गई थी कि हां, रिसीट है, लेकिन मेरे घर पर है। तो आसन ने निवेदन किया था कि हम आपकी इस बात की सत्यता को बरकरार रखते हुए, we take it for granted कि आप जो फर्मा रहे हैं, you are telling us the truth. आसन इस बात की मर्यादा को, उस सदस्य की मर्यादा को और उस सत्यता पर पूरा विश्वास करते हुए इनको हमने वक्तव्य देने की परमिशन दी थी। बात तो सिर्फ इतनी है कि जिस पर रिसीट है वो टेबल करवा दीजिये। उसके उपरांत सिचुएशन आएगी कि whether the receipt that has been tabled is more than enough. वो एक आसन का अपना प्रारोगेटिव है। पहला विषय है।

दूसरा विषय जो है वो यह है कि क्योंकि आपके वक्तव्य को फ्रीज कर दिया गया था, तो क्या सम्माननीय सदस्य ने बाहर जाकर उस वक्तव्य को सार्वजनिक किया? सार्वजनिक किया उसका यह मोशन है।

तो दोनों को आप मिक्स नहीं करें। आज अगर प्रूव हो जाता कि हां, हो जाता है या हो जाता कि यह रिसीट है और फिर आप करते तो न तो मोशन आता, न कोई बात आती। मोशन उस बात का है कि कुछ वक्तव्य जो यहां कहे गये, कुछ क्या, पूरा ही वृत्तांत जो यहां कहा गया वो सार्वजनिक हो गया। तो सार्वजनिक होने में क्या सम्माननीय सदस्य की भूमिका थी या नहीं थी। एक तो यह आपको, पूरे सदन को यह बात का निर्णय करना है। तो यह अपने आप में विषय अलग हो गया। सबसे पहले विषय है कि इन दोनों विषय को हम क्लब नहीं कर सकते। आज अगर यह बात साबित हो जाती है तो हम इसको, आप जो कर चुके हो, वह एक

(श्री उपाध्यक्ष)

अपने आप में किस दायरे में आता है वो सदन को और आसन को इस बात का निर्णय लेना है।

अब आपके सामने तीसरा विषय जो है वो यह है कि आपने भी एक प्रिविलेज मोशन मूव किया है बट समय पर नहीं किया। स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, आसन स्पीकर के निर्णय का इंतजार करेगा, वो आपको रिलेक्सेशन देते हैं या नहीं देते हैं।

तब तक, इसके अलावा अगर आपको कोई बात कहनी है कि क्या आप फरमाना चाहते हैं? तो मैं आपको पहले परमिशन दे देता हूं, इन मैम्बर्स को बोलने से पहले, सत्ता पक्ष के मैम्बर्स को या जिन्होंने मोशन मूव किया है उन मैम्बर्स को बोलने से पहले। मैं आपको दे देता हूं कि आप पाँच मिनट में कोई फरमाना चाहें। लेकिन इस बात पर डिस्कशन नहीं होगा कि नोटिस दिया या नहीं दिया, यह तो सैक्रेटेरिएट जब इस बात पर आश्वस्त हो जाएगा और सैक्रेटेरिएट को अगर कोई आब्जेक्शन होगा...

तो आपसे हम रिप्लाई मांगेगे, बाकी अगर कोई दस्तावेज आपके पास में हैं, रिसीट आई हैं या नहीं आई हैं, यह अगर आपने रिसीट दे दी है, तो आप उठकर फर्मा दें या सम्माननीय सदस्य स्वयं कह दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पांच मिनट की परमिशन दी है। हमारे माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री महोदय के खिलाफ राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 273 के तहत नोटिस दिया। माननीय अध्यक्षजी को दिया, संबंधित मंत्री को दिया। माननीय अध्यक्षजी ने परमिशन दी, मैं प्रमाण पेश कर रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष: 273 को डिफाइन करने के लिए मैं आपको परमिशन नहीं दे रहा हूं। 273 का तो डेफिनेशन स्पष्ट है। सीधी सी बात है कि आप या तो अपने श्रीमुख से फरमा दें या सदस्य अपने श्रीमुख से कह दें। क्या आपने रिसीट सैक्रेटेरिएट में पेश कर दी या नहीं की? इतना सा फर्मा दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पांच मिनट आपने अनुमति दी है तो पांच मिनट बोलकर, मैं जो भी डाक्यूमेंट होगा, वह मैं दे दूंगा। नहीं देऊंगा तो जो आसन की व्यवस्था होगी, उसको हम शिरोधार्य करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, अभी तक दी या नहीं दी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दे रहा हूं ना, सर। आपने परमिशन ही अब दी है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, आसन ने ये बात कही थी, उसकी रिसीट घर पड़ी है, आप पेश करवायें ना। टेबल करें रिसीट। एक बार आप टेबल कर देंगे, उसके बाद में मैं इजाजत दे दूंगा कि यह रिसीट रही।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह जो रसीद है, वह मैं टेबल कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: दस्तखत करके करवा दें। आप उनके बिहाफ पर टेबल कर रहे हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उनके साइन करवाकर पेश कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उनके दस्तखत भी करवाओ उपाध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक कागज आपकी अनुमति से...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, एक मिनट आप विराज जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इनके साथ ही मेरा टेबल भी करवा लें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप जो कहोगे, हम सब करेंगे। कितनों के चाहिये, वह आप बता दो।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने रसीद सदन पटल पर रखी।)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसके साथ ही, ये दोनों एक साथ टेबल हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री महोदय, अगर आपके पास में भी कोई दस्तावेज टेबल करने के लिए हैं, तो वह भी आप टेबल कर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वह कागज टेबल कर रहा हूं, जिसमें माननीय मंत्री महोदय के पास जो विशिष्ट सहायक हैं गोविन्द सिंह राणावत, जो आरएएस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं, उससे लेकर इनके घर में खाना बनाने वाले राजेश शर्मा, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनके सबके हस्ताक्षर और हस्ताक्षरों की प्रतिलिपि पेश कर रहा हूं, जिसको अटैस्टेड किया है। मैं इसलिए कर रहा हूं, मुझे मालूम है इन्होंने जो कागज प्रस्तुत किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गम्भीरता से कह रहा हूं कि एक बार फिर ये आगस्ट हाउस को मिसलीड कर रहे हैं, इन्होंने जाली कागज बनाया है और इसकी जांच एफ.एस.एल. से...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने हस्ताक्षर किये हैं, जो सज़ा मिलेगी, भुगतेंगे। हमने हस्ताक्षर किये हैं दोनों माननीय सदस्यों ने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इस पर मैं भी हस्ताक्षर कर रहा हूं और इसकी आप एफ.एस.एल से जांच करवाओ।

श्री उपाध्यक्ष: आसन आपसे एक और स्पष्टीकरण चाहता है कि जनरली मिनिस्टर्स को जो लैटर्स या जो नोटिसेज रिसीट होते हैं, रिसीट करने वाला क्या सील भी लगाता है या नहीं लगाता? आपके यहां क्या परम्परा है, क्या कन्वेंशन है, यह भी बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सील लगती है उपाध्यक्ष महोदय। सही आपने फरमाया, पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इनके कार्यालय में, इस कार्यालय के कर्मचारी से लेकर कार्यालय में जितने बाबू हैं...

श्री उपाध्यक्ष: आप यह स्पष्ट करें कि दस्तखत करने के उपरान्त वह सील लगाते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जी उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: यह है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां, है। यही है उपाध्यक्ष महोदय।

इसमें गोविन्द सिंह राणावत, आरएएस के दस्तखत है। कमल मिश्रा जो सहायक निदेशक हैं, उसके दस्तखत है। राजीव चौहान, उपनिदेशक, जो इनके यहां काम करते हैं, उनके दस्तखत हैं। नन्दकिशोर दवे, उनके दस्तखत हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मतलब, मैं पढ़ूंगा तो ये... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको अटैस्टेड करके हम दे रहे हैं। यह जांच के लिए है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ में एक कागज और एक यह सी.डी. भी पेश कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने जो वक्तव्य विधान सभा के पश्चिमी गेट पर जाकर, खुद बोलते हुए प्रेस कांफ्रेंस की है, जिसमें खुद बोल रहे हैं। इन सी.डी. की उपाध्यक्ष महोदय, और इस कागज की, यह जो मैंने माननीय मंत्री महोदय के सारे स्टाफ की जो सूची है, इनके अटैस्टेड दस्तखत, क्योंकि एक बार जब मिलान हो जाये, मोटे तौर पर इनका मिलान हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय। तो ये दोनों चीजें, आपकी अनुमति हो तो टेबल कर दूं?

(माननीय मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने सी.डी. और सम्बन्धित प्रपत्र सदन पटल पर रखें।)

श्री उपाध्यक्ष: अब इस रिसीट के अलावा अगर आपको कोई बात कहनी है तो वह आप फरमा सकते हैं, अदरवाइज मैं इनका करके, फिर मैं आप लोगों को टाइम दे दूंगा। अगर इसी पर करनी है, then I will also give you the time. तो पहले ये अपना पूरा का पूरा वक्तव्य दे लें, जो भी एक या दो मेम्बर हैं then I will allow you. I will include you in the discussion. अब आप कहें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसी पर दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: अब रिसीट तो आपने पेश कर दी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। अब आपने जब रिसीट पेश कर दी है, तब यह आसन पहले तो निर्णय लेगा और आसन पूछना चाहेगा तो वह पूछ लेगा रिसीट के बारे में। अब आप विराज जाओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसमें कहीं डाउट रह गया हो तो हमसे पूछो।

श्री उपाध्यक्ष: हां, वह अभी आने दीजिये न। आसन के सामने आई है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ये दोनों को फिर भी जोड़ रहे हैं। मैं दोनों को जोड़कर नहीं बात करना चाहता। पहले मैं केवल वह बात करना चाहता हूं कि जो आसन की व्यवस्था थी कि इस पूरे प्रकरण को माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये, वह और माननीय मंत्रीजी ने जो प्रत्युत्तर दिया, वह, दोनों को फ्रीज कर दिया था। जब तक कि डीफ्रीज नहीं हो, तब तक इन शब्दावली का कोई उपयोग बाहर कर नहीं सकता। यह आसन ने व्यवस्था दी थी।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाओ। एक मिनट विराजो आप। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो बहस है, वह इस बात की है कि आसन के द्वारा दिये गये निर्देश के उपरान्त ऐसे सबूत आये हैं कि जिससे यह प्रतीत होता है कि सम्माननीय सदस्य वह सारे वृत्तान्त पब्लिक नोलेज में लेकर आये हैं, बहस इस बात की है। बहस इस बात की नहीं है कि रिसीट दी गई है या नहीं दी गई है। यह मोशन, यह प्रिविलेज मोशन 'disobedience of the order of the Chair' पर है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता था...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक सैकिण्ड लेऊंगा आपकी इजाजत लेऊंगा। एक सैकिण्ड।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं, नहीं, अब नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: I mean it's open.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बात ठीक है। आपका आदेश शिरोधार्य है। लेकिन जब चर्चा इस बात पर हो रही है कि बाहर किया या नहीं किया? आदेश की पालना की या नहीं की? या आर्डर को डिसओबे किया, तो यह सेम का सेम प्रिविलेज मोशन हमारे द्वारा भी दिया गया है, तो दोनों की एक साथ चर्चा हो जाएगी। उस पर भी व्यवस्था फरमा दें, तो उसके बाद में चर्चा...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उनका साथ हो जायेगा। एक सा केस है। हमारा आरोप है कि राजेन्द्रजी राठौड़ ने बाहर फ्रीज करने के बाद कहा...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाओ ना। अब विराज जाओ।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह क्या बात हो गई।

श्री उपाध्यक्ष: इस प्रिविलेज मोशन पर I will allow you. वह आपका एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, वह स्पीकर का प्रेरोगेटिव है because in time move नहीं हुआ। उसमें एक टाइम था। वह उनका है लेकिन क्यों यह इश्यु आ गया है, I will allow you to speak. आपको हम इसमें कम्बाइन कर लेंगे, अलाऊ कर लेंगे। लेकिन वह एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, वह प्रेरोगेटिव स्पीकर का है। As and when the decision will come, I will narrate it to you.

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात आपके सामने रखी कि जो विषय...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले तो इन वाले पर चर्चा होगी, अगर बाई द वे आप अलाऊ कर देते हैं, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर कर देते हैं तो फिर हमारे वाले पर होगी। तो दोनों का सेम केस है, दोनों एक साथ चर्चा क्यों नहीं अलाऊ करते?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): पता नहीं, आप थोड़ी बात सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप एक मिनट रुक जाओ। It's a common general knowledge, कामन सेंस की बात है। जब एक इश्यु है कि यहां से, आसन से आदेश होने के उपरान्त भी उसकी अवहेलना होती है, हुई है या नहीं हुई, और अगर हुई तो उस पर आगे क्या कार्यवाही होनी चाहिए? आप आसन का ही तो ज्ञानवर्द्धन करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं निवेदन करूं...

श्री उपाध्यक्ष: इसलिए जब यह चाहे विषय कोई भी हो, आज विषय पूरे सदन के सामने एक है कि क्या आसन के दिये हुए निर्देशों की पालना करना सम्पूर्ण सदन के सदस्यों का दायित्व बनता है या नहीं बनता है? या

(श्री उपाध्यक्ष)

इन आदेशों की ऐसे ही अवहेलना होती रहेगी और सदन का उपयोग अपनी-अपनी बात कहने के लिए किया जायेगा और सदन का उपयोग इस स्तर पर किया जायेगा कि आसन चाहे कोई निर्देश दे या न दे, हम अपने मनमाने तरीके से जो कहना चाहें, वह कर देंगे और कहकर, वापस आकर शायद क्षमा भी मांग ले और क्षमा न भी मांगे।

मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रिविलेज मोशन के बाद में जो निर्णय आएगा, वह इतना कठोर और सख्त आएगा कि शायद सदस्य इस प्रकार का प्रेरोगेटिव लेना या लिबर्टी लेना, एक हजार बार सोचेगा कि इस सदन का उपयोग जनहित में किया जा सकता है और सदन ने जितने अधिकार आसन को दे रखे हैं, उनकी पालना कराना और उस दायित्व को पूर्ति करना, आसन का और आपका, हम सबकी कलक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जब आसन ने यह व्यवस्था दी है कि इस सम्पूर्ण प्रकरण को फ्रीज किया जाता है तो सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य श्री रमेशजी ने और इसकी कतई परवाह नहीं की। आसन के निर्देशों की अवहेलना की और बाहर जाकर उन सब तथ्यों को, उन सब शब्दावली को अक्षरश: सशरीर उपस्थित होकर, मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। यह आसन के निर्देशों की अवहेलना है।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सब यहां पर सदस्य बनकर जब आये थे, तो भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची के अन्तर्गत और धारा-188 के तहत हमने शपथ यहां पर ली थी कि "सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान: राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिये गये प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने भी यहां पर शपथ ली थी और उन्होंने यह शपथ ली थी, यह

(श्री मदन राठौड़)

प्रपत्र मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं...

(14.00 बजे)

'मैं ---- (खाली जगह जहां सदस्य अपना नाम पुकारता है) जो विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की सम्प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा' और पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इन्होंने सदन की मर्यादा को तार-तार करने का कृत्य किया है। इन्होंने गोपनीयता नहीं निभायी और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए और किसी भी प्रकार का रिलेक्सेशन नहीं मिलना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हमने इस प्रकार की इनको माफी दे दी या इनको अवहेलना करने का बर्दाश्त कर लिया तो निश्चित रूप से मर्यादाएं तार-तार होती रहेगी। मर्यादाएं भंग होती रहेंगी और गरिमा खतम हो जाएगी इसलिए मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज विषय केवल पहली बार तो यही है। मैं दूसरे विषय पर भी बोलना चाहूंगा, 273 वाला जो प्रकरण है उसके संबंध में जब अवसर आएगा तब मैं बोलूंगा अभी मैं केवल यह बात कहना चाहता हूं कि जो आपने फ्रीज किया, जो आसन ने सुरक्षित रख लिया था उसको भंग इन्होंने किया है बाहर जाकर के और मैंने सबूत दिये हैं जो अख़बार की कटिंग्स और जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो सी.डी. दी है वो भी मैंने सदन के सामने रख कर के, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने उल्लंघन किया है, विशेषाधिकार भंग किया है, निश्चित रूप से इनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमान अरुण चतुर्वेदी जी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 157 के तहत एक प्रिविलेज मोशन मूव हुआ है जो आपने स्वीकार किया, इस पर बहस चल रही है। मैं उसमें दो इम्पोर्टेंट पाइंट हैं जिनके ऊपर आपने कहा, लेकिन मेरा अपना सब्मिशन है। एक तो यह है

(श्री अरुण चतुर्वेदी)
कि जानकारी चाहे जाने पर कि क्या माननीय सदस्य ने आसन के साथ-साथ संबंधित मंत्री को भी पूर्व सूचना दी है इसमें सर्विस ऑफ नोटिस है। इसके साथ ही इसमें एक और आता है जितना मुझे ध्यान है कि आपने एक रूलिंग और दी थी कि नैक्स्ट वर्किंग डे के ऊपर आप टेबल करेंगे तो टाइमिंग ऑफ द टेबल ऑफ द डाक्यूमेंट वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या आसन के निर्देश के बाद जब बहस शुरू हुई उसके बाद टेबल करना, आसन का स्पष्ट निर्देश था कि नैक्स्ट वर्किंग डे के शुरू में आकर के इसको टेबल करने की बात है। इसी में जहां तक वैसे तो आपके डिस्कशन का परव्यू नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 237 के प्रावधान को भी एक बार इसमें जरूर देखना चाहिए, उसमें स्पष्ट रूप से कुछ चीजों की व्याख्या की गई है, आप उसको स्वीकार करें या नहीं करें लेकिन डिस्कशन का पाइंट है। इसमें कौल एवं शकधर ने इस बात को बहुत कैटेगरिकली बहुत स्पष्ट रूप से कहा है

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप 237 बोल रहे हैं या 273 ?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 273 । कौल एव शकधर पेज नं. 1087 इसमें है 'मंत्री आवश्यक समझें तो अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से सभा में वक्तव्य दे सकता है। सभा में आरोप लगाने से पहले किसी सदस्य के लिए अध्यक्ष को केवल सामान्य रूप से सूचना देना ही काफी नहीं है इसके लिए आवश्यक है कि नम्बर-1, सदस्य अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पर्याप्त समय पहले सूचना दे। इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पर्याप्त समय पहले। दूसरा, जो आरोप लगाये जाने हैं उनका स्पष्ट विवरण दिया जाए और उनके समर्थन में आवश्यक दस्तावेज भी लगाये जाएं जिन्हें सदस्य द्वारा प्रमाणित किया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय 273 के बारे में है, जबकि आसन की व्यवस्था है कि केवल बाहर जो बोले वो अवमानना है आसन का केवल यहां तक केन्द्रित था। ये तो 273 की व्याख्या पढ़ रहे हैं तो फिर हम भी पढ़ेंगे, हमें भी अनुमति मिलनी चाहिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा अपनी बात शुरू करने से पहले। मेरा

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

सब्मिशन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय इसको स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन सब्मिशन यह है निर्णय आपका है।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय मंत्री भूमिका बना रहे हैं तो भूमिका अगर 273 से बनती है तो बनाएं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैंने शुरुआत में ही कही है इस बात को। इसमें स्पष्ट जो-जो आरोप लगाये गये हैं उनका स्पष्ट विवरण दिया जाए और उसके ऊपर सदस्य द्वारा प्रमाणित किया जाए। नम्बर-3, सदस्य सभा में आरोप लगाने से पहले जांच करने के बाद स्वयं यह समाधान करें कि आरोपों को लगाने का कोई आधार है। नंबर-4, सदस्य आरोपों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं और सदस्य आरोपों को सिद्ध करने के लिए तैयार हैं। इसी में पेज नं. 277 इसमें नोटिस के पाइंट के ऊपर है। यह 277 पर है। यह 18 मार्च, 1969 को श्री अब्दुल हादी जिन्होंने एक आरोप लगाया था और उस समय के दामोदर लाल जी व्यास, उनके ऊपर था यह। इसमें है ऐसे एलीगेशंस के प्रश्न जिनकी सूचना दिया जाना नियमों के अनुसार आवश्यक है, उनके लिए आवश्यक है कि इन एलीगेशंस के संबंध में मंत्री को सूचना दी जाए, ताकि वो उसका स्पष्टीकरण कर सकें। फिर रीट्रीट किया है इसको इस रूलिंग में। अगेन पेज नं. 323, इसमें सुरेन्द्र व्यास जी ने एक एलीगेशन लगाया था उसको भी इन्होंने क्लियर किया है, 'प्रक्रिया के नियम 273 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्य की यह जिम्मेदारी है कि वह जिस मंत्री के खिलाफ आरोप लगाना चाहें उस मंत्री को उक्त प्रस्ताव की प्रतिलिपि स्वयं अपने स्तर पर दें। प्रक्रिया के नियम 273 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों की सूचना विधान सभा सचिवालय के माध्यम से संबंधित मंत्री को भिजवाने की जरूरत नहीं है। अत: इस सदन में विधान सभा सचिवालय के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती। इस पाइंट के ऊपर बड़ा कैटेगरिकली, इसके ऊपर कई बार डिस्कशन हुआ और खुद कौल एवं शकधर ने भी और सदन में भी आपके आसन के द्वारा भी अलग-अलग समय पर इसके ऊपर रूलिंग दी गयी है।

जहां तक सर्विस ऑफ नोटिस का है इसमें एक रूलिंग और आपने उस

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

समय दी थी जब यह चल रहा था, आपने कही टेबल करने की बात, तब सदन से कहा गया कि इसको तब तक फ्रीज रखा जाए जब तक कि टेबल पर नहीं आ जाए। आपने इसको फ्रीज करने की बात कही थी। अब फ्रीज करने के इंटरप्रिटेशन को लेने की बात आएगी उसमें मैं जो समझ पाता हूं मेरी जितनी सामान्य समझ है, उसमें तीन तरह की बात इसमें निकल सकती है। एक तो सम्पूर्ण कार्यवाही सदन की फ्रीज होगी और उसको ऐसा माना जाएगा कि उस दिन कोई कार्यवाही नहीं हुई वह ब्लैंक रहेगा सारा और यह दायित्व आरोप लगाने वाले सदस्य और जिसके ऊपर आरोप लगाया है उसके सहित सदन के सभी सदस्यों के ऊपर समान रूप से लागू होता है कि वो यहां के सारे डेलीब्रेशंस को सदन के बाहर किसी भी रूप से व्यक्त नहीं करेंगे। इस तरह से इसमें माना जाएगा कि किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं करेंगे। तीसरा, कोई सदस्य सदन के बाहर भी प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया उनको भी अपनी बात को चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित नहीं करेगा, स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करेगा यह भी एक सामान्य रूप से इसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। इसमें भी कौल एवं शकधर ने, अपना एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ जिसमें सर्चलाइट के मामले में यह है 1959 सुप्रीम कोर्ट 395, इसमें स्पष्ट रूप से कहा है, इसमें दो पाइंट हैं पेज नं. 1187 कौल एवं शकधर, 'जब कुछेक शब्दों एवं अभिव्यक्तियों को निकाल देने या अभिलेख का भाग नहीं बनने देने का आरोप दिया गया हो, तब मीडिया से ऐसे आदेश पर गौर करने की और यह सुनिश्चित करने की आशा की जाती है कि ऐसे अंशों को इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा अभिलिखित रूप से नहीं दिखाया जाए या प्रेस में नहीं छापा जाए।' आगे इसी में है, 42 जो सर्चलाइट मामले में फैसला है, 'कार्यवाही वृत्तांतों से शब्दों, टिप्पणियों या कार्यवाही के किसी भाग को निकालने संबंधी अध्यक्ष के आदेश का कानूनी प्रभाव यह है कि जैसे ये शब्द, टिप्पणियां या कार्यवाही का वह भाग बोला ही नहीं गया। निकाले गये शब्दों या वाक्यांश का प्रकाशन विशेषाधिकार हनन माना जाएगा।' सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कैटेगरिकली इस विषय को डील करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर बाहर भी किसी रूप से व्यक्त करता है तो यह ब्रीच ऑफ इंपीचमेंट का केस माना जाएगा। अब इस

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

स्थिति में न तो इन्होंने 273 के जो प्रोविजन्स थे उन प्रोविजंस को एड्हेर करते हुए नोटिस देने का काम किया उसमें जो चीज थी वो पूरा करने का काम नहीं किया। नोटिस की सर्विस और उसमें भी आसन ने जब व्यवस्था दी बड़े दिल से आपने कहा कि अगर आज नहीं लाये हैं तो नैक्सट वर्किंग डे के ऊपर आप पेश कर दें। आपने आने के बाद पेश नहीं की और आपके आने के बाद जब बहस शुरू हुई उसके बाद उस डाकूमेंट को पेश करना, मुझे लगता है कि यह भी कहीं न कहीं ब्रीच ऑफ इंपीचमेंट है। फिर दुबारा आसन के आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है और बार-बार कहने के बाद भी यहां से निकलते ही उस सारी चीजों को डेलीब्रेटली मीडिया के सामने व्यक्त करना और उसके बाद में पूरे-पूरे जिस तरह के सारे आपने 157 के नोटिस के हैं वो आधार पेश किये हैं। अखबारों की कटिंग्स लगायी गयी हैं जिनमें वो सारी चीज छापी गयी हैं तो स्पष्ट रूप से मुझे लगता है कि इस तरह की चीज अगर चलेगी तो सदन की गरिमा के खिलाफ है और इस तरह की परंपराओं को अगर हम छूट देंगे तो आने वाले समय में कोई भी आसन के निर्देश स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए लगातार इस प्रकार का आसन के आदेशों का उल्लंघन करेंगे, नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह से माननीय सदस्य ने जिस प्रकार के आरोप लगाये बिना किसी प्रावधान के, और इसमें एक बड़ा स्पष्ट है कि इसमें एक चीज और है कि 273 एक बात और कहता है इसमें, एक बार इसको दुबारा पढ़ रहा हूं किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराध प्रवृत्ति का आरोप नहीं लगाया जाएगा, जब तक सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पूर्व में सूचना न दी हो, जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विशेष जांच कर सके, परंतु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषेध कर सकेगा, यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सदन की गरिमा के विरुद्ध या ऐसा आरोप लगाने से कोई हित सिद्ध नहीं होता है।'

इसमें स्पष्ट रूप से एक एलिगेशन था जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस दिन अपने प्रारंभ में 273 में जो बहस शुरू की थी उस समय उन्होंने बात कही थी। माननीय सदस्य खुद कांट्रेक्टर रहे हैं। इनके स्वयं के भाई हैं

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

दामोदर मीणा जी, वह पीएचईडी में कांट्रेक्टर हैं, माननीय मंत्री महोदय जिस समय अपना जवाब दे रही थी, उस समय इस बात का उल्लेख किया कि जब मैं मंडरायल रोड का सर्वे करने गई और जांच के दौरान जब मैंने कमियां पाईं और उस पर कार्यवाही की, उस समय दामोदर मीणा इस काम को कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्यवाही की बात की। उसके आधार पर माननीय सदस्य के द्वारा तत्कालीन मंत्री महोदय पर स्पष्ट रूप से आरोप, यह कहीं कहीं न हित संसाधन का विषय भी आता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो विषय वस्तु फ्रीज है, उसके ऊपर पुन: मंत्री महोदय बोल रहे हैं, क्या आसन इसकी इजाजत देता है। केवल मात्र इनको कहा था कि आसन की व्यवस्था के बाद में बाहर बोला, वह क्या है, यह थोड़े ही चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, विषय यह है कि जिस बात पर प्रतिबंध आसन ने लगाया था, उसका वक्तव्य बाहर दिया गया और दिया गया तो आपके पास कोई साइटेशंस है तो वह आसन के ध्यान में ले आये, हाउस के ध्यान में ले आये Please restrict your deliberations to that.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो पहले से फ्रीज है, जिसमें मंत्री महोदय ने कहा था, इन्होंने दुबारा रिपीट किया है, वह तो एक्सपंज किया जाये, क्योंकि फिर तो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: Your objection has been noted, but no decision will be given now.

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरुआत में ही कहा था और जो साइटेशन हैं, वह भी मैंने सामने रखे हैं। मेरा आग्रह है कि इस तरह की गंभीर अनियमितता के कारण से माननीय सदस्य की सदस्यता को पूरी तरह से बर्खास्त किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: और कोई सदस्य अपनी बात अभिव्यक्त करना चाहे. Are you a co-signatory to this motion?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): Yes supporting to the legal position. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभार। जो मैटर आपके सामने हैं, जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया, आपने बताया कि आसन की एक व्यवस्था हुई थी, उस व्यवस्था की अवहेलना हुई या नहीं हुई। मैं जो पाइंट रख रहा हूं वह यह है कि यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, दो तरह की अवहेलना होता है, एक इंटेंशनली और एक इनोसेंटली। अगर कोई इनोसेंटली हो जाती है तो वह अलग कंसीडर की जाती है और कोई इंटेंशनली की जाती है, वह अलग कंसीडर की जाती है। आपके सामने जो विषय है वह यह है कि इंटेंशनली की गई या नहीं। बहुत विचार विमर्श हुआ और आसन का स्पष्ट निर्देश हुआ कि यह जो कुछ भी विषय आज चल रहा है वह फ्रीज किया जायेगा। उसका तात्पर्य यह है कि कोई भी सदस्य जाकर इस बात को हाउस से बाहर नहीं कहेगा। माननीय सदस्य ने हाउस के अंदर ही, हाउस की केटेगिरी जब गिनी जाती है, कोई अंदर अंदर ही हाउस नहीं है, जो बार बार व्यवस्था आई है वह हाउस का पार्ट ही है। हाउस के अंदर ही, प्रेस के सामने जाकर जो जो एलिगेशन यहां लगाये थे, वह के वह वर्बेटम यूं ही रिपीट की है, सभी समाचार पत्रों ने उसको छापा है। मेरा निवेदन यह है कि सुओमोटो चेयर की अवहेलना हुई इसलिए चेयर खुद भी सुओमोटो ही काग्नीजेंस ले सकती है कि जब हमने फ्रीज कर दिया था तो आपको प्रेस के सामने जाकर यह वक्तव्य देने की आवश्यकता कहां थी। ऐसा तो है नहीं कि सारे प्रेस के लोग, बिना बोले ही अपने आप ही अपनी मर्जी से छाप दिया, उन्होंने कोट करके छापा है। जब प्रेस ने उनसे पूछा हमारे संबंधित मंत्री ने कहा है, चूंकि यह फ्रीज हो चुका है, जब तक आसन का निर्णय नहीं होगा, तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी, यह वक्तव्य भी छपा है। मेरा निवेदन है सुओमोटो intentionally disobey of the Chair का क्वेश्चन है। मेरा सब्मिशन है हम मूव करें या नहीं करें लेकिन चेयर को सुओमोटो एक्शन लेना चाहिये अदरवाइज आसन की व्यवस्था का मतलब ही समाप्त हो जाएगा और intentionally disobedience of the order of the Chair है, यही मेरा निवेदन है श्रीमान।

श्री उपाध्यक्ष: और कोई बोलना पसंद करेंगे?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, फ्रीज किया, फ्रीज सारा कार्यवाही वृतांत में भी आ गया, रिकार्ड में भी है, फिर भी मैं आगे और निवेदन करना चाहूंगा whatever punishment is weighed out besides that इस पूरे मैटर को, भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो प्रिविलेज कमेटी को भी मूव करना चाहिये, एक एग्जाम्प्ल से नहीं होगा, सारी बातें लेकर उस पर भी मूव हो और उसको समय सीमा में बांधना चाहिये, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो बातों का आसन ने हमें आदेश दिया है, एक तो हमारे को यह रसीद पेश करनी थी कि हमने 273 का नोटिस माननीय मंत्री महोदय को विधिवत तामील करा दी, इनको पता था, इनके संज्ञान में ला दिया। दूसरा, जो फ्रीज की गई उस कार्यवाही को माननीय सदस्य ने बाहर मीडिया में शेयर किया। पहले के बारे में मेरा निवेदन है कि एक माननीय सदस्य ने माननीय अध्यक्ष के नाम चिट्ठी लिखी, 273 का नोटिस और प्रतिलिपि के माननीय किरण जी माहेश्वरी को। यह चिट्ठी माननीय मंत्री किरण जी माहेश्वरी को माननीय सदस्य ने डेढ़ और दो बजे के बीच में दी और माननीय मंत्री महोदय ने वह चिट्ठी वर्तमान में जो जलदाय मंत्री जी हैं, उनको वह चिट्ठी दी। उन्होंने बाकायदा अपनी सील लगाकर अपने विभाग को 27 तारीख को यह निर्देश दिये कि आज ही मुझे इन पूरे तथ्यों का जवाब दिया जाये। यह चिट्ठी यह अंकित करती है कि या तो अध्यक्ष जी के यहां से इनको कॉपी भेजी गई है, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना। तब तो मुझे कुछ नहीं कहना। तब भी जानकारी इनको हो गई, अगर माननीय किरण जी माहेश्वरी के नाम प्रतिलिपि है और वह जलदाय मंत्री माननीय सुरेन्द्र जी गोयल जी ने अपने आफिस में किरण जी माहेश्वरी को दी, मोहर लगाकर अधिकारियों से जवाब लिया और जवाब के बाद में आसन के द्वारा 273 के नोटिस को बोलने के लिये परमिट किया गया, माननीय मंत्री महोदय जवाब के लिये तैयार थीं, इन्होंने जवाब भी दिया।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन है, जिसमें एक नहीं अनेकों ऐसे निर्णय है कि पहली बात तो 273 में अगर जिस माननीय सदस्य के खिलाफ या मंत्री के खिलाफ कोई माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं तो वह माननीय सदस्य अगर सदन में उपस्थित हो तो उसको 273 का नोटिस देने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जवाब देने के लिये तैयार हों तो यह विषय ही समाप्त हो जाता है। माननीय अध्यक्षों द्वारा समय समय पर यह व्यवस्था दी गई है कि अगर सदन में सदस्य मौजूद हो और उनका जवाब देने के अगर वह तैयार हो तो 273 की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 273 बेसिक रूप से उसमें लागू होता है जब कोई उस सदन का सदस्य ही नहीं है, तो संबंधित मंत्री को, जिस विभाग का काम हो वह संबंधित मंत्री को नोटिस जाना चाहिये और वह अपना जवाब लेकर सदन में दे, एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष पद द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन है, सन 1952 से दिसम्बर, 2008 तक का जो हमारे को विधान सभा से दिया गया है, उसके पेज 278 में है कि सदन में वाद विवाद के समय मंत्री अथवा सदस्य जो सदन में उपस्थित हो, आरोप लगाये जाने से पूर्व अध्यक्ष को नियम 273 के अंतर्गत पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है, 273 का प्रावधान इसलिए है कि वह सदन में नहीं हो, प्रतिकार नहीं कर सकता तो संबंधित मंत्री को नोटिस दिया जाता है। पेज 279 पर है मिनिस्टर जवाब दे सकता है, जवाब देने की स्थिति में स्पष्टीकरण दे सकता है इसलिए नोटिस या पूर्व सूचना उस पर्सन पर लागू नहीं होती है। तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी किताब के पेज 303 में है, बिना सूचना उठाया गया, मंत्री मौजूद स्पष्टीकरण दे दे तो मामला समाप्त। चौथा पेज 310 और 311 मंत्री की सार्वजनिक हैसियत से किये गये कार्यों की आलोचना करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। 273 उन केसेज पर लागू होता है जहां व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं होता है। पेज 315 में माननीय अध्यक्ष को पूर्व सूचना के बिना किसी मंत्री पर आरोप लगाये जाने से संबंधित मंत्री बिना आपत्ति किये उस समय उत्तर देने के लिये तैयार हो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
तो ऐसे मामले में पूर्व सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष उस विभाग से संबंधित मंत्री को...। इसमें दोनों बातें हुई हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नोटिस केवल दो व्यक्तियों के नाम था, अध्यक्ष के नाम था, प्रतिलिपि किरण जी माहेश्वरी के नाम थी। अगर माननीय अध्यक्ष के यहां से मंत्री को गया है तो राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष का दायित्व है। अगर माननीय किरण जी माहेश्वरी ने चूंकि यह विभाग उनके पास चला गया, जब विभाग उनके पास चला गया तो संबंधित जवाब तो वही मंत्री अपने अधिकारियों से मंगाएगा, इसलिए यह जो चिट्ठी बाकायदा मोहर लगी हुई कि माननीय किरण जी माहेश्वरी के प्रतिलिपि पर गुड लगाया हुआ है..

श्री उपाध्यक्ष: आप जिस बात को फरमा रहे हैं। आपका टोटल आर्ग्यूमेंट इस बात पर बेस्ड है कि 273 के माध्यम से क्या नोटिस देना अनिवार्य है, या नहीं? आसन के सामने प्रश्न अब यह नहीं है आसन के सामने प्रश्न यह कि आसन द्वारा दी हुई व्यवस्था की अवहेलना करने के उपरांत क्या सज़ा होती है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ठीक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस पर आ जाता हूं। मैंने यह बताया कि 273 का नोटिस देना अनिवार्य भी नहीं था। मंत्री ने जवाब दे दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उसको फ्रीज करने का आदेश दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय से हम उस फ्रीज को, नोटिस की पावती पेश कर दी है। इसलिए हम चाहते हैं कि वह फ्रीज, डी फ्रिज हो। फिर उसके ऊपर चर्चा कराकर जो भी निर्णय हो, जैसा भी हो, माननीय उपाध्यक्ष दें। यह हमारा पहला अधिकार बनता है और हमने आसन से मांग की है, क्योंकि हम इस सदन के वैसे ही सदस्य हैं, जैसे किरण जी माहेश्वरी हैं, राजेंद्र जी राठौड़ या सारे के सारे माननीय सदस्यों को एक अधिकार प्राप्त है।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आदेश था कि इस बात पर चर्चा के लिए..। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चर्चा में हिस्सा लिया गया या जो चर्चा आई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह आसन के द्वारा फ्रीज कर दिया गया तो उसकी कॉपी हमारे माननीय सदस्य के पास कहां से

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आती? इसलिए जो कार्यवाही सदन में हुई, उसको उस प्रकार से कहीं भी माननीय सदस्य ने आदेश की अवहेलना नहीं की है और न ही वह कॉपी उपलब्ध कराई है और न जैसा बोला, वैसा का वैसा माननीय सदस्य द्वारा बाहर मीडिया में नहीं बोला गया। अनेकों निर्णय हैं, आप अगर परमिशन देंगे तो मैं बताऊंगा कि माननीय सदस्यों का विशेषाधिकार है कि राजस्थान की विधान सभा में कोई भी माननीय सदस्य कुछ भी बोलता है। यहां तक कि उदाहरण हैं, महत्वपूर्ण निर्णय हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर, मंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर, जुडीशियरी के ऊपर बार-बार आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने जो सदन में बोला, उस के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लग सकता, न उसके ऊपर कोई कार्यवाही चल सकती है। जैसा आदेश यह है कि साहब, प्रिविलेज मोशन यह है कि इन्होंने बाहर जाकर वह कार्यवाही आउट कर दी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें हुई हैं। एक तो हमारे माननीय सदस्य ने यहां पर माननीय मंत्री महोदय के ऊपर आरोप लगाए। एक संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र जी राठौड़ ने हमारे सदस्य के ऊपर व्यक्तिगत रूप से मानहानि के आरोप लगाए। उसका प्रिविलेज मोशन भी हमने पेश किया है। ये दोनों की दोनों बातें, जो विधान सभा की कार्यवाही में अंकित है, वैसी नहीं आई है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। न राजेंद्र जी राठौड़ ने, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं कि इन्होंने उस प्रोसिडिंग को बाहर आउट किया होगा और न हमारे माननीय सदस्य ने कहा। लेकिन यह आज नहीं, जब से राजस्थान की विधान सभा बनी है, तब से मीडिया को सारे के सारे मंत्री, मुख्य मंत्री मुखातिब होते आये हैं। अपनी-अपनी भावना कहते आए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा हो गया कि जो विधान सभा की प्रोसीडिंग में आएगा, उसके अलावा एक शब्द भी कोई माननीय सदस्य नहीं बोल सकता, तो यह उसकी स्वतंत्रता का हनन होगा और मैं समझता हूं राजस्थान की विधान सभा इस प्रकार का निर्णय देकर पूरे के पूरे सदस्यों की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगी, यह मैं माननीय आसन से अपेक्षा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज नहीं, अनेकों बार, एक नहीं, आपका आदेश होगा तो हम सौ सीडी पेश कर देंगे, जिसमें माननीय संसदीय कार्य

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मंत्रीजी ने हमारे मुख्य मंत्री के ऊपर, हमारे मंत्रियों के ऊपर, यहां तक कि जो क्रिमिनल केसेज में अंदर गए उनके ऊपर भी, वे इस सदन के माननीय सदस्य थे। इसके बावजूद भी बोला गया है। अगर ऐसा हो गया तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये मीडिया बिलकुल बंद हो जाएगा। कोई नहीं छाप सकता। मैं आपको आज ऐसे समाचार-पत्रों की कटिंग टेबल कर सकता हूं, अगर आप अनुमति देंगे तो कि एक नहीं, सदन में जो बातें हुईं और अंकित नहीं हुई, उसके बावजूद भी प्रत्येक न्यूज पेपर, प्रत्येक चैनल पर ये चीजें आती रही हैं। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि हमने माननीय सदस्य ने प्रोसीडिंग वैसी की वैसी ले जाकर किसी मीडिया को या चैनल को दे दी हो। इन्होंने अपनी स्वतंत्रता का जो बात रखने का अधिकार है, उसके तहत माननीय उपाध्यक्ष जी आसन के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए, उनकी पालना करते हुए, केवल इतना कहा है कि इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और यह नहीं होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आज नहीं है। आप तो बड़े विद्वान हैं। हमारा संरक्षण आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही करेंगे। यह तो वैसे ही 160 के लगभग हैं। इसलिए आसन तो सर्वोपरि है और हम मानेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी फैसला आसन करेगा, उससे हम बंधे हुए हैं, हम अलग नहीं हैं, लेकिन अगर इस तरह के निर्णय होने लग गए। सत्तापक्ष के मद में चूर होकर अगर इस तरह के प्रिविलेज मोशन लाए गए कि आप राजस्थान की विधान सभा में जो अंकित हो रहा है, केवल वो ही बाहर बोल सकते हैं। जो अंकित नहीं होगा, अगर वह बाहर नहीं बोल सकते तो हम सब पर ये आरोप लगेंगे, हम सब पर प्रिविलेज मोशन आएंगे और हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, जो हमारे संविधान में हमारा मूलभूत अधिकार है, वह समाप्त हो जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि न तो 273 की आवश्यकता थी, अगर थी तो भी हमने पेश कर दिया, इनको नोटिस दे दिया। बाकायदा मंत्री को सूचना मिल गई। या तो अध्यक्ष जी ने इनको सूचना दी है, तो बहुत बढ़िया बात है। सबके संज्ञान में आ गया है। अगर किरण जी माहेश्वरी ने मंत्रीजी को देकर और जवाब

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मंगवाकर, जवाब तैयार करके जब अपनी बात यहां रख दी तो उसके बाद..। एक नहीं, सैंकड़ों निर्णय माननीय आसन के द्‌वारा दिए गए हैं कि उनके ऊपर प्रिविलेज मोशन नहीं चल सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, मैं बार-बार कह रहा हूं, पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, माननीय सदस्य की तरफ कह रहा हूं और ओन ओथ इस सदन में कह रहा हूं कि हमारे माननीय सदस्य ने कहीं भी आसन के आदेश की अवमानना नहीं की है। जो यहां पर अंकित हुआ है, वह अक्षरशः: बाहर नहीं ले जाया गया है। उन्होंने केवल अपने विचारों की अभिव्यक्ति दी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपके द्‌वारा भी हमारे माननीय सदस्य और उनके परिवार के ऊपर जो आरोप लगे हैं, वे भी अख़बारों में छपे हैं। हां, देरी से दिया, यह मैं मानता हूं। अगर आप अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। जो निर्णय देंगे, हम आसन के निर्णय से बंधे हुए हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम उस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को फोलो करने वाले लोग हैं, जो हमेशा आसन की आदर करती है, हमेशा आसन के आदेश की पालना करती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की तरह असत्य वचन करने वाले नहीं हैं। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। खुद राजेंद्र जी राठौड़ ने बाहर जाकर मीडिया में यह कहा कि रमेश जी मीणा जो माननीय सदस्य हैं, उनके ऊपर यह आरोप है। व्यक्तिगत मानहानि के आरोप लगाए तो क्या इनके ऊपर प्रिविलेज मोशन नहीं चलना चाहिए?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गलत परंपरा पड़ जाएगी। अगर आसन पर आप जैसा विद्‌वान उपाध्यक्ष बैठा हो, उसके बाद अगर यह हो गया कि जो राजस्थान की विधान सभा की कार्यवाही में अंकित हो रहा है, उसके अलावा एक शब्द भी नहीं छपेगा या प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया में नहीं आएगा तो मैं समझता हूं कि यह हमेशा-हमेशा के लिए एक काला अध्याय इस राजस्थान की विधान सभा का लिखा जाएगा कि मूलभूत अधिकार जो हमारी स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है। आज नए लगे हैं क्या? इतनी बौखलाहट माननीय उपाध्यक्ष महोदय किस बात की है? क्या आरोप नए लगे हैं? यहां पर एक नहीं, हज़ारों आरोप लगे। हमने वह समय भी देखा है पिछले 2008 से 2013 में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यहां

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

से हमारे सत्तापक्ष के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर और हमारे मंत्रियों के ऊपर यहां से जूतियां फैंकी गई थीं। हमें जूतियों से मारा गया था। वह भी हमने सहन किया है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आदेश की कोई अवहेलना नहीं हुई है। जो वरबैटम आपने फ्रीज किया है, उसका एक अंश भी माननीय सदस्य ने बाहर जाकर अंकित नहीं कराया है। केवल मात्र अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति है, वह आज नहीं, हम वर्षों से देते आए हैं। जब से राजस्थान की विधान सभा बनी है। तब से हम देते आए हैं, एक नहीं, अनेको बार देते आए हैं। मुख्यमंत्रियों पर भी लगे हैं और यहां तक कि माननीय आसन पर भी आरोप लगे हैं। आसन ने भी हम लोगों को गुंडा, मवाली, पता नहीं क्या कहा, लेकिन आसन सर्वोपरि होता है। हमने वे चीजें भी सहन की हैं और हम आज भी कहते हैं कि हम आसन का सम्मान करेंगे। आसन जो सज़ा देगा, उस सज़ा को भुगतेंगे, लेकिन हम दोषी नहीं है, हमारा और हमारी पार्टी का केवल इतना दोष है कि हम जीतकर केवल 24 आए और आप 160 आ गए। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रजातंत्र खतम हो गया। डेढ़ साल बाद में आप इधर होंगे, कांग्रेस पार्टी इधर होगी। यह मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इस तरह की व्यवस्था मत बनाइए। एक सैकिण्ड में अपनी बात समाप्त करुंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारा प्रिविलेज मोशन भी आसन स्वीकार करे और हमने जो रसीद पेश की है, उसके आधार पर निर्णय फरमाएं कि क्या मंत्रीजी को यह सूचना हो गई थी। आप हमसे जो क्वेरी करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। जो जितना फ्रीज है, उसको डी-फ्रिज किया जाए और डी-फ्रिज करने के बाद में जो कार्यवाही आसन चाहेगा, वह करेंगे। लेकिन इस तरह से नहीं कि 160 आ गए, हम पेल कर रख देंगे। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है। कल इधर थे, कल इधर आ जाओगे। इसलिए यह चलता रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें इतना भी मत बांधिए कि राजस्थान का एक एम.एल.ए., राजस्थान विधान सभा का चुना हुआ एक जन प्रतिनिधि अपनी बात न सदन में कह सकता है, न बाहर कह सकता है। कहीं नहीं कहेगा, तो फिर क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष: आप कनक्लूड करें। प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, कनक्लूड करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँ कि आपने इजाजत दे दी है, इन सब बातों पर गौर करके डी-फ्रिज का निर्णय भी सुनाया जाए या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाए Let the Chair take its own decision.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाए।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि पहले आपने जो व्यवस्था दी थी, आसन ने व्यवस्था दी, उसका उल्लंघन हुआ वह निर्णय हो। लेकिन माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह कही है कि कट मोशन पर बोलते समय आरोप। माननीय सदस्य डोटासरा जी यहां उपस्थित नहीं थे। मैंने स्पष्ट रूप से पूछा था ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चतुर्वेदी जी ने क्या बोला था, उस समय तो आप खड़े नहीं हुए ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: You please sit down.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप उस समय तो खड़े नहीं हुए। ऐसे थोड़े होता है कि आप बार- बार खड़े होकर ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं यह कहना चाह रहा था कि...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाओ keep sitting.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बार-बार क्या कहोगे।

श्री उपाध्यक्ष: हम किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, या सिर्फ बोलने की ध्वनि पैदा करना चाहते हैं? अगर कहीं आक्रोश में कोई बात कह दी गई है तो आप हंस कर उसको स्वीकार कर लें और उसको रिफ्यूट कर लें। इनकी कही हुई बात। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेरा नाम लिया है, जिस तरह इन्होंने मेरा नाम लिया है।

श्री उपाध्यक्ष: अगर आप उस पर स्पष्टीकरण देना चाहेंगे तो आसन आपको उसकी इजाजत देगा। स्वास्थ्य के लिए हानिकार है इस प्रकार से क्रोध करना।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैंने क्लियर करवाने के लिए निवेदन किया था कि माननीय सदस्य सपोटरा वाले कट मोशन पर बोल रहे हैं या 273 पर बोल रहे हैं। जब उन्होंने क्लियर किया कि मैं 273 पर बोल रहा हूं, तो जब 273 पर बोल रहे हैं तो उसका अक्षरशः पालन करना पड़ेगा। इसलिए वह आरोप नहीं लगा सकते। 273 पर बोले तो निश्चित रूप से कन्सर्न मिनिस्टर को सूचना देनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: उस विषय को भी उस दिन चेयर ने सैटल कर दिया था। वह सैटल उसी वक्त हो गया था। इसके अलावा आपको कोई बात कहनी है? It was settled that day at that particular time.

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इन्होंने जो कोट किया मैं उसी का बता रहा हूं। इन्होंने कट मोशन का कोट किया, 26 मार्च 1970 का कोट किया। वह कट मोशन में बोले हुए शब्दों, उसके लिए कोट किया है, तो वह तो इन्होंने गलत किया है।

श्री उपाध्यक्ष: उस दिन के वृतान्त में यह स्पष्ट है और आसन ने भी इसको स्पष्ट कर दिया था। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट I will come to you.

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में बताया कि किरण माहेश्वरी ने मेरे को नोटिस भेजा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, मुझे न तो किरण माहेश्वरी जी ने नोटिस भेजा, न मुझे सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भेजा। मेरे पास विधान सभा सचिवालय से सूचनार्थ नोटिस आया था। इसके अलावा मेरे पास, न तो इन्होंने भेजा, न इन्होंने भेजा। यह मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट अब आप Just a minute.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन्होंने डिनाइ किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने डिनाइ किया है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपको एक निवेदन करता हूं, मैं अभी यह इश्यू फ्लोर पर ला ही नहीं रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन्होंने डिनाइ किया है न।

श्री उपाध्यक्ष: इन्होंने डिनाइ आपके वक्तव्य को कर दिया। आपका वक्तव्य था उसको डिनाइ किया है Let the Chair take its own. Let the Chair make its own decision. आपको जो रखना था, आपने दस्तावेज टेबल कर दिया That's the end of it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे नाम को लेकर यह कहा कि मैंने भी फ्रीज करने के, आसन के निर्णय के बाद, प्रेस का जाकर कुछ बातें कही। उपाध्यक्ष महोदय, मैं लगातार छह बार से विधान सभा में आ रहा हूं। मेरे संसदीय जीवन में कभी ऐसा अवसर भी नहीं आया कि कोई चीज को फ्रीज किया गया हो। यदा कदा ऐसे अवसर आते हैं जब आसन से इस प्रकार की आज्ञा मिलती है। उस आज्ञा की भी हम पालना नहीं करें? मैंने सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रेस को मुखातिब होकर जो बातें कहीं उसका सारा एक सीडी के अंदर वर्णन है जो सीडी प्रस्तुत कर दी। इनके पास भी अगर मैंने प्रेस को कुछ बात कही है, इनके पास कोई प्रमाण हो तो प्रमाण प्रस्तुत कर दें और उसके बाद आप जो सज़ा देंगे वह सज़ा पाने के लिए मैं तैयार हूं।

चूंकि यह प्रकरण पहली बार आया है, उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐतिहासिक निर्णय होगा इस पर। पहले कभी मैंने ऐसा मौका नहीं देखा जब सदन की कार्यवाही को फ्रीज करने का आदेश आसन ने दिया हो और आसन के आदेश की इस प्रकार अवहेलना की हो। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, एक नई परम्परा कायम करने के लिए, लोगों में संदेश जाए कि राजस्थान की विधान सभा में विद्वान उपाध्यक्ष महोदय ने अनुशासन के पाठ का संदेश, पूरे देश

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में जाए, पूरे राजस्थान में जाए, इसलिए इनको अनिश्चित तौर पर, इन को इनके पद से हटाने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं। इनकी सदस्यता समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी प्रार्थना है। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाओ, आप भी विराज जाओ। मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं Don't try and lead the Chair. Flattery will not be taken into consideration. Restrict your observations or deliberations to the point and with the content that is before the House.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सचिवालय पर आरोप है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर बात है। मंत्रीजी ने सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों पर आरोप लगाया है, जो सदन में नहीं लगाया जा सकता। इन्होंने कहा कि मुझे इस नोटिस की प्रति राजस्थान विधान सभा के सचिवालय ने दी है। यहां कहीं भी इसमें नहीं है। यह स्पष्ट आसन करेगा, कि आपने क्या इन मंत्रीजी को दी है क्या आसन ने, अगर इनको दी है तो किस नियम के तहत, कहां थी वह कापी, कहां से आई और मंत्रीजी के पास कैसे पहुंची। इसलिए सचिवालय पर आरोप लगाया है। यह स्पष्ट करना माननीय उपाध्यक्ष महोदय जरूरी है। आसन के भी हित है और हमारे भी हित है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत देर से सुन रही हूं सारी बात को। आपने बहुत प्रेसाइसली कहा, क्या यह नोटिस प्रोपर वे में सर्व हुआ या नहीं हुआ। 273 कहता है वह यह कहता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अगर आरोप लगाना है तो उसके बारे में क्या प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंदर किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधों पर प्रकृति का आरोप नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को...

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय 273 अभी सदन के फ्लोर पर डिसकस नहीं हो रहा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी बात इसलिए, क्योंकि यह बिलकुल +++ बोले जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: असत्य।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): असत्य बोले जा रहे हैं और वह बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। जो बात इन्होंने कही कि अध्यक्ष तथा संबंधित मंत्री को इन्हें देनी थी नोटिस। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने किरण माहेश्वरी जी को दी, किरण माहेश्वरी जी ने वर्तमान पीएचईडी मिनिस्टर को दी और यह सारी तैयारी करके आए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, 27 तारीख को पूरा दिन मैं हाउस में नहीं थी। सरकारी काम से, हमारे डिपार्टमेंट की मीटिंग होने की वजह से मैं दिल्ली थी। मैं यहां पर नहीं थी। दूसरा, इन्होंने यह कहा कि 28 तारीख को जब यह चर्चा हुई, उस चर्चा के दरमियान जब आपने इस बात को बड़ा क्लियर कहा था मुझ से आपने पूछा था कि क्या आपको कोई नोटिस सर्व हुआ है क्या। इनको मैं बोलने की परमीशन तभी दे सकता हूं जब आपको कोई नोटिस सर्व हुआ हो। मैंने कहा ना तो मुझे कोई सपोटरा से आने वाले विधायक मिले है, ना किसी तरह का कागज उन्होंने मुझे पेश किया है, यह सारी बात सदन के अंदर, उस समय हाउस में मैं कह चुकी थी। फिर से रिपिटेडली मैं इस बात को कहना चाहती हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दिल्ली थे ना आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): हां मैं दिल्ली थी, मैंने बताया ना। मैं इसको फिर से रिपिटेडली कहना चाह रही हूं कि मुझे किसी तरीके का कोई नोटिस सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने नहीं दिया।

दूसरा, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जिस तरीके से बौखलाहट में, यानी जोर से बोलो, असत्य बोलो, यह जो होता है कि ना आप कितना भी जोर से बोलेंगे और आप असत्य बोलते रहोंगे और वह असत्य आपका रिकार्ड में आ रहा है, आप यह सोच रहे हो कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया।

तो माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इन सदस्य को कहना चाहती हूं कि जो पूरी तरीके से आकण्ठ भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, ऐसे मंत्री, उनके समय के, जिन लोगों के खिलाफ, आज भी जेल में बंद है, वह

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)
लोग। जिस पार्टी से यह बिलोंग करते हैं वह पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह सही नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष यह हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): विधायक जिन्होंने आरोप लगाया ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनके ऊपर आरोप लगे उसको तो झेल नहीं पाए और आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने इनकी बात को पूरी तरह से सुना है। जो माननीय सदस्य, जिसने आरोप लगाया ...(व्यवधान)... +++ ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह आसन की व्यवस्था का उल्लंघन है। ...(व्यवधान)... आसन ने मंत्री महोदय को ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): खुद की रिश्तेदारी ...(व्यवधान) ... सारे लोग ठेकेदार है। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप लगाने के लिए ...(व्यवधान)... यह एक्सपंज किया जाए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): इन्होंने बिलकुल सर्व नहीं किया नोटिस।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह तो अती हो गई

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): किसी तरीके का कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ ...(व्यवधान)... असत्य पर असत्य बोले जा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह तो सत्ता के मद में इतने चूर हो गए कि कुछ भी अनर्गल बोले जाओ। आप समझते हो ...(व्यवधान)... उपाध्यक्ष महोदय आपके है। उपाध्यक्ष महोदय पूरे सदन के है, हमारे है, हमारे हितों का सरंक्षण करें ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): व्यवस्था दीजिए पहले। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप दोनों विराज जाइये। ...(व्यवधान)... एक मिनट आप भी विराज जाइये। मैंने आप सबको कहा है आप कोई बात हंस कर आसानी से भी कह सकते हैं। क्रोध कर करके कहने पर कहां...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह हंसना जानते ही नहीं है ना। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आप अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। आपका क्रोधित होना भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा संयम से कह दीजिए, जो बात आपको कहनी है।

मैं इसी बीच में एक निवेदन करना चाहता हूं कि सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। ये इस पर कुछ बोलना चाहते हैं, तब तक थोड़ा आप लोग धैर्य रखें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपको भी, बिलकुल आप भी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप अगर मुझे अनुमति दें, यह बहुत गम्भीर चर्चा है। इस सदन में विशेषाधिकारों पर तीन-चार बार बहुत गम्भीर चर्चा हुई है तो आप कहें तो मैं उसका उदाहरण देने के लिये खड़ा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल आप बोलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज के हमारे नियमों में कोई लिखित में नियम नहीं हैं, इसके लिये कोई कानून नहीं है कि यह प्रिविलेज है या प्रिविलेज नहीं है, यह मानहानि है या मानहानि नहीं है। यह बहुत कुछ आसन पर निर्भर करता है, जो इस सम्बन्ध में कार्यवाही करते हैं। मुझे एक प्रसंग ध्यान है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इस सदन में श्रीमान रामनिवासजी मिर्धा अध्यक्ष हुआ करते थे और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई सदन की अवहेलना की कार्यवाही की। उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री श्रीमान मोहनलालजी सुखाड़िया ने उनको निलम्बित करने का प्रस्ताव रखा कि इनको सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाए। जब यह प्रस्ताव रखा, उसके बाद में वे सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए, पाँच बज गये और पाँच बजे अध्यक्ष ने सदन की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कार्यवाही दूसरे दिन के लिये स्थगित कर दी। दूसरे दिन फिर जब कार्य का समय आया, उन सदस्य को फिर बोलने का मौका दिया, फिर पाँच बज गये, और अध्यक्ष महोदय ने कार्यवाही को दूसरे दिन के लिये स्थगित कर दिया। तब मोहनलालजी सुखाड़िया खड़े हुए। उन्होंने रामनिवासजी मिर्धा साहब से पूछा कि साहब, इनको आप कितना बोलने का समय दोगे। तब उन्होंने कहा कि आप इस माननीय सदस्य को सदन के बाहर निकाल रहे हो तो इनको बाहर निकालने का अधिकार तो आपके पास है। आपके पास बहुमत है लेकिन इस सदस्य को बोलने का अधिकार देने का काम मेरे पास, चैयर के पास है। माननीय अध्यक्ष के इतना कहते ही सत्तारूढ़ दल, मोहनलालजी सुखाड़िया ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया।

इसी प्रकार का एक उदाहरण यहां पर हुआ कि कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्यों ने श्रीमान अटल बिहारीजी वाजपेयी के खिलाफ इस सदन में प्रिविलेज मोशन मूव किया। दो दिन तक बहुत गम्भीर चर्चाएं चलीं। उसके बाद आसन के एक निर्णय से, कि दूसरे सदन के सदस्य के लिये इस सदन में विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। वह बात समाप्त हुई।

यहां पर श्री देवीसिंहजी भाटी गले में एक तख्ती लगा कर आये थे। उनको निकालने का कांग्रेस ने प्रस्ताव किया। तीन दिन तक बहुत गरमा गरम बहस चली। उसके बाद में उसको वापस लिया गया। तीन दिन का किया गया।

आज जो, और भी बहुत आये हैं। अभी एक तो पेंडिंग है, इस सदन की उस पर ही प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। हमने पिछले सदन में रतना गुप्ता के मामले में यहां फैसला किया। यहां पर बुलाया था उनको। आज तक उसका स्टे है, आज तक उसका ही फैसला नहीं हुआ। आज जितने विषय आये हैं, कई विषय यहां पर ऐसे आये हैं, जिन पर अध्यक्ष का निर्णय और समिति का निर्णय होना जरूरी है। किसी भी एक माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा को समाप्त करने की बात करना, इतना अनुचित है, जिसकी जितनी निन्दा की जाये उतनी कम है। वह बहुत गलत बात है। फिर सदन में गलत बात कहना, यह और भी गलत बात है। लेकिन इतने प्रसंग आ गये हैं कि इनका निर्णय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन तुरन्त नहीं कर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सकता। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि यह जो विशेषाधिकार आया है, इस पर मैं मानता हूं कि अगर सदन को गलत सूचना इन्होंने दी है तो बहुत गलत काम किया है। लेकिन सारे फैक्ट्स, जब तक आप इनका परीक्षण नहीं करा लेंगे, तब तक इन फैक्ट्स पर कार्यवाही नहीं हो सकती। इसलिये वह सी.डी. देखना भी जरूरी है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने वह बात नहीं कही जो सदन में कही थी। वह सी.डी. प्रस्तुत हो गई है। इसलिये उस सी.डी. में भी देखना जरूरी है कि इन्होंने यहां क्या कहा और वहां क्या कहा।

एक मुद्दा अभी माननीय सदस्य ने उठाया था कि क्या हम सदन में कोई चीज को, मैं राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब से सहमत हूं कि मैंने भी इतने वर्ष में इसी सदन में बहुत से प्रसंग सुने हैं, फ्रीज करने का मामला पहली बार आया है। इसलिये जो चीज पहली बार सदन में आई है, उसका निर्णय भी उसी हिसाब से होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो फ्लैटरी तो करूंगा नहीं, आपने मना कर दिया। इसलिये मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि सदन में हम सब जो माननीय सदस्य हैं, उनकी व्यक्तिगत गरिमा भी है और इस सदन की गरिमा रखने का हमारा दायित्व भी है। इस सदन में हम उन मुद्दों को उठा सकते हैं, जो मुद्दे जनहित में हों और चाहे हमने ही यहां पर आरोप लगाये। सही कह रहे हैं कि हमने आरोप लगाये, कांग्रेस के माननीय मंत्रियों पर आरोप लगाये।

उपाध्यक्ष महोदय, दोनों प्रकार की हैं। गोविन्द सिंह जी, आपने दी, उसके अलावा भी यहां पर बहुत सी हैं। माननीय पूनमचन्दजी विश्नोई की इस मामले में बड़ी-बड़ी तीन रुलिंग्स हैं, बहुत पेज की हैं, इसलिये उनका भी अध्ययन किया जाना जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा यह आग्रह है कि विषय बहुत गम्भीर है और इस देश में कई बातों पर विशेषाधिकार का निर्णय हुआ है। स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधीजी को विशेषाधिकार के हनन पर उनकी मैम्बरशिप भी समाप्त की गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार के हनन पर उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने हाई-कोर्ट के 06 जजों को गिरफ्तारी के आदेश दिये और हाई-कोर्ट के जजों ने स्पीकर को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गिरफ्तारी के आदेश दिये। उसके बाद में तत्कालीन प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू जी को सुप्रीम कोर्ट को यह मामला रैफर करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने एक फैसला करके इस मामले में कहा कि न्याय पालिका विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी और विधायिका न्याय पालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अब जो स्थिति बनी है उसमें किसी की मैम्बरशिप को खतम करने की जब बात आती है तो विधायिका पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप होता है और स्टे मिल जाता है। इसलिये इन सारे प्रसंगों को देखते हुए, दोनों, माननीय राजेन्द्र सिंहजी ने, माननीय उप सचेतक महोदय ने जो प्रिविलेज का मोशन दिया है, वह गम्भीर प्रकृति का है और यह फ्रीज का मामला पहली बार आया है, और निर्णय भी दोनों प्रकार के हैं, इसलिये मेरा तो आपसे आग्रह है कि सारे विषय को आप अगर निर्णय करने के लिये सदन की समिति को भेजते हैं और समिति इस पर निर्णय करेगी तो उसका महत्व रहेगा। सारी की सारी बात आसन पर छोड़ देना, और वह सारी परिस्थितियों की जांच करेगी, वह सचिवालय में जो कुछ है उसकी भी जांच करेगी। इन्होंने जो कहा, उसकी भी जांच करेगी, उन्होंने जो कहा उसकी भी जांच करेगी। इसलिये मेरा तो विनम्र आग्रह यही है कि आज तक की परम्पराओं को देखते हुए कि आसन जो उदारतापूर्वक निर्णय करता है, उस निर्णय में, उसमें दण्डित करना होगा तो दण्डित भी होंगे, माफ करना होगा तो माफी भी होगी, जो भी समिति निर्णय करेगी। मैं तो आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि इसको आप समिति को भेजने का श्रम कराएं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सारा विषय जिस बात को ले करके पैदा हुआ, 273 का नोटिस नहीं दिया और विषय की चर्चा यहां हुई। उसके आधार पर ही आपने उस दिन की कार्यवाही को फ्रीज किया था। यह जो प्रिविलेज मोशन है वह केवल इतने ही बिंदु पर है कि जो चीज आपने फ्रीज की, उसका उन्होंने बाहर दुरुपयोग किया या नहीं किया। इसके लिये जो सी.डी. पेश की, या जो कुछ भी आपके पास आधार दिये हैं, उनका विश्लेषण करने के बाद ही यह तय हो सकता है कि वास्तव में जो फ्रीज किया, उसका बाहर उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। मैं सोचता हूं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कि यह तो पूर्णतया सारी प्रक्रिया आसन के ऊपर ही निर्भर करती है। तर्क इस बात का नहीं था कि 273 ठीक है कि नहीं है। इसके आधार पर ही फ्रीज हुआ था कि इसकी प्रोपर सूचना नहीं दे करके विषय को उठा लिया और विषय के सवाल और जवाब हो गये। इसलिये एक बार इसको रोक दिया गया। देखेंगे कि वास्तव में 273 ठीक प्रकार से सूचित हुआ कि नहीं हुआ। मैं सोचता हूं कि जो हमारा प्रिविलेज मोशन मूव है, वह इतनी ही बात पर है कि जिस चीज को यहां आपने फ्रीज किया उसका दुरुपयोग माननीय सदस्य ने बाहर किया है तो किन शब्दों में किया। क्या वही प्रोसीडिंग और उसी तरह की बात है। तब तो आसन को इस पर निर्णय लेने की पूर्णतया स्वतंत्रता है ही है, निश्चित रूप से। इसका विश्लेषण भी जब तक इन सब तथ्यों को ठीक प्रकार से एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक एकदम किसी आधार पर आप कोई निर्णय करने की स्थिति में आएंगे, यह उचित नहीं होगा। मैं सोचता हूं आप सारे डाकूमेंट ले लें और आप अपने स्तर पर इसका एनालिसिस करें। एनालिसिस के बाद यह लगे कि वास्तव में जिस चीज को हमने फ्रीज किया, उसका इन्होंने दुरुपयोग किया तो वह दण्ड के भागी इस विशेषाधिकार प्रस्ताव के अन्दर क्या निश्चित रूप से हैं, इतना ही निर्णय करना है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्रवण कुमारजी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो प्रिविलेज लेकर आये हैं, यह बात विधान सभा का दायित्व है, कोई भी ला सकता है। लेकिन माननीय घनश्यामजी ने जो बात बताई, 1985 में कोलायत से आने वाले सदस्य ने इतना भद्दा प्रदर्शन किया था, मुख्य मंत्री के ऊपर, उनकी लड़की के ऊपर। फिर भी उन्होंने माफ कर दिया था। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में +++ कोई ऐसा फैसला मत कर देना कि लोग कलंकित हो जाएं। तो इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि फैसला लेना है, कटारिया साहब ने कह दिया, घनश्यामजी ने, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय को, हम भी सीनियर सदस्य हैं इसलिए आपको निवेदन कर रहे हैं कि आपका सदस्यता को भंग करना, आपका जो भी दंड देना सर्वमान्य है, कोई मना नहीं कर सकता। पर थोड़ी

(श्री श्रवण कुमार)

देर पहले हमारे गोविन्द सिंहजी, जिस बात पर गर्म नहीं हो रहे थे, इनकी भाषा ही है यह, आप इसको गर्म मत समझना। यह भाषा ही बोलते हैं इस तरह और राजेन्द्रजी यह बड़े अच्छे मेनिपुलेटेड आदमी, इनको हम बुरा भी नहीं मानते हैं। यह कोई बात को घुमाने में इतने बड़े मास्टर हैं कि घुमा कर मेनिपुलेट ऐसी तैयार कर देते हैं कि कोई समझ ही नहीं पाता है। यह तो यही है इसलिए इनकी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी सभी बातों को निवेदन करते हुए, आपको निर्णय बहुत ही सॉफ्ट देना है। इतना हार्ड मत दे देना कि पहले +++ देते थे, कभी कोई पुरानी बातें आपको याद आ जाए और सारा मामला खतम कर दो, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को यह सूचित करना है कि भारत के आजाद होने के उपरांत +++ इस प्रकार का अगर कोई शब्द आया है तो उसको अपलिखित कर लिया जाए।

संवैधानिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और भारतीय संस्कृति के संबंध में जितने भी दृष्टांत आप लोगों ने प्रस्तुत किये हैं उनका अनुसरण करते हुए इस विधान सभा की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप ही निर्णय होगा।

अब इस विषय को यहीं समाप्त करते हुए आसन अपना डिसीजन रिजर्व करता है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक चीज में जरूर जानना चाहूंगी कि जो माननीय सदस्य ने यहां पर 273 के तहत बोला और वह बोलने के बाद उन्होंने प्रेस में जाकर बोला आपने उसको फ्रीज किया था क्या आप उसको डी-फ्रीज कर रहे हैं? बिकाज, वह तो कुछ भी आरोप लगा दिये, सारे बेस-लैस आरोप लगा दिये।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाओ, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो विषय जैसे कंक्लूड हुआ था वह तब तक वैसा ही कंक्लूडेड रहेगा जब तक आसन इस पर कोई निर्णय नहीं ले लेता और आसन अपना निर्णय रिजर्व कर रहा है। Status quo remains till a decision is taken. और मैं बहुत आदर के साथ सबसे निवेदन कर रहा हूं, Status-quo remains and people present in the House and people who are

(श्री उपाध्यक्ष)

viewing this proceeding kindly adhere to their democratic principles of the disciplines and etiquettes. इस विषय पर अब कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हां इस विषय पर नहीं कर रहे हैं। इस विषय पर नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस हाउस का अंतिम दिन है। एक मिनट, आज एक तरीके से एप्रोप्रिएशन बिल है, माननीय सदन की नेता भी जवाब देंगी इसके बाद में जैसा बी.ए.सी. में निर्णय लिया गया है कि आगे बाद में हाउस आएगा, अभी नहीं आ रहा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा प्रिविलेज मोशन भी, आपने कहा था कि अभी हम निर्णय देंगे कि अब आप पेश करे कि नहीं करें, वह निर्णय भी नहीं हुआ। फ्रीज वाला निर्णय भी नहीं हुआ। बाकी इन्होंने अवमानना की या नहीं, वह तो आपका विषय है, आप दोनों तरफ से, कमेटी में भेजे या स्वयं निर्णय करें, वह करें लेकिन जब तक डी-फ्रीज और फ्रीज का निर्णय नहीं होगा और एक इस बात का निर्णय नहीं होगा कि हमारे प्रिविलेज मोशन के बारे में आपने, आसन ने क्या निर्णय लिया क्योंकि तीन बज गये और अभी मैं समझता हूं कि शायद, एप्रोप्रिएशन बिल आएगा तो फिर कब यह निर्णय होगा? यह मैं ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, अब आप विराज जाएं। जहां तक प्रतिपक्ष के द्वारा एक प्रिविलेज मोशन को मूव करना है क्योंकि वह समय पर नहीं आया इसलिए यह अधिकार सम्माननीय अध्यक्षजी को, स्पीकर को है। वह इस पर जैसे भी निर्णय देंगे, आपको उस निर्णय से अवगत भी करा दिया जाएगा। हमने, इस पूरे विषय पर आपकी बहस को हमने समावेश कर लिया है और जैसे ही वह निर्णय आएगा, उससे आपको अवगत करा देंगे। आपकी इस प्रार्थना से हम स्पीकर को अवगत, आसन स्पीकर को अवगत करा देगा और शायद, मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी ही इस पर भी कोई निर्णय होकर आपको अवगत करा दिया जाएगा।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शेष प्रोसीडिंग्स जो आज हाउस की है उसको अपन ले लें और जो भी इसका निर्णय होगा वह आपको, आज ही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उस निर्णय का आज ही, आप, सदन को उससे अवगत करा देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह ठीक है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदेश सर्वोपरि है आपका, आसन का लेकिन जब हमारा प्रिविलेज मोशन अगर स्वीकार होगा तो स्थिति दूसरी बनेगी कि हम भी हमारे प्रिविलेज मोशन के ऊपर बोलेंगे। इनको तो अधिकार सबको मिल गया, हमें नहीं मिला तो समय रहते हुए यह निर्णय हो तो हमें अगर अनुमति मिलती है तो हम हमारी बात कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मैं अब आपसे निवेदन करूं कि प्रिविलेज मोशन पर तकरीबन आपने वह सारी बातें कह दीं। आपने तकरीबन-तकरीबन वह सारी बात कह दी क्योंकि यह निर्णय अध्यक्षजी को लेना है। मैं उनसे निवेदन कर दूंगा एंड यह मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस इश्यू को हम टोटल ही डिसिप्लिन्ड वे से कंक्लूड करना चाहते हैं। यह किसी व्यक्तिगत आक्षेप के अलावा भी इस सदन के डिसीप्लिन और सदन के करेक्टर से रिलेटेड है तो कोई भी चीज हो, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जल्दबाजी न करें। आसन को भी समय चाहिए और आसन उचित निर्णय लेगा मैं इसके लिए आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पर बोलने का तो मौका मिलेगा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर प्रिविलेज मोशन हमारा स्वीकार होता है तो हमें बोलने का मौका मिलेगा। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रिविलेज मोशन अगर हमारा स्वीकार होता है, असेप्ट करता है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से बाहर मीडिया में फ्रीज होने के बावजूद जिस प्रकार माननीय सदस्य पर आरोप लगाये हैं, उसके ऊपर तो हम अपनी बात रखना चाहेंगे और यह आज ही नहीं, यह अनेकों बार लगाते रहे हैं। ....(व्यवधान)....

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आरोप लगा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वह के वह आरोप आरोप वापस लगा रहे हैं। ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पता नहीं, विपक्ष के लिए तो क्या-क्या कहते हैं। छोटा, टुकड़ों में बंटा हुआ और पता नहीं कितनी बातें। आसन तो ....(व्यवधान)....

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): संसदीय कार्य मंत्रीजी के ऊपर फिर वापस आरोप लगा रहे हैं। क्या मतलब है, जब आसन ने व्यवस्था दे दी कि उसके ऊपर आपके प्रिविलेज मोशन के ऊपर व्यवस्था देकर निर्णय करेंगे। ....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन ने इतना बड़ा उपकार आप पर कर दिया है, रिजर्व किया है तो आप उनको, आसन को धन्यवाद दो और सत्ता पक्ष को भी धन्यवाद दो। सत्ता पक्ष को भी धन्यवाद दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धन्यवाद। धन्यवाद। आसन को क्यों नहीं देंगे, हम तो आपको भी दे रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामनारायणजी। (अनुपस्थित)

म. रणधीर सिंह भीण्डर, स्थगन प्रस्ताव पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन कर रहा था कि बिजनस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि पाँच बजे माननीय नेता सदन की, मुख्य मंत्रीजी विनियोग विधेयक पर उत्तर देंगी तो उस हिसाब से रेगुलेटेड फर्मा दिया जाए।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री उपाध्यक्ष: 295 को पढ़ा हुआ मान लें अगर आपकी अनुमति है?

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट- देखें।)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्रदेश में बलात्कार की बढ़ती घटनाएं

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के हिसाब से 18 से 44 वर्ष की महिलाओं में बलात्कार में राजस्थान सबसे टॉप पर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 30 से 44 वर्ष की आयु की ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: शांति बनाकर रखें।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): 30 से 44 वर्ष की महिलाओं के ऊपर बलात्कार के मामले में भी राजस्थान में 789 केस रजिस्टर हुए हैं, हम उसमें भी सबसे टॉप पर है। 2015 के रिकार्ड के हिसाब से जितने केस रजिस्टर हुए हैं 18 से 29 की उम्र के जो केसेज रजिस्टर हुए हैं, उसमें भी राजस्थान सबसे टॉप पर है।

महोदय, इन्सेस्ट के जो केसेज जो परिवार वालों द्वारा जो बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं उसमें भी राजस्थान में 98 केस दर्ज हुए हैं हालांकि, ऐसे केसेज दर्ज बहुत कम होते हैं।

महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इन सबके होने के बावजूद भी राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद में उसमें कुछ फेरबदल हुआ है और पुलिस भी सख्त हुई है, सरकार ने भी रवैया स्पष्ट किया और 2016-17 के बीच में 136 केस कम हुए यानी, कि 23.5 प्रतिशत केसेज कम हुए लेकिन इन दिनों, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ केसेज ऐसे हैं जिसमें मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी ज्यादा हो रही है और ऐसे केसेज आजकल मीडिया में काफी चर्चा का विषय रहते हैं। जैसे कि 7 साल की एक बच्ची का रेप करके रामनिवास बाग़ में मरने के लिए छोड़ दिया गया। हनुमानगढ़ में दिल्ली से एक बालिका को अपहृत करके लाए और उसको वेश्यावृत्ति के लिए बेच दिया गया।

(14.59 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

उदयपुर में एक टूरिस्ट आयी हुई थी, उसके साथ भी ब्यूटी पार्लर में छेड़छाड़ हुई। सभापति महोदय, जयपुर की प्रसिद्ध चोखी ढाणी में भी एक बालिका के साथ एक विदेशी नागरिक ने छेड़छाड़ की। सभापति महोदय, इस विषय को उठाने का मकसद यह है कि यह कैसेज तो होते हैं पर उस पर त्वरित कार्यवाही हो, इसके प्रति सरकार अपने पुलिस अधिकारियों को पाबन्द करे कि ऐसे कैसेज को प्राथमिकता से लेवे। जैसाकि अभी कोटा में एक मामला हुआ है, जिसमें 19 फरवरी को बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, 20 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज हुई, 22 फरवरी को आरोपित गिरफ्तार हुए, 23

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

फरवरी को कोर्ट ने जेल भेजा, 1 मार्च को चालान पेश हो गया और 17 मार्च को बयान दर्ज हुए और 24 मार्च को फैसला सुना दिया। यानी कि करीब 32 दिन में जो घटना हुई उसके बाद चालान पेश हुआ और सज़ा भी हो गयी तो निश्चित तौर से ऐसे केसेज में सरकार को पुलिस अधिकारियों को इस बात पर पाबन्द करना चाहिये कि ऐसे केसेज को प्राथमिकता के आधार पर लेकर जल्दी से जल्दी उनका कोर्ट में चालान पेश किया जाएं।

(15.00 बजे)

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि कोर्ट में भी हमको इनको फास्ट ट्रेक कोर्ट में डालना चाहिये। दूसरी एक बात और है कि इसमें जो सज़ा है, उसका प्रावधान बहुत कम है। सज़ा के लिये मध्य प्रदेश ने अभी निर्णय लिया है कि उनके मानसून सत्र में इस सज़ा को उम्र कैद की बजाय फांसी की सज़ा होनी चाहिये। ऐसा एक मानसून सत्र में वह विधेयक ला रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि हमारे यहां पर भी, क्योंकि दुष्कर्म बच्चियों के साथ हो रहा है, यह ऐसा जो करने वाले हैं, उनके मन में भय पैदा करने के लिये हमको भी ऐसा निर्णय जरूर लेना चाहिये कि इसमें सज़ा का प्रावधान और कठोर हो। दूसरा, बहुत से ऐसे केसेज भी रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें केस दर्ज होने के बाद मां-बाप समझौता कर लेते हैं या समझौता करने के बाद में वह बयान बदल देते हैं तो ऐसे केसेज में भी हमको त्वरित कार्यवाही करते हुए ऐसे मां-बाप के खिलाफ भी और झूठे मुकद्मे जो दर्ज कराते हैं, 182 में, उनके खिलाफ भी हमको कार्यवाही करनी चाहिये। मेरा इस सदन में ध्यान में लाने के लिये उठाने का मकसद यही थी कि एक तो सज़ा समय पर मिले, जल्दी मिले और जो फैसला कोर्ट दे, उसमें जो प्रावधान है, उसको भी फांसी की सज़ा जैसा एक कठोर कदम उठाने का प्रयास करें। यही मेरी आपसे इल्तजा है, बहुत बहुत सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, विषय की गंभीरता पिछले लम्बे समय से अनुभव की जा रही थी। इस प्रकार की छोटी बच्चियों के साथ इस प्रकार के अपराधों की संख्या निरन्तर बढ़ रही थी और इसीलिये दी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सैक्सुअल आफेंज एक्ट 2012

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

में इस एक्ट को लाने के पीछे जो मंशा थी, वह यही है कि इसमें प्रत्येक गतिविधि में सख्ती के साथ सज़ा दिलायी जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में 11 दिसम्बर, 1992 को बाल अधिकार पर आयोजित कन्वेंशन में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये सुझाये गये मानकों को भारत सरकार ने स्वीकार किया था। यह अधिनियम संविधान के आर्टिकल 15 के अंदर राज्यों के बच्चों के लिये विशेष प्रावधान करने के अधिकार के अन्तर्गत बनाया गया। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, यह जो मैं आपको कह रहा हूं, 19 जून, 2012 को हमारे यहां भी पास किया। इस अधिनियम में दंड की व्यवस्था तो है, केवल और केवल जो आपकी मंशा है कि इसको फांसी में कन्वर्ट किया जाए, इसके अलावा मैं सोचता हूं कि सख्त से सख्त सज़ा इसमें धारा 3 में की है। बालकों के विरुद्ध प्रवेश लैंगिक हमले की व्याख्या की गयी है। इसके लिये धारा 4 में कारावास की अवधि, वह व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति कोई भी ऐसे बच्चों के साथ अपराध करता है, उसमें सात वर्ष से कम नहीं है, किन्तु आजीवन कारावास तक भी उसको सज़ा दी जा सकती है। धारा 5 में बालकों के विरुद्ध गुरूत्तर प्रवेशण लिंगिक अर्थात् एक कैटेगरी तय की है, जो सरकारी महकमे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के जितने भी आफिसेज हैं, उनमें अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो सैक्शन 5 के अंदर उन्होंने कवर किया है। इसमें सज़ा 7 वर्ष की है जो कॉमन आदमी करता है। लेकिन इन ड्यूटी को, चाहे वह आर्मी हो, चाहे वह पुलिस हो, चाहे वह किसी आफिस में हो, चाहे और किसी प्रकार की घटना हुई है, या उनके द्वारा हुई है, तो उसमें 12 वर्ष कम से कम और धारा 6 और 10 में आजीवन कारावास तक की सज़ा इसमें है। यह बात सही है कि विभिन्न समय पर भी इस प्रकार के अपराध हुए हैं, इसमें कोई दोराय नहीं, अपराधों में कुछ कमी आयी है, यह बात भी सही है तो यह सारे के सारे इस एक्ट की हर धारा के साथ किस-किस प्रकार के अपराध को किस-किसमें डालते हुए उसकी पूरी सारणी बनायी हुई है, उसके तहत उनके खिलाफ होता है।

रहा सवाल यह कि तुरन्त सज़ा मिले। अभी आपने कोटा का उदाहरण दिया। यह एक तरह से स्पेशल है। पहले फास्ट ट्रेक कोर्ट थी और जब

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पिछले टर्म में भी इस प्रकार की घटना हुई, चाहे वह अपने यहां जयपुर में ही हुई, चाहे विदेशी महिलाओं के साथ हुई, हमने उसको 3-4 महीने में फास्ट ट्रैक में सज़ा दिलाकर आजीवन कारावास दिला दिया। लेकिन जब से फास्ट ट्रेक कोर्ट हट गयी, आज की तारीख में हम मजबूर नहीं कर सकते कि वह डे-टू-डे हियरिंग में ले, लेकिन हमने अपने डिपार्टमेंट को बिलकुल पाबन्द कर रखा है कि सात दिन के अंदर-अंदर इस चालान को पेश करना है। यह एक तरह से कह सकता हूं कि पुलिस ने भी इस प्रकार के अपराधों में जो छानबीन की है, वह 99 परसेंट अपराधी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। कुछ केसेज ऐसे हैं जिनके कारण से अभी सफलता नहीं मिली, लेकिन सदन को मैं यह आश्वस्त करता हूं कि जून, 2012 में जो एक्ट बनाया है, उसके तहत प्रोविजन सब हैं लेकिन हियरिंग का डे-टू-डे समय नहीं मिलने के कारण से कई बार इसमें डिले होता है और डिले होने के कारण से वास्तव में सज़ा का परसेंटेज जिस हाई लेवल पर जाना चाहिये, उतना भी नहीं जाता है। पक्षद्रोह भी होता है, निश्चित रूप से होता है। कोर्ट में पकड़ना तो हमारे लिये था तो हम पकड़कर तुरन्त कोर्ट में पेश कर देते हैं, पर चालान पेश करने के बाद कोर्ट की हियरिंग के बाद कई बार अभियुक्त इसका लाभ उठा लेता है तो बैठेंगे और इसके बारे में विचार करेंगे कि इस प्रकार से कोर्ट की कोई व्यवस्था हो कि इस प्रकार से छोटी बच्चियों के साथ या इस प्रकार का जो अपराध है, इसको कैसे हम डे-टू-डे हियरिंग में या भले ही दो महीने बाद ही हियरिंग शुरू हो, लेकिन एण्ड तक हियरिंग एक साथ चलकर उसका फैसला हो जाये ताकि उसमें गैप नहीं मिले तो उसके लिये विभाग बैठकर विचार करेगा। जहां भी, जो भी आवश्यक कार्यवाही करनी होगी, वह करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूं कि वास्तव में यह इतना भारी कलंक है और इन दिनों में जो आये दिन इस प्रकार की घटना सुनते हैं और जिस प्रकार से हमारे पास जो कागज आते हैं और जो पुलिस कार्यवाही करती है, बहुत ही निन्दनीय और अफसोसजनक हैं, लेकिन मनुष्य का भी पता नहीं स्तर किस तरह से जा रहा है कि ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस बच्ची ने अभी तक खेलना भी शुरू नहीं किया, उसके साथ इस प्रकार की घटना हुई है। मैं स्वीकार करता हूं लेकिन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पुलिस ने उन मुल्जिमों तक पहुंचकर गिरफ्तार किया है। कानून अभी नया-नया बना है, 2012 में बना है, उसमें सारे प्रोविजन हैं। केवल फांसी की सज़ा को छोड़कर बाकी हर प्रकार के जो भी अपराध हैं, उनमें आजीवन कारावास है।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री हनुमान जी बेनीवाल।

प्रदेश में परिवहन अधिकारियों द्वारा ट्रकों से अवैध वसूली

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, आज मैं नियम-50 स्थगन के माध्यम से परिवहन विभाग में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार से करोड़ों रुपये की राजस्व हानि होने का गंभीर मुद्दे पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। परिवहन विभाग के उस संरक्षण और अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध चैक पोस्ट गैर-सरकारी लोग चलाते हैं। सभापति महोदय, बहुत बड़ा गिरोह प्रदेश के अंदर पनप गया। हर कहीं हम देखते हैं कि लोग हाथ में डण्डे लेकर खड़े हो जाते हैं और ट्रक वालों और वाहन मालिकों के साथ सरेआम पिटाई करते हैं। कई गंभीर घटनाएं भी हुई हैं और कई मुकद्में भी थानों के अंदर दर्ज हुए हैं। सभापति महोदय, कोई ट्रक चालक अगर मंथली नहीं देता है तो वाहन जब्त करके महीनों तक ट्रक नहीं छोड़ते। गरीब ट्रक चालक का अधिक शोषण हो रहा है। सभापति महोदय, तीन टन तक ओवरलोड होने पर पांच चौ रुपये, तीन से दस टन तक ओवरलोड होने पर एक हजार रुपये तथा उससे अधिक है तो उसकी अधिक राशि सरकार को रेवेन्यू मिलता है मगर सरकार के खाते में पैसा न जाकर अधिकारी और इनके जो कर्मचारी हैं, वो पैसा ट्रक मालिकों से हाईवे के ऊपर सुबह से लेकर पूरी रात इन्होंने भारी लूट मचा रखी है। शाहजहांपुर, अलवर, रतनपुर, गुजरात बॉर्डर, माउंट आबू, मण्डार, मावल चैक पोस्ट पंजाब सहित कई स्थानों पर दस हजार से अधिक वाहनों से प्रति माह प्रति ट्रक दस हजार रुपये से अधिक की अवैध राशि लेकर ओवरलोड करने की एण्ट्री ये लोग कराते हैं जिससे भारी राजस्व की क्षति इस राजस्थान की सरकार को हो रही है।

सभापति महोदय, एक तरफ तो सरकार की योजनाएं बिना बजट के दम तोड़ रही हैं और दूसरी तरफ हजारों करोड़ का नुकसान बहुत भारी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

राजनीतिक संरक्षण के खुले आम इन अधिकारियों की मिलीभगत से पूरे राजस्थान के अन्दर।

सभापति महोदय, एक बार तो मैंने भी एक इंस्पेक्टर को पकड़ा था पिछली सरकार के अन्दर और उसको सस्पेंड भी किया था। वो खुलेआम पांच-दस आदमी लेकर, जो दूसरे लोग थे, जो सरकारी कर्मचारी नहीं थे उनको लेकर सड़क पर ट्रकों से चौथ वसूली कर रहा था।

सभापति महोदय, मकराना, लाडनूं व डीडवाना में 25-30 लोग गाड़ियों पर परिवहन विभाग लिख कर ट्रकों से अवैध वसूली करते हैं। 26.11.2016 को इस सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त के समक्ष ट्रक मालिकों ने शिकायत भी की मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सभापति महोदय, परबतसर, कुचामन, डीडवाना, लाडनूं, सुजानगढ़ में हाईवे पर ये फर्जी गिरोह मोबाइल नम्बर 9828071356 तथा 8890736431 पर बात करवा कर अवैध पैसा लेते हैं और यह नम्बर परिवहन विभाग के मंत्रालय के आदमियों के बताते हैं कि ये मंत्रालय के आदमी हैं, इनसे बात करो और आपको ये करना है। ए.सी.बी. ने भी ऐसे गिरोह को पकड़ा और चौंकाने वाले तथ्य सामने आये।

परिवहन का घोटाला, सभापति महोदय, अगर इसकी पूरी उच्च स्तरीय जांच हो तो खान घोटाले से भी बड़ा इस परिवहन विभाग का घोटाला है। सभापति महोदय, ए.सी.बी. के खुलासे में एक निरीक्षक मदन के खुद के रिश्तेदार के नाम 120 ट्रक होने की बात सामने आयी। 8 दिसम्बर को बिचौलिये भंवर लाल व सुरेन्द्र यादव की बातचीत में यह सामने आया कि ढाबों पर, मेडिकल स्टोर पर ट्रकों की अवैध वसूली को यह रखवाते हैं कि बैग फलाने ढाबे पर रख देना, उस मेडिकल स्टोर पर रख देना।

सभापति महोदय, 21 जनवरी, 2017 को ऐसे गिरोह के खिलाफ अजमेर जिले के गेगल थाने में मामला दर्ज हुआ मगर गिरोह के सरगना कोई मुश्ताक खान नामक व्यक्ति है, व सरकारी अध्यापक है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि वो +++

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसका नम्बर आर.जे. 37 यू.ए. 4888 है, उस गाड़ी में भी फर्जी परिवहन अधिकारी बन कर वसूली के मामले सामने आये। परिवहन अधिकारियों को सब पता है मगर कोई सामने आने को तैयार नहीं, सब आंख मूंद कर बैठे हैं।

सभापति महोदय, लोक परिवहन बसों के परमिट जारी करने में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ायी। उदाहरण के तौर पर जोधपुर के प्रादेशिक परिवहन विभाग के अधिकारियों ने 102 बसों के परमिट जारी किये मगर एक भी होल्डिंग स्थान तय नहीं किया। सभापति महोदय, 37 से अधिक सीटर क्षमता की तथा जी.पी.एस. सिस्टम लगाने की शर्त भी परमिट के अन्दर होना बतायी है मगर 35 सीटर बसों को भी लोक परिवहन का परमिट दिया जबकि 37 होनी चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक सैकिण्ड। 90 प्रतिशत बसों में जी.पी.एस. नहीं है और अधिकारी पैसा लेकर परमिट देते रहे हैं।

सभापति महोदय, इन पूरे मामलों की, जो मोबाइल नम्बर मैंने यहां पर दिये हैं, जिस स्कॉर्पियो के नम्बर दिये हैं, निश्चित रूप से सरकार का इनका संरक्षण है और वो +++ होने के नाम पर पूरे राजस्थान के अन्दर उन लोगों ने लूट मचा रखी है।

आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि हजारों करोड़ का जो रेवेन्यु लोस राजस्थान के अन्दर हो रहा है। किशनगढ़ से जो ट्रोले हैं, रोज उनकी बंदी, वो ट्रोले दिल्ली की तरफ जाते हैं, गुजरात की तरफ जाते हैं और एक-एक कम्पनी के दस-दस, बीस-बीस ट्रोले जो एक निश्चित मंथली देकर ...

श्री सभापति: हो गया, ध्यान आकर्षित हो गया। धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं इसके अन्दर आरोप लगाना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार की राशि +++ तक पहुंचती है। सभापति महोदय, यह मेरा आरोप है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री पूरणमल जी सैनी।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिस तरह की बात कही है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री वसुन्धरा जी की सरकार है और इस सरकार का सबसे पहला मिशन यही है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाय, भ्रष्टाचार को खतम किया जाय।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है राजस्व का लोस हुआ, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि विभाग द्वारा हमारी नियमित जांच होती है और विशेष अभियान चला कर भी इस पर कार्यवाही की जाती है। 2016-17 का जो वित्तीय वर्ष है इसमें विभाग द्वारा जो कार्यवाही की गयी, माननीय सभापति महोदय, ओवरलोड वाहन, माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों के विरुद्ध 93 हजार 829 चालान बनाये जाकर 105 करोड़ रुपये कि प्रशमन राशि वसूल की गयी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि जो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत ओवरलोड, अधिलंघन करने वाले जो वाहन चलते हैं उसके खिलाफ भी 4 लाख 17 हजार 907 चालान बनाये और 138 करोड़ रुपये की प्रशमन राशि वसूल की गयी।

यह इस बात का संकेत है कि लगातार, यदि किसी प्रकार के ओवर लोड वाहन चलते हैं या कोई अनियमितता की जाती है तो राज्य सरकार और विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से कार्यवाही की जाती है और उस पर निश्चित रूप से अंकुश लगा कर हम उस पर कार्यवाही करते हैं।

दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कही। ए.सी.बी. के अन्दर जो प्रकरण दर्ज हुए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें 18 प्रकरण दर्ज हुए और जिस अधिकारी के बारे में यह कहा है, विभाग के द्वारा इसमें कोई कोताही नहीं बरती गयी है।

माननीय सभापति महोदय, मदन मोहन की बात कही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि उसमें निश्चित रूप से एफ.आई.आर. दर्ज हुई, उस पर अभियोजन की स्वीकृति दे दी गयी। विभाग के द्वारा जो भी प्रकरण, जिन-

(श्री बाबूलाल वर्मा)

जिन अधिकारी या कर्मचारी के जो विषय विभाग के सामने आये, उन सब के आप फरमाएं तो मैं पूरा एफ.आई.आर. नम्बर बता सकता हूं।

यह सारे विषय मैं इस बात के लिए आपके सामने रख रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, कि जो चर्चा माननीय सदस्य ने की है, विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की राजस्व हानि नहीं हो, इस मामले में लगातार जांच की जा रही है। किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की कोई घटना नहीं हो, उसके बारे में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है विभाग की तरफ से मैं समझता हूं कि इसमें एक ठीक संदेश है और यह ही हमारी सरकार का लक्ष्य है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री पूरणमल जी सैनी। No debate at all....(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मैं तो जांच कराने की कह रहा था जो मोबाइल नम्बर और स्कॉर्पियो का नम्बर दिया है मैंने।

श्री सभापति: No. Should not be recorded.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

खेतड़ी के ग्राम जसरासर में दबंगों द्वारा दलितों पर जानलेवा हमला

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, आज विधान सभा की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर नियम 50 के तहत निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में ग्राम पंचायत जसरापुरा की ढाणी में दिनांक 26 मार्च शाम 8 बजे सुमित्रा देवी w/o ओम प्रकाश मेघवाल, दलित परिवार के बेटों को घीसा राम गूजर के कुएं के पास एक टोहिला ग्राम, माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र हरियाणा सीमा से लगता हुआ है और यह टोहिला ग्राम जो है वो हरियाणा में पड़ता है और हमारे विधान सभा क्षेत्र की बहुत रिश्तेदारियां उधर है तो हरियाणा के लोगों का वहां प्रवेश रहता है, हरियाणा के उस आदमी ने और वहां के लोकल लोगों की मदद लेकर और सुमित्रा के दो बेटों को रात में पीटा लेकिन वो कैसे-जैसे छुटा कर भाग गये। माननीय सभापति महोदय, अगले

(श्री पूरणमल सैनी)

दिन सुबह साढ़े आठ बजे सुमित्रा देवी के घर में घुस कर, एक स्कॉर्पियो गाड़ी आयी, जो एच.आर. नम्बर की थी और उसमें आठ-दस लोग सवार थे, जिनमें पांच-सात को तो वहां के लोकल लोग पहचानते भी नहीं थे, बीस-पच्चीस लोग आये ट्रेक्टर ट्रॉली में लद कर और उन्होंने उस घर के मुख्य दरवाजे को तोड़ा और अंत में जहां वो लोग रह रहे थे, उस घर के दूसरे दरवाजे को भी तोड़ा और उनके सामनों को खुद-बुर्द किया गया, इधर-उधर तोड़ा, फैंका गया। यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, उस सुमित्रा महिला को निर्वस्त्र करके, बिलकुल नग्न कर दिया गया और यहां तक नहीं रुके, उसके एक बेटे को कुएं के पास ले जाकर जांटी पर और फांसी के फंदे पर लटका दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय जब इसका जवाब देंगे, कर्मठ भी हैं और राजस्थान की जनता के लिए प्रोटोकोल में भी रहते हैं लेकिन माननीय मंत्री जी को समाचार सही नहीं दिये जाते हैं। पहले भी इन्हीं लोगों के द्वारा, मेरा विधान सभा क्षेत्र एक जाति विशेष का बड़ा बहुमत है और लगातार राज में रहते रहे, चाहे वो पार्टी बी.जे.पी. रही या कांग्रेस रही, उसके चलते उनको, बदमाशों को प्रोटोकोल मिलता रहा और जो आज भी, उनके हट जाने के तीन वर्ष बाद तक भी आये दिन इस प्रकार की घटनाएं वो कारित करते रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को अवगत करवाना चाहूंगा कि इसी थाना खेतड़ी नगर में पहले भी, एक वर्ष पहले एक तातीजा के गुप्ता परिवार के साथ रात में लाइटें काट कर उस पर आक्रमण किया गया। आज तक 120 बी के जो उसी मुकदमे के मुलजिम थे, उसी थानेदार ने जो लगाया था, वह वहां बैठकर के जाति विशेष को प्रोटेक्ट कर रहा है। हालांकि मैं समझता हूं कि यह मुकदमा दूसरे मामले में दर्ज हुआ है। उनके लेवल में नहीं आकर के डीवाईएसपी बुहाना इसकी जांच कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची। यह बात सही है।

माननीय सभापति महोदय, मारवाड़ी में एक कहावत है कि भूखा खाया पतिजे। आज तक उसी थाने के क्षेत्र में और पहले भी पूर्व में घटनाएं हो चुकी हैं, उन पर तो न सही, लेकिन आज 4 दिन बाद भी उन बदमाशों को किसी प्रकार से कोई हैरेस नहीं किया गया।

(श्री पूरणमल सैनी)

सभापति महोदय, वहां का जो लोकल समाचार है, टीवी, मीडिया पर भी आया, मैं उसके संबंध में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, इन्होंने कहा है कि जसरापुर ग्राम पंचायत में माता जी की ढाणी में एक दलित परिवार के घर में घुसकर मारपीट करने, तोड़-फोड़ करने व महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। परिवार के एक सदस्य को पेड़ पर बांधकर लटका दिया।

श्री सभापति: समाचार पत्र नहीं पढ़ें।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): सभापति महोदय, समाचार पत्र नहीं है। मैं इसके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इस मामले में पुलिस ने कोठी की ढाणी तन जसरापुर, मामचंद व मुकेश गुर्जर को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया। लेकिन तुरंत ही किसी दूसरे माननीय सदस्यों के प्रोटेक्शन व फोन पर आदेश करने के बाद उनको रिहा कर दिया गया। इस मामले में 10 लोगों के नाम नामजद हैं और 20 अन्य उसमें रहे हैं। इन नामों में मैं बताना चाहूंगा कि टोहिला का रमेश, ख्यालीराम, मुकेश, घीसाराम, सुरेश, सुमेर, राकेश, जयमल, कपूर चन्द, मेघाराम जाति गुर्जर, निवासी ढाणी खटाणा, जसरापुर, खेतड़ी थे। स्कार्पियो में जो लोग आए उनकी भी अभी तक तहकीकात नहीं की गई कि बाहर से जो लोग हरियाणा से आए थे, वह क्यों आए थे। उनके बुलाने पर अगर ऐसे ही आते रहेंगे तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि समस्त मुकदमों में इन दबंगों ने दलित परिवारों के साथ जो ज्यादती की है, इनमें अविलंब कार्यवाही हो। जिन लोगों ने यह दोष सिद्ध किया है उनको अंदर करके राजस्थान की जनता के साथ-साथ खेतड़ी की जनता को भी और उन दलित परिवार के लोगों को राहत दी जाए।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय काफी सेंसेटिव हैं।

श्री सभापति: हो गया। विषय ध्यान में आ गया।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): उसके बावजूद भी खेतड़ी की जनता और गरीब लोगों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, उन पर कृपा करके अविलंब पुलिस को इसके लिए सेंसेटिव करते हुए जनता को राहत दिलवाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, जो घटना खेतड़ी से आने वाले माननीय विधायक ने रखी है, लगभग वही है। घटना का प्रारंभ 26 तारीख को हुआ। किसी पोल से दोनों के कनेक्शन जा रहे थे। वहां इल्लीगल कनेक्शन भी डाल रखे थे। उसको इधर-उधर हिलाने से कोई कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया। उसके कारण से उनका आपस में झगड़ा हुआ। उस झगड़े में मेघवाल के बालक के साथ पिटाई कर दी।

दूसरे दिन जब मेघवालों की बस्ती के पास से यह जो गुर्जर समाज के बच्चे थे, मोटर साइकिल पर निकले। उन्होंने उनको पकड़कर के उनको पीटा। यह बात सच है। उसके बाद जैसे ही यह पीटकर के अपनी ढाणी में गए और एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लेकर के आए। इस मेघवाल परिवार पर हमला हुआ, मारपीट हुई, लगी है इसमें कोई दो राय नहीं है। मुकदमे हमने दोनों दर्ज किए हैं।

एक मुकदमा तो जो मेघवाल महिला है, उसने दर्ज कराया 55/17, उसने उन सब लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जो हमला करने आए थे। उनके खिलाफ 143, 342, 323, 452, 427, 379, 354, 3/110, एससी, एसटी एक्ट, एक तरह से मुकदमा जिन धाराओं में दर्ज होना चाहिए यह उन्हीं धाराओं में दर्ज हुआ है। एक मुकदमा जो 56 है, वह मेघवालों के खिलाफ दर्ज कराया कि उन्होंने भी हमारे साथ मारपीट की और उनका 56/17 मुकदमा दर्ज हुआ। वह 341, 323 सामान्य रूप से आपस में धक्का-मुक्की, मारपीट का है।

28 तारीख को मूलचंद और मुकेश गुर्जर इन दो को 151 में गिरफ्तार किया। आप जो बात कह रहे हो वह बिलकुल सही है। जिस दिन से यह घटना मेरे ध्यान में आई है, अगर आप मेरे टेलीफोन और मोबाइल निकालो तो मैंने 10 बार वहां के एस.पी. से इस बारे में बात की है कि इतने लोगों ने हमला किया। इतने लोगों ने उनके साथ मारपीट की तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 151 बनाकर के आपने इन दोनों को क्यों छोड़ा?

सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में वह दोनों गिरफ्तार हैं। बाकी भी जो इसमें मुलजिम हैं, उनको निश्चित रूप

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

से गिरफ्तार करेंगे। यह जो 151 बनाकर के छोड़ा और वापिस पकड़ा, इसके बीच में जो कुछ कमी नजर आ रही है, मैं इसकी भी जांच कराकर, चाहे वह किसी भी प्रकार का अधिकारी हो, अगर उसने पकड़ा है और इस प्रकार के संगीन अपराधों में पकड़ा है तो फिर 151 में जमानत लेकर के छोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? दुबारा वापिस उनको उन्हीं संगीन अपराधों में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, 2 लोग आज की तारीख में गिरफ्तार हैं। बाकी लोग भी जो इससे संबंधित हैं उनकी छानबीन करके निश्चित रूप से गिरफ्तार करेंगे। किसी को भी जो अपराधी है, छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगा।

श्री सभापति: नो डिबेट।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय मंत्री महोदय, यह बात आपने सही फर्मायी है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि वहां लगातार यह घटनाएं क्यों कारित होती हैं, इसका कारण यह है कि जो वहां इंचार्ज बैठे हैं, वह उनको बार-बार प्रोटेक्शन देते हैं।

श्री सभापति: आप यह अलग से बता देना। इस पर कोई डिबेट नहीं होगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपकी बात पर यहां से जाते ही उसको रिलीव कर दूंगा।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): ठीक है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

पर्ची के माध्यम से उठाए जाने वाले विषय।

माननीय सदस्य, श्री जीतमल जी खांट।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

माही बजाज सागर परियोजना क्षतिग्रस्त होने से बढ़ रही समस्याएं

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा जिले की माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा की 11 तहसीलों में से 6 तहसीलों और डूंगरपुर की 8 तहसीलों में से 4 तहसीलों के लिए यह परियोजना एक जीवन रेखा है। इस परियोजना के माध्यम से बांसवाड़ा जिले में राजस्थान गुजरात के संयुक्त सहयोग से इस बाँध का निर्माण हुआ। निर्माण के पश्चात् 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसका लोकार्पण किया।

इस बात को लगभग 35 वर्ष हो गए। आज जिस तरह से माही की नहरों की हालत है उसके संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि 20 अक्टूबर, 2016 को हमारे बांसवाड़ा जिले में माही जल वितरण समिति की बैठक हुई। उस बैठक में 2 नवम्बर, 2016 को बांसवाड़ा जिले में जल वितरण करने का तय हुआ। जिस कमेटी के माध्यम से यह फैसला हुआ कि 2 नवम्बर को बांसवाड़ा जिले में रबी की फसल के लिए पानी छोड़ दिया जाएगा। नहर का पानी चार चरणों में छोड़ने का तय हुआ। इसमें 120 दिन पानी देने का तय हुआ। जिसमें 21 दिन का हमारा क्लोजर था।

सभापति महोदय, इस नहर संचालन के दरमियान 12 नवम्बर, 2016 को हमारी विद्युत उत्पादन गृह फर्स्ट इकाई में टैक्निकल खराबी आ गई। जिसकी वजह से 16 दिन तक हमारी आरएमसी और एलएमसी से काश्तकारों को पानी नहीं मिल पाया। पर्याप्त समय में, लगभग 12 नवम्बर से 30 नवम्बर के बीच जब हमारे काश्तकारों का बुवाई का समय था उस समय काश्तकारों को समय पर पानी नहीं मिला, ठीक उसी तरीके से आरएमसी की मुख्य नहर, आरडी 27.20 किलोमीटर पर 22 मीटर की हमारी जो मुख्य नहर थी उसका पोर्शन टूटा जिसकी वजह से 19 दिन तक यह हमारी नहर टूटने की वजह से वहां के काश्तकार समय पर जिसको रबी का पानी मिलना था, नहीं मिल पाया, इस तरीके से लगभग 35 दिन हमारा आरएमसी और एलएमसी दोनों मुख्य नहरें हमारी प्रभावित रहीं। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इस बार बांसवाड़ा जिले के अंदर लम्बे समय से जिन नहरों का हम

(श्री जीतमल खांट)

जीर्णाद्धार करने की मांग करते आ रहे हैं, हमारी मुख्य नहरें टूटती हैं और समय पर हम लोग काश्तकार हैं, हम विधान सभा में बैठे हुए किसानों की सबसे ज्यादा वकालत करने वाले, चाहे वह पूर्व राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे दक्षिणी राजस्थान हो या उत्तरी राजस्थान हो, लेकिन रबी की इस बुवाई में समय पर पानी अगर नहीं मिलता है तो काश्तकारों की क्या हालत बनती होगी, यह सोचने वाला विषय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 35 दिन तक दो टुकड़ों में नवम्बर का समय निकल गया, दिसम्बर का समय निकल गया, आज अगर हमारे आरएमसी और एलएमसी के टेल के गांवों का अगर हम सर्वे करवाकर देखें तो बड़े पैमाने पर जहां पर घास, हमारा अनाज और पानी जिस तरीके से समय पर मिलने के बाद वहां पर काश्तकारों को बड़े पैमाने पर हमारे किसान की रबी की फसल का जो प्रोडक्शन होता था आज उस इलाके में टेल के इलाके में आप जाकर देखें तो लोग-बागों के लिए घास और पानी के लिए बहुत दिक्कत है, अनाज तो पकने का सवाल ही नहीं है। मैंने माननीय मंत्रीजी को बीच में जरूर हमारा पावर हाउस जो खराब हो गया, तकनीकी खराबी जो आई, तब आपका ध्यान आकर्षित करवाया था लेकिन मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि माही परियोजना में स्टाफ की कमी है, समय पर उसकी देखरेख नहीं हो पाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डूंगरपुर-बांसवाड़ा की जीवन रेखा के रूप में माही परियोजना के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारी नहरों का सुदृढ़ीकरण नहीं होगा तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र में लगभग जितना हमारा एरिया लाभांवित होता है, उतना अगर समय रहते हुए अगर इन नहरों का सुदृढ़ीकरण नहीं होगा तो बड़े पैमाने पर प्रभावित होने का हमें पूरा डर है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी 35 साल से पुरानी हमारी बड़ी नहरें हैं चाहे वे हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी हो या मुख्य कैनाल हो इतनी जर्जर हालत में आ गई जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जितना पानी हम नहरों के लिए छोड़ते हैं, लगभग 12 टीएमसी पानी यहां पर बड़े-बड़े नालों के माध्यम से बहकर समुद्र में चला जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि

(श्री जीतमल खांट)

राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी बांसवाड़ा का दो बार दौरा किया है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जितनी भी बांसवाड़ा जिले में अंदर जितनी भी बहबूदी जितना भी आदिवासी इलाके में आर्थिक हालात सुधरे हैं वह माही हमारे लिए मील का पत्थर बनकर हमारे सामने आई है। मैं चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में माही के जो हालात हैं वह बहुत बुरे हैं, उनको ठीक करने के लिए माननीय मंत्रीजी हमें जो भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवानी पड़े करावें और साथ में मांग करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी बांसवाड़ा की आरएमसी और एलएमसी टूटने के बाद में जिन काश्तकारों को पानी के लिए, घास के लिए, अनाज के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। मैं इस विषय में आपसे मांग करता हूं कि आप इनके लिए ऐसे गांवों का सर्वे कराएं और सर्वे कराने के बाद दस तक गिरदावरी में यह आंकड़ा सामने आएगा, ऐसे गांवों को आप अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करके रोजगार गांरटी का, सौ दिन रोजगार मिलेगा लेकिन राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि पचास दिन के और रोजगार के अवसर सृजित करके दें जिससे उस अभावग्रस्त क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, उस आदिवासी क्षेत्र, वहां घास, पानी और अनाज के लिए लोग मोहताज हो रहे हैं, मैं आपसे मांग करता हूं कि समय पर हमारी माही की स्थिति को ठीक किया जाए। हमारे बांसवाड़ा जिले के जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर सारा इलाका टेल पर आता है। चाहे आनंदपुरी का इलाका हो, चाहे बागीदौरा का इलाका हो, चाहे हमारा गढ़ी का क्षेत्र हो चाहे घाटोल का क्षेत्र हो, यह हमारी टेल की स्थिति है वह हम सबके लिए भयानक है। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने दो बार दौरा किया है, आपको हर बात बांसवाड़ा जिले की पता है, चप्पे-चप्पे का अनुभव है। हमारे राजस्थान के माननीय सिंचाई मंत्रीजी हैं वह भी बहुत गम्भीर और मृदु स्वभाव के व्यक्ति हैं, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि राजस्थान का हमारा सुदूर दक्षिण क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र आता है, आप समय रहते हुए इस माही परियोजना जो हमारी बहूउद्देश्यीय परियोजना है इसके लिए आप धनराशि उपलब्ध करवा कर यह जो हमारी जीवन रेखा, माही है इसके लिए आप हमें कुछ इस तरीके का सहयोग दें, अतिरिक्त धनराशि दें ताकि वहां रहने वाला आदिवासी है उसके जीवन में कुछ आर्थिक रूप से सुदृढ़ता आ सके।

(श्री जीतमल खांट)
बांसवाड़ा जिले में 850 से 1200 मिलीमीटर हमारा औसतन बारिश है, जितना राजस्थान के अन्य हिस्सों में नहीं होता है, बड़े पैमाने पर इन्द्र देवता मेहरबान होते हैं तो मैं चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के अंदर जो हमारा माही का जो हमारा बाँध है उसमें 77 टीएमसी हमारी भराव क्षमता है उसकी 64 टीएमसी पानी, 40 टीएमसी पानी गुजरात जाता है, शेष पानी हम बांसवाड़ा-डूंगरपुर के लोग उपयोग करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी हमें पूरी तरह से आश्वस्त करें कि बांसवाड़ा के माही परियोजना के जो भी नहरों की हालत जर्जर हो गई है उसको ठीक करवाएंगे और जिस तरीके से किसानों को इस बार पानी नहीं मिला है निश्चित रूप से 37 दिन तक पानी नहीं मिलता सरकारी लापरवाही भी रही है, अधिकारियों ने इसकी अनदेखी की है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभावग्रस्त क्षेत्रों का पूरी तरह से सर्वे किया जाए और सर्वे कराने के बाद में बांसवाड़ा जिले को अभावग्रस्त घोषित करके वहां पर 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने की मांग करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया है माही बजाज सागर की चाहे आरएमसी हो या एलएमसी हो चाहे आगे की वितरण प्रणालियां हों, काफी जीर्णशीर्ण हालत में है। इसके लिए हमने 20 करोड़ रुपए मंजूर किए थे जिनमें से 13 करोड़ 23 लाख रुपए के काम हो गए हैं और बकाया काम जून, 2017 तक करवा देंगे। बाकी की जो शेष नहर है उसके लिए हमने 110 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर दी है और वित्त पोषण के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने बताया कि इसमें कहीं न कहीं अगर कोई नेग्लीजेंस रही है, मैं आपके साथ चलूंगा, पूरे तंत्र को भी देखूंगा और वहां पर अगर किसी ने लापरवाही बरती है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री सभापति: थैंक्यू। माननीय सदस्य, कैलाशजी चौधरी।

बायतू के उपखण्ड कार्यालय का पूर्ण निर्माण तथा सार्वजनिक विश्राम गृह की स्वीकृति

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे बायतू विधान सभा क्षेत्र में बायतू उप खण्ड कार्यालय का पूर्व में जब हमारी सरकार थी, 2008 में स्वीकृत हुआ और उसके बाद में कार्यालय के भवन के लिए स्वीकृति भी जारी हो गई 2009 में, इसका निर्माण भी प्रारम्भ हो गया उसके बाद उसमें 15 लाख तक का काम हो गया उसके बाद वह निर्माण आज भी अधूरा पड़ा है जिसकी वजह से वहां के लोगों को क्योंकि अभी जो उपखण्ड कार्यालय बना हुआ है वह भीड़भाड़ वाले इलाके में बना हुआ है, इस वजह से वहां पर पहुंचने के लिए लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहां जो उपखण्ड कार्यालय बना है वह आधा अधूरा बना है उसके अंदर बजट के अंदर भी जिस तरह से प्रावधान किया गया था कि इसको लगभग 40 लाख रुपए का बनाएंगे तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो नए उपखण्ड कार्यालय बन रहे हैं उसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास उसका खर्चा आता है। तो, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नई तकनीक और नये नक्शे से जो उपखण्ड कार्यालय बन रहे हैं, उसके आधार पर वित्तीय स्वीकृति आप जारी करवाएंगे तो एक जो हमारे वहां पर अधूरा है वह भी पूरा हो जाएगा और नये उपखण्ड कार्यालय जिस तरीके से बन रहे हैं उस हिसाब से हमारे बायतू में उपखण्ड कार्यालय का काम जो अधूरा है उसको पूर्ण करवाएं।

इसके साथ में वहां जो लोग हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

दूसरा, मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे बायतू के अंदर सार्वजनिक विश्राम गृह नहीं है। कई वर्षों से वहां पर यह मांग होती आयी है और जो नोर्म्स होते हैं उन नोर्म्स को भी पूरा करते हैं। वहां उस क्षेत्र की आबादी लगभग 2 लाख से ज्यादा है। वहां कोई भी व्यक्ति बाहर से आते हैं या कोई अधिकारी आता है या कोई जन-प्रतिनिधि आते हैं तो उनको ठहरने के लिए न वहां होटल है जिसमें वे ठहर सकें। इसलिए वहां पर अगर सार्वजनिक विश्राम गृह होगा तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को

(श्री कैलाश चौधरी)

और जो भी अतिथि आएंगे उनको भी उसका फायदा होगा।

दूसरा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्व के अंदर देखें तो बायतू विधान सभा क्षेत्र के अंदर आज जिस तरह तेल निकलता है जिसके द्वारा हमारी राजस्थान सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 3 हजार से 5 हजार करोड़ का रेवेन्यू भी प्राप्त होता है और वहां काफी अधिकारी भी आते हैं। इसलिए बायतू के अंदर एक सार्वजनिक निर्माण विभाग का विश्राम गृह भी स्थापित हो और दूसरा अधूरा उपखण्ड कार्यालय है कब तक उसे पूर्ण कर देंगे। जो अधूरा है उसे पूरा करने की आप स्वीकृति जारी करें, यह मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जैसा कि बायतू से आने वाले माननीय सदस्य ने उपखण्ड कार्यालय के भवन की बात कही है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 2010 में 15 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी और उसमें कुछ काम हुआ था। जो मांग आपने रखी कि आज की तारीख में जिस तरह का नवीन उपखण्ड कार्यालय बन रहा है उसमें विभाग द्वारा 1 करोड़ 4 लाख का एस्टीमेट बनाकर डिपार्टमेंट को गया है और रेवेन्यू बोर्ड को भी भेजा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अपने राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता है उसके हिसाब से प्राथमिकता के आधार पर उपखण्ड कार्यालय भवन का हम लोग निर्माण कराएंगे।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने विश्राम गृह की, डाक बंगले की कही है, यह बात सही है कि बाड़मेर से 46 किलोमीटर की दूरी है। बाड़मेर में हमारा सर्किट हाउस है। इसमें आपके बायतू में भूमि की उपलब्धता और राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के हिसाब से निश्चित रूप से मैं यह आश्वासन देता हूं कि इस पर सरकार विचार करेगी और अग्रिम कार्यवाही करेगी।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य शकुन्तला जी रावत।

प्रदेश में शराबबंदी

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। राजस्थान प्रदेश की आज

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सबसे ज्वलंत समस्या है जो अच्छे-अच्छे घरों को बर्बाद कर देती है, वह है शराब।

सभापति महोदय, आपके द्वारा मेरा सरकार से अनुरोध है कि शराब कई घरों को कंगाल कर देती है। पूर्व विधायक माननीय छाबड़ा जी, जो शराब के कारण अनशन पर थे, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, इसका हर घर में जहर की तरह फैलाव है। सुबह से शाम तक कोई व्यक्ति मजदूरी करके आता है और शाम को वह शराब पीकर घर में पहुंचता है और अपने बाल-बच्चों का, परिवार का, किस तरह से उस परिवार में अशांति होती है। जो महिला पूरे दिन भर घरों में काम करती हैं या खेत पर मजदूरी करके वे शाम को घर पहुंचती हैं, अपना दाल-आटा, सब्जी लेकर और वहां शराब पीया हुआ उसको पति मिलता है, वह उससे मारपीट करता है, बाकी के पैसे भी छीन लेता है। इस तरह से अच्छे-अच्छे घर बर्बाद हो रहे हैं। शराब के नशे में वे अपने बच्चों, पत्नी को तो पीटते ही हैं, साथ में अपने बुजुर्ग मां-बाप को भी वे मारते हैं। इस तरह से गांवों में कई दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क पर अगर देखा जाए, आप सब इन चीजों से वाकिफ हैं, दुर्घटनाएं भी शराब के कारण अधिक होती हैं, खुद मरते ही मरते हैं, दूसरों को भी मार देते हैं। घर में जब भूखे मरने की नौबत आती है तो कई परिवार आत्महत्या कर लेते हैं, बच्चों समेत आत्महत्या कर लेते हैं। यह पूरे प्रदेश का एक बहुत बड़ा संकट है। गरीब आदमी का तो ज्यादा है। राजस्थान में भी गुजरात और बिहार की तर्ज पर इस तरह का कठोर बनाकर राजस्थान में सख्ती से लागू ताकि इस तरीके की घटनाओं से कोई घर बर्बाद न हो, कोई बच्चे बेघर न हों, कोई औरत विधवा न हो, कोई मां का लाल नहीं जाए। एक-एक घर में तीन-तीन पीढ़ियों तक विधवा औरतें, कई-कई गांव और ढाणी तो ऐसे हैं, कई मोहल्ले-गली ऐसे हैं जहां बहुत सारे परिवार में, 5-5, 10-10, 20-20 परिवार, विधवा महिलाएं हैं, बच्चे बेसहारा हैं। वे कचरा बीनने, मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पास में छोटे-छोटे बच्चे, शायद मेरी आज यह पर्ची पहली बार निकली है, गांव के छोटे-छोटे बच्चे मुझे चुपचाप पर्ची देकर गये। उसमें लिखा हुआ था, "सम्माननीय मैडम, हमारे पापा की

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

शराब आप छुड़वा देना। उनको हमारा नाम मत बनाना, नहीं तो वे हमें भी मारेंगे, हमारी मम्मी को भी मारेंगे और मेरी दादी को भी मारेंगे और हमें घर से बाहर निकाल देंगे।" बच्चों ने कहा, "ड्रेस, फीस, पैन, कापी के पैसे भी हमें नहीं देते हैं और हमारे घरों में रोजाना मारपीट होती है। ऐसी दुकानों को हटवा दें।"

सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है आप इसका कानून बनाएं। यह आवाज मेरी नहीं है, यह आवाज राजस्थान की उन दुखियारी महिलाओं की हैं, दुःखी मांओं की हैं जिनके बेटे शराब पीते हैं और दुःखी उन बच्चों की हैं जो उस घर में पढ़ नहीं पाते, उनको एक टाइम का अनाज भी नहीं मिलता। यह उनकी आवाज है। मैं उनकी आवाज को मेरे माध्यम से सदन के अंदर पेश कर रही हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप राजस्थान के उन गरीब बच्चों की, उन महिलाओं की, उन मांओं की इस आवाज को सुनें। मुख्यमंत्री महोदया से मेरा अनुरोध है कि शराबबंदी का राजस्थान में एक ऐसा कानून बनाएं जिससे हर घर खुशहाल होने की आप बात करते हैं, सबको खुशहाल करने की आप बात करते हैं। आपका यह नारा तभी सफल होगा जब गांव में दूर, मौहल्ले में, गली में बैठी महिलाएं और बच्चे सब सुखी होंगे। यह शराब बंद होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार इस तरह का कानून बनाए जिससे कोई भी व्यक्ति दुःखी नहीं हो और राजस्थान खुशहाल हो। राजस्थान के नजदीक बिहार और गुजरात में बंद है। कानून बनाने में कहां दिक्कत है? नये-नये कानून बना दिये जाते हैं तो उसमें इस एक कानून को शामिल करने में कहां दिक्कत है? मेरा तो अनुरोध यही है पूरे राजस्थान में करें नहीं तो बानसूर विधान सभा क्षेत्र में कम से कम महिलाओं से वोटिंग कराकर इस चीज को बंद किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'। एक मिनट विराजें आप। मंत्री महोदय रेस्पाड कर रहे हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, 23 तारीख को इस सदन में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, जो आज बानसूर से आने वाले माननीय सदस्या ने पर्ची के माध्यम से मामला

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)
उठाया, वह 23 तारीख को उठा है। राजस्थान के गृह मंत्रीजी ने बड़ा काम्प्रींहेसिव जवाब भी दिया था।

माननीय सभापति महोदय, शराबबंदी के बारे में जहां तक व्यक्तिगत रूप से और बाकी समाज के दृष्टिकोण से मोटे तौर पर सभी की राय है कि समाज में शराब की खपत कम होनी चाहिए और समाप्त हो जाए तो उससे कोई अच्छी चीज नहीं। हमारे संविधान के अंदर, आर्टिकल 47 के अंदर भी इस बात के लिए राज्य सरकारों को कहा गया कि धीरे-धीरे इस प्रकार के जो टॉक्सिक ड्रिंक्स, टॉक्सिक चीजें हैं उनको धीरे-धीरे हतोत्साहित करें ताकि वे धीरे-धीरे समाप्ति की ओर जाएं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान गुजरात के बाद और तमिलनाडु के बाद, मेरे खयाल से घनश्याम जी भाईसाहब, तीसरा राज्य रहा होगा जिस राज्य के अंदर पूर्ण शराब बंदी 1980 में की गयी। उससे पहले 1 अप्रैल, 1968 को गुजरात से राजस्थान की लगती हुई बॉर्डर के 25 किलोमीटर की स्ट्रिप के अंदर शराब बंदी की गयी थी। उस शराब बंदी को लगातार बढ़ाते हुए 1977 में हम चाहते थे कि राजस्थान की 6 तहसीलों में मदिरापान पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाए। 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब पहली बार सरकार बनी, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत यहां के मुख्य मंत्री बने तो हमने पहली बार पूरे राजस्थान प्रदेश में शराब बंदी लागू की।

लेकिन 1981 के अन्दर सरकार के बदलने के साथ ही शराब बन्दी का निर्णय बदल गया और उसका कारण यह नहीं था कि कोई सरकारी बदली थी, कारण यह था कि शराब बन्दी के माध्यम से जिन आब्जैक्टिव को हम प्राप्त करना चाहते थे उन आब्जैक्टिव की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई सभापति महोदय।

सभापति महोदय, यह सही है कि कई इस प्रकार की चीजें हैं जिनको केवल कानून के माध्यम से रोका नहीं जा सकता। हमने तो शराब बन्दी 1980 में की या हिन्दुस्तान की आजादी के बाद में की पर दुनियाभर के कई देशों ने शराब बन्दी करने की कोशिश की लेकिन उस शराब बन्दी करने की कोशिश के बावजूद पूरी दुनिया के अन्दर शराब बन्दी उस ढंग से सफल नहीं हो पाई जिस प्रकार से सफल होनी चाहिए थी। अमेरिका में तो बहुत

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

पहले नोबल एक्सपेरिमेंट के नाम से पूरे अमेरिका में शराब बन्दी की गई लेकिन उस नोबल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट नोबल नहीं आये। पूरे अमेरिका में जो शराब का माफिया पनपा और राजस्थान के अन्दर भी 1980 में जब शराब बन्दी की थी उसके बाद राजस्थान के अन्दर शराब के बड़े-बड़े माफिया पनपे। माफिया के पनपने से न केवल माफिया पनपा बल्कि अवैध शराब से यहां पर होने वाली मौतों की संख्या में इजाफा हो गया और आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत जितने अभियोग पंजीकृत किये जाते हैं उनकी संख्या में भी एकदम तेजी आई। इसलिए इससे साथ होता है कि शराब बन्दी राजस्थान के अन्दर कानून के द्वारा प्राप्त की जा सकती हो, यह मुश्किल है।

गुजरात में तो बहुत पहले से है। जब गुजरात से पहले बम्बई प्रदेश हुआ करता था और जब माननीय मोरारजी देसाई वहां के मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने बहुत पहले उस प्रदेश के अन्दर शराब बन्दी कर दी। बाद में जब बम्बई टूटा, गुजरात अलग बन गया, महाराष्ट्र अलग बन गया तो महाराष्ट्र में शराब बन्दी नहीं रही और गुजरात में शराब बन्दी आज भी लागू है। लेकिन साथ में यह भी सच है कि कम से कम हर रोज एक ट्रक राजस्थान की बोर्डर पर पकड़ा जाता है जो गुजरात जा रहा होता है। इसलिए केवल शराब बन्दी कानून के माध्यम से समाप्त हो पाये, यह सम्भव नहीं है। इसीलिए राजस्थान की सरकार ने शराब के कंजम्प्शन को कम करने के लिए एक संयम की नीति बनाई जिसके ऊपर राजस्थान की सरकार ईमानदारी से सख्त काम कर रही है। इस संयम नीति का प्रभाव आपने देखा होगा कि पहले कानून में यह प्रोविजन नहीं था कि शराब की दुकान स्कूल के आस-पास नहीं होनी चाहिए, मन्दिर के आस-पास नहीं होनी चाहिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि हाईवे पर 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, आज शराब की दुकान पर एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, शराब की दुकान सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही खुले, इस प्रकार के कई निर्णय सरकार ने संयम नीति के तहत लिये हैं। आई.ई.सी. की जा रही है। इस आई.ई.सी. के माध्यम से हम चाहते हैं कि

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

यह जो मीनेस है, शराब लोग अपने मन से छोड़ दें और जब तक शराब मन से कोई नहीं छोड़ेगा तब तक कानून उसको छुड़ा नहीं सकता। मैं समझता हूं कि यह सामाजिक बुराई केवल कानून के माध्यम से नहीं हटाई जा सकती। इसके लिए जैसा कि बानूसर से आने वाली माननीय सदस्या ने चिंता व्यक्त की है उस चिंता के आधार पर समाज का सभी तबका इस पर अगर ध्यान से सोचेगा, ध्यान से काम करने की कोशिश करेगा, अवेयरनैस पैदा करेगा, जैसे स्मोकिंग के बारे में माननीय घनश्याम जी भाईसाहब को बताना चाहता हूं कि मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था तब इस हिन्दुस्तान में स्मोकिंग बहुत ज्यादा थी, धीरे-धीरे स्मोकिंग के खिलाफ समाज में एक वातावरण बनने लगा और आज हिन्दुस्तान के अन्दर स्मोकिंग गिरी है। इसी प्रकार से अगर समाज में इस प्रकार का वातावरण बनेगा तो निश्चित रूप से शराब बन्दी, शराब बन्दी के कानून लाये बिना समाप्त हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमने कुछ प्रोविजन्स किये हैं। अभी कई जगह पर, जहां पर 50 परसेंट से ज्यादा लोगों ने कहा कि यहां शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए तो वहां शराब की दुकान हटा दी गई। आज भी अगर आपके बानसूर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 20 परसेंट लोग एस.डी.एम. को लिखकर देंगे कि यहां शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए तो एग्जामिन कराने के बाद में वोटिंग कराएंगे और वोटिंग कराने के बाद 50 परसेंट से ज्यादा वहां की जनता कहती है कि शराब की दुकान यहां पर नहीं होनी चाहिए तो शराब की दुकान नहीं होगी। साथ ही शराब की दुकान की अगर जगह बदलनी हो, जहां पर लोगों का विरोध हो तो विरोध के लिए भी प्रोविजन है कि कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जिसमें उस इलाके के एम.एल.ए. साहब उसके मैम्बर है और उस कमेटी के निर्णय के आधार पर शराब की दुकान की लोकेशन बदली जा सकती है, शराब की दुकान को बन्द किया जा सकता है। इस प्रकार से किस प्रकार से हम हतोत्साहित कर सकते हैं शराब के कंजम्प्शन को, इसकी कोशिश राजस्थान की सरकार कर रही है।

मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर अगर काम करेंगे और

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)
सरकार भी मिलकर काम करेगी तो आने वाले समय में हमें कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब तक मैं सोचता हूं कि ये जो हमने मद्य संयम नीति के तहत जो प्रोविजन्स हैं उन प्रोविजन्स का भी अगर पूरी तरह से इस्तेमाल किया, माननीय सभापति महोदय, पहले कोई आदमी सड़क पर शराब पी रहा है तो 50 रुपये का जुर्माना देकर छूट जाया करता था पर आज उस एक्ट में बदलाव किया गया है कि आज 500 रुपये, 5 हजार रुपये, 10 हजार रुपये की पैनल्टीज इम्पॉज की गई है। माननीय सभापति महोदय, ये पैनल्टीज केवल प्रिवेंटिव है। हमने डी.आई.जी. की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग कमेटी बनाई है, हमने दूसरे राज्यों के साथ में जोइंट इंस्पैक्शन की टीम बनाई है और हम इन सब प्रकार से इस बात को चाहते हैं कि हम किसी प्रकार से अवैध शराब और साथ में शराब पीने की प्रवृत्ति, यह शराब पीने की प्रवृत्ति किस प्रकार से समाज में कम की जा सके।

मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो जो मद्य संयम नीति के तहत हम जनता में अवेयरनैस पैदा करना चाहते हैं उस अवेयरनैस के माध्यम से आने वाले समय में एक ऐसी स्थिति पैदा कर पाएंगे जहां पर हमें शराब बन्दी की जरूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अन्दर, जिस प्रकार से 1980 के अन्दर शराब बन्दी लागू करने के बाद 1981 के अन्दर हमें शराब बन्दी की नीति को वापस लेना पड़ा तो ऐसी स्थिति दुबारा पैदा होना सार्थक नहीं होगा। इसलिए आज शराब बन्दी कानून के माध्यम से की जाए और मुंह की खाकर के फिर शराब लागू की जाए, ऐसी स्थिति न हो, इसलिए मैं समझता हूं कि वर्तमान स्थिति शराब बन्दी का कानून लाने की स्थिति नहीं है लेकिन जो मद्य निषेध की जो संयम करने की नीति है उस नीति के आधार पर काम करने में हम सब मिलकर प्रयास करें, इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। नो-नो, डिबेट नहीं प्लीज। नो डिबेट। श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एक मिनट सभापति महोदय। देखिये यहां पर डायन के कानून बने, थूकने के, गुटखे के, टॉयलेट के, इतने कानून बने तो एक स्वविवेक उनमें नहीं है क्या जो वो कानून बना दिये।

प्रदेश में सहकारी समितियों के निर्वाचित सदस्यों व अध्यक्षों के निर्वाचन में विसंगतियां

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको तहेदिल से धन्यवाद देता हूं। मैं को-आपरेटिव के माध्यम अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान में हो, पूरे देश में हो को-आपरेटिव बहुत बड़ी संस्थाएं हैं। जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है को-आपरेटिव के बारे में, किसान के बारे में काफी सोचा है। को-आपरेटिव का 'एक सबके लिए, सब एक के लिए', जो पूरे देश में को-आपरेटिव का मूवमेंट है, भले ही महाराष्ट्र लो, भले ही एम.पी. लो, भले ही राजस्थान लो, भले ही हरियाणा लो, भले पंजाब लो, को-आपरेटिव का बहुत बड़ा मूवमेंट है। राजस्थान में यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा जी बने हैं, पहले भी मुख्य मंत्री थे उस टाइम भी को-आपरेटिव के बारे में काफी चर्चा की, काफी सोचा क्योंकि वो भी एक किसान परिवार से है और हमारे मंत्री जी भी एक किसान हैं, किसान के घर में पैदा हुए हैं और वो भी को-आपरेटिव के बारे में काफी जानते हैं, काफी समझते हैं, किसानों का भला भी करते हैं और को-आपरेटिव के बारे में अच्छा ज्ञान भी है। जिससे उन्होंने को-आपरेटिव के बारे में काफी चैंजेज भी किया है और को-आपरेटिव के बारे में सोचते भी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि को-आपरेटिव में आज पढ़ाई के बारे में चर्चा हुई। चूंकि जो को-आपरेटिव मूवमेंट है वह पूरा किसानों का मूवमेंट है और गांव का आदमी जो लोन लेता है, जिसके जमीन होती है, जो पैक्स का हो लैम्प्स का हो, जो लोन लेता है उसके जमीन नाम होनी चाहिए। उसके घर और परिवार में उसका दादा हो, पिता हो या परदादा हो, उनके नाम पर जमीनें हैं और उन्हीं को लोन होता है जिनके नाम पर जमीनें हैं। वास्तव में आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40-50 साल पहले पढ़ाई का इतना प्रचलन नहीं था और उन्हीं आदमियों को शॉर्ट टाइम लोन हो या दूसरा जो भी लोन हो, उन्हीं को लोन दिया गया है। वो लोग इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि जो पढ़ाई का रूल आप लोगों ने लागू किया है वो पंचायती राज में किया है या

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

दूसरी जगह किया है वो पूरे राजस्थान में वास्तव में अच्छा मूवमेंट बना है। पर, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो पढ़ाई का मूवमेंट आप हाई नहीं करें क्योंकि गांव का जो किसान 70-80 साल का है जिसके नाम पर लोन है और वो ही को-आपरेटिव का, पैक्स का हो, लैम्प्स का हो, मार्केटिंग का हो, भण्डार का हो, भूमि विकास का हो, डेयरी का हो या को-आपरेटिव बैंक का हो या अरबन को-आपरेटिव बैंक का हो, सबका वो ही चुनाव लड़ सकता है। उसमें आप पढ़ाई-लिखाई जो आप रेगुलराइज कर रहे हैं उसमें इस मंच के माध्यम से आपको यही कहना है कि आप मिनिमम पढ़ाई डेयरी के लिए कम से कम 5वीं पास और पैक्स, लेम्प्स के लिए 5वीं, 8वीं, रखें और इससे ज्यादा हाई पढ़ाई आप लागू नहीं करें। अगर आप 5वीं और 8वीं पास करेंगे तो क्योंकि गांव का किसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए ऑल-ओवर को-आपरेटिव में अच्छी जागृति होगी, अच्छा काम होगा। आज ही मंत्री महोदय यह भी कहेंगे कि वास्तव में पढ़ाई डेयरी के लिए 5वीं पास और कोआपरेटिव मूवमेंट के लिए 8वीं पास ही रैगुलर रखेंगे।......

(16.00 बजे)

इसके अलावा इस मंच के माध्यम से एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, एक नया अधिनियम था, वह वास्तव में बहुत अच्छा अधिनियम था। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी किसानों के बारे में सोचती हैं। हमारे को-आपरेटिव मिनिस्टर हैं, वह भी उनके बारे में सोचते हैं पर मैं इसमें हल्का सा चेंज करने के लिए आपको कहूंगा। जब एम.पी. दो बार चुनाव लड़ सकता है, एम.एल.ए. दो बार चुनाव लड़ सकता है, प्रधान दो बार चुनाव लड़ सकता है, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच दो बार चुनाव लड़ सकता है, नगरपालिका का चेयरमैन दो बार चुनाव लड़ सकता है तो जी.एस.एस. अध्यक्ष हो या भण्डार का अध्यक्ष हो या मार्केटिंग बोर्ड का अध्यक्ष हो या डेयरी का अध्यक्ष हो या सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक का अध्यक्ष हो या अरबन को-आपरेटिव बैंक का अध्यक्ष हो, वे दो बार चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? इसको भी आप थोड़ा चेंज करें या आपने रेगुलराइज कर ही दिया तो पहले वाले को एक इकाई, पहले भी यह हुआ था कि दो संतान से तीसरी संतान

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

वाला चुनाव नहीं लड़ सकता है तो उसके लिए भी लोगों ने एप्रिशिएट किया। अब की बार इतनी शिथिलता देकर, इतना जरूर कराएं कि पहले जो भी चुनाव लड़ लिये हैं, उसको एक इकाई मानें और आइंदा जो चुनाव लड़ेगा, उसको दूसरी इकाई मानें। अब की बार इसके माध्यम से आप दो इकाई मानकर उसका चुनाव कराएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं क्योंकि आज की तारीख में लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज है और चुनाव होने बहुत जरूरी हैं। आज वास्तव में मंत्रीजी चुनाव कराना चाहते हैं, यशस्वी मुख्य मंत्रीजी भी चुनाव कराना चाहते हैं और लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार चुनाव भी करवाये हैं पर मंत्री महोदय, जो आज अपैक्स बैंक में प्रशासक है, सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक में प्रशासक है, अरबन को-आपरेटिव बैंक में प्रशासक है, भूमि विकास बैंक में प्रशासक है और बहुत से पैक्स लैम्प्स में भी प्रशासक हैं तो उन चुनावों को भी इन नियमों के आधार पर और नियमों में शिथिलता देकर करवाएं और आल-ओवर राजस्थान में आने वाले दिनों में को-आपरेटिव में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा और भारतीय जनता पार्टी सभी पैक्स लैम्पस, एपेक्स में या भूमि विकास बैंक, सभी जगह कब्जा होगा और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज यहां नौ सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी हैं। उन एपेक्स बैंक के भी आप चुनाव कराएं और सभी पैक्स लैम्प्स का भी चुनाव कराएं। मंत्री महोदय वास्तव में बहुत संवेदनशील हैं और हंसते हुए कह भी रहे हैं कि जो आपने कहा, उसकी पालना मैं करूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से तीन विषय उठाये हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राज्य में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 प्रभावशील है और वर्तमान में सहकारिता आंदोलन मजबूत हो, इसके लिए इस अधिनियम में हमने कुछ संशोधन किये हैं। पहला, आपने कहा कि दो टर्म जो रह सकता है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके बारे में माननीय

(श्री अजय सिंह)

सदस्य को बताना चाहूंगा कि यही माननीय सदन संशोधन कर चुका है विचार-विमर्श के बाद। दूसरी बात...

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): एक इकाई मानकर शिथिलता दे दो।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): ...माननीय सदस्य बहुत सोच-समझकर, सबसे विचार-विमर्श के बाद में, एकमत से यह निर्णय किया गया है कि जो भी सदस्य के रूप में लगातार दो बार के लिए निर्वाचित या सहयोजित किया जा चुका है, वह दूसरा कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से पाँच वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा और यह इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए ही ऐसा किया गया है।

दूसरी बात, आपने शैक्षणिक योग्यता की की है तो इसके लिए पंचायती राज में भी शैक्षणिक योग्यता का समावेश किया गया है और हमने इस संशोधन में यह तय किया है कि शैक्षणिक योग्यता का समावेश किया जाएगा और इसके बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि समितियों में काफी विविध तरह की समितियां हैं। कई छोटी समितियां हैं, कई बड़ी समितियां हैं, दुग्ध समितियां हैं, सीसीबीज हैं, हमारे बैंक्स हैं, हमारे भूमि विकास बैंक्स हैं, वे भी एक तरह से समितियां हैं और इसके बारे में मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इसका निर्धारण नियमों में किया जाना है जिसके व्यावहारिक पक्ष पर राज्य सरकार अभी विचार कर रही है। जल्दी से नियम बनाकर इसको आपको बताया जाएगा और उसके बाद में जो भी नियम होंगे, उसके बाद में चुनाव कराये जाएंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, बैठे बैठे नहीं बोलते हैं।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार विचार-विमर्श कर रही है और शीघ्र ही जो आपने कहा है और जो दूसरे माननीय सदस्यों से, और जो भी इस आंदोलन में ज्ञान रखते हैं, हमने उनसे भी चर्चा की है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने कहा न कि समितियां अलग-अलग स्तर की हैं। कोई छोटी समितियां हैं, बड़ी समितियां हैं और उनको ध्यान में रखते हुए ही शैक्षणिक योग्यता रखी जायेगी।

(श्री अजय सिंह)

दूसरी, चुनाव की बात कही है आपने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम सेवा सहकारी समिति सबसे प्रमुख हमारी फाउण्डेशन है और यह बहुत आवश्यक होता है क्योंकि इसके प्रतिनिधि दूसरी सहकारी संस्थाओं में चुनकर आते हैं। वह अपने प्रतिनिधि ग्राम सेवा सहकारी समिति वहां भेजती है और इसके लिए जरूरी है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव एक साथ हो। अभी 5,000 से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव वर्ष 2016 के दिसम्बर के अंत में और जनवरी, 2017 में ड्यू हुए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चूंकि एक साथ ये ड्यू हुए हैं और ये शैक्षणिक योग्यता के जो नियम बनाने हैं, ये नियम शीघ्र बनाकर सभी संस्थाओं के सरकार सहकारिता के चुनाव करायेंगी।

श्री सभापति: धन्यवाद। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना। श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, वित्त विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की एक अधिसूचना संख्या: एफ.24(6)वित्त/कर/2015-16 दिनांक27.03.2017, जिसके द्वारा राजस्थान दिवस के दौरान दिनांक 28 एवं 29 मार्च, 2017 को दिखाई जाने वाली कतिपय बाल फिल्मों को मनोरंजन कर से सशर्त मुक्त किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी। प्रतिवेदन।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) (वर्ष 2015-16)

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र), एवं

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2015-16)

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र).

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2017

श्री सभापति: विधायी कार्य, विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक, माननीय श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: माननीय श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री सभापति: हां, माननीय सदस्य।

सूचना

देशनोक नगरपालिका में सफाईकर्मियों का स्थाईकरण

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का और माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में देशनोक में विश्वविख्यात करणी माता का मंदिर है और वहां अभी 28 तारीख से नवरात्रा चालू हैं और देशनोक चूंकि नगरपालिका है और लाखों लोग वहां आ रहे हैं माननीय सभापति महोदय, और देशनोक की नगरपालिका के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जो आज से साढ़े तीन साल पहले 2013 में लगे थे, उन्होंने स्थाईकरण की मांग को लेकर वहां तीन दिन से कार्य बहिष्कार कर रखा है, धरना लगा रखा है और जिसकी वजह से देशनोक पूरे नगरपालिका क्षेत्र की और वहां का जो धार्मिक स्थान है...

श्री सभापति: विषय ध्यान में आ गया। ठीक है, धन्यवाद।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ..जो सफाई व्यवस्था है माननीय सभापति महोदय, वह पूरी तरह से बिगड़ चुकी है तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि तत्काल उनके साथ जो भी भर्ती किये गये थे डूंगरगढ़, बीकानेर में...

श्री सभापति: पाइंट आफ इन्फोर्मेशन में खाली इन्फोर्मेशन होती है। थैंक्यू।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): पूरे राजस्थान में सबको स्थाई कर दिया गया है तो उनको भी स्थाई किया जाये और उनको आश्वस्त किया जाएं और सफाई व्यवस्था और उनका धरना उठाया जाएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था, चूंकि वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक दोनों पर आज विचार भी होना है और पारण भी होना है और कार्य सलाहकार समिति की बैठक में यह तय हो गया था कि पाँच बजे इन सबका उत्तर भी माननीय सदन की नेता को देना है तो इसी हिसाब से रेगुलेट फरमाएं आप।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा की जा रही है, सभी माननीय सदस्य जिम्मेदार हैं, पूरी अपनी मर्यादा का पालन करेंगे। माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इतनी जल्दी तो मुश्किल ही हो पायेगा। बाद में बोल लेंगे।

श्री सभापति: बोलना तो अभी पड़ेगा। बाद में तो कहां बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दोनों पर एक साथ ही विचार प्रकट कर दें।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 व
राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दोनों में एक साथ ही करेंगे। दोनों का समय एक साथ मिला लो। धन्यवाद, संसदीय कार्य मंत्रीजी।

माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम तो इस बात के लिए कि आज राजस्थान दिवस के दिन हम इस वित्त विधेयक को और विनियोग विधेयक को पारित कर रहे हैं और राजस्थान दिवस को धूमधाम से मनाया भी जा रहा है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं नव संवत्सर की भी बधाई देना चाहता हूं। कारण क्या है माननीय सभापति महोदय कि नव संवत्सर के दिन ही राजस्थान का निर्माण हुआ था। वैसे राजस्थान का निर्माण 1949 में हुआ और आज 68 साल पूरे हुए हैं 68 साल में हमने जो तरक्की की है, जो सूचकांक है हमारी प्रगति का वो गर्व करने लायक है लेकिन यह जो इस बार का बजट हमारा आ रहा है जिस पर बहस हो रही है वो चुनौतीपूर्ण समय भी हमारे सामने आने वाला है। मैं सबसे पहले माननीय सभापति महोदय, आपसे और सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का निर्माण 30 तारीख को नहीं हुआ। राजस्थान का निर्माण नव संवत्सर के दिन हुआ।

श्री सभापति: एक सैकिण्ड माननीय सदस्य, विराजें। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कृपया यह बताएं कि राजस्थान का गठन एक ही चरण में एक ही तारीख को हुआ या अलग-अलग चरणों में गठन हुआ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जिस दिन घोषणा की गयी है 1949 की उसके बाद में दो और राज्यों का विलय हुआ, उसमें एक मत्स्य प्रदेश था जिसमें करौली, भरतपुर, धौलपुर और अलवर जिसके प्रधानमंत्री शोभाराम जी हुआ करते थे, उसका विलय बाद में हुआ और सिरोही का हुआ ऐसे सात चरण में राजस्थान का पूरा हुआ, लेकिन चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1949 वृहत राजस्थान की घोषणा कर दी इसलिए 30 तारीख को राजस्थान दिवस के रूप में हम मनाने लगे। बाकी सात चरणों में राजस्थान का निर्माण पूरा हुआ था और पहला चुनी हुई विधान सभा का अधिवेशन 1952 में हुआ और पहले वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री नाथूराम जी मिर्धा थे जिन्होंने 16 करोड़ रुपयों का राजस्थान का बजट रखा था जो आज 1 लाख 66 करोड़ है और एप्रोप्रिएशन में 1 लाख 85 हजार करोड़ रुपये का बिल हम लेकर आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो संदेश दिया था, वो संदेश मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि राजपूताना आज नये साल का प्रारंभ है। यहां आज के दिन साल बदलता है, शक बदलता है, ये नया वर्ष है तो आज के दिन हमें नये महा राजस्थान के महत्व को पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए। आज अपना हृदय साफ कर ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें राजस्थान के लिए योग्य राजस्थानी बनाए तो साफ था संदेश कि राजस्थान का निर्माण चैत्र शुक्ला एकम को हुआ था और चैत्र शुक्ला एकम ही राजस्थान बनने का दिन है और उस दिन चूंकि 30 तारीख थी इसलिए 30 तारीख मानी जाने लगी। मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करूंगा कि सरकार इस बात पर विचार करे कि वो चैत्र शुक्ला एकम को जिस दिन राजस्थान की स्थापना हुई थी उसी दिन राजस्थान का दिन मनाएं 30 तारीख के हिसाब से नहीं मनाएं। हम तारीख के हिसाब से कोई दिन मनाते भी नहीं। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं तो तारीख बदलती रहती है, जन्माष्टमी जन्माष्टमी के दिन ही होती है। जब हम रामनवमी मनाते हैं तो भगवान की नवमी रामनवमी के दिन ही होती है। जब हम और भी सारे काम करते हैं। अपने बड़े-बड़े महापुरुषों की जयंतियां जब मनाते हैं तो दीपावली मनाते हैं अमावस्या को कार्तिक में आती है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

होली मनाते हैं। नवरात्र स्थापन करते हैं। तीज करते हैं। गणगौर करते हैं। सारे जो त्यौहार करते हैं, यद्यपि हमने अंग्रेजी कैलेण्डर को स्वीकार किया है अपने राजकार्य के लिए, लेकिन हमारे रीति रिवाज, हमारे संबंध सारे के सारे आज भी भारतीय कैलेण्डर से जुड़े हुए हैं।

अब इसमें एक फर्क है माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आपसे निवेदन करूं कि हमारा जो ये कैलेण्डर है, इस्लामिक कैलेण्डर चाँद से है 354 दिन का। यह कैलेण्डर है 365 दिन का अंग्रेजी कैलेण्डर जिसको हम मान कर चलते हैं और हमारा जो कैलेण्डर है वो सूर्य से, चाँद से और नक्षत्रों से तीनों से मिल कर है इसलिए नासा ने भी विश्व के अन्दर एकदम सही कैलेण्डर इसको माना है, क्योंकि हमारे यहां पन्द्रह दिन में पूर्णिमा होती है, पन्द्रह तारीख को पूर्णिमा नहीं होती है। हमारे यहां अमावस्या होती है तो जिस प्रकार से अमावस्या और पूर्णिमा होती है एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे परसों मैं सदन में नहीं था इसलिए कि नवरात्रा स्थापना थी, लेकिन वो ही नवरात्रा स्थापना काशी में कल था और कल हमारे चेटीचंड की छुट्टी थी नवरात्रा स्थापन की। वो क्यों हुआ कि सूर्य उदय राजस्थान में और उसमें 45 मिनट का फर्क है काशी विश्वनाथ में इसलिए उदय तिथि को हमारे यहां नवरात्रा स्थापन मानते हैं तो उस दिन वहां पैंतीस मिनट तक सूर्य उदय के बाद में एकम रही इसलिए काशी जी में एकम कल थी और हमारे यहां परसों 28 तारीख को थी इसलिए ये जो इस प्रकार की काल गणना है वो विश्व के किसी कैलेण्डर में नहीं है और यह सृष्टि का सम्वत भी है और हम इसको कलयुग के प्रारंभ का सम्वत भी मानते हैं। कलयुग के प्रारंभ को 519 वर्ष पूरे हुए और विक्रम संवत् के नाम से संवत हुआ। मैं राजस्थान से इसका संबंध जोड़ना चाहता हूं। विक्रम संवत क्यों हुआ, विक्रमादित्य उज्जैन के ऐसे राजा हुए थे, जिन्होंने शकों को मार कर भगाया, भारत की सीमा का विस्तार किया और सम्पूर्ण भारत को कर्ज से मुक्ति दी। यह राजस्थान जब बना जैसा आपने प्रश्न पूछा था, बनने के बाद में इसकी सीमा का विस्तार हुआ। बनने के बाद में पूरे इसमें चार राज्य जुड़े और सात चरणों में जाकर पूरा हुआ सीमा का विस्तार हुआ।

जहां तक कर्ज की बात है, सभापति महोदय, आप तो जानते हैं कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राजस्थानी युवकों ने जो कर्ज भारत माता का था वो कर्ज चुकाने का काम किया। आज राजस्थान के हर गांव में आप जाकर देख सकते हैं कि बीस से चालीस वर्ष के बच्चों की शहीद के रूप में मूर्तियां लगी हुई हैं। तो राजस्थान के लोगों ने वो कर्ज से मुक्त नहीं हुए होंगे, लेकिन भारत माता का कर्ज उतारा है और एक हजार किलोमीटर लंबी सीमा अगर सबसे सुरक्षित सीमा हिन्दुस्तान में किसी की मानी जाती है तो वो राजस्थान की सीमा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे विक्रम संवत् की स्थापना हुई उसी प्रकार से राजस्थान संवत् की स्थापना होनी चाहिए। इसका कारण समझाता हूं कि महाराष्ट्र में संवत् अलग है पड़वा पूड़ी कहते हैं। यह विक्रम संवत् चैत्र शुक्ला एकम को वहां संवत् होता है लेकिन वो महाराष्ट्र का संवत् है। चार प्रान्तों में उड़गी, तमिलनाडु, केरल सबमें चैत्र शुक्ला एकम को ही होता है लेकिन वो वहां का संवत् है और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 68 साल हो गये हैं तो राजस्थान संवत् 68 होना चाहिए और राजस्थान का संवत नया संवत् चालू होना चाहिए और इसी दिन से हमारा राजस्थान दिवस मनाया जाना चाहिए। एक तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति की दिशा बदल रही है, बजट के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं। हम कई बार यहां चर्चा करते हैं गरीबी उन्मूलन की योजनाओं की, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने इस देश की दिशा को बदल दिया। राजनीतिक और आर्थिक दोनों दिशाओं को बदला है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह आंकड़ा हमारे पास आया नहीं। अगर हम करेंगे तो दिशा का हमें पता लगेगा। प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना प्रारंभ की। पिछले दो वर्षों में राजस्थान में इस मुद्रा योजना से 12494 करोड़ 47 लाख रुपये का लोन मिला और 23 लाख नौजवानों को इसमें ऋण मिला। यह पता नहीं चला किसी को। लोग कई बार कहते हैं कि यू.पी. में अन्दर ही अन्दर क्या हो गया। यह अन्दर ही अन्दर हुआ, 23 लाख नौजवानों को अगर चुपचाप लोन मिलता है तो यह बहुत-बड़ी बात है जो भारत सरकार ने की है।

दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हम गैस के बारे में कितनी बातें करते

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

थे। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि जो सक्षम लोग हैं वो सब्सीडी छोड़ें। एक करोड़ से अधिक लोगों ने सभापति महोदय, सब्सीडी छोड़ी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और उसका परिणाम क्या हुआ, 15 मई, 2016 को जो योजना लागू की थी, मार्च, 2017 तक 12 लाख कनेक्शन गरीब आदमियों के घर में बिना पैसे पहुंचे, 12 लाख लोगों को यह पहुंचाया गया। बैंक खातों के बारे में बहुत मजाक उड़ायी गयी। शून्य पर खाता खोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गरीब की मजाक उड़ाने की कोशिश की। कुल 1 करोड़ 93 लाख बैंक खाते खोले गये राजस्थान में, 5225.66 करोड़ रुपये इनमें जमा किये गये। शून्य से खोले गये खातों में 5225.66 करोड़ रुपये अगर उस गरीब के जनधन खाते में जमा हो गया तो क्या सभापति महोदय, इसको भारत की आर्थिक व्यवस्था का परिवर्तन का आगाज नहीं कहेंगे क्या? यह उस गरीब के लिए बन रही है और हमको भी उसी लाइन पर विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार इसमें किस प्रकार से काम करेगी।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के सामने चुनौतियां हैं। तीन चुनौतियां बड़ी हैं जो इस बजट में हमारे सामने चुनौती के रूप में रहेगी। भारत में गरीबी, दुनिया की गरीबी का तीसरा हिस्सा भारत में रहता है और उसके हिसाब से एक करोड़ तीन लाख लोग 6 करोड़ 85 लाख में से राजस्थान में गरीब हैं, ...

जिनकी एक हजार रुपये महीने से ज्यादा इन्कम नहीं है, यह विश्व बैंक के आंकड़े हैं और यह भारत सरकार के भी आंकड़े हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि दस करोड़ लोगों को शुद्ध पेयजल हिन्दुस्तान में उपलब्ध नहीं है। 1600 व्यक्ति प्रतिदिन दूषित पानी पीने से बीमारियों से ग्रसित होते हैं और 5.50 लाख लोग मर जाते हैं क्योंकि हम उनको साफ पानी उपलब्ध नहीं करा पाते, यह दूसरी चुनौती हमारे सामने है। इसी प्रकार राजस्थान में जो भू जल है उसमें पोटेशियम फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर 16 परसेंट जल के अलावा इनमें इस प्रकार की सारी चीजें उपलब्ध हैं। यह तीन चीजें हमारे सामने हैं। इसी प्रकार चिकित्सा में भी देखें तो एक हजार व्यक्तियों पर भी एक बैड राजस्थान में उपलब्ध नहीं है। विश्व का मानक 3.5 बैड है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भारत का 2.5 है और राजस्थान का 0.9 है, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे सामने चुनौती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे सामने चुनौती है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में 50 वर्ष पिछड़ा हुआ है। और अगर इसी प्रकार हम खर्च करते रहे तो 6 पीढ़ी लगेगी हमें दुनिया के बराबर आने में। यह जो हमारा बजट है वह इन बातों को डील करके इनके ऊपर ध्यान करके बनाया गया है, उस बात पर हमको ध्यान करना पड़ेगा, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, यह जो सूचकांक है, यह हमारे लिये सबसे बड़ी बात है। हम इस सूचकांक को इस रूप में देखें तो हमारे एक बहुत बड़ी समस्या आज पैदा होती है। कांग्रेस को लाभ मिला पैट्रोलियम के भाव बढ़ रहे थे, पैट्रोलियम से उनको बहुत रायल्टी आई, लेकिन पैट्रोलियम पदार्थों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमी आई उसके कारण हमारा रेवेन्यू कम हो गया। हमारा पैट्रोलियम पदार्थों का 51.7 परसेंट रेवेन्यू हमारा 2015-16 में कम हुआ। इसी प्रकार कर भिन्न राजस्व है, नोन टैक्स रेवेन्यू वह भी हमारा लगातार तीन साल से गिरा। 2014-15 और 2016-17 में 2300 करोड़ की कमी आई, 2014-15 राजस्व घाटा 5994 करोड़ हो गया, राजकोषीय घाटे को भी एसडीपी के 3 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत रखने में विफल रहे। चिंतनीय बात है उदय रहित 3.41 है और उदय सहित 9.36 परसेंट जीडीपी का हो गया। यह हमारे लिये एक बहुत चिंताजनक मानक है, जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। राजस्व प्राप्तियों के अनुमान में भी करीब 10 परसेंट राजस्व हमको कम प्राप्त हुआ है, सरकार के लिये यह चुनौती का काम है। सभापति महोदय, इसलिए मैं कहूंगा कि मैं बजट के और अधिक आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं। मेरे पास कैग की रिपोर्ट भी है, सीएजी की रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि मंदी आई है। रियल एस्टेट में मंदी आई है, और कामों में मंदी आई है। इसके लिये फाइनेंस बिल में व्यवस्था भी की है स्टांप ड्यूटी पर जो सारी छूट दी गई है, सरकार ने इसीलिए ही दी है कि रियल एस्टेट को बढ़ावा मिल सके। ...(व्यवधान)... हनुमान जी का उप नाम ही घोटाला कर देंगे। वैसे घटाला होता है, जाटो में एक जाति घटाला है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): घोटे वाला ठीक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): घोटे वाला कह दो, चाहे घटाला कह दो, बात एक ही है, हनुमान ही है उनका नाम। मैं दूसरी बात जो करना चाहता हूं कि आज समाज में कई प्रकार की परेशानी पैदा हो रही है, जिस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हृदय परिवर्तन भी हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हुआ है, हृदय परिवर्तन हो गया।

श्री सभापति : श्रवण जी विराजे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरे हृदय परिवर्तन का कारण आपको थोड़े दिनों बाद समझ में आएगा। वह समझ में आ जाएगा, उसमें ज्यादा लंबा समय नहीं है, थोड़ा धैर्य करो। माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि सामाजिक रूप से भी हमें कुछ चिंतन करना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा कि अपराध के आंकड़ें कम हो रहे हैं, लेकिन सामाजिक रूप से जो तनाव पैदा हो रहे हैं, सरकार का सबसे बड़ा कन्सर्न भी वह है। कितनी हत्याएं, आत्म हत्याएं पढ़ने वाले बच्चे कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा सामाजिक तनाव का कारण बन गया है। हर मां बाप यह चाहता है कि उसको कोचिंग कराए और वह इंजीनियर ही बने, मैं कहता हूं कुछ भगवान पर भी छोड़ो। रवीन्द्र नाथ टैगोर को जब स्कूल में भर्ती कराया तो वह भाग गये। उन्होने कहा कि स्कूल तो एक जेल है। वह गये ही नहीं, उनकी स्कूली शिक्षा हुई ही नहीं और नोबल पुरस्कार भी मिला, भारत का राष्ट्रगान भी लिखा और वह रवीन्द्र नाथ टैगोर भी हो गये। तीन ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जो पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा रणजीत सिंह जी और अकबर ...(व्यवधान)... गुरु नानक देव जी, यह लोग तो, और गोलमा देवी जी ...(व्यवधान)... अगर यह गोलमा जी नहीं हो तो किरोड़ी लाल जी की रक्षा ही कौन करे। यह भारतीय लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है गोलमा जी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): भाई साहब, वह भी बता दो जो आपने बताया था कि बुलाया और चले आये, आपने जो भाषण दिया था।

श्री सभापति: प्लीज, व्यवधान नहीं करें। आप कंटीन्यू करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां कर रहा हूं। मैं एक मीटिंग में गया हुआ था तो मैंने इतना सा ही कहा था कि राधा राधा पुकारो बिहारी चले आएगे और गोलमा गोलमा बोलो किरोड़ी चले आएगे।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो गृह क्लेश है इसको हमें रोकने का प्रयत्न सामाजिक रूप से करना पड़ेगा, सरकार का यह बड़ा कन्सर्न है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जो यह आत्म हत्या करके मरते हैं, ट्रेन से कटकर मरते हैं, हमको एक सामाजिक जागृति का काम करना पड़ेगा। ज्यादातर यह बच्चे-बच्चियां जो लव मैरिज करना चाहते हैं और घर वाले रोकना चाहते हैं, उनके कारण से स्थिति पैदा होती है, इस पर भी हमको काम करना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में तो 8 प्रकार के विवाह हैं। सारे विवाह मान्य हैं, ब्रहम विवाह है, देव विवाह है, आर्य विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, असुर विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है, भारत का नाम दो कारण से भारत पड़ा, एक तो शकुन्तला और दुष्यंत...

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपने कौनसा विवाह किया है?

श्री सभापति: मोहन लाल जी, विराजे प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं करता थोड़े ही हूं, मैं तो विवाह कराता हूं। ...(व्यवधान)... और दुबारा भी कोई करना चाहे उनका भी मेरे पास .....(व्यवधान)...

श्री सभापति: यह विषय बड़े गंभीर हैं, माननीय सदस्य गंभीरता से सुनें, इसको हल्के में नहीं लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गंधर्व विवाह शकुन्तला और दुष्यंत का हुआ और उनका बेटा भरत हुआ, तो उसका नाम भारत हुआ। हमारे यहां इन सब विवाहों को मान्यता है। सामाजिक रूप से बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा है कि भारत में यदि अंतरजातीय विवाह करने वालों को आप आरक्षण कर देते हैं तो भारत की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम जो जनप्रतिनिधि हैं, हमको निश्चित रूप से इस बात का ध्यान करना चाहिये कि हम इन सामाजिक तनावों को भी दूर करने में अपना योगदान करें और जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर लोगों को सोचने और काम करने की बात करें, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। राजस्थान दिवस है इसलिए मैं यह बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज श्रवण जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दूसरा मैं एक बात की और सरकार का गंभीरता पूर्वक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पर्यावरण और जंगल के बारे में। यहां तीन बार चर्चा उठ गई और माननीय मंत्री गजेन्द्र सिंह जी ने स्टेटमेंट भी दे दिया कि सरकार किसी प्रकार से जंगलों को किसी को देना नहीं चाहती, लेकिन इस बात को बिलकुल स्पष्ट करने की आवश्यकता है, यह पृथ्वी, यह जल, यह वायु, यह आकाश, यह पवन, यह किसी भी नेता की, किसी भी सरकार की, किसी भी राजा की जागीरदारी नहीं होती। यह भारत की भावी पीढ़ियों के लिये हमको सुरक्षित करना है। मैं एक वीडियो की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करुंगा, वाल्मीकि थापर का एक वीडियो इस समय बहुत प्रचलन में है जिसमें “Future of Indian Wildlife lies in wildlife tourism” के संबंध में है। उस वीडियों में उन्होंने कहा है कि हमारी राजस्थान सरकार से बातचीत हो गई है और राजस्थान सरकार से हमारी चर्चा चल रही है।

उन्होंने इन पाँच का नाम लिया, राजसमंद, उदयपुर, सवाई माधोपुर, स्मृति वन (झालाना), ये जो तीन नाम लिए। इनमें हम पी.पी.पी. करना चाहते हैं। मैं बहुत विनम्र शब्दों में सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जल महल का काम गलत था। यह कांग्रेस ने किया। हमने उसका विरोध किया। इसी प्रकार से हमारे जंगलों को कोई पी.पी.पी. पार्टनरशिप में देने की आवश्यकता नहीं है। ये राजस्थान की जनता की धरोहर है। हम ट्रस्टी के रूप में इसकी रक्षा करें, यही बात मैं निवेदन करना चाहता हूं।

एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। सभापति महोदय, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब हम विपक्ष में थे तो माननीय गहलोत साहब यहां पर मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक प्रस्ताव रख दिया। मैंने उस पर जोर से विरोध किया था। उन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, वह पाँच दिन के लिए बने, दस दिन के लिए बने, पंद्रह दिन के लिए, वह मुख्यमंत्री परमानेंट कैबिनेट मिनिस्टर की रेंक के साथ जिंदगी भर जीएगा। हमने उसका विरोध किया था। बहुत-से लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, बहुत से राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले भी हो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गए हैं कि यह कोई अधिकार नहीं है। हमने उन राजाओं का प्रीविपर्स खतम किया है, जिन्होंने अपने राज को भारत राज्य में सम्मिलित किया था। उनका प्रीविपर्स क्यों खतम किया और हम नए प्रीविपर्स वाले राजा कहां से पैदा कर रहे हैं? मैं इस बात पर चाहता हूं कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वयं इस बात की घोषणा करें कि वे कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का दर्जा लेकर नहीं रहेंगे। जब हम उनको पेंशन दे रहे हैं। हम सब विधायक पेंशन ले रहे हैं। हम वेतन ले रहे हैं तो हम नए राजा बनने की कोशिश नहीं करें कि एक बार मुख्यमंत्री बन गया और बनने के बाद जिंदगी भर कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक लेकर चलेगा। यह उचित नहीं है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में किसी भी प्रकार से इस काम को नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, चूंकि आपके इलाक़े का हवाला है। मैंने एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न तो सरकार ने स्थगित कर दिया, वह गौ संवर्धन के बारे में था। राज्य में सात लाख कर्मचारी हैं और हमने गौ पालन निदेशालय बना दिया। क्योंकि हमने उसमें लिखा था कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानते हैं, गौ पालन निदेशालय बना दिया। साढ़े सात लाख कर्मचारियों में से गौ पालन निदेशालय में तीन आदमी हैं, दो संविदा कर्मी हैं और दो कर्मचारी हैं और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। मेरी जो यह लाइन है, इसमें रिणवां साहब बैठते हैं, ये बैठे-बैठे 24 घंटे राम-राम लिख रहते हैं। उसके बाद सरदार जी सुरेन्द्र सिंह जी हैं, वे वाहे गुरु, वाहे गुरु लिखते रहते हैं और फिर आगे बाबा जी हैं, जो चार आदमियों को लेकर लट्ठ लेकर गौ संवर्धन मंत्रालय पर बैठे हैं। गौ संवर्धन मंत्रालय नहीं चल रहा है। ये तीन बाबा जी मेरे पास बैठे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस गौ संवर्धन के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था कि आपने जो सैस लगाया है, उसका कितना रुपया है और कितना खर्च कर दिया? यह मुझे नहीं बताया। अभी मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने सारे रजिस्ट्री शुल्क पर सैस लगा दिया है तो गौ वंश की रक्षा के लिए यह हमारी थाती है कि जितना पैसा आता है, सरकार ने घोषणा कर दी है, उसको लगाने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, किसान की आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, राजस्थान में विशेषकर है। मैं, कितना बजट था, कितना खर्च हो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गया, इस पर नहीं जाना चाहता। मैं एक विषय पर ही आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि हमारी जो कैग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जो एक बात कही है, वह बात ब्यूरोक्रेसी के काम करने के तरीकों पर असर डालती है। सभापति महोदय, मैं पढ़ता हूं 'विभागों ने 17187.87 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अभ्यर्पित किए, जिससे इन निधियों का उपयोग विकास संबंधी अन्य प्रयोजनों के लिए करने की कोई गुंजाइश नहीं रही'। 31 मार्च को 17187.87 करोड़ रुपए के आदेश हुए। तीन प्रकरणों में 75.16 करोड़ वास्तविक वस्तुओं से अधिक अभ्यर्पित किए गए। एक अनुदान तथा तीन विनियोग में आधिक्य 174 करोड़ था, जिनका नियमन अपेक्षित था। आगे 139 प्रकरणों में 8185.48 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया, जिसमें से 73.9 प्रतिशत अनुपयोगी रहा। 74 प्रतिशत व्यय अगर अनुपयोगी रहता है और 31 मार्च को, जबकि सरकार ने आदेश निकाला कि मार्च के महीने में 15 परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। इतना एक साथ आदेश किया गया है तो यह किस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था है? इस वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और वह परिवर्तन यह होना चाहिए कि जिस प्रकार लोक सभा में बजट पास होने के बाद डिपार्टमेंटों को बजट खर्च करने की परमिशन हो जाती है, उनके खातों में ट्रांसफर हो जाता है। बार-बार फाइनेंस मिनिस्टर के पास और फाइनेंस सैक्रेटरी के पास फाइल के जाने की जरूरत नहीं होती, राजस्थान में भी उस व्यवस्था को लागू किया जाना कि राजस्थान की विधान सभा ने जो बजट पास कर दिया, उसके बाद विभागों को ट्रांसफर हो जाए और विभाग उसे खर्च करे तो यह स्थिति पैदा नहीं होगी। इन नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है। यहां तो फायनेंस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट हो गया है। तीन डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं कि कोई भी काम कराना हो, फाइनेंस की मंजूरी नहीं है। विधि को भेज दो, कार्मिक विभाग में इसका परीक्षण करा लो। ये तीन तो खाडे हैं, इनमें डाल दो और फिर मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री हो जाए, उसके बाद तो मंत्रियों की भी कुछ नहीं चलती है। बाकी दूसरा मंत्री कोई वित्त मंत्री हो तो फैसला तो कर दे। जब मंत्रियों की चलती नहीं है तो 17 हजार करोड़ रुपए का 31 मार्च को आदेश देना, यह विभाग की कार्यकुशलता पर प्रश्न चिह्न लगाता है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जबकि हम विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और इन्हीं का परिणाम है कि आज किसान की दुर्दशा है। किसान का कर्ज माफ करना, कोई दया नहीं है। किसान का कर्ज माफ करना, 70 साल की कांग्रेस पार्टी की और हमारी 6 साल की नीतियों का परिणाम है कि आज किसान इस स्थान पर खड़ा है। बहुत किसान कम हैं। डूडी साहब जैसे पैसे वाले किसान बहुत कम हैं। किसानों का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। मेरे जैसे गरीब आदमी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दोनों का मेल.. (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): श्रवण जी का नाम लो भाई साहब।

श्री सभापति: नाम किसी का नहीं लिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नाम किसी का नहीं लिया, मैंने सिर्फ इंगित किया है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा लिया।

श्री सभापति: आपका नाम ही नहीं लिया है, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा कहा न कि पैसे वाला, मैं पैसे वाला कहां हूं?

श्री सभापति: इन्होंने कहा डूडी साहब जैसे। डूडी साहब बहुत हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो झोपड़ी में रहने वाला आदमी हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): भगवान करे कि डूडी साहब की झोपड़ी जैसी सभी की हो जाए और मैं भी डूडी साहब की जैसी झोपड़ी में रहने लग जाऊं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय घनश्याम जी, एक बात तो सुनना। आजकल तो फाइनेंस का इतना दबदबा हो गया है कि पी.एच.ई.डी. की कोई कुएं की सैक्शन लेंगे तो वह फाइल भी वित्त विभाग में जाएगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए मैंने कहा कि इस समय परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए खेती के कम्पोनेंट और खेती के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

संबंध जो बात कही है। सभापति महोदय, अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। सारा बजट पढ़ लीजिए। दो बातों का बड़ा महत्व है, जिसको बताया नहीं गया है। एक है सातवाँ वेतन आयोग। सातवें वेतन आयोग के लिए सरकार ने कमेटी बना दी। सातवाँ वेतन आयोग कब लगेगा और सातवें वेतन आयोग का कितना खर्चा आने वाले वित्तीय वर्ष में हमारे ऊपर बढ़ेगा? इसका आकलन बहुत जरूरी है, जो हमको प्रस्तुत नहीं किया गया है। वह अगर प्रस्तुत किया तो उसके बाद हमारे विकास के कामों का क्या होगा? यह प्रश्न चिह्न आता है। इसलिए मैं मांग करता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जवाब के समय आकलन बताए कि सातवाँ वेतन आयोग हम जब लागू करेंगे, कब से करेंगे? कैसे करेंगे? वह हमको बताएं और उसका कितना खर्चा आएगा, वह बताएं। दूसरी एक छाया और है, जी.एस.टी. की। सरकार पर जी.एस.टी. की छाया है। चार बिल कल पार्लियामेंट में पास कर दिए और जी.एस.टी. का अर्थ क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स और उसका एक दूसरा अर्थ भी है - जी.एस.टी. - घनश्याम तिवाड़ी।

श्री सभापति: बीच में एस है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इंग्लिश में है Ghan Shyam Tiwari.

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इसके बाद आपकी तकदीर खुल जाएगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, खुलेगी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अच्छा, धन्यवाद।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): खूब खुली हुई है। प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया, तीसरा स्त्री सुख, चौथा सुख सुपुत्र पुत्र। सब है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब स्त्री सुख की मुझे कोई जरूरत नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सब हैं, सारे सुख हैं। काहे को परेशान हो रहे हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस उम्र में स्त्री सुख की बात करना मेरे से, अच्छी बात नहीं है। कुछ लोगों को तो छोड़ दो इस काम के लिए, बाकी लोग है न यहां पर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप राठौड़ साहब की तरफ इशारा...

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कृपया व्यवधान नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): क्या बुरी बात है। दम है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इनकी उम्र तो आसाराम जी से भी कम है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कंटीन्यू करें प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां मैं कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं वही बातें कह रहा हूं जो करनी है। यह समस्या थोड़े दिनों बाद आपके सामने भी वाली है। इसका इलाज भी मेरे पास है, आप चाहे तो मैं बता दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जीएसटी है इसमें राज्य के बिल आएंगे। विधान सभा दुबारा आएगी। केन्द्र ने कहा, कल चार बिल पास किए हैं। सैंट्रल जीएसटी का, स्टेट जीएसटी का और दो बिल जिसमें राज्य में आपस में लेन देन का। हमारे राजपाल सिंह जी, इसमें बहुत एक्सपर्ट है, उन्होंने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात को बताए कि इसमें महंगाई पर असर होगा, नहीं होगा। राज्य सरकार को जो पैसे मिलने वाले हैं वह मिलेंगे कितने मिलेगे। इसमें चार स्लैब है की, वह 5,18,22,40 कौन स्वीकार करेंगे। काउंसिल में क्या होगा। इसका हमारे बजट पर क्या असर होने वाला है। इसलिए इस जीएसटी के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार योगी जी ने, दो ही नाम चल रहे हैं मोदी जी, योगी जी। पहले लोग मोदी मोदी, अब योगी योगी। जैसे योगी जी ने मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए छूट दी है। देवनानी जी ने मुझे कहा था इसलिए बता रहा हूं कि सिंधु दर्शन की यात्रा है उसके लिए राज्य सरकार कोई व्यवस्था करें। हम एक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हजार आदमियों को हवाई जहाज से भेज रहे हैं। बाहर भेज रहे हैं। सिंधु दर्शन यात्रा को भी उसमें शामिल करें।

सभापति महोदय, मैं अंत में जयपुर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जयपुर शहर के लिए स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा। सभापति महोदय, जयपुर एक मात्र शहर है हिन्दुस्तान का नहीं दुनिया का, जो प्राण प्रतिष्ठित शहर है। यह निर्जीव शहर नहीं है। इस शहर को प्राण प्रतिष्ठित करके सवाई जय सिंह जी ने बनाया था। वृहद राज की मूर्ति मंगाई गई। शहर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अश्वमेध यज्ञ किया गया। उसके बाद शहर बढ़ता-बढ़ता, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसको अब स्मार्ट सिटी बना रहे हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मोदी जी की योजना के अनुसार जयपुर स्मार्ट सिटी बन रहा है। लेकिन जयपुर की स्मार्ट सिटी के लिए तीन बड़े काम सरकार कर रही है। वह काम समय पर पूरे हो, यह मैं मांग करना चाहता हूं। पहला हम द्रव्यवती नदी का काम पूरा कर रहे हैं। इस समय द्रव्यवती नदी का काम चल रहा है लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण के पास पैसे की कमी है। द्रव्यवती का काम चल रहा है वह साबरमती की तरह चले, लेकिन अगर वह गोमती की तरह हो गया, गोमती रिवर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में बना है, उसमें 14-15 करोड़ खर्च होने थे, 14 करोड़ हो गए लेकिन अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ। हमारे पास तो पौने दो साल का समय है। इसलिए इस पौने दो साल के समय में हम द्रव्यवती नदी का काम पूरा करें, जो 46 किलोमीटर लंबी है। तो जिस प्रकार से सवाई जयसिंह जी ने प्राण प्रतिष्ठित करके जयपुर शहर को बनाया था, यह प्राण इस जयपुर शहर में हो जाएगा, यह हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा। इसलिए द्रव्यवती नदी के काम को पूरा करना है।

दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी बना रहे हो, तो सीवरेज तो करो, पेयजल तो करो, 40 परसेंट जयपुर में बीसलपुर का पानी नहीं है, आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): सिंधु दर्शन यात्रा के लिए..

श्री सभापति: मंत्री महोदय, विराजें।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय सभापति जी, 200 लोगों

(श्री अमराराम)

के लिए सिंधु यात्रा के लिए पहले हमने कृपलानी जी के लैटर पर आदेश जारी कर दिए थे। अब कोई सिंधु नदी के दर्शन नहीं करे तो उनकी मर्जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 200 में मेरा भी नाम लिख देना।

श्री सभापति: फार्म भरना पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्री महोदय धन्यवाद, आपने आदेश जारी किया इसके लिए। मैंने देवनानी जी का नाम लिया, आपने कृपलानी जी का लिया। कृपलानी, देवनानी बात एक ही है। आगे तो ना नी है दोनों के। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह प्रोजेक्ट पूरा हो। दूसरा हमारा बचा हुआ क्षेत्र है एनसीबीबीआर में ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप कंटीन्यू करें। प्लीज माननीय सदस्य गण।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, माननीय घनश्याम जी कह रहे हैं कि लानी और नानी, कभी कहते हैं नानी और लानी, तो नानी को और लाना है या लानी को नानी कहना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपकी इच्छा हो सो कर लो। आपकी जितनी हिम्मत है उतना काम आप करो। जितना आपका सामर्थ्य।

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं क्योंकि आज समय बहुत कम है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता था कि सीवर का प्रोजेक्ट, सांगानेर का भी इसमें शामिल था, झोटवाड़ा विधान सभा का भी शामिल था, भारत सरकार से 1440 करोड़ की योजना स्वीकार हो गई, उसके टेंडर जारी हो गए। संधु साहब ने नई सरकार आते ही टैंडर को कैंसिल कर दिया। फिर मैं बार बार प्रश्न लगाता रहा। मैं मंजीत सिंह जी को फोन करता आया। फोन किया, कुछ बना नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लेता लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, मुझे कई बातों की तकलीफ होती है। हम इस सदन में है, या हम सेवाओं में है, हम राजस्थान की जनता के ट्रस्टी है। श्रीमान किरोड़ी लाल जी मीणा ने दो दिन पहले एक प्रश्न उठाया कि एक आदमी ने किसी काम के लिए दान दिया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दान आ गया। सरकार ने शिलान्यास कर दिया। काम पूरा हो गया। उस आदमी ने एक एप्लीकेशन दी कि मैंने आपको 10 करोड़ रुपये का दान दिया था और मेरा काम नहीं हुआ, तो आप मुझे दान का पैसा वापिस दो। अधिकारियों ने 10 करोड़ के बजाय ब्याज सहित 11 करोड़ 80 लाख रुपये उनको दे दिए। यह राजस्थान के वित्तीय इतिहास में अद्भुत घटना है। मैं चाहूंगा कि इस घटना का, यह किसी पर सेम नहीं, मंत्री पर किसी पर नहीं। यह है कि यह कौनसी प्रक्रिया है। हमारे पैसे को इस प्रकार खर्च करने का किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है। वापस पैसा दे देते ऊपर से दहेज भी क्यों दिया। दहेज भी आपने दे दिया। दहेज के अंदर 1 करोड़ 80 लाख रुपये दे दिए। मैं समझता हूं इसका जवाब दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह कहकर अब समाप्त करना चाहूंगा। एक छोटी सी बात और आई, सदन में बार बार उठी, आप इन गरीब आदमियों के साथ तो न्याय करो। बाल विकास, पोषाहार कार्यक्रम है उसमें जितनी शिकायतें आई हैं, एजी की रिपोर्ट में भी है कि 700 करोड़ से अधिक का इसमें घपला है, भिन्न भिन्न स्थानों पर चिह्नित है।

मैं एक ही मांग करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार टैंडर करके पोषाहार का काम सरकार को चलाना चाहिए। उसी के हिसाब से चलना चाहिए। कभी शिकायत आती है, कभी बंद करते हैं। अंत में मैं यह कहते हुए कि अगर राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो दो चीज आपको करनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मैं उन कार्यकर्ताओं की पीड़ा भी आपसे कहना चाहता हूं। निगम बोर्ड बनाए, मैं धन्यवाद देता हूं, सम्मान करता हूं, वन बीएचके के फ्लैट ठीक नहीं हैं। माटी कला बोर्ड बना दिया, केश कला बोर्ड बना दिया, कई बोर्ड बना दिए। अच्छा है, कार्यकर्ताओं को मिले हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। पर उन सबको एक-एक कमरा मिला है, और एक गाड़ी और छह महीने में एक बार मीटिंग। उनका काम क्या है, यह उन को बताया जाए।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसी प्रकार हमारे संसदीय सचिव हैं। मैं बधाई देता हूं जो माननीय सदस्य बने हैं। पर उनको भी, वन बीएचके फ्लैट में रह रहे हैं। संसदीय सचिव का काम क्या है, क्या काम करेंगे, क्या फाइल निकालेंगे, क्या करेंगे। इनको कुछ अधिकार तो दीजिए। इनको अधिकार दीजिए, यह काम करें। मुझे मिले थे वह, उनकी समस्या थी, बताई।

मैं अंत में कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा काम करना है, दो काम सरकार ने बहुत अच्छे किए हैं। उन कामों पर हमको ध्यान करना है। एक प्रधान मंत्री आवास योजना और एक मुख्यमंत्री आवास योजना। यह दो काम ऐसे हैं जिन कामों को हमको बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है। कारण क्या है कि रीयल एस्टेट में जो मंदी आई है उस मंदी के कारण, रजिस्ट्रेशन का काम कम हुआ, उसके कारण से सीमेंट का बिकना कम हो गया, स्टील बिकना कम हो गया, बेरोजगारी आ गई।

ये दो योजनाएं, जब जापान में बहुत बड़ी मंदी आई थी तो उन्होंने लोगों को येन दिया कि आप जाओ और खर्च करो, ये जो दो योजनाएं हैं, प्रधान मंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना, इन दोनों योजनाओं पर अधिक से अधिक हम ध्यान देकर काम करेंगे तो रियल एस्टेट भी बढ़ेगा और इससे मंदी से उबरने का भी काम मिलेगा। सभापति महोदय, इन्हीं के साथ आपने समय दिया, मुझे कुछ बातें और कहनी थीं, लेकिन मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगा कि चुनौती पूर्ण समय में सरकार के सामने चुनौतीपूर्ण बजट है, सातवां वेतन आयोग और जी.एस.टी. के साये में हमको हमारी घोषित योजनाओं को पूरा करना है। इस काम को हम तेजी से आगे बढ़ाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होकर, राजस्थान वित्त विधेयक और राजस्थान विनियोग विधेयक पारित होने तक समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

माननीय सदस्य श्री किरोड़ी लालजी मीणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, पाँच बजे तक। क्योंकि पहले तय हो चुका है, बिजनस एडवाइजरी कमेटी में सभी माननीय सदस्य जो थे,...(व्यवधान)... उन्होंने कि माननीय मुख्य मंत्रीजी पाँच बजे अपना उत्तर प्रस्तुत करेंगी।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करते हैं कि सभी सहयोग करेंगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अब पाँच मिनट में क्या बोलेंगे हम।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर तो रिप्लाई शुरू करवा दीजिये। ...(व्यवधान)... आपको तो विपक्ष को सुनना नहीं है। आपको तो अपने मुख्य मंत्रीजी का, सदन के नेता का जवाब दिलाना है तो फिर क्या, ऐसे तो मत करो, राठौड़ साहब।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 व

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सभापति महोदय, समय तो काफी आवश्यकता थी, लेकिन अब पूरे मसले नहीं रख कर कुछ मसलों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार ने बिजली कम्पनियों को घाटे से उबारने के लिये उदय योजना में 62421 करोड़ रुपये का कर्जा लिया है। उदय योजना में वर्ष 2015, 2016-17 में डिस्कॉम कम्पनियों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई राशि में से 12 हजार करोड़ रुपये का अनुदान प्रवर्तित भी कर दिया। इसमें ऋण पर ब्याज भुगतान के कारण 2017-18 में राजस्व घाटा दर्शाया गया है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि बिजली कम्पनियों को घाटे से उबारने के लिये उदय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार निगमों का कर्जा तो चुकायेगी। लेकिन जब बिजली कम्पनियों

(डॉ. किरोड़ी लाल)

को कर्जे से उबारने के लिये सरकार लोन ले सकती है तो मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करुंगा कि सरकार ने जब बिजली कम्पनियों का कर्जा अपने ऊपर ले लिया तो किसानों पर भी कर्जा है। किसान कर्जे के कारण आत्म हत्या कर रहे हैं तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि उनके कर्जे भी अपने ऊपर सरकार को लेने चाहिये, उनके कर्जे माफ करने चाहिये। पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तर्ज पर किसानों के कर्जे माफ हों। यह मेरा कहना है।

दूसरा, महंगी बिजली किसानों को दी जा रही है। किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिये भी किसान आत्म हत्या कर रहे हैं। अत: पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक की तर्ज पर यहां पर भी किसानों को बिजली मुफ्त दी जानी चाहिये। अब चूंकि आपने मुझे पाँच मिनट का समय दिया है, इसलिये भूमिका और उसमें न जाकर, बाकी के मुद्दों को नहीं उठाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि राज्य में जो बिजली कम्पनियां हैं उनमें भारी भ्रष्टाचार है, भारी अनियमितताएं हैं। निगम के अधिकारी और ठेकेदार मिल कर जो गड़बड़ कर रहे हैं उसके कारण निगम ज्यादा घाटे में जा रहे हैं। उसके लिये निगम के अधिकारी जिम्मेदार हैं। तो जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, और पहले राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना चलती थी, उसमें सभी प्रकार के आइटम्स में जबरदस्त घोटाला है। पर मैं एक आइटम आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि पाँच मिनट का समय है।

माननीय सभापति महोदय, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में 28 डिस्ट्रिक्ट्स में 26 फर्मों को 50 लॉट्स में काम दिया गया। मैं केवल एक फर्म का उदाहरण देना चाहूंगा। सभी 26 फर्मों के बारे में बोलने का मेरे पास समय नहीं है। मैसर्स स्वास्तिक इलेक्ट्रिकल एवं फर्टिलाइजर्स, दौसा। सभापति महोदय, उनके कबाड़े देखें आप। उस फर्म ने 09 मीटर का पोल, जो 400 किलोग्राम का होता है, उसकी मार्केट में वैल्यू है और निगम देता है 2595 रुपये में, उसकी सप्लाई कर रहा है 4576 रुपये में। करीबन 176 प्रतिशत डीविएशन है। टेण्डर कण्डीशन से यह डीविएशन 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिये। पोल जो 09 मीटर का है और 200 किलोग्राम का

(डॉ. किरोड़ी लाल)

है, ठेकेदार उसके 3600 से निगम से पैसे वसूल कर रहे हैं और मार्केट में वह 2060 में मिल रहा है। सभापति महोदय, 16 के.वी.ए. का जो सिंगल फेस का कापर ट्रांसफार्मर है, वह 71870 में ठेकेदारों द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि उसकी मार्केट में कीमत 37500 है। जी.आई. सैट, कम्पलीट उसकी मार्केट में रेट 700 रुपये है और ये ठेकेदार निगम से पैसे 1483 ले रहे हैं। सभापति महोदय, बी.पी.एल. का, और एम.सी.बी. मार्केट में 40 रुपये की मिल रही है, ठेकेदार 119 रुपये में लगा रहे हैं। होल्डर मार्केट में 07 रुपये में मिल रहा है, जबकि ठेकेदार 40 रुपये में लगा रहे हैं। सभापति महोदय, 07 वाट का एल.ई.डी. बल्ब है, वह मार्केट में 65 रुपये में मिल रहा है, मैं बिल लेकर आया हूं। कम्पनियां उसको 342 में लगा रही हैं, 342 रुपये, यानी कि 526 प्रतिशत का डीविएशन है।

सभापति महोदय, राज्य में एल.ई.डी. बल्ब ई.ई.एस.एल. कम्पनी द्वारा निगमों को दिये जा रहे हैं। वे घटिया किस्म के हैं। उसमें मानकों का पालन नहीं किया गया। ई.ई.एस.एल. कम्पनी द्वारा सप्लाई किये जा रहे बल्बों में खरीद प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है। ये बल्ब चीन और ताईवान से खरीदे जा रहे हैं। जो बल्ब ठेकेदारों द्वारा 22 लाख 50 हजार बी.पी.एल. परिवारों को दिये गये हैं, सभापति महोदय, उसमें जबरदस्त घोटाला हुआ है। मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। ठेकेदार द्वारा बल्ब पर निगम से ली जा रही राशि है, एक बल्ब पर 347 रुपये। ये बल्ब चाइना से 15 रुपये में आ रहा है और ये बल्ब निगम खुद काउण्टर लगा कर, उस काउण्टर से मैं बल्ब खरीद कर लाया हूं, वह 65 रुपये में बेच रहा है। इस प्रकार से ठेकेदार और चीन तथा ताईवान के दर के अन्तर के अनुसार बी.पी.एल. के बल्ब के घोटाले में ही, बल्ब में ही करीबन 74.70 लाख का घोटाला हुआ है। अगर स्टेट बी.पी.एल. को और जोड़ दिया जाये तो यह घोटाला करीबन 100 करोड़ के बराबर है। राज्य में आम घरेलू उपभोक्ता करीबन एक करोड़ 20 लाख हैं, जिसमें निगम द्वारा 10 एल.ई.डी. बल्ब दिये जाते हैं, अगर 40 रुपये प्रति बल्ब के हिसाब से इसको काउण्ट किया जाये तो एक करोड़ 20 लाख उपभोक्ताओं से 480 करोड़ रुपये की लूट की गई है। सभापति महोदय, आपको यह जानकर अफसोस होगा कि एक बल्ब,

(डॉ. किरोड़ी लाल)

जिसको 342 रुपये में दिया जा रहा है, उसको होल्डर में लगाने का चार्ज क्या है, केवल होल्डर में टाँगना है एक सैकिण्ड में, पाँच रुपये में। ठेकेदार निगम से पाँच रुपये ले रहे हैं। होल्डर का, जो चार पेच लगते हैं, उसके 40 रुपये ले रहे हैं। एम.सी.बी., उसका 22 रुपये ले रहे हैं, जो दो रुपये में एम.सी.बी. लग जाती है।

(17.00 बजे)

जी.आई.सैट जो कम्प्लीट है उसके 369 रुपये ले रहे हैं। पोल जो 9 मीटर का गाड़ा जाता है, माननीय सभापति महोदय, वह 150 रुपये में गड़ जाता है लेकिन यह 997 रुपये में गाड़ रहे हैं और पोल जो 9 मीटर का 200 किलोग्राम का है, माननीय सभापति महोदय, वह 100 रुपये में इस राजस्थान की साइल में गाड़ा जा सकता है, जिसके 893 रुपये ले रहे हैं और 16 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर, माननीय सभापति महोदय, आपको अच्छी तरह से जानकारी है, जो निगम है वह साढ़े तीन सौ रुपये देता है, काहे का? ट्रांसफार्मर फेल हो जाए, फुक जाए, उतारने का, बिजली आफिस तक ले जाने का, ले जाकर चढ़ाने का साढ़े तीन सौ रुपये देता है और यह ठेकेदार ले रहे हैं 1662 रुपये। साढ़े तीन सौ की जगह 1662 रुपये लेकर यह माननीय सभापति महोदय, इनको डुबो रहे हैं, निगम के अधिकारी इनसे मिले हुए हैं।

आपको जानकार अफसोस होगा, माननीय सभापति महोदय, कि करीबन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आर.जी.जी.वी.वाई और डी.डी.यू.जी.जी.वाई. में नाइंथ प्लान, टेंथ प्लान, इलेवंथ प्लान, ट्वेल्थ प्लान में इस तरह 2797 करोड़ का घोटाला हुआ है और आई.डी.पी.एस., आई.डी.पी.एस. के रनिंग वर्क, इसमें इस तरह से फिफ्टी परसेंट की रेट में जो फर्क है वह करीबन 580 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है और लैड बल्ब में, माननीय सभापति महोदय, मैंने आपको बता दिया एल.ई.डी. बल्ब में 580 करोड़ का घोटाला हुआ है।

अब एक बल्ब आज आप माननीय सभापति महोदय, मार्केट में जाकर खरीद लो, आज तो 55 रुपये में मिल जाता है। शुरू-शुरू में सौ रुपये में मिलता है, फिर उसकी रेट हो गयी 80 रुपये, फिर हो गयी, 65 रुपये, अब

(डॉ. किरोड़ी लाल)

हो गयी 55 रुपये, और उस 55 रुपये के बल्ब को निगम ठेकेदारों को 342 रुपये देकर भारी घोटाला कर रहा है। यह घोटाला किसलिए हो रहा है? सरकार इसमें कांग्निजेंस लेगी कि जो पूर्व चेयरमैन थे बिजली बोर्ड के और पूर्व सचिव थे उनकी धर्मपत्नी ई.ई.एस.एल. कम्पनी की स्टेक है। उनकी आड़ में यह खेल हो रहा है।

मैं माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें कि जो बिजली विभाग में इतने बड़े गंभीर घोटाले हो रहे हैं, जिसमें लेबर चार्ज ऊटपटाँग लिया जा रहा है, इरेक्शन के चार्ज ऊटपटाँग लिये जा रहे हैं और जिसमें डेविएशन 20 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेंडर की यह शर्त है, माननीय सभापति महोदय, उसके बाद भी 600 परसेंट तक का डीविएशन हो रहा है।

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक बल्ब 342 रुपये का बेचा जाए वह भी बी.पी.एल. गरीब परिवार को, निगम तो नि:शुल्क देता है बी.पी.एल. परिवारों को, लेकिन निगम से 342 रुपये और पाँच रुपये होल्डर में लगाने के लिये जा रहे हैं, यह बड़ा भयंकर घोटाला है, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और ठेकेदार और निगम के अधिकारी जो मिलीभगत करके लूट रहे हैं और निगम को घाटा पहुंचा रहे हैं, उस पर नियंत्रण किया जाए। यही मैं प्रार्थना सरकार से करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय गोविन्द सिंहजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज एप्रोप्रिएशन, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर चर्चा का आपने अवसर प्रदान किया, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सवा तीन साल पहले 8 दिसम्बर, 2013 को जब परिणाम आए, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी बहुमत दिया। एक तरीके से यह कहें कि जो वर्तमान में माननीय सदन की नेता है, वह अध्यक्ष थीं। उन्होंने सुराज संकल्प यात्रा निकाली और सुराज संकल्प यात्रा में जनता से वादे किये। उन्होंने कानून व्यवस्था ठीक

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

करने का वादा किया, उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया, उन्होंने किसानों की माली हालत सुधारने का वादा किया, उन्होंने गरीबों के कल्याण का वादा किया और यह वादा किया कि हमें जो बहुमत मिला है हम राजस्थान की तकदीर और तजबीज बदल देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदन की नेता से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने जो किसानों से वादे किये, छोटे व्यापारी से वादे किये, जो मजदूरों से वादे किये, उद्योगपतियों से वादे किये, जन-प्रतिनिधियों से वादे किये, आम जनता से वादे किये, उन वादों पर आप कितना खरा उतरे? आपने एक सुराज संकल्प पत्र दिया और यह कहा कि यह हमारा बाइबल है, यह हमारी रामायण है, पता नहीं क्या-क्या कहा, गीता भी बताया था, लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी से, इनकी सरकार से कि आपने कौनसा वादा निभाया? आज कानून व्यवस्था के नाम पर आपने कहा था कि कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, हम कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है?

मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज हमारी बेटियों के साथ, जो नाबालिग बेटियां हैं उनके साथ बलात्कार हो रहा है, न वह घर में सुरक्षित है, न वह बाजार में सुरक्षित है, न वह विद्यालयों में सुरक्षित है और आज इतना भय व्याप्त है अपराधियों का ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप बोल किस पर रहे हो? यह कानून व्यवस्था पर बहस थोड़े ही है, विनियोग विधेयक है। नहीं पढ़कर आये हो तो कोई बात नहीं, माननीय सभापति महोदय, दूसरे का नाम पुकार लो। ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप चिंता ही मत करो, हमने जो कुछ भी सीखा है, पाँच साल में आप ही से सीखा है। आप चिंता मत कीजिए। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप प्रतिपक्ष के नेता को रिप्लेस कर रहे हो। आप किसकी जगह बोल रहे हो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मालूम है आपको? गोविन्दजी, देखो अगर बिना तैयारी के, तैयारी नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। अब कहां कानून व्यवस्था है? माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, अगर संसदीय कार्य मंत्रीजी इसी तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह परिपाटी मत डालिए। अभी सदन की नेता बोलेंगी। हम सुनना चाहते हैं कि हमारी नेता किस प्रकार से बोले, उन्होंने सवा तीन साल में इस प्रदेश को क्या दिया है, उस बात को हम सुनना चाहते हैं। इसलिए आप कृपया मेहरबानी बनाये रखें।

कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। चाहे आप आनंदपाल को ले लो, भाग गये यह पुलिस कस्टडी से ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा के नियम और प्रक्रिया नियमों के नियम 154 (4) की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। 154 (4) में लिखा है- 'विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद लोक महत्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों में अन्तर्निहित प्रशासनिक नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहेगा जो पहले ही उस समय न उठाये जा चुके हों जब कि संगत अनुदानों की मांगें विचाराधीन थी।'

यानी, जो बातें पहले आ गयीं, उन बातों की पुनरावृत्ति यहां पर नहीं की जा सकती।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराज जाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आज कानून व्यवस्था पर चर्चा थोड़े ही हो रही है? ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप मंत्री महोदय, विराज जाओ, अच्छा रहेगा। आप विराज जाओ। मेरे को पाठ मत पढ़ाओ, मैं भी आप ही का छोटा भाई हूं, शिष्य हूं, मेरे से आगे जाते हो आप, मैं पहले आता हूं आपके।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आनंदपाल की रिपोर्ट लाने की बात कही। गृह मंत्रीजी ने आई.ए.एस. की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई, उस कमेटी का क्या हुआ? आज तक हाउस में नहीं आई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। किसानों के लिए यह कहा कि हम बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, किसानों की सब्सिडी बढ़ाने का काम करेंगे, आज किसानों की बिजली की दर बढ़ा दी इन्होंने। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जो राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017 और राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 है, इसमें आनंदपाल का नाम ही नहीं है। इसमें आनंदपाल का नाम नहीं है। मैंने सारे पढ़ लिये माननीय सभापति महोदय, पाँच मिनट में सारे पढ़ डाले, एक जगह भी ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब माननीय सभापति महोदय, या तो वह करवाना चाह रहे हैं तब तो वह कर लें, अगर यह करवाना चाह रहे हैं तो यह कर लें। ....(व्यवधान).... यह वाइड स्कोप है एप्रोप्रिएशन बिल में। वाइड स्कोप है, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी। मेरे को ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। वर्ना मुख्य मंत्रीजी अभी बोल रही हैं, आप अगर यह परम्परा डालना चाहते हो कि हम मुख्य मंत्रीजी को नहीं बोलने दें तो वह आपका प्रस्ताव स्वीकार है। आप स्वयं चाहते हैं कि मुख्य मंत्रीजी की इन्सल्ट हो, वह उनको नहीं सुने प्रतिपक्ष तो वह कर देते हैं। आप मेहरबानी रखो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इनका जवाब आप नहीं दें, आप आसन को सम्बोधित करें। ....(व्यवधान)....

श्री हीरालाल (निवाई): नहीं, धमकी दे रहे हों क्या आप? ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सुनोगे तब न। आसन को रोकना चाहिए न। ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: आप एप्रोप्रिएशन बिल पर आए। आप जवाब नहीं दें, एप्रोप्रिएशन बिल पर आए आप। ....(व्यवधान)....

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, वित्त विधेयक पर बुलवाओ। ....(व्यवधान)....

श्री हीरालाल (निवाई): यह धमकी दे रहे हो क्या कि मुख्य मंत्रीजी को नहीं बोलने देंगे? कैसे नहीं बोलने देंगे मुख्य मंत्रीजी को? ....(व्यवधान)....

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एप्रोप्रिएशन बिल पर बुलवाओ उनको। सदन का टाइम उनके लिए थोड़े ही है कि चाहे जो बोल देंगे। वित्त विधेयक पर बुलवाओ न। विनियोग विधेयक पर बुलवाओ। ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर इस तरह से करना चाह रहे हैं क्या? आप सदन को कैसे चलाना चाह रहे हैं, यह चेयर तय कर लें, उसके बाद में अपन बात करेंगे। ....(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप बोलो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसे थोड़े ही होता है। प्रतिपक्ष की कम संख्या का मतलब यह नहीं है कि राजस्थान की जनता के जो प्रतिनिधि आये हैं, उनका गला घोंटा जाये। इस तरीके से बार-बार खड़े होकर अगर हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हमें नहीं बोलने देना चाहते, मुख्य मंत्रीजी को हमें नहीं सुनने देना चाहते, तो इनकी मर्जी है, यह फैसला कर लें। राठौड़ साहब, आपका मंत्रालय ही बदला है, मंत्री से तो नहीं हटाया है न, आपको मुख्य मंत्रीजी से इतनी नाराजगी क्यों?

श्री सभापति: आप एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, बेरोजगारों को कहा, 15 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। इन्होंने इतने बड़े वादे किये, विद्यार्थी मित्रों को नियमित कर देंगे, संविदाकर्मियों को नियमित कर देंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित कर देंगे, सुराज संकल्प पत्र में जितने वादे किये थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके 80 प्रतिशत वादे कोरे वादे के वादे रह गये, उनको आपने पूरा करने का काम नहीं किया।

(17.11 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नौकरियों के लिये हम पर आरोप लगे थे कि कोर्ट में अटका दी। संविदाकर्मियों को जो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हमने बोनस अंक दिया था, उसके ऊपर अंगुली उठायी पहले सदन में, दूसरे सदन में, केवल यह कहते रहे कि आपने गलत निर्णय कर दिया था। आज वह सुप्रीम कोर्ट से फैसला होकर वापस आ गया है, आज एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है।

जिस प्रकार से स्किल डवलपमेंट के माध्यम से तैयार करने की बात कर रहे हैं, रोजाना घोटाले हो रहे हैं, फर्जी आंकड़े पेश किये जा रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी के श्रीमुख से हमें यह सुनने को मिला था कि 11 लाख लोगों को हमने नौकरी दे दी। मैं सदन की नेता से पूछना चाहता हूं कि कहां गये वो?

आप शिक्षा की बात कर रहे थे, शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं। एकीकरण के नाम से 20 हजार प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों को खतम कर दिया। पंचायती राज से हमने पाँच डिपार्टमेंट दिये थे पंचायती राज को मजबूत करने के लिये, उन्होंने पांचों डिपार्टमेंट का काम ठप्प करने का काम किया। 20-20 हजार स्कूल बंद हो गये। आज आदर्श विद्यालय बनाने की बात कर रहे हैं। न कक्षा-कक्ष हैं, न शौचालय हैं, न बैठने की व्यवस्था है। आज विद्यालय भवन, जो हमने कड़ी मेहनत करके कांग्रेस के शासन में बनाये थे, वह सारे के सारे बंद पड़े हैं या उनको दीमक खा रही है, वह जर्जर अवस्था में हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इन सबका उत्तर दे चुका हूं, उसको जरा दुबारा पढ़ लीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराज जाइये। मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगी। आज जवाब हमारे इस बिल का मुख्य मंत्रीजी देंगी, आप बाद में बात करें। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आप ऐसा सवाल पूछो जो मुख्य मंत्री स्तर का हो। आपके इन सवालों का जवाब तो पहले ही मंत्रीजी दे चुके।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, या तो तय कर दें कि ये सत्ता मद में चूर हैं, ये नहीं बोलने देंगे। तब तो हम वो फैसला कर लें, नहीं तो इनको थोड़ा-सा कंट्रोल करें। क्योंकि इनका वजन

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

भी मेरे से ज्यादा है। तो यह आप ही कर पाएंगे।

आप उद्योग लगाकर बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे थे। रिसर्जेण्ट राजस्थान किया। सवा तीन लाख करोड़ का एम.ओ.यू. कर लिया। उस एम.ओ.यू. से क्या कर लिया? एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली, एक भी आदमी उद्योग लगाने के लिये नहीं आया। औने-पौने दामों में जो पहले महिन्द्रा सेज वगैरह में नियम बदल-बदलकर गलत रूप से, मेरा आरोप है कि इन्होंने धनाढ्य लोगों को लाभ देने का काम किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं न रिसर्जेण्ट राजस्थान में बात बनी।

बिजली के मामले में बड़ी वाहवाही लूटने की बात कर रहे हैं कि हमने यह ठीक कर दिया, हमने यह ठीक कर दिया। आपने किसान की बिजली के दाम बढ़ाने का काम किया। आपने जो घरेलू विद्युत कनेक्शन हैं, उनकी दरों को बढ़ाने का काम किया। जो बिजली का तंत्र हमारी कांग्रेस की सरकार ने स्थापित किया था, उसको अडाणी और अम्बानी को देने का पूरा आप मैनेज करने की बात कर रहे हैं। आप चाहते क्या हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया। आपसे कुछ बनता तो है नहीं और आप हमारा किया हुआ, हमारा जंचाया हुआ ढांचा, चाहे बिजली का हो, चाहे रोडवेज का हो, उन सबको समाप्त करने पर तुले हुए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह निजीकरण करना ठीक नहीं है।

आज खान विभाग की क्या स्थिति हो गयी? खान के नाम से रात को मंत्रीजी की नींद गायब हो जाती है, मुख्य मंत्रीजी की हो जाती है, हमारे अधिकारियों की हो जाती है। जो राजस्व आपको प्राप्त करना चाहिये था, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उससे जो मिनरल है, वह आप कर नहीं पाये। आप जो 5200 करोड़ का इस वर्ष का था, उसको आपने 4 हजार करोड़ किया, 2400 साढ़े 2400 करोड़ रुपये आप राजस्व जुटा नहीं पाये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं स्वास्थ्य में क्या तीर मार लिया साहब? हमने 700 पी.एच.सी. खोली, 300-350 सी.एच.सी. खोली। हमने नि:शुल्क दवा देने का काम किया। आप न पी.एच.सी. खोल पाये, न सी.एच.सी. खोल पाये। मुख्य मंत्रीजी के श्रीमुख से यहां कहलवाया गया कि हमने भवन बना दिये। कांग्रेस सरकार ने खोली तब ही तो आपने भवन बनाया, नहीं तो आप

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

भवन कहां से बनाते। जब स्वीकृत ही नहीं होती तो आप भवन कहां से बनाते? यह भारत सरकार का पैसा था।

जिस प्रकार किसानों के साथ में आपने सब्सिडी कम करने का काम किया है। मैं समझता हूं यह किसान विरोधी सरकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार किसान की खरीद न सरसों की हो रही है, न चने की हो रही है। को-ऑपरेटिव के माध्यम से जो ऋण मिलता था, 31 मार्च लास्ट डेट है, नोटबंदी का असर है, सब तरफ त्राहिमाम-त्राहिमाम है। किसान परेशान है, उसके पास पैसे देने के लिये नहीं है। आप न तो रेट बढ़ा रहे हो, न किसान का चना खरीद रहे हो, न सरसों खरीद रहे हो, न मूंग खरीदा, उसका पैसा दे रहे हो। सब्सिडी आपने बंद कर ही दी, 60:40 का अनुपात केन्द्र और राज्य सरकार ने कर दिया। आप 40 परसेंट पैसा दे नहीं रहे हो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नकली दवाएं हैं, वह दिये जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत जो पोस मशीनें हैं, उनके माध्यम से गरीब को खाद्य सुरक्षा का अन्न नहीं मिल रहा है। वह सीधा का सीधा डीलरों और अन्य लोगों की जेबों में जा रहा है। इसलिये इनको भी देखना पड़ेगा।

मुख्य मंत्रीजी गयीं, मंत्रीजी गये, सम्पर्क पोर्टल पर जितनी भी शिकायतें आयीं, आपने सम्पर्क पोर्टल पर डालने का काम किया।

आप ग्रामीण विकास के तहत, माननीय मंत्री महोदय, आप मैटेरियल का पैसा नहीं दे रहे हैं और आदर्श ग्राम पंचायत योजना का इस तरह से भट्टा बिठाने का आपने काम किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पानी के मामले में जो आपने वादे किये थे कि हम फ्लोराइडमुक्त शुद्ध पानी पिलाएंगे। आज मेरे लक्ष्मणगढ़ का उदाहरण ले लीजिये 832 करोड़ की योजना थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा तो समय दीजिये। विपक्ष का समय है।

श्री उपाध्यक्ष: 15 minutes, Sir.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दस-पन्द्रह मिनट ज्यादा से ज्यादा। मुख्य मंत्रीजी दस मिनट बाद में बोल लेंगी। क्या फर्क पड़ेगा? आप बताओ।

श्री उपाध्यक्ष: Constraint of time है अब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह है, लेकिन हमें भी मौका दिया है। पहले दिया कहां?

श्री उपाध्यक्ष: मौका आपको आज खूब मिल गया वैसे तो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसलिये 832 करोड़ का माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा हम इस वर्ष पूरा करेंगे, 832 करोड़ का पूरा वित्तीय संसाधन हमने जुटा दिया था, उसके बावजूद आपकी सरकार ने 31 मार्च, 2015 को पूरे होने वाले काम को आपने इस 2017-18 में पूरा करने की बात की है।

एक और निवेदन करूंगा जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से एड देने का काम सरकार करती है। सब विभागों को डिसेंट्रलाइज कर दिया। सरकार ही देगी, चाहे बोर्ड हों, चाहे कहीं भी हों। इससे मनमानी और मोनोपोली हो गयी। इस मोनोपोली के कारण से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कोई भी विभाग अपना एड नहीं दे सकता। किस अख़बार में देगा, नहीं देगा, यह केवल मुख्य मंत्रीजी के ऊपर निर्भर करता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में सेनेटरी नैपकिन देने की बजट में घोषणा की थी। माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं वह सेनेटरी नैपकिन देने का काम 100 करोड़ का था, आपने अभी तक टेण्डर नहीं किया। तीन दफे उसकी शर्तें बदल दीं। 100 करोड़ का जो काम कर रहे हैं, उसमें घोटाले की बू आ रही है। इसलिये इसको देखना पड़ेगा कि आप एक बार टेण्डर करने के बाद में शर्तें चेंज नहीं कर सकते।

लोक परिवहन सेवा के माध्यम से आपने ऐसी बसें लगा दीं, आज झगड़ा कर रहे हैं। रोडवेज का भट्टा बिठाने का काम कर दिया। इसलिये आपकी लोक परिवहन सेवा पूरी तरीके से फेल हो गयी। मनचाहे लोगों को बसों के परमिट दिये गये और आम जनता का इससे कोई वास्ता नहीं है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जो छात्रवृत्ति मिलती थी ओबीसी के लड़कों को, वह दो-दो, तीन-तीन साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। न छात्रवृत्ति देने का काम कर रहे हो, बिजली को पी.पी.पी. मोड पर दे रहे हो, रोडवेज को पी.पी.पी. मोड पर दे रहे हो। जितने आपने कानून पारित किये, वह कानून भी आपने सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का काम नहीं किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने एप्लीकेशनें लीं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जन सुनवाई का नाटक रचा, उसमें हुआ क्या? सम्पर्क पोर्टल पर मंत्री देकर आ गये।

आज चाहे एन.आर.एच.एम. की बात ले लो, चाहे जलदाय की बात ले लो, चाहे खान की बात ले लो, सब जगह सरकार पूरी तरह से घोटालों में लिप्त है। मैं पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इतने बड़े घोटाले करने के बाद में भी आपको थोड़ी बहुत भी दया-शर्म नहीं आयी कि हमने सुराज संकल्प यात्रा में जो वादा किया था, उसका क्या हुआ।

महामहिम राज्यपाल महोदय से कहलवाते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं हमारी माननीय सदस्य चन्द्रकांता जी कहां हैं? पूरे एक महीने तक हाउस से, सदन से क्यों गायब रहीं? आज पुलिस की गलती थी या उनकी गलती थी, यह गृह मंत्रीजी, आपको कहना चाहिये था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय सदस्य, यह न तो एप्रोप्रियेशन में है, न यह फाइनेंस में है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सब कुछ में ही है। इनकी थोड़ी पोल तो खोलने दो। आप तो हमारे अपने हो। चेयर तो सबकी होती है। हमारा संरक्षण भी आप ही प्रदान करते हो।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप कन्क्लूड करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आंकड़े बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2016 के दौरान स्वयं के राजस्व को 53 हजार 300 करोड़ रुपये आय का अनुमान लगाया था, 6 हजार 314

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

करोड़ रुपये कम ये जुटा पाये हैं।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फसल व कृषि कार्यों के लिए 3 हजार 816 करोड़ का प्रावधान था, इसमें भी आप 600 करोड़ रुपया कम खर्च कर पाये हैं। सिंचाई में भी आप कम कर पाये हैं।

एक बहुत बड़ी बात, पी.पी.पी. मोड, पी.पी.पी. मोड सड़कों का, यह सड़कों का जाल नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह टोलों का जाल है, टोल माफिया ने पूरे प्रदेश को जकड़ रखा है। आज वो ही सड़कें हो रही हैं जो कम्पनी वाला, जो प्राइवेट ठेकेदार आता है, वो मनमर्जी आये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देता है, मनमर्जी आये जितने, जहां टोल लगाएगा, मनमर्जी आये जितने पैसे वसूल करेगा। आज विलेज रोड नहीं बन रही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह टोल व्यवस्था खतम कीजिए, यह वाहवाही लूटने का समय नहीं है।

आपने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि हम आपको रोजगार देंगे, 1500 करोड़ रुपये श्रम विभाग में, जो टैक्स लगा कर के श्रमिकों के कल्याण के लिए इकट्ठे कर रखे हैं, आज 300 करोड़ रुपये यह नहीं बांट सके।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कर्जा इनका है वो हमने **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करिये, श्रीमान्।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: अब एक मिनट भी नहीं। अब समाप्त करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक लाख 78 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये करना क्या चाह रहे हैं? इस प्रदेश को अंधकार में डुबो दिया। आज हमारे प्रदेश की थू-थू हो रही है, वो राजस्थान जो कभी गहलोत साहब शासन चलाते थे, जिस प्रकार से रिफाइनरी की बात की थी, आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केवल और केवल सरकार घोटालों की सरकार, कहां जाओ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल-परसों हम दिल्ली गये थे कि, वो ही राजस्थान सरकार क्या जो घोटालों में लिप्त है।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमान्, अब विराज जाओ आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज कोई मंत्री की अधिकारी सुनने वाला नहीं है। मुख्य मंत्रीजी विधायकों की सुनने वाली नहीं हैं। मंत्री कह रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री नहीं सुनती।

श्री उपाध्यक्ष: अब विराज जाएं। आदरणीय, अब विराज जाओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो क्या यही शासन देने के लिए आपने सुराज संकल्प यात्रा निकाली थी। यही वादे किये थे क्या?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, आज मेरे मन में ऐसा था कि आप उदारमना हैं और आप विराज रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब विराज जाएं, विराज जाएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): विपक्ष का एक घंटे का समय होता है, आपने हमारा करटेल कर लिया लेकिन अब अंत में डेढ़ मिनट लेकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी, सदन की नेता को आना चाहिए था, बैठना चाहिए था लेकिन हम जैसे छोटे लोगों को सुनने के लिए मुख्यमंत्री नहीं आएगी। यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: अब ये कोई बात ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरी मांग है, आना चाहिए मुख्यमंत्री को। जब विपक्ष की तरफ से हमें एक को मौका मिला तो मुख्यमंत्री जी को इतनी क्या एलर्जी है, सुने ही नहीं। मैं इतना कहता, मैं कोई घोटाले का आरोप नहीं लगता क्योंकि बहुत लग चुके, अब क्या लगाना है रोजाना की रोजाना।

इसलिए मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिन बेरोजगारों से आपने वादा किया, उनको रोजगार दीजिए। ...(व्यवधान)... जिस प्रकार आपने कानून व्यवस्था ठीक करने की बात कही थी, सुराज लाने की बात की थी, उस सुराज को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धरा राजे जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो न तो आम जन की सरकार है, केवल घोटालों की सरकार

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

है। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने जो संशोधन मूव किया था, उसको वापस ले फर्माएं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या कह रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): संशोधन जो आपने मूव किया था, वो भी पहले वापस ले लें, तो फिर एक साथ थर्ड रीडिंग में आपकी बात आ जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, वो समय आते ही मैं संशोधन वापस ले लूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने वित्त विधेयक में प्रस्तुत किया है उसको वापस लेने की अनुमति प्रदान कराने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: यह आपका वक्तव्य हमने रिकार्ड पर ले लिया है, लेकिन उस स्टेज पर आपसे विथड्रा करवा लेंगे। ये स्टेज आएगी तो विथड्रा करवा लेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): बहुत धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष जी।

उपाध्यक्ष जी, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक (संख्या-2) पर एक साथ बहस है। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि बजट के वर्ष 2017-18 में हमारी आमदनी जो 2014-15 में मात्र 96 हजार करोड़ थी, उस आमदनी में 34 हजार करोड़ का इजाफा हुआ है। जो हमारा बजट आकलन है उसमें राजस्व प्राप्तियां एक लाख 30 हजार करोड़ पर हैं। 34 हजार करोड़ की उपलब्धि, प्राप्तियों में वृद्धि करना निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी उसके लिए बधाई की पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे सामने है उसमें जी.एस.टी. की छाया साफ तौर पर मालूम पड़ती है। जी.एस.टी. के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के पैरा 344, 345, 346 में जी.एस.टी. लागू होने से पूर्व वैट,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

एण्ट्री टैक्स आदि में बकाया मांग का अधिकाधिक निस्तारण किया जावे, इसके लिए लेट फी वेवर स्कीम, न्यू एमनेस्टी स्कीम- 16 और एमनेस्टी स्कीम फोर एण्ट्री टैक्स- 17 जारी की हं। उपाध्यक्ष महोदय, जो एमनेस्टी स्कीम्स जारी की गयी है, एण्ट्री टैक्स के बारे में मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहूंगा कि जो नोटिफिकेशन एण्ट्री टैक्स के बारे में किया गया है बजट के साथ ही, उस नोटिफिकेशन की धारा 3 में राज्य सरकार ने कहा है कि:-

"The schemes shall be applicable to the dealers or the persons against whom total outstanding demand as on 8.3.17 is less than Rs. 10 crores and which has been created on or before 31 December, 2016."

उपाध्यक्ष महोदय, 31 दिसम्बर, 2016 तक जो डिमाण्ड 10 करोड़ से कम की क्रिऐट हो गयी, टैक्स निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारित कर दी गयी, माननीय मुख्य मंत्रीजी का बजट आ रहा है 08 मार्च, 2017 को और इस बजट में जब 2013 की डिमाण्ड, जो 2013 में क्रिऐट की गयी, उसकी 31 दिसम्बर, 2016 तक लाभ दिया जा रहा है। तो, माननीय उपाध्यक्ष जी, 08 मार्च को जो घोषणा हो रही है उसमें 31 दिसम्बर, 2016 से 08 मार्च के बीच में जो डिमाण्ड क्रिऐट हुई है अधिकारियों के द्वारा वो डिमाण्ड क्यों नहीं वापस ली जाए? सदन की नेता सदन में पधार गयी हैं।

मेरा निवेदन है कि एण्ट्री टैक्स के नोटिफिकेशन में सिर्फ 31 दिसम्बर, 2016 तक डिमाण्ड क्रिऐट की गयी है, उसके बारे में ही रिलीफ दिये जाने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, क्योंकि नोटिफिकेशन से ही उसकी क्रियान्विति का अंदाजा लगेगा। मेरा बहुत स्पष्ट निवेदन है कि 31 दिसम्बर, 2016 की तारीख में कोई सेंक्टिटी नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा 08 मार्च को है इसलिए 08 मार्च, 2017 से पहले जो भी डिमाण्ड क्रिऐट हुई है एण्ट्री टैक्स के बारे में और जो आपकी दस करोड़ से कम की परिभाषा में आती है, उसके लिए नोटिफिकेशन संशोधित किया जाए और 31 दिसम्बर, 2016 की जगह 08 मार्च, 2017 नोटिफिकेशन में डाली जाए ताकि 01 जनवरी, 2017 से 08 मार्च, 2017 तक टैक्स अधिकारियों द्वारा एण्ट्री टैक्स का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

निर्धारण किया गया है, उन सब को भी लाभान्वित किया जाए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, आखिर तो आप जी.एस.टी. के पूर्व फैसलें करवाना चाहती हैं तो फैसले करवाने में 31.12.2013 से लगा कर 31.12.2016 तक के लोगों को रिलीफ दी है तो, भई, 01 जनवरी से 08 मार्च के मध्य में भी एण्ट्री टैक्स जिन पर निर्धारित हो गया है, मेरा नम्र निवेदन है कि उनको भी इस नोटिफिकेशन को संशोधित कर के उसकी परिधि में लाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, एण्ट्री टैक्स के साथ मैं कुछ बात स्टॉम्प एक्ट पर निवेदन करूंगा। स्टॉम्प एक्ट के बारे में सबसे मुख्य बात, आपने जो स्टॉम्प एक्ट की अनुसूची 33 में, अनुसूची के साथ जो 33 है लीज, पट्टा, उसमें जो आपने संशोधन किये हैं, मैं मोटे तौर पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि उन संशोधनों में आपने सारी की सारी स्टॉम्प ड्यूटी मकान की कीमत पर लगा दी है। हम एक साल के लिए किराये ले रहे हैं, मकान की कीमत है, इससे हमारा क्या ताल्लुक? हम एक वर्ष से कम में ले रहे हैं, मकान की कीमत उस पर भी 0.02 है। एक साल से लगा कर पांच साल तक ले रहे हैं तो उसमें 0.1 स्टॉम्प ड्यूटी है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो पहले स्टॉम्प ड्यूटी थी, जो स्टॉम्प ड्यूटीज पहले हैं उसमें ...(व्यवधान)... आप सुनने की थोड़ी क्षमता रखिये।

उसमें जो 5 साल तक वाले हैं, उनसे ज्यादा टैक्स वसूल हो रहा है पुराने एक्ट में और नए एक्ट में उनसे ज्यादा वसूल हो रहा है जो 5 वर्ष से 20 वर्ष के लिए ले रहे हैं। चूंकि आपने एडिशनल रिसोर्स मोबेलाइजेशन किया है। धारा 3 (क) को अमेंड किया है। अचल संपत्ति के अलावा जितने भी डॉक्युमेंट लिखते हैं, जो रजिस्टर्ड की जाती हैं, उन सभी को आप टैक्स की सीमा में लाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन के साथ में इस लीज के प्रावधानों को राज्य सरकार दुबारा देखें। जहां पहले वाले प्रावधानों में राज्य को अधिक आमदनी आ रही है, उनको रखें। नए वाले प्रावधानों में जहां 5 वर्ष से 20 वर्ष तक की लीज है, उन पर जो अधिक लग रही है, उसको कायम रखे, लेकिन एक से 5 वर्ष

(श्री मानिक चन्द सुराना)

की लीज वालों में पुराने प्रावधानों को रखे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो एक संशोधन धारा 3 ख में दिया था।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक अंबुजा सीमेंट वाला भी उठाओ।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उठाना ही, मैं उस वक्त तो विथड्रा ही करुंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि आपने गायों के संरक्षण, उसकी नस्ल सुधार के लिए जो भी कदम उठाया है, वह पिछले बजट में ही उठा लिया गया था। इस बजट में उसमें पुनरावृत्ति की गई है। मेरा निवेदन यह है कि गायों की नस्ल सुधार और संवर्धन के साथ सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 17 लाख हेक्टेयर जो बहुमूल्य जमीन राज्य के पास है चारागाह और गोचर में, अभी तक माननीय मुख्य मंत्री महोदया उसका कोई विकास नहीं हुआ है। अगर आप गाय और पशुधन का विकास करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि वह 17 लाख हेक्टेयर भूमि का विकास करने के लिए यह प्रावधान डाला जाए कि यह धन गोचर और चारागाह के विकास में भी काम में लिया जाएगा। यह मेरा नम्र निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं सिर्फ एक अन्याय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना बहुत आवश्यक समझता हूं। ग्रामीण विकास मंत्री महोदय ने जो घोषणा ग्रामीण विकास के बजट की बहस में की है उसका तो बहुत स्वागत करता हूं, कि अंशकालीन पंप चालकों को उच्चतम न्यायालय के हाल ही में दिए निर्णय के अनुसार जो पहले 2300-2400 रुपया दिया जा रहा था, वह अब 5226 रुपया दिया जाएगा। लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी राजस्थान के 31 जिलों को वह लाभ है। राजस्थान के 31 जिलों में पीएचईडी के अंशकालीन कार्यकर्ताओं को लाभ है। लेकिन बीकानेर जिला और जैसलमेर जिला इससे पूरा वंचित है। आज भी मेरे यहां के अंशकालीन कार्यकर्ता को 500 रुपए माहवार मिल रहा है। आपका जो सन् 94 में आदेश हुआ था कि 1 हजार मिलेगा। हम 1 हजार से भी वंचित हैं। उसके बाद जो उच्चतम न्यायालय का आदेश हुआ कि इनको मिनिमम वेजेज का आधा दिया जाए, हम उससे भी वंचित हैं।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय मुख्य मंत्रीजी और ग्रामीण विकास मंत्री जी, अब मेरा निवेदन है कि मैंने पत्र लिखने में कमी नहीं रखी। माननीय किरण माहेश्वरी जी जब जलदाय मंत्री थी, तब उनका ध्यान आकर्षित किया। जे.सी. मोहन्ति को पत्र दिया। पर्सनल मुलाकात की। फाइनेन्स को भेजना पड़ेगा, फाइनेन्स को भेजना पड़ेगा। सारे राजस्थान के पंप चालकों के 5226 पोसा रहे हैं और बीकानेर एवं जैसलमेर भी आपके अंग हैं। जिन कर्मचारियों का नाम ही एक है अंशकालीन कर्मचारी, इनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता।

मेरा निवेदन है माननीय मुख्य मंत्रीजी से क्योंकि वित्त विभाग आपके पास है और वित्त विभाग का नाम आते ही मंत्रियों के भी पसीने आते हैं। आप कृपा करके इसमें इंटरवीन करें और बीकानेर एवं जैसलमेर जिले के अंशकालीन पंप चालकों को निकट भविष्य में ही 5226 जो दूसरे जिलों में दिए जा रहे हैं, वह राशि हमारे पंप चालक कार्यकर्ताओं को भी प्रदान करने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट का एक लाइट हाउस है। इस बजट का सबसे बड़ा लाइट हाउस सन् 2017 के बजट के पैरा 36 में है। इस पैरा 36 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो कहा है, पता नहीं कितने लोगों के ध्यान में आया और कितनों के नहीं आया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमारे ध्यान में आया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आपके ध्यान में आया, बहुत खुशी की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति के प्रतापगढ़, पीपलखूंट और अरनोद के 554 गांवों के लिए आपने 912 करोड़ की योजना इसी वर्ष क्रियान्वित करने का फरमाया है। आपने कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ के क्रमश: 339 गांवों एवं 395 गांवों के लिए 684 करोड़ की योजना जो कुल मिलाकर 1594 करोड़ की होती है, की है। यह हजार गांव और करीब 400 ढ़ाणियों को जो आपने देश की आजादी के 70 वर्ष बाद जो घोषणा की है, यह निश्चित् रूप से अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लिए एक लाइट हाउस है। अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के लिए भी एक लाइट हाउस है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मेरा आपसे निवेदन होगा कि आने वाले समय में कोई अनुसूचित जाति, जनजाति का मौहल्ला इस पेयजल योजनाओं से वंचित ना रहे। यह आपने खूब देखा है। अगले बजट में और इस बजट में भी इसको और देखने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी। नो इंटरवेंशन। नो इंटरवेंशन।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): व्यवस्था का प्रश्न। केवल एक बात है। हाउस ही खत्म हो जाएगा। हाउस एडजोर्न होने से पहले।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं। जब बिल का फ्लो चल रहा हो तो उसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता। Let the Bill get concluded, if you have anything to say, I'll give you a chance.

मुख्य मंत्रीजी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एप्रोप्रिएशन बिल, 2017 के ऊपर जो यहां चर्चा हो रही है, वह एक ही संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हो रही है। हमारी समस्त कांस्टीट्यूशनल व्यवस्था एक प्रिएम्बल से गाइडेड है। इसमें कुछ मूलभूत सिद्धांतों को प्रिएम्बल के अंदर चिह्नित किया गया है। जिनके बारे में मैं थोड़ा सा सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, सबसे पहले,

"JUSTICE, Social, Economic and Political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and opportunity;

and to promote among them all.

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and

unity and integrity of the Nation;"

विजन 20-20 के अंदर हमने इन सब भावनाओं को समाहित करने की कोशिश की है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 3 वर्षों के अंदर देश में एक इनक्लूसिव विकास के लिए हमने बहुत कोशिश करके पहल की है। वह ऐसे कदम हैं जिनसे मैं मानती हूं कि नए राजस्थान को एक नए भारत से जोड़ने के लिए एक पहल हम लोगों ने करने की कोशिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बार से सुनती आ रही हूं और इसीलिए मुझे लगता है, कोई पूछते होंगे कि इन चीजों को दोहराने की जरूरत क्या है? लेकिन मैं समझती हूं कि दोहराना बहुत जरूरी है। लगता ऐसे हैं कि इतना कहने के बाद भी वह चीज किन्हीं-किन्हीं लोगों के दिमाग में रहती नहीं है। बार-बार हम लोगों को दोहराने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए मैं सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो आंकड़े हैं, उनका जिक्र करके हमारी अभी तक कही हुई जो बाते हैं, उनके ऊपर फिर से आप सबका ध्यान इंगित करना चाहती हूं।

यह है कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। मैं कहना चाहती हूं कि विरासत में इतनी बुरी आर्थिक हालत में हमें जो ढांचा मिला था, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो वृद्धि हुई है, उसको आपके सामने रखना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह टेबल है, जिसके अंदर बताता है कि 2014-15, 2015-16 के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, वह पिछली सरकार में 2011-12, 2012-13, 2013-14 के कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर से 6,623 करोड़ ज्यादा है। अब मैंने अलग-अलग आंकड़े देकर के, अलग-अलग तरह से इस बात को रखने की कोशिश की है ताकि माननीय सदस्य इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बार-बार उस चीज को रेज नहीं करेंगे। उनके ध्यान में यह बात आ जाएगी। इसलिए मैं आज फिर इस चीज को रेज कर रही हूं कि यह 6,623 करोड़ ज्यादा है।

हमने यहां कोई लोक-लुभावने वादे नहीं किए। जो हम कर सकते थे वह हमने अपने डाक्युमेंट के अंदर रखा। जो हम कर सकते थे उसको हमने जमीन पर लाने का काम किया। मैं कहती हूं कि जब अच्छे काम होते हैं तो उसके ठोस परिणाम भी होते हैं। आपको पिछले समय से जो इलेक्शन हुए हैं, वह भी परिणाम सामने आ रहे हैं। वह भी आपको इंडिकेट करता है कि जनता के बीच में यह बातें गई हैं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम सब यह जानते हैं कि जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो असेट क्रिएशन करने के लिए करते हैं। यह राजस्थान के विकास के लिए हमारा कमिटमेंट है, इसको बार-बार दोहराने की कोशिश इसके द्वारा करने की कोशिश करते हैं।

गत वर्ष भी इस वर्ष की तरह जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है, that is of course very important. क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में तीन चीज के ऊपर ध्यान देने की हम लोगों को जरूरत है, Adequate funding, adequacy है कि नहीं। एफिशिएंसी है कि नहीं और इफेक्टिवनेस में शामिल है कि नहीं? मैं आपको, सबको यह बताना चाहती हूं कि यह देश के औसत से सबसे अच्छा औसत हमारे राजस्थान के अंदर है। इसीलिए एक टेबल अगेन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। विवरण इस प्रकार का है, इस विवरण के अंदर यह बताया जाता है कि 2015-16, सामान्य श्रेणी के राज्यों में टोटल एक्सपेंडिचर जीएसडीपी का, 16.05 पर्सेंट है जबकि राजस्थान के अंदर This is now 24.25%. इसको अगर I am pointing it out. मैं यह कहना चाहती हूं कि देश के औसत के अंदर 8 पर्सेंट ज्यादा है। Development expenditure as the next one जिसके सामान्य श्रेणी के राज्यों में 70.63 परसेंट की तुलना में राजस्थान का एक्सपेंडिचर 81 परसेंट, मीनिंग टेन परसेंट, देश के अंदर सबसे ज्यादा। आर्थिक क्षेत्र का एक्सपेंडिचर सामान्य श्रेणी के राज्यों के 34.34 की तुलना में राजस्थान का एक्सपेंडिचर 51 परसेंट, which is 16% more from the rest of country.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है, हमारे द्वारा इतनी सारी वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उसको ओवरकम करते हुए फिर भी हम लोगों ने Cumulative sectoral allocations, which is also very important, के अंदर absolute of percentage of GSDP के टर्म्स में पिछली सरकार से बहुत कुछ ज्यादा काम किया है।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगी कि टीम राजस्थान के हम लोग सब एक हिस्सा हैं, चाहे इधर हों, चाहे उधर हों, सब लोग हैं। 7 करोड़ जो हमारे प्रदेशवासी हैं, उनके साथ-साथ हम लोग भी सब शामिल हैं। चाहे वह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सामाजिक समरसता हो, चाहे वह सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के काम हों, सब लोग, सब चीजों को मिलाकर हम एक नए राजस्थान के निर्माण की पहल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे राजस्थान को सिर्फ पुराने इतिहास के ऊपर या उसकी गौरवशाली परम्परा के ऊपर या उसके स्वाभिमान के ऊपर आधारित हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। आज के दिन के अंदर हम उसको आधुनिक भी और उसके साथ-साथ उसको विकसित भी करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारा यह मानना है कि हमारा बजट, विजन 2020 है, उसकी दिशा में जो भी कदम अभी उठाए गए हैं, वह महत्वपूर्ण कदम है। मैं यह नहीं कह रही हूं कि सब पुरानी प्रोब्लम्स को एक साथ में हल कर देंगे। परन्तु हम लोगों ने कोशिश करके, उसको समझने की कोशिश करके, उस रास्ते पर हम चल पड़े हैं। मुझे विश्वास है कि हम लोग सबकी अगर मदद हो जाती है तो आने वाले समय के अंदर राजस्थान के इस इतिहास को बदलने का हम मिलकर काम कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि इस लोक कल्याणकारी बजट के अंदर बहुत सारे लोगों ने, हमारे माननीय सदस्यों ने डिबेट भी किया है, विचार भी सामने रखे हैं और बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष को और सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूं, आभार प्रदर्शित करना चाहती हूं कि उन लोगों ने, सबने, इस डिबेट के अंदर इतना भाग लिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं कुछ महत्वपूर्ण घोषणा भी अब करना चाहूंगी।

फाइनेंस के एरिया के अंदर राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर एमनेस्टी स्कीम लागू की गई जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसी क्रम में अब आबकारी विभाग से सम्बन्धित एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी।

वर्तमान में वैट के अंतर्गत इन्पुट टैक्स क्रेडिट के सत्यापन के विरुद्ध काफी मांग बकाया है। इसके निस्तारण हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर आईटी सत्यापन के सम्बन्ध में विशेष अभियान चलाए जाते रहे हैं। उद्योग और व्यापार जगत की मांग पर आईटीसी वेरीफिकेशन सम्बन्धी प्रकिया को और अधिक सरलीकृत किया जाएगा और आईटीसी वेरीफिकेशन के सम्बन्ध

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

में विशेष अभियान चलाया जाएगा।

जीएसटी लागू होने के पूर्व एन्टरटेनमेंट टैक्स और लक्जरी टैक्स की बकाया मांग के अधिकाधिक निस्तारण के लिए एमनेस्टी स्कीम्स को लाया जाएगा।

बजट प्रस्तावों में 20 साल तक की रेंट डीड पर रजिस्ट्रेशन फीस को 1 प्रतिशत से घटाकर स्टैम्प ड्यूटी की राशि का 20 प्रतिशत किया गया था। इसी क्रम में लीव एवं लाइसेंस एग्रीमेंट के दस्तावेजों पर भी रजिस्ट्रेशन फीस को 1 प्रतिशत से घटाकर स्टैम्प ड्यूटी की राशि का 20 प्रतिशत किया जाएगा।

पीडब्ल्यूडी में, आम जनता की मांग और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व में बजट में की गई घोषणा के अतिरिक्त 197 करोड़ रुपए की लागत से कुछ पुल और उनका निर्माण और 106 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों के विकास कार्य किए जाएंगे।

बांसवाड़ा-डूंगरपुर-बोरेश्वर पुल का निर्माण 58.90 करोड़ से, सिलोही-नीलकण्ठ महादेव, बांधखेड़, मोरन नदी पर पुल का निर्माण 37 करोड़ से, करौली से कैलादेवी सड़क निर्माण 16 किलोमीटर की लागत 24 करोड़ से, पाली जिले में चाणोद, लापोद, कैनपुरा, रानी, मूंडरा की मेगा सड़क 51 किलोमीटर 32 करोड़ की लागत से, चित्तौड़गढ़ जिले के भावलिया चौराहे से जालोदा सड़क लम्बाई 38.50 किलोमीटर 45 करोड़ से और झालावाड़ जिले की कैनाल-माल्याखेड़ा सड़क, लम्बाई 0.7 किलोमीटर है, 41 लाख।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देवस्थान के अंदर राजस्थान प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थल, श्री खाटूश्यामजी, श्री डिग्गी कल्याणजी मालपुरा, श्री मेहन्दीपुर बालाजी, श्री रूपनारायण सेवंत्री, श्रीमातृ कुंडिया आदि में जो पहले त्योहार और धार्मिक आयोजन में नियमित रूप में कुल मिलाकर तकरीबन 1 करोड़ यात्री पूरे वर्ष के दौरान पूजा अर्चना और दर्शन करने जाते हैं। भरतपुर में प्रसिद्ध गोवर्द्धन मंदिर की चौरासी कोसीय परिक्रमा मार्ग और सप्त कोसीय परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य हेतु पिछले बजट में 103 करोड़ रुपए की हमने घोषणा की थी। इसमें से 37 करोड़ के कार्य आदेश दिए जाकर काम चालू कर दिया गया है। इस राशि के अलावा 199 करोड़ की अतिरिक्त

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

स्वीकृति दे दी गई है। इस प्रकार गोवर्द्धन परिक्रमा विकास हेतु कुल 236 करोड़ की राशि अब व्यय की जाएगी। इसी क्रम में इन तीर्थ स्थलों पर यात्रियों के सुगम आवागमन और सुविधार्थ जुड़े हुए कस्बों की स्थानीय, आंतरिक सीसी रोड और बाहरी सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण, सड़कों के विस्तारीकरण, उनके बाइपास के निर्माण इत्यादि कार्य करवाने के लिए 165 करोड़ रुपए के निम्न सड़क निर्माण कराए जाने की मैं घोषणा करती हूं।

खाटूश्यामजी की इन्टरनल नई सड़कों का एवं वर्तमान सड़कों का वाइडनिंग 7.5 किलोमीटर 17.52 करोड़, खाटूश्यामजी की जो एक्सटरनल अभी सड़कें हैं, उनकी लम्बाई 6.4 किलोमीटर, 23.86 करोड़, डिग्गी कल्याणजी की इन्टरनल सड़क की लम्बाई 4.6 किलोमीटर, 18.63 करोड़ एवं एक्सटरनल नवीन प्रस्तावित सड़क लम्बाई 4.9 किलोमीटर, 35.86 करोड़। पुष्कर से बूढ़ा पुष्कर तक सड़क का सुदृढीकरण और विकास कार्य 7 किलोमीटर, 35 करोड़ रुपए, मेहन्दीपुर बालाजी, सड़क विकास के विभिन्न कार्य CC roads, right of way का निर्माण road widening and strengthening लम्बाई 14 किलोमीटर, 17.5 करोड़, रूपनारायण सेवंत्री, लम्बाई 10 किलोमीटर, 8 करोड़, मातृकुंडिया-राशमी से नवलपुरा सड़क विकास कार्य 10 किलोमीटर, 8 करोड़ रुपए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर राज्य के 191 नगरीय निकायों में से 95 नगरीय निकायों में अग्नि शमन केन्द्र एवं 50 नगरीय निकायों में अग्नि शमन वाहन संचालित नहीं हैं। आगामी एक वर्ष में 95 नगरीय निकायों में 23 करोड़ की लागत से नवीन अग्नि शमन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी और आगामी वर्ष में 50 नगरीय निकायों को 30 मीटर की क्षमता के 9 करोड़ के अग्नि शमन वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुमंजिला इमारत में भीषण आगजनी की जो दुर्घटनाएं हैं उनसे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग द्वारा नगर निगम, जयपुर के लिए 90 मीटर, नगर निगम, जोधपुर के लिए 70 मीटर, नगर परिषद, भिवाड़ी के लिए 60 मीटर ऊँचाई की लगभग 50 करोड़ की लागत से एरियल हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफोर्म उपलब्ध कराए जाएंगे।

शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा और शाहपुरा, जिला जयपुर में पेयजल और

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सीवरेज के लगभग 150 करोड़ के कार्य करवाए जाएंगे।

नगर निकायों द्वारा उनके क्षेत्र में आंतरिक सड़कों की मरम्मत और रखरखाव की लम्बे समय से मांग की जा रही है। हमने अपने बजट भाषण में स्थानीय निकाय की प्रमुख सड़कों को शहरी गौरव पथ के रूप में विकसित करने के लिए 450 करोड़ रुपए से भी अधिक का प्रावधान किया है। इसी क्रम में अब मैं स्थानीय निकायों की आंतरिक सड़कें, नाली की मरम्मत, रख-रखाव, नवीनीकरण हेतु आगे दो वर्षों में लगभग 250 करोड़ रुपये का प्रावधान रखे जाने की मैं घोषणा करती हूं।

मेडिकल एण्ड हैल्थ में शाहपुरा (जयपुर) के ट्रोमा होस्पिटल की क्षमता 75 से 100 बढ़ायी जाएगी। डीडवाना में 150 से 300 की जाएगी। पावटा और विराटनगर सीएचसी की क्षमता 30 से 50 हो जाएगी और डबोक पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा।

टूरिज्म, आर्ट एण्ड कल्चर के अंदर देश की आजादी के आंदोलन में समाज सुधारक गोविन्द गुरु के नेतृत्व में आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए बर्बर नरसंहार में सैकड़ों आदिवासी मानगढ़ धाम में शहीद हुए। इसके लिए सम्पूर्ण विकास का मास्टर प्लान बना लिया गया है। इसके तहत प्रथम चरण में 2016-17 के बजट में मानगढ़ धाम पर संग्रहालय निर्माण की घोषणा की गयी थी। गोविन्द गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय के निर्माण के लिए 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपये की राशि और उपलब्ध करायी जाएगी।

हमारा प्रदेश महान विभूतियों का प्रदेश है। उनके प्रति श्रद्धांजलि आदर स्वरूप विभिन्न स्थानों पर पैनोरमा विकास के कार्य प्रगतिरत हैं। इनमें पन्नाधाय-राजसमंद, अलीबक्स-अलवर, वीर तेजाजी-खरनाल, स्वतंत्रता संग्राम-पाली, हाड़ौती-बारां, मावजी महाराज-डूंगरपुर, करणी माता-बीकानेर, इन सभी स्थलों पर सड़क निर्माण, साइनेज, ड्रेनेज, पुल, नाला निर्माण पर 6 करोड़ से भी अधिक राशि व्यय कर विकास कार्य करवाये जाने की योजना है।

पीएचईडी के अंदर निम्बाहेड़ा शहर में पुनर्गठित पेयजल स्कीम हेतु द्वितीय फेज की पेयजल योजना के लिए डीपीआर बनायी जाएगी। वल्लभनगर तहसील क्षेत्र की पेयजल समस्याओं के निराकरण के लिए

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कसोटिया बाँध के निर्माण के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट एण्ड डीपीआर बनायी जाएगी।

हायर एजुकेशन में नये महाविद्‌यालय स्थापित करने की मैं घोषणा करती हूं। टोडारायसिंह मालपुरा (टोंक), खानपुर (झालावाड़), सीमलवाड़ा (डूंगरपुर) और पोकरण (जैसलमेर)। कालाडेरा महाविद्‌यालय, चौमूं में रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करने की घोषणा करती हूं। जैतारण के राजकीय महाविद्‌यालय को पी.जी. किया जाएगा।

फोरेस्ट के अंदर रणथम्भौर के बफर एरिया में स्थित आंवली फोरेस्ट ब्लॉक की सुरक्षा दीवार बनाने के लिए 2017-18 में 18 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

झुंझुनूं जिले की खेतड़ी तहसील में 7118 हैक्टेयर रक्षित वन भूमि को बनसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है और इस रिजर्व में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण पर 2017-18 में 2 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी।

सरिस्का, मुकन्दरा और झालाना में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 2017-18 में 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय की जाएगी।

पिछले बजट भाषण में मैंने यह घोषणा की थी कि रणथम्भौर, सरिस्का और मुकन्दरा टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती गांवों में हंड्रेड प्रतिशत अनुदान पर 40 हजार नये गैस कनेक्शन दिये जाएंगे। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि वन विभाग ने इस घोषणा की क्रियान्विती में एक 'fuelwood free village scheme' लागू कर चालू वित्तीय वर्ष में 40 हजार से भी अधिक, ऑलमोस्ट 44 हजार परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान कर दिये हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना के अंतर्गत 50 हजार अतिरिक्त परिवारों को 100 प्रतिशत अनुदान पर नये गैस कनेक्शन देने की घोषणा करता हूं। इससे तीनों टाईगर रिजर्व के संबंधित अधिकांश ग्रामीण परिवारों को कवर कर दिया जाएगा और इसका वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा तथा महिलाओं के स्वास्थ्य पर एक विजिबल इम्पैक्ट होगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

In DOIT, भामाशाह योजना के प्रदेशव्यापी विस्तार के कारण राजस्थान डिजिटल पेमेंट में देश में अग्रणी स्थान रखता है। राज्य में हमारे द्वारा 23 हजार से अधिक माइक्रो एटीएम स्थापित किये गये हैं, जो कि देश में सर्वाधिक हैं। इस सुविधा को और बढ़ाते हुए एक वृहद् रूप देकर प्रदेशवासियों को कैशलेस भुगतान लेने और देने के लिए अधिक समर्थ बनाने के उद्देश्य से मैं घोषणा करती हूं कि ई-मित्र संचालकों और छोटे ट्रेडर्स को 10 हजार टैबलेट्स 'पॉस' के माध्यम से विभिन्न कार्ड i.e. debit/credit/pre-paid/digital wallets/e-wallets/internet banking/unified payment interface/USSD/banking apps/ bio-metric adhaar payments इत्यादि सभी तरह के कैशलेस लेन-देन के लिए सक्षम बनाया जाएगा।

हमारी सरकार ने शहरी विकास को नये आयाम देने के लिए शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं। इस क्रम में जयपुर का जीआईएस आधारित थ्री-डी सिटी मॉडल बनाया जाएगा। थ्री-डी जयपुर सिटी परियोजना से सुनियोजित प्लानिंग के साथ-साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी दक्षता का विकास संभव होगा। इसके अतिरिक्त थ्री-डी आधारित बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए बिल्डिंग इंफार्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी डवलप किया जाएगा।

रेवेन्यू में कुछ नई तहसीलें बनाये जाने की घोषणा करती हूं। रावला (श्रीगंगानगर), सुनेल बकानी (झालावाड़), धनाऊ चौहटन (बाड़मेर), मण्डावर (दौसा), बापनी एवं देचू (जोधपुर), भिण्डर (उदयपुर) व बज्जू (बीकानेर)।

जिला पश्चिम आयुक्तालय, जोधपुर में नया पुलिस थाना देवनगर का सृजन होगा।

जयपुर शहर के लिए रिंग रोड की परियोजना हमने हमारे पूर्व कार्यकाल में बनायी थी। हमारी सरकार की मंशा थी कि कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। परन्तु जैसा हम सब जानते हैं पिछली सरकार द्वारा इस परियोजना पर समग्र प्रयास नहीं करने के कारण रिंग रोड निर्माण हेतु कार्यादेश देने के बाद भी रिंग रोड परियोजना क्रियान्विती समयबद्ध रूप से नहीं करवा पाए। हमारी सरकार के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

गठन के उपरान्त हमने पूर्ण प्राथमिकता से रिंग रोड परियोजना से प्रभावित काश्तकारों को पूर्ण रूप से संतुष्ट उनको करते हुए परियोजना क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए अब फिर गति प्रदान की है। मैं भारत सरकार और विशेष तौर पर श्री नितिन गडकरी जी, माननीय केन्द्रीय मंत्री महोदय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आभारी हूं कि उन्होंने इस परियोजना को नेशनल हाईवे के माध्यम से शीघ्र पूर्ण करवाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। मुझे विश्वास है कि इस व्यवस्था से जमीनी स्तर पर परियोजना की जल्दी क्रियान्विती हो सकेगी और जयपुर के विकास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा।

अब रिफाइनरी की बात बार-बार सदन के बाहर और सदन के अंदर उठती रहती है और हम लोगों को सुनना पड़ता है। ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम कोई रिफाइनरी के पक्ष में हैं या पक्ष में नहीं हैं। विषय पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं है। विषय सिम्पली सिर्फ इतना है कि राजस्थान का किस तरीके से हम लोग भला कर सकेंगे। बाड़मेर में रिफाइनरी के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2013 में एचपीसीएल के साथ एक एमओयू किया था, जिसके तहत 9 मिलियन टन रिफाइनरी एण्ड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित था। I am just going over the background. इसमें राज्य सरकार को वित्तीय सहायता के रूप में 26 परसेंट इक्विटी का 3871 करोड़ देना था। वीजीएफ के अंतर्गत ब्याजमुक्त ऋण के रूप में 15 वर्षों तक प्रतिवर्ष 3736 करोड़ देना पड़ता, जिसके कारण सरकार पर लगभग 60 हजार करोड़ का जबर्दस्त वित्तीय भार पड़ता। यह सबको मालूम है। यह सब देखते हुए मैंने दिनांक 14 जुलाई, 2014 को विधान सभा में इस पूरे निर्णय की समीक्षा करने की घोषणा की थी। मुझे सदन को बताते हुए आज प्रसन्नता है कि हमारे तर्कसंगत और लगातार प्रयासों से एचपीसीएल को अपने पूर्व प्रस्ताव को बदलना पडा है और उन्होंने अपना नवीन प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है। जहां पहले वीजीएफ के रूप में 15 वर्षों तक राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष ब्याजमुक्त ऋण के रूप में 3736 करोड़ का भार पड़ता, वहीं इसे रि-नेगोशियट करने से अब यह घटकर 1123 करोड़ प्रतिवर्ष हो गया।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इसलिए मैंने कहा था कि इतना बड़ा निर्णय अपने को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। इसके बारे में अच्छी तरह से सोच-विचार करके यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि राजस्थान के हित में हम क्या कर रहे हैं? चुनावी वर्ष था, पर हम क्या राजस्थान के भले को अपने चुनावी वर्ष के ऊपर समर्पित करने को तैयार थे? मैं तो नहीं समझती, भले ही पार्टी को इसका फायदा मिलता हो, परन्तु राजस्थान के हित में यह बात नहीं थी और रि-नेगोशिएशन से हमने कोशिश की तो रि-नेगोशिएशन से यह क्लीयर हो गया कि यह हित में नहीं था। समय जरूर लगा है, परन्तु राजस्थान के हित में अब फैसला हुआ है।

पिछली सरकार ने जो करार किया था उसके मुताबिक राज्य सरकार को 15 वर्ष में 56 हजार 40 करोड़ रुपया ब्याजमुक्त ऋण देना पड़ता, जो अब हमारे प्रयासों से घटकर 16845 करोड़ रुपये हो गया।

(18.00 बजे)

अब नेगोशियेशन में करीब 2/3, इस नेगोशियेशन से करीब 2/3 हम लोगों ने कम किया है, कम करने में हम सब लोग सफल हुए हैं। आप यह समझिये, जबकि परियोजना की जो लागत है वो बढ़ी है, परियोजना की लागत बढ़ने के बावजूद भी 2/3 कम करने का हम लोगों ने जब प्रयास किया तो वो काम हुआ है।

अब मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि साथ ही इक्विटी के पेटे एप्रोक्सिमेटली हण्डरेड करोड़....

श्री रमेश (सपोटरा): स्टेट का हिस्सा भी है?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अब आप पढ़ लेना। पूरी बात पढ़ लेना। हम तो आपके सामने हैं। हम यह हाउस में घोषणा कर रहे हैं।

यह सब सोच-विचार करने के बाद, इसलिए हमने आते ही जल्दबाजी में नहीं किया, आनन-फानन में भी नहीं कर रहे और न हम चुनाव के लिए रुके हुए हैं। हमको जो भी काम करना है उसके लिए हमने तीन वर्ष लगाये, हार्ड बार्गेनिंग की, नेगोशियेशन किया और नेगोशियेशन करने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि 56 हजार करोड़ से इसको हम लोग 2/3 कम करने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

में सक्षम रहे हैं। साथ में इक्विटी के पेटे भी एप्रोक्सिमेटली हण्डरेड करोड़ हमने कम किया है और हम शीघ्र ही इसके सब डिटेल्स को वर्क-आउट करेंगे उपाध्यक्ष महोदय, और बहुत ही जल्दी इसका एम.ओ.यू. I think next month or month after next. में हमारा इसका एम.ओ.यू. हो जाएगा। आई थिंक कि 3-4 साल के हार्ड बार्गेनिंग के बाद यह रिजल्ट आप लोगों के सामने आया है। मैं समझती हूं कि पिछली सरकार ने भी अगर चुनाव के ऊपर इसको नहीं छोड़ते हुए पहले ही इसके बारे में सोचकर बार्गेनिंग करके, सोच-विचार करके काम किया होता तो शायद उनको भी यही रिजल्ट मिल सकते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हमारा जो यह इन्क्लुजिव ग्रोथ का जो कार्यक्रम है उसमें Growth oriented and forward looking Budget हम लोग पेश कर पाये हैं, in which we have taken very important steps उपाध्यक्ष महोदय, towards a modern, happpy, smiling Rajasthan. विकास के लिए आधुनिकता और मॉडर्नाइजेशन के लिए विकास, this is very very important. और हमने कोशिश की है कि हमारा बजट ऐसे ही इसी रास्ते पर चले।

अगले वित्तीय वर्ष में एम.जी.एस.ए. के अलावा शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य मंत्री शहरी जन कल्याण शिविर, न्याय आपके द्वार, पण्डित दीनदयाल पंचायत कल्याण शिविर के साथ-साथ, हम लोग एक नि:शक्तजनों के लिए शिविर आयोजित करके उनको भी सबको पूरे प्रदेश के अन्दर लाभान्वित करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी आपको कहना चाहूंगी कि अभी तक तो स्मार्ट सिटी - स्मार्ट सिटी की हम लोगों ने बात की है। आज मॉडर्नाइजेशन को गांवों तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने हाथ में लिया है और स्मार्ट विलेज बनाने का भी हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। मैं समझती हूं, ये स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी से लेकर स्मार्ट विलेज, कहीं बीच में कभी कोई खाई भी हुई होगी तो इसको पाटने की पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हम मानते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ मोबाइल फोन होना या कम्प्यूटर होना या इससे जुड़ना, यही नहीं होता है, मॉडर्नाइजेशन एक विचार

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

है उपाध्यक्ष महोदय और हम मानते हैं कि ये मॉडर्नाइजेशन लोगों को जागरूक करता है, लोगों को अपने पैर पर खड़ा करता है, उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाता है और हमारा सबका यही प्रयास रहा है कि हम किस तरीके से राजस्थान को आगे बढ़ा सकें। किस तरीके से लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकें, किस तरीके से उनके जीवन को आसान बना सकें और किस तरीके से उनको आत्मनिर्भर बना सकें ताकि हम 36 की 36 कौम को मिलाकर एक मॉडर्न, एक आधुनिक और विकसित प्रदेश का जो सपना हम सबने देखा है उसको साकार कर सकें।

उसके लिए मैं हाउस को एक शेर समर्पित करना चाहती हूं-

आओ एक नई सोच के साथ हम आगे कदम बढ़ाएं

हौंसलों से सपनों की ऊंचाइयां छूकर दिखाएं।

आज आप और हम मिलकर एक संकल्प लें ऐसा,

कि राजस्थान को तरक्की के शिखर पर हम मिलकर पहुंचाएं।

धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। और मैं आपके द्वारा हमारे सब माननीय सदस्यों को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आज राजस्थान दिवस का क्लोजिंग फंक्शन है और आप सब आमंत्रित हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-२) विधेयक 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 पर खण्डश: विचार।

खण्ड- 2 से 7। कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड- 2 से 7 स्वीकार किये जाएं?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड- 2 से 7 स्वीकार किए गए।

खण्ड 8

श्री मानिक चंद जी सुराना

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मैंने जो प्रस्ताव दिया है, उसको विथड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 8 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड- 8 स्वीकार किया गया।

खण्ड- 9 से 12 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 9 से 12 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड- 9 से 12 स्वीकार किए गए।

खण्ड- 1 अधिनियमन, सूत्र नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 1, अधिनियमन, सूत्र नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड- 1 अधिनियमन, सूत्र नाम आदि स्वीकार किया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 2017 पर खण्डश: विचार

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड- 2 एवं 3 ।कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड- 2 एवं 3 स्वीकार किए गए।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड- 1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड- 1 अधिनियमन, सूत्र नाम आदि स्वीकार किया गया।

मुख्यमंत्री महोदय।

विधेयक का पारण

राजस्थान वित्त विधेयक, 2017

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: दूसरा भी।

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पारित किया गया।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे

भारत भाग्य विधाता।

पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा

द्राविड़ उत्कल बंग

विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा

उच्छल जलधि तरंग

तव शुभ नामे जागे

तव शुभ आशिष मांगे

गाहे तव जय गाथा।

जन गण मंगल दायक जय हे

भारत भाग्य विधाता।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.09 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

श्रीरामसर-सुजानदेसर (बीकानेर) सड़क का पुनःनिर्माण

481. श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) के श्रीरामसर-सुजानदेसर में वर्ष 2008 से 2013 में क्षतिग्रस्त सड़क का कार्य बिना लेवलिंग के करवाया गया है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का लेवल ठीक करवा कर क्षतिग्रस्त सड़क को पुन: बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) के श्रीरामसर-सुजानदेसर में पूर्व सरकार के समय बनाई गई दो सड़कों का निर्माण लेवलिंग कोर्स कराने के उपरान्त निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करवाया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त दोनों सड़कों का लेवल ठीक है। दोनों सड़कों की स्थिति संतोषजनक होने के कारण पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले को चम्बल से पानी देने की योजना

482. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अलवर जिले को चम्बल का पानी दिये जाने हेतु कोई परियोजना पर कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

(2) क्या सरकार उक्त परियोजना को शीघ्र पूरा कर आमजन को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अलवर जिले को सतही जल स्रोत चम्बल नदी से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण इसका क्रियान्वयन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

अलवर जिले में चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राशि रुपये 4718.67 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार सम्पूर्ण परियोजना का प्रथम चरण वर्ष 2036 की पेयजल मांग के आधार पर प्रस्तावित किया गया है तथा इस परियोजना में चम्बल नदी से अलवर शहर तक मुख्य ट्रांसमिशन मेन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के कार्यों का प्रावधान सम्मिलित है। इस परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी क्लीयरेंस विभाग की तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 17.03.2016 को दी गई है।

वित्तीय प्रबन्धन सुनिश्चित होने के उपरांत परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के निर्णय पर विचार तत्समय संभव हो सकेगा।

(2) उपरोक्तानुसार, वित्तीय प्रबन्धन सुनिश्चित होने के उपरांत परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के निर्णय पर विचार तत्समय संभव हो सकेगा।

उदयपुर ग्रामीण के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

483. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की कौन-कौनसी पंचायतों में पशु चिकित्सालय व कौन-कौनसी पंचायतों में उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सक पदस्थापित हैं? यदि हां, तो चिकित्सालयवार पदस्थापित चिकित्सकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय/उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों

(श्री फूलसिंह मीणा)

के रिक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की पंचायतों के नाम जहां पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत है का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। पशुपालन विभाग में 409 रिक्त पदों पर पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति दी गई है तथा 35 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

आगामी वर्षों में पशुपालन विभाग में 900 पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों को भरा जाना प्रस्तावित है।

रिक्त पदों को उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों के नये भवन बनाने की योजना

484. डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर जिले में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा उनमें से कितने केन्द्र किराए के भवन में चल रहे हैं? ग्राम, शहर व ढाणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त जिले में गत पाँच वर्षों में किराए के भवनों में चलने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों का कुल कितने किराये का भुगतान किया गया?

(3) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में उक्त जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों की कब-कब जांच की गई तथा अनियमितताएं पाए जाने पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डॉ. फूल चन्द भिण्डा)

(4) सरकार द्वारा उक्त जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों के नये भवन बनाने की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में कुल 4223 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है तथा उनमें से 1497 केन्द्र किराए के भवन में चल रहे है, ग्राम, शहर व ढाणीवार आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जयपुर जिले में गत पांच वर्षों में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जयपुर जिले में गत तीन वर्षों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज निकाय/ स्थानीय निकाय/ राजस्व विभाग से भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 2000 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण महानरेगा से कन्वर्जेन्स से कराना लक्षित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

माण्डलगढ़ के शक्ति केन्द्र

485. सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश के प्राचीन व धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों की देखभाल हेतु विभाग के अधीन लेने की कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा माण्डलगढ़ में कितने शक्ति केन्द्र वर्तमान में विभाग के अधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्राचीन धार्मिक स्थलों एवं मन्दिरों की देखभाल हेतु देवस्थान विभाग के अधीन लेने हेतु वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

(2) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में देवस्थान विभाग के अधीन वर्तमान में कोई प्रबंधित एवं नियंत्रित शक्ति केन्द्र नहीं है। तहसील माण्डलगढ़ ग्राम सिंगोली में राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी का मन्दिर श्री चतुर्भुज जी (सिंगोली श्याम जी) मात्र एक मंदिर है।

झापादरा (डूंगरपुर) में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने का कार्य

486. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति, डूंगरपुर की ग्राम पंचायत, उपर गांव में झापादरा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने हेतु क्या योजना बनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उपर गांव में झापादरा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर प्रस्तावित स्थल ग्राम पंचायत का पूर्व निर्मित टेंक के भराव क्षेत्र से मात्र 50 मीटर की दूरी पर होने तथा अपस्ट्रीम की ओर वन विभाग की भूमि आने से झापादरा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हेतु योजना बनाया जाना विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। क्योंकि उक्त ग्राम पंचायत में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल उपलब्ध नहीं है।

प्रदेश में खान आवंटन हेतु नवीन खनन नीति

487. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में नवीन खनन नीति बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में गत तीन वर्षों में खाने आवंटन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हमीर सिंह भायल)

(3) प्रदेश में गत दो वर्षों में कितनी खाने कहां-कहां आवंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) मेसेनरी स्टोन की खान आवंटन हेतु क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) बाड़मेर जिले में वर्तमान में जिप्सम की कितनी खाने संचालित है एवं उक्त खानों के लिये कितने नये आवेदन प्राप्त हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा नवीन खनन नीति-2015 बनाई गई, जिसमें आंशिक संशोधन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28.02.2017 से किया गया है। खनिज नीति 2015 व उक्त नीति में संशोधन आदेश दिनांक 28.02.2017 की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) राज्य में गत तीन वर्षों में खानें आवंटन कराने हेतु कुल 6919 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कार्यालयवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) राज्य में गत दो वर्षों में 119 खानें आवंटित की गई है। कार्यालयवार विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(4) खनिज मेसेनरी स्टोन की खानों का आवंटन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 के चेप्टर-।। एवं ।।। के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। संबंधित प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(5) बाड़मेर जिले में जिप्सम के वर्तमान में निम्न दो खनन पटटे संचालित है।

क्र. स.	पट्टाधारी का नाम	एम. एल. संख्या	क्षेत्रफल (है.)	निकट ग्राम	तहसील/ जिला	अवधि
1	आर. एस. एम. एम. एल.	2/93	336.08	झारखरडा	गुडामलानी/ बाड़मेर	11.09.07 से 5 वर्ष
2	चौधरी मिनरल्स एण्ड केमीकल्स	9/09	4.50	कोसारिया	बायतु/ बाड़मेर	05.06.14 से 50 वर्ष

(राज्य मंत्री, खान)

बाड़मेर जिले में खनिज जिप्सम के लिये पिछले तीन वर्षों में 98 आवेदन पत्र खननपट्टा हेतु तथा 54 आवेदन पत्र पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र हेतु प्राप्त हुये। ये सभी आवेदन पत्र भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.01.2015 के अनुसार अयोग्य घोषित किये गये। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.10.2016 के तहत किसानों द्वारा खातेदारी भूमि के सुधार हेतु खातेदारी भूमि में उपलब्ध जिप्सम की परत हटाने के लिए परमिट हेतु बाड़मेर जिले में कुल 65 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिले में राशन सामग्री की कटौती

488. श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रीगंगानगर जिले को वर्ष 2015 व 2016 में गेहूं, केरोसिन, चीनी की आपूर्ति में कितनी कटौती की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त जिले की सभी तहसीलों को कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं, केरोसिन, चीनी आवंटित की गई? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2015 से 2017 के मध्य घड़साना में राशन कार्ड के अनुसार कितनी सामग्री तहसीलों में भिजवाई गई? उक्त दोनों तहसीलों में तहसीलवार कटौती किये गये केरोसीन व चीनी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले को वर्ष 2015 व 2016 में गेहूं, केरोसीन एवं चीनी की आपूर्ति एवं कटौती/वृद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. स.	निम्न राशन सामग्री	आवंटित मात्रा वर्ष 2015	आवंटित मात्रा वर्ष 2016	कटौती	वृद्धि
1.	गेहूं (मै.टन)	74784	74490	294	-
2.	चीनी (मै.टन)	2685.3	2706.7	-	21.4
3.	केरोसीन (कि.ली.)	15060	11525	3535	-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) माह जनवरी, 2015 से फरवरी, 2017 तक श्रीगंगानगर जिले की सभी तहसीलों को आवंटित मात्रा में गेहूं, केरोसीन, चीनी दी गई है। तहसीलदार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2015 एवं 2016 में तहसील घड़साना में केरोसीन एवं चीनी की आपूर्ति एवं कटौती/वृद्धि का वितरण निम्न प्रकार है:-

क्र. स.	निम्न राशन सामग्री	आवंटित मात्रा वर्ष 2015-16	आवंटित मात्रा वर्ष 2016-17	कटौती	वृद्धि
1.	गेहूं (मै.टन)	7104.0	6695.6	408.4	-
2.	चीनी (मै.टन)	280.50	267.60	12.90	-
3.	केरोसीन (कि.ली.)	1288	963	325	-

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालोर जिले में स्थापित नर्सरियां

489. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले में नर्सरी स्थापित है? यदि हां, तो कितनी व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नर्सरी में पौधारोपण का समय और लक्ष्य निर्धारित है? यदि हां, तो उक्त जिले की किस-किस नर्सरी को कितना-कितना लक्ष्य दिया गया व उसके अनुपात में कितने-कितने, किस-किस किस्म के पौधों का रोपण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जालोर जिले में स्थापित स्थाई एवं अस्थाई नर्सरियों संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट "ए" अनुसार है।

(2) जी हां। नर्सरी में पौधारोपण एवं वितरण हेतु पौध तैयारी संबंधित समस्त कार्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्यों के आधार पर निर्धारित समय पर किये जाते हैं। जालोर जिले में स्थापित नर्सरियों को गत तीन वर्षों में आवंटित लक्ष्य एवं पौध तैयारी का प्रजातिवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "बी" अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हिंडौली में नये सड़क मार्ग स्वीकृत करने की योजना

490. श्री अशोक (हिण्डौली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बूंदी जिले में विधान सभा क्षेत्र वार वर्ष 2014 से जनवरी, 2017 तक कितने डामरीकृत सड़क मार्ग स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र हिंडौली में और नए सड़क मार्ग स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसे व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में वर्ष 2014 से जनवरी, 2017 तक 80 डामरीकरण सड़कें स्वीकृत की गई हैं। विधान सभा क्षेत्र वार विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली में और नए सड़क मार्ग स्वीकृत करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निजी फार्म हाउस पर नियम विरुद्ध पाइपलाइन बिछाने पर कार्यवाही

491. श्री रमेश (सपोटरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 2016 से सितम्बर, 2016 के मध्य विभाग के एक विशेषाधिकारी के निजी फार्म हाऊस तक बीसलपुर योजना एवं पी.एच.ई.डी. की योजना से दो पाइप लाइन बिछाई गई थी? यदि हां, तो किस उपयोग हेतु एवं किसकी अनुशंषा/आदेश से? अनुशंषाओं एवं आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों पाइप लाइन बिछाने पर किस मद में कितनी राशि व्यय की गई? दोनों पाइप लाइन बिछाने से संबंधित आदेशों की प्रति सदन

(श्री रमेश)

की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में भी दोनों पाइप लाइन का उपयोग किया जा रहा है? यदि हां, तो किस कार्य हेतु?

(4) क्या उक्त पाइप लाइन डालने का कार्य नियमानुसार किया गया? यदि नहीं, तो नियम विरुद्ध, कार्य करने वाले विशेषाधिकारी/संबंधित अधिकारियों एवं फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जनवरी 2016 से सितम्बर 2016 के मध्य विभाग ने बीसलपुर-दूदू-बस्सी पेयजल परियोजना के अन्तर्गत गांव ग्वालिनी तहसील बस्सी में कई अलाभान्वित रहवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक पाइप लाइन डाली गई थी जिसमें तत्कालीन एक विभागीय अधिकारी का खेत में स्थित मकान भी सम्मिलित है। गांव ग्वालिनी गुणवत्ता प्रभावित गांव है जिसमें टी.डी.एस. की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से अधिक है। उक्त मकान पाइप्ड योजना के उच्च जलाशयों से लगभग 1.86 किलोमीटर की दूरी पर है तथा वर्तमान में पूर्व में डाली हुई पाइप लाइन से लगभग 1.43 किलोमीटर की दूरी पर है। इन अलाभान्वित रहवासियों को पेयजल से लाभान्वित करने के उद्देश्य से तत्कालीन मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा भी अनुशंषा की गई थी। अभी उक्त परियोजना का कार्य प्रगति पर है एवं इन रहवासियों को पेयजल योजना से लाभान्वित नहीं किया गया है। एक अन्य पाइप लाइन उक्त मकानों के सामने स्थित सड़क के दूसरी ओर ग्राम रजवास की ढाणियों को जोड़ने हेतु डाली गई है, तथा इन मकानों को इस पाइप लाइन से जोड़ा नहीं गया है।

अनुशंषा एवं परियोजना के कार्यादेश की प्रति (परिशिष्ट-क) संलग्न है।

(2) उक्त दोनों पाइप लाइनों का भुगतान नहीं किया गया है। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में परियोजना का कार्य प्रगति पर है।

(4) खण्ड 1 के उत्तर के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रावतसर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सड़कों का निर्माण

492. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रावतसर कृषि उपज मंडी समिति गत कई वर्षों तक ए श्रेणी में थी? यदि हां, तो वर्तमान में बी श्रेणी में आने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2014-15 में पूलिया एवं सड़कों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अधिसूचना दिनांक 12.5.16 से राज्य में स्थापित कृषि उपज मण्डी समितियों के श्रेणीकरण के लिए मण्डी शुल्क से प्राप्त वार्षिक आय के आधार पर निर्धारित नवीन मापदण्ड के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति रावतसर को वर्तमान में "ब" श्रेणी की मण्डी घोषित किया गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2014-15 में मण्डी रावतसर के अन्तर्गत 100 नग पाइन कल्वर्टस पुलियां का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं इस वर्ष में सड़क निर्माण नहीं करवाया गया। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

493. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां जिले में वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं व उक्त केन्द्रों में कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त है तथा कितने पद रिक्त हैं? ग्राम पंचायत वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में आंगनबाड़ी केन्द्र रहित स्थानों पर नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन

(श्री ललित कुमार)

हैं? क्या सरकार भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में 08 परियोजनाए संचालित है, जिसके अन्तर्गत 1618 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। उक्त केन्द्रों में 1583 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत है तथा 35 पद रिक्त हैं, ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा मांग पर आधारित आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र एवं नोर्म्स के अनुसार प्राप्त कर परीक्षण उपरान्त भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं।

(3) विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में 122 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज निकाय/ स्थानीय निकाय/ राजस्व विभाग से भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के मंदिरों से प्राप्त चढ़ावे की राशि का उपयोग

494. श्री तरुण राय कागा (चौहटन): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के कितने मंदिर सरकार के अधीन है एवं उक्त मंदिरों से 3 वर्षों में कितना चढ़ावा प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा गत 3 वर्षों में उक्त मन्दिरों से प्राप्त चढ़ावे की राशि का क्या उपयोग किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बाड़मेर जिले के कितने मंदिर सरकार के अधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के देवस्थान विभाग के अधीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 390 एवं राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के 203 मंदिर है। जिलेवार सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

उक्त मन्दिरों से गत तीन वर्षों से प्राप्त चढ़ावे का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्र.स.	श्रेणी	मंदिरों की संख्या	वर्ष 2014-15	वर्ष 2014-15	वर्ष 2014-15
1	रा.प्र.प्र.	390	26.40	29.20	20.05
2	रा.आ.श्रे.	203	379.34	348.90	315.73

(2) राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मन्दिरों से प्राप्त राजस्व विभागीय आय मद में तथा राजकीय आत्म निर्भर मन्दिरों से प्राप्त आय निजी निक्षेप खाते में जमा कराई जाती है तथा स्वीकृत बजट अनुसार कार्मिकों के वेतन यात्रा भत्ता मंदिरों में नेवैध आरोगण, प्रकाश (विधुत व्यवस्था), साफ सफाई, पूजा अर्चना उत्सव, पोशाक एवं सुरक्षा एवं संचालन, मन्दिरों में लगने वाले मेलो की व्यवस्था मन्दिरों के जीर्णोद्धार एवं निर्माण पर व्यय किया जाता है।

(3) बाड़मेर जिले में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्म निर्भर श्रेणी का कोई मन्दिर नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गई)

फलौदी में बरसाती जल संरक्षण की योजना

495. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जल संरक्षण की क्या नीति/नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में बरसाती पानी के संरक्षण के लिए क्या-क्या योजनाएं लागू की गई है और इस हेतु वर्तमान में कितने कार्य स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फलौदी में बरसाती जल संरक्षण हेतु

(श्री पब्बाराम)

कोई एनिकट एवं चैकडेम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक?

उत्तर

(1) प्रदेश में जारी जल नीति की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जोधपुर जिले में बरसाती पानी के संरक्षण हेतु निर्मित जल संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत एवं रख रखाव एवं जीर्णोद्धार हेतु मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान द्वितीय चरण अन्तर्गत 19 कार्य, महानरेगा योजना अन्तर्गत 18 कार्य, एवं एम.एल.ए. लेड योजना अन्तर्गत 1 कार्य स्वीकृत है, विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फलौदी में बरसाती जल संरक्षण हेतु निर्मित जल संग्रहण संरचनाओं (बांध/खडीन) के जीर्णोद्धार के 9 कार्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत जिला योजना में प्रस्तावित है। बजट उपलब्धतानुसार स्वीकृति उपरान्त अग्रिम कारवाई की जानी प्रस्तावित है, कार्यों का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई माधोपुर में मिट्टी ले जाते ट्रैक्टरों से पैनल्टी की वसूली

496. डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2017 को मिट्टी ले जाते हुए सवाईमाधोपुर की शेरपुर रोड पर दो ट्रैक्टरों को पकड़ा गया था? यदि हां, तो उक्त ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों ट्रैक्टरों से भारी पैनल्टी की राशि वसूल की गई थी? यदि हां, तो उक्त पैनल्टी की रसीद की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि दिनांक 18.01.2017 को जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा अवैध रूप से खनिज साधारण मिट्टी ले जाते हुए दो

(राज्य मंत्री, खान)

ट्रैक्टरों को पकड़ा था। उक्त दोनों ट्रैक्टरों की रजिस्ट्रेशन की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उक्त दोनों ट्रैक्टरों से अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन किए जाने से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के अन्तर्गत नियमानुसार प्रत्येक ट्रेक्टर से शास्ति मय कम्पाउण्ड फीस रुपये 25120/- कुल रुपये 50240/- की वसूली की गई है। अवैध रूप से खनिज परिवहनकर्ताओं द्वारा शास्ति जरिये ई-चालान से जमा कराई गई है जिसकी प्रतियां परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगढ़ (अजमेर) में नवीन पैट्रोल पम्पों व गैस एजेन्सियों को लाइसेंस

497. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पैट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सियों को लाइसेन्स जारी करने के निर्देश एवं नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 03 वर्षों में अजमेर संभाग में कितने पैट्रोल पम्पों एवं गैस एजेन्सियों को नवीन लाइसेन्स जारी किये व कितने निलम्बित एवं निरस्त किये गये? कितने बन्द पैट्रोल पम्पों को पुन: लाइसेन्स दिया गया व किन-किन लाइसेन्सों के स्वामित्व को परिवर्तित किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड में मानदण्डानुसार पर्याप्त गैस ऐजेन्सियां एवं पैट्रोल पम्प आवंटित किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार किशनगढ़ नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के अराई, बोराड़ा, हरमाड़ा व सलेमाबाद ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नवीन गैस एजेन्सी/पैट्रोल पम्पों को लाइसेन्स जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) व गैस एजेन्सी व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Study) के अनुसार तेल कम्पनियों द्वारा समय-समय

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

पर समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाता है। चयन प्रक्रिया के पश्चात् लेटर ऑफ ईटेंट (LOI) जारी किया जाता है। इसके पश्चात् जिला कलक्टर से जमीन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, पैट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से विस्फोटक लाइसेन्स एवं जिला रसद अधिकारी से आर.पी.पी.एल. लाइसेन्स लिया जाता है। वर्तमान में तेल कम्पनियों द्वारा प्रयोज्य पैट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सी गाइड लाइन्स की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा पैट्रोल पम्प को लाइसेन्स जारी करने के संबंध में जारी राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश,1990 दिनांक 28.11.1990 की प्रति परिशिष्ट-3 पर एवं गैस एजेन्सी को लाइसेन्स जारी करने के संबंध में जारी द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 दिनांक 26.04.2000 की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(2) गत 03 वर्षों में अजमेर संभाग में पैट्रोल पम्पों एवं गैस एजेन्सियों को जारी नवीन लाइसेन्स, निलम्बित/निरस्त, बन्द पैट्रोल पम्पों को पुन: लाइसेन्स देने तथा लाइसेन्सों के स्वामित्व परिवर्तन का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(3) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड क्षेत्र में आमजन की सुविधार्थ पर्याप्त गैस एजेन्सियां आबंटित की गई है एवं इन स्थानों में स्थित उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति निकटतम एजेन्सियों द्वारा सुचारू रूप से निर्बाध की जा रही है। वर्तमान में किशनगढ़ क्षेत्र में चार गैस एजेन्सीज कार्यरत है एवं हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि. द्वारा दो नवीन गैस एजेन्सीज की स्थापना हेतु चयन प्रक्रिया के पश्चात् लेटर ऑफ ईटेंट (LOI) जारी किया जाकर शीध्र ही खोली जाना प्रक्रियाधीन है। साथ ही ग्राम हरमाड़ा, कोटड़ी, बोराड़ा एवं डीडवाना का चयन नवीन गैस एजेन्सी खोले जाने की संभावना हेतु व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Study) किया जाकर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड क्षेत्र में वर्तमान में किशनगढ़ सिटी

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(WML) में 03 पैट्रोल पम्प (आई.ओ.सी., बी.पी.सी., एच.पी.सी.) है, जो कि पर्याप्त है। समय के साथ बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि. ने 01 अतिरिक्त नए रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए एलओआई जारी किया है तथा भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि. ने 01 नए रिटेल आउटलैट के लिए विज्ञापन जारी किया हुआ है। इसके अलावा इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि. का अराई, बोराड़ा और हरमाड़ा में एक-एक रिटेल आउटलैट है। सलेमाबाद से सबसे निकटतम रिटेल आउटलैट गांव करकेड़ी में है, जो लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर है। भविष्य में भी क्षेत्र में जरूरत के अनुसार समय-समय पर नए पैट्रोल पम्प के लिए तेल कम्पनियों द्वारा विज्ञापन जारी किये जाएंगें।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पोलीथिन पर प्रतिबन्ध के उपरान्त भी उपयोग किये जाने पर कार्यवाही

498. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पोलीथीन पर प्रतिबंध के उपरान्त भी पोलीथीन का उत्पादन एवं उपयोग होने से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं एवं उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पोलीथीन खाने से गोवंश एवं अन्य पशुधन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड रहा है और उनकी जान भी चली जाती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा पोलीथीन से गोवंश एवं अन्य पशुधन को बचाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सडकों पर पोलीथीन से कचरा फैला रहता है एवं पोलीथीन की थैलियों से नालियां जाम होने के कारण ड्रेनेज सिस्टम अवरुद्ध हो जाता है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

(4) क्या यह भी सही है कि पोलीथीन के उपयोग से जमीन की उर्वरता पर विपरीत प्रभाव पड़ने से वातावरण दूषित हो रहा है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्लास्टिक कैरी बैग्स के पर्यावरण पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21/07/2010 को अधिसूचना जारी कर दिनांक 01/08/2010 से संपूर्ण राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाया है। परन्तु प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबन्ध के उपरान्त भी इनका उपयोग अभी पूर्णरूपेण बन्द नहीं हो पाया है जिससे पर्यावरण को नुकसान होने की संभावना अभी भी बनी हुई है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग, विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध को सुनिश्चित करने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण हेतु किसी भी इकाई को स्थापना/ संचालन हेतु सम्मति जारी नहीं की है तथा राज्य मण्डल के अभिलेखों के अनुसार राज्य में पोलिथिन कैरी बैग्स बनाने वाली कोई भी उत्पादन ईकाई वर्तमान में कार्यरत नहीं है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग्स पर लगाए गए प्रतिबंध को सुनिश्चित करने हेतु राज्य मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम प्रदेश में समय-समय पर अभियान चलाकर प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग/ विनिर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों/ ईकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए राज्य मण्डल में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार दिनांक 28.02.2017 तक एक लाख किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किये गये हैं तथा पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 19 के अंतर्गत 180 प्रतिष्ठानों/ इकाइयों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में परिवाद दायर किये गये हैं उक्त प्रकरणों में से 67 परिवादों का विभिन्न न्यायालयों

(पर्यावरण मंत्री)

द्वारा निस्तारण किया जा चुका है तथा 113 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में एक उद्योग के विरुद्ध जिला उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी परिवाद दायर किया गया है जो कि वर्तमान में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डनायक जोधपुर में विचाराधीन है।

(2) जी हां। पोलीथीन खाने से गोवंश एवं अन्य पशुधन को भी नुकसान होता है। इसके लिए आम नागरिकों को जागरूक किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में समय-समय पर अभियान चलाकर प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग/विनिर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों/इकाईयो के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तथा सम्बन्धित न्यायालयों में परिवाद दायर किये जाते हैं।

(3) जी हां। पोलीथीन से ड्रेनेज सिस्टम प्राय: अवरुद्ध हो जाता है। इसके लिए आम नागरिकों को जागरूक किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में समय-समय पर अभियान चलाकर प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग/विनिर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों/ इकाईयो के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तथा सम्बन्धित न्यायालयों में परिवाद दायर किये जाते हैं।

(4) जी हां। पोलिथीन के उपयोग से जमीन की उर्वरकता को भी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता, तथापि इसके लिए आम नागरिकों को जागरूक किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में समय-समय पर अभियान चलाकर प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग/विनिर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों/ इकाईयो के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तथा सम्बन्धित न्यायालयों में परिवाद दायर किये जाते हैं।

प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा सड़क निर्माण हेतु आवंटित राशि

499. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यों के अन्तर्गत कब-कब कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना/ मद में कब-कब स्वीकृत/आवंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) उक्त स्वीकृत/आवंटित राशि से किन-किन जिलों में किस-किस मद में कितने-कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण /मरम्मत / सुदृढ़ीकरण कराया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य सड़कों के निर्माण हेतु विभिन्न मदों में कुल 8332.83 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त स्वीकृतियां एवं बजट आवंटन का विस्तृत विवरण योजनावार व वर्षवार क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 पर प्रस्तुत है।

(2) जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 5918.96 किमी. सड़क का निर्माण सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य किया गया। जिलेवार एवं योजनावार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भादरा में प्रस्तावित पेयजल योजनाएं

500. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में अनेक पेयजल योजनाएं सरकार के प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्याओं को देखते हुए प्रस्तावित पेयजल योजनाओं को शीघ्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, भादरा की शहरी जल योजना, भादरा अंतर्गत रॉ-वाटर प्रवाह प्रणाली में आवश्यक सुधार हेतु एक योजना तथा ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत 10 ग्रामों हेतु 5 योजनाएं, इस प्रकार कुल 6 योजनाओं हेतु बनाये

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

गये प्रस्ताव वर्तमान में तकनीकी परीक्षण अंतर्गत विचाराधीन हैं। योजनावार बनाये गये प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(2) उक्तानुसार प्रस्तावित योजनाओं का तकनीकी परीक्षण किया जाकर, परीक्षण में सही पाये जाने के उपरांत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इनकी स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर में पशु अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

501. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा एक अनुसंधान केन्द्र जोधपुर में खोलने का कार्य प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो उक्त केन्द्र कब तक खोल दिया जायेगा? अब तक इस हेतु किये गये प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्र हेतु भूमि चिन्हित की जा चुकी है? यदि हां, तो उक्त भूमि के आवंटन की प्रक्रिया किस स्तर पर लंबित है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

ब्यावर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

502. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? ग्राम पंचायत वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत होते है तथा उनमें से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में विभिन्न प्रकार के कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने रिक्त हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकर सिंह रावत)

(3) वर्ष 2015-16 में अजमेर जिले में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां खोले गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में चल रहे हैं? क्या सरकार किराये के भवन में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में 02 परियोजनाएं क्रमश: ब्यावर शहर एवं जवाजा संचालित है, जिसमें परियोजना ब्यावर शहर में 117 तथा परियोजना जवाजा में 212 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) परियोजना ब्यावर शहर एवं परियोजना जवाजा में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त मानदेय कर्मियों के पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" में ही समाहित है।

(3) वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में अजमेर जिले में 31 आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना ब्यावर शहर के 113 एवं जवाजा परियोजना में 02 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज निकाय/ स्थानीय निकाय/ राजस्व विभाग से भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

वर्तमान में ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में परियोजना जवाजा में 04 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि उपज मण्डी समितियों में समायोजित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति परिलाभ

524. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में वर्ष 1995 के पश्चात् किन-किन संस्थानों के अधिशेष कितने कर्मचारियों का समायोजन कब-कब, किस-किस पद पर किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समायोजित कर्मचारियों की पूर्व संस्थानों से समायोजित तिथि से पूर्व की देय राशि प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो किस-किस कर्मचारी की कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा समायोजित संस्थानों के सेवानिवृत्त एवं मृतक कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से सेवानिवृत्त परिलाभ (ग्रेच्युटी व पेंशन) दिये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस कर्मचारी को कितना-कितना और कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन लि. के समायोजित कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से सेवानिवृत्ति परिलाभ (ग्रेच्यूटी एवं पेंशन) नहीं दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन के समायोजित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति परिलाभ नियुक्ति तिथि से देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार द्वारा समायोजित कर्मचारियों को पूर्व विभाग की देय राशि पेंशन अंशदान खाते में जमा करवाने हेतु लिखित में अंतिम अवसर दिया गया था? यदि हां, तो कब व किस आदेश से तथा निर्धारित तिथि के पश्चात् किन-किन कर्मचारियों की देय राशि ब्याज सहित जमा की गई? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि विपणन विभाग के अधीन कृषि उपज मण्डी समितियों में समायोजित किये गये कार्मिको की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कृषि विपणन विभाग के अधीन कृषि उपज मण्डी समितियों में समायोजित किये गये कार्मिको की प्राप्त राशि का तिथि सहित विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिन समायोजित कार्मिकों की सी.पी.एफ. एवं ग्रेच्युटी समायोजन से पूर्व सेवा की प्राप्त हुई है, उन्हें नियुक्ति दिनांक से पेंशन परिलाभ स्वीकृत किये गये है। समायोजित कार्मिक (सेवानिवृत/मृत्यु) जिन्हें पेंशन परिलाभ स्वीकृत किये गये हैं, उनकी सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न हैं

(4) राज.राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन लिमिटेड के जिन कार्मिको की सी.पी.एफ राशि इस विभाग को प्राप्त हुई है उन्हें नियुक्ति दिनांक से पेंशन दी गई है। फेडरेशन के नियमों के अन्तर्गत ग्रेच्युटी व अवकाश का लाभ देय नहीं होने के कारण राशि नहीं भिजवाये जाने के कारण सम्पूर्ण अवधि पर उक्त लाभ देय नही हैं।

(5) राज.राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन लिमिटेड के समायोजित कर्मचारी को उनके पूर्व विभाग में की गई सेवा को शामिल करते हुए पेंशन परिलाभ गणना उन्हीं कार्मिको की गयी है, जिनकी सी.पी.एफ/पेन्शन अंशदान की एक मुश्त राशि इस विभाग में प्राप्त हुई है। जिन कार्मिको सी.पी.एफ की एक मुश्त राशि इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है उन प्रकरणों में इस विभाग में समयोजन के पश्चात् किये गये पेंशन अंशदान की कटौती की दिनांक से गणना करते हुए पेंशन स्वीकृत की गयी है। फेडरेशन के नियमों के अन्तर्गत ग्रेच्युटी व अवकाश का लाभ देय नहीं होने के कारण राशि नहीं भिजवाये जाने के कारण सम्पूर्ण अवधि पर उक्त लाभ देय नहीं है।

(6) कृषि विपणन निदेशालय के पत्र दिनांक 28.5.2001 द्वारा सी.पी.एफ खाते में जमा कराने के निर्देश दिये गये थे। आदेश की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

समायोजित कार्मिकों की प्राप्त पेंशन अंशदान की राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुन्झुनूं में खरीफ/रबी की फसल हेतु उन्नत किस्म के बीज व खाद का वितरण

525. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में गत तीन वर्षों में खरीफ एवं रबी में कहां-कहां, कितने-कितने मिनीकिट, उन्नत बीज एवं खाद कब-कब वितरित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में खरीफ एवं रबी में कितने-कितने हैक्टेयर में कौन-कौनसी फसल कब-कब बोई गई व कितना-कितना उत्पादन कहां-कहां हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रति हैक्टेयर में उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) झुंझुनूं विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2016-17 में खरीफ एवं रबी में वितरित मिनिकिट, उन्नत बीज एवं खाद का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2016-17 में खरीफ एंव रबी में बोई गई फसल एवं उत्पादन का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रति है. फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रमाणित बीज वितरण, समन्वित नाशीजीव प्रबन्धन, पौध संरक्षण रसायन, पौध संरक्षण उपकरण, जैव उर्वरक, कृषि यंत्र, जल संवहन पाइप लाइन, फव्वारा उपलब्ध कराना आदि गतिविधियां आयोजित की जाती है एंव विभिन्न योजनाओं में प्रशिक्षण आयोजन कर कृषकों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। एवं फसल प्रदर्शन के माध्यम से उन्नत कृषि तकनीकों का प्रचार प्रसार किसानों में किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के पेंशन विकल्पधारी

526. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

(1) श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर में माह जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2015 के मध्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों/ अधिकारियों की सूची मय भविष्य निधि विकल्प/पेंशन विकल्प में दिये गये परिलाभों के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संबंध में भविष्य निधि एवं पेंशन विकल्प के अनुसार पूर्ण परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो किन-किन परिलाभों का व क्यों? कर्मचारीवार व अधिकारीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सूची के पेंशन विकल्पधारियों में से भी सभी को पेंशन नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो किन-किन सेवानिवृत्त कर्मचारियों व अधिकारियों की पेंशन रोकी गई है व अब उनकी पेंशन कब तक चालू कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर में माह जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2015 की अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों / अधिकारियों की सूची मय विकल्प परिशिष्ट -1 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23.5.2014 के द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में स्थानान्तरण के बाद सेवा निवृत्त हो गये अथवा भविष्य में सेवानिवृत्त होंगे, के समस्त पेंशन परिलाभ एवं पेंशन भुगतान आगामी आदेशों तक पूर्व के संबंधित विश्वविद्यालय अर्थात स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिन कार्मिकों के पेंशन/भविष्य निधि का भुगतान मूल विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ है उनको भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में पेंशन के संबंध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है।

(3) जी नहीं। संलग्न सूची (परिशिष्ट-1) में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों/ अधिकारियों जो पेंशन विकल्प वाले हैं, पेंशनरों को पैतृक स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से पेंशन राशि प्राप्त होने पर उनके पेंशन खातों में स्थानान्तरित कर दी जाती है। माननीय उच्च

(तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री)

न्यायालय में वर्तमान में पेंशन के संबंध मे प्रकरण लम्बित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत व्यय राशि

527. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिनांक 20.03.2017 तक कुल राशि रु. 42094.98 लाख का व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत परियोजनावार व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गोडावण की संख्या में वृद्धि के लिए कार्य योजना

528. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

गत 10 वर्षों में डीएनपी क्षेत्र में गणनानुसार गोड़ावण की संख्या कितनी रही? क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में गोड़ावण की संख्या लगातार घटती जा रही है? यदि हां, तो इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2012-13 तक गोडावण की संख्या का राज्य स्तर पर अपुष्ट अनुमान लगाया जाता था।

वैज्ञानिक रूप से गोडावण की गणना की प्रक्रिया भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा वर्ष 2014 में ही प्रारम्भ की गयी है। तदानुसार गत 10 वर्षों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर है, जिसमें कुल मिलाकर गोडावण की संख्या में कमी नहीं आई है।

(वन मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा गोडावण संरक्षण के लिये निम्नानुसार कार्य किये जा रहे हैं:-

1. गोडावण के लिये अतिरिक्त क्लोजर बनाना।

2. उनके विचरण क्षेत्र में घास क्षेत्र का विकास करना।

3. गोडावण के प्रजनन क्षेत्रों में प्रिडेटर प्रूफ फेन्सिंग करना।

4. गोडावण के खाद्य में उपयोग होने वाले पौधों की प्रजातियों को गोडावण के विचरण क्षेत्रों में लगाना, आदि।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डी.एफ.ओ. पर आरोप तय होने पर कार्यवाही

529. श्री रमेश (सपोटरा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सेवा के एक डी.एफ.ओ. पर लोगों से करोड़ों की ठगी कर फरार होने के आरोप तय हुए हैं? यदि हां, तो किस अधिकारी पर व कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त आरोपी डी.एफ.ओ. के विरुद्ध कब एवं क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि आरोपी फरार डी.एफ.ओ. को फरारी/ निलंबन काल की अवधि का निर्वाह भत्ते का भुगतान किया गया है? यदि हां, कितना एवं क्यों?

(4) क्या राज्य सेवा नियमानुसार निलंबन काल में निर्वाह भत्ता देय है? यदि नहीं, तो संबंधित दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान वन सेवा के श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय, उप वन संरक्षक के विरुद्ध पुलिस थाना, वैशाली नगर, जयपुर में मुकदमा नं. 1084/13 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 406, 471, 120-बी आई.पी.सी. एवं पुलिस थाना अशोक नगर, जयपुर में मुकदमा नं. 21/2014 अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120-बी आई.पी.सी. दर्ज हुए हैं।

(वन मंत्री)

(2) श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय उप वन संरक्षक को स्वेच्छा से राजकार्य से अनुपस्थित रहने एवं उच्च अधिकारियों के अदेशों की अवहेलना के आरोप में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.07.2015 को निलम्बित किया गया था। वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के तहत आरोप पत्र ज्ञापन दिनांक 07.08.2015 से जारी किया जाकर उनके विरुद्ध विभागीय जांच जारी है।

(3) जी हां। श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय, उप वन संरक्षक को निलम्बन काल अवधि (दिनांक 21.07.2015 से 31.01.2017 तक) के लिए निवार्ह भत्ते की राशि रुपये 480544/- का भुगतान किया गया है। यह भुगतान राजस्थान सेवा नियमों के तहत एवं माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में किया गया है।

(4) जी हां। निलम्बित अधिकारी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 (1) के तहत निर्वाह भत्ता दिये जाने का प्रावधान है।

टोंक जिले में संचालित अवैध आरा मशीनें

530. श्री हीरालाल (निवाई): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) टोंक जिले में कितनी आरा मशीनें कहां-कहां पंजीकृत हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में बिना पंजीयन के भी अनेक अवैध आरा मशीनें संचालित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अवैध आरा मशीनों को बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक जिले में 108 पंजीकृत आरा मशीन हैं। पंजीकृत आरा मशीनों की विधानसभा क्षेत्रवार सूची संलग्न परिशिष्ट "ए" अनुसार है।

(2) कार्यालय उप वन संरक्षक, टोंक अधीन क्षेत्र में वर्तमान में कोई अवैध आरा मशीन संचालित नहीं है, इसके अतिरिक्त विगत में संचालित अवैध आरा मशीनों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(वन मंत्री)

(3) जी हां। अवैध आरा मशीन संचालित होने की सूचना मिलने पर उसको बंद करवाकर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में जनसंख्या के अनुपाल में बसों का संचालन

531. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 की बजट घोषणा में 1500 नवीन मार्ग निर्धारित किये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या इसकी अनुपालना में 1500 नवीन मार्गों का निर्धारण कर वाहन मालिकों को परमिट स्वीकृत कर दिये गये हैं? हां, तो कितने नवीन मार्ग कहां-कहां निर्धारित किये हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में निजी बस कंपनियों द्वारा यात्रियों से विशेषकर त्यौहारों के समय मनमाना टिकट शुल्क वसूल किया जा रहा है? क्या सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों में कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या?

(3) प्रदेश में वर्तमान में राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसों का संचालन हो रहा है व निजी बस आपरेटर्स कितनी बसों का संचालन कर रहे हैं? क्या उक्त बसें प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रदेश में नई बसें चलाने का विचार रखती हैं? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार प्रदेश के बस स्टेण्डों को पी.पी.पी. मोड पर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से बस स्टैण्डों को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार की बजट घोषणा 2015-16 के तहत 1053 नवीन मार्ग खोले जा चुके हैं। इन मार्गों पर वाहन स्वामियों द्वारा परमिट के लिये आवेदन करने पर परमिट जारी किये जा रहे हैं, जिलेवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(परिवहन मंत्री)

(2) प्रदेश में निजी बस कम्पनियों द्वारा मनमाना टिकिट शुल्क वसूल किये जाने की 3 शिकायतें प्राप्त हुई है जिसका विवरण मय की गई कार्यवाही परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 4654 बसें संचालित की जा रही है, इनमें 4227 निगम की एवं 427 अनुबंधित बसें है।

इसके अतिरिक्त पीपीपी मोड पर 370 ग्रामीण परिवहन सेवा की बसें भी संचालित है। निजी बस आपरेटर्स द्वारा कुल 20926 बसें संचालित की जा रही है।

राज्य की जनता को पर्याप्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार द्वारा एक नई योजना "लोक परिवहन सेवा" प्रारम्भ करके राज्य के 476 अधिसूचित मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के साथ-साथ निजी बस आपरेटरों को भी बस संचालन हेतु अनुज्ञात किया गया है।

(4) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्डो एवं अन्य बस अड्डो की भूमि चरणबद्ध रूप से राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण होने के उपरान्त बस स्टैण्डो को पीपीपी मोड पर निर्मित/विकसित करवाने का कार्य करवाया जाना प्रावधित है। वर्तमान में जयपुर में हीरापुरा स्थित भूमि पर नवीन बस टर्मिनल पीपीपी मोड पर बनवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में निगम बस सेवा का पुन: संचालन

532. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कौन-कौनसे गांव ग्रामीण परिवहन बस सेवा से वंचित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्रामीण परिवहन बस सेवा से वंचित उक्त गांवों को बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के अधिकांश गांवों में संचालित निगम की बसों को गत 3 वर्ष में बंद किया गया है?

(श्री जगदीश नारायण)

यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त गांवों में परिवहन बस सेवा पुन: संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में निगम/ग्रामीण परिवहन बस सेवा से जुड़ी/वंचित गांवों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। निगम के सीमित संसाधनों के कारण ग्रामीण परिवहन सेवा से वंचित गांवों को जोड़ा जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में संचालित निम्न निगम वाहनों को निगम के सीमित संसाधनों के कारण गत 3 वर्ष के दौरान बंद किया गया है:-

क्र.स.	आगरा	मार्ग
1	विद्याधर नगर	जयपुर-पापड़ वाया नायला
2	दौसा	दौसा-मांजी की छतरी फूटाला

निगम के सीमित संसाधनों के कारण निगम द्वारा बन्द की गई उक्त सेवाओं को पुन: संचालित किये जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 533

(स्थगित)

प्रदेश में पी.पी.पी. मोड पर सड़कों का निर्माण

534. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक पी.पी.पी. मोड़ पर कितने किलोमीटर की सड़कों के लिये कितनी राशि की स्वीकृतियां जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) उक्त समयावधि में कितने किलोमीटर की सड़कें पी.पी.पी. मोड़ से बनाकर तैयार की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना में ऋण की स्वीकृति के लिये केन्द्रीय वित्त मंत्रालय की एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन कमेटी के साथ बैठक की गई थी? यदि हां, तो कब? क्या उक्त कमेटी द्वारा ऋण की स्वीकृति जारी कर दी गई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2014 से 31 जनवरी 2017 तक सरकार द्वारा पीपीपी मोड़ पर 1037.795 किमी. लम्बाई की 2561.73 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त समयावधि में पीपीपी (वी.जी.एफ.) पर दो सड़कों लम्बाई 58.10 किमी. जिनकी कुल परियोजना राशि रु. 109.37 करोड़ है, का अनुबन्ध हो चुका है। साथ ही ए.डी.बी. द्वारा दीर्घकालिक ऋण लेकर पीपीपी (एन्यूटी) पर प्रथम ट्रान्च में 746 किमी. लम्बाई की 12 सड़कों के विकास हेतु रु. 1595.94 करोड़ का कार्य आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पीपीपी मोड के अन्तर्गत उक्त अवधि में कुल 632.64 किमी. सड़क का निर्माण किया गया है एवं 98.81 किमी. लम्बाई में कार्य प्रगतिरत हैं।

(3) जी हां। राज्य राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत विकास हेतु प्रस्तावित राजमार्गों के निर्माण में होने वाले व्यय के लिये धन राशि की व्यवस्था हेतु एशियन विकास बैंक एवं विश्व बैंक से सहायता के प्रस्ताव आर्थिक मामलात विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये थे। आर्थिक मामलात विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी की 48 वीं बैठक दिनांक 19.05.2015 में प्रत्येक से 500 मिलियन डालर राशि की ऋण सहायता प्राप्त करने पर सहमति प्रदान की। स्वीकृति विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर-सोजत राज्य राजमार्ग को पूर्ण करवाने की योजना

535. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती संजना आगरी)

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर से राजोला रूपावास से सोजत शहर अथवा जोधपुर से सरदार समंद वाया सोजत शहर राज्य राजमार्ग के रूप में चिन्हित है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य राजमार्ग-58 जोधपुर से सोजत शहर स्वीकृत होने के बाद सड़क को चौड़ा किया गया है? यदि हां, तो किस विभाग या कम्पनी द्वारा कितना बजट किस कार्य के लिए व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य राजमार्ग जोधपुर से सोजत शहर वर्तमान में अधूरा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राज्य राजमार्ग का शीघ्र निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जोधपुर-सोजत राज्य राजमार्ग को वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दोनों ही राज्य राजमार्ग निम्नानुसार वर्ष 2005-06 में स्वीकृत किये गये है:-

(i) राज्य राजमार्ग संख्या-58:-जोधपुर-विनाईकिया-राजोला-सोजत-भैंसाणा-सोजत रोड़ किमी. 0/0 से 95/0

(ii) राज्य राजमार्ग संख्या-61:-फलौदी-औंसियां-जोधपुर-सरदार समन्द-मारवाड़ जंक्शन सड़क किमी. 122/0 से 193/0

(2) जी हां। राज्य राजमार्ग जोधपुर से सोजत शहर 58 स्वीकृत होने के बाद सड़क की चौड़ाई एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 व 2010-11 में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) सड़क मार्ग 3 मीटर डामर चौड़ाई में है। राज्य राजमार्ग को चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) जोधपुर-सोजत राज्य राजमार्ग का वित्तीय वर्ष 2017-18 में चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जगतपुरा (जयपुर) में पेयजल की आपूर्ति हेतु पम्प हाउस का निर्माण

536. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर योजना से पेयजल सप्लाई हेतु जयपुर शहर के जगतपुरा में नया पम्प हाऊस बनाया गया है? यदि हां, तो कब व इस पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पम्प की गारंटी अवधि कितने वर्ष एवं कब से मानी गई है तथा वर्तमान में कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अब तक पेयजल सप्लाई के लिए पाइप लाइन ही नहीं बिछाई गई है? यदि हां, तो उक्त नया पम्प हाऊस बनाने का क्या औचित्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बिना आवश्यकता व समय से पूर्व पम्प हाऊस बनाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बीसलपुर पेयजल परियोजना अंतर्गत जयपुर शहर के जगतपुरा में नये पम्प हाऊस का कोई निर्माण अभी तक नहीं हुआ है अपितु उक्त परियोजना के प्रथम चरण की दिनांक 07.10.1999 को राशि रूपये 1100.00 करोड़ की स्वीकृति के अंतर्गत जयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु जवाहर सर्किल पर एक पम्प हाऊस (जयपुर शहर के 75 प्रतिशत लाभान्वित क्षेत्र जिसमें जगतपुरा भी सम्मिलित था, में जलापूर्ति हेतु) का निर्माण कार्य पूर्ण कर वर्ष 2009-10 में इससे पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

गई। इस पम्प हाऊस के सिविल, यांत्रिकी, विद्युत एवं इन्सट्रूमेन्टेशन कार्यों पर रुपये 31.41 करोड़ की राशि व्यय की गई थी।

(2) उक्त परियोजना अंतर्गत जवाहर सकिल पर निर्मित पम्प हाऊस से पूर्वी फीडर हेतु स्थापित पम्प मात्र गैटोर जगतपुरा जल वितरण केन्द्र में पेयजल आपूर्ति हेतु वर्ष 2011 की जल मांग के अनुरूप अभिकल्पित किये गये थे। अभिकल्पन रिपोर्ट के अनुसार जगतपुरा एवं खो-नागोरियान के सम्पूर्ण क्षेत्र में वितरण तंत्र की स्थापना के अनुसार इन पम्पों को उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की अभिकल्पित जल मांग अनुसार बदला जाना प्रस्तावित था।

जगतपुरा एवं खो-नागोरियान के सम्पूर्ण क्षेत्र को लाभान्वित करने हेतु दिनांक 19.09.2013 को स्वीकृत राशि रुपये 152.02 करोड़ की योजना (कुल तीन पैकेज) में दिनांक 20.04.2016 को पूर्ण किये गये पैकेज संख्या-1 के अंतर्गत जवाहर सर्किल जलकल गृह पर पूर्व में स्थापित कम जल निस्सारण क्षमता के पम्पों (वर्ष 2011 की पेयजल मांग के अनुसार) के स्थान पर उक्त क्षेत्रों की पेयजल मांग सम्मिलित करते हुए अभिकल्पन अनुसार नये पम्प सैट स्थापित किये गये। इस योजना के पैकेज संख्या-1 के दिनांक 20.04.2016 को पूर्ण किये गये कार्य से अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आगामी एक वर्ष तक दोष निवारण उत्तरदायित्व (डिफेक्ट लायबिलिटी) फर्म का है। वर्तमान में उक्तानुसार स्थापित नये पम्पों से 11.50 मिलियन लीटर स्वच्छ पानी प्रतिदिन जगतपुरा क्षेत्र के आंशिक भाग (गैटोर क्षेत्र) में वितरण पाइप लाइनों से तथा खो-नागोरियान क्षेत्र में टैंकर परिवहन द्वारा जल वितरण किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। जवाहर सर्किल पर निर्मित किये गये उक्त पम्प हाउस से जयपुर शहर के गैटोर जगतपुरा सहित 38 जल वितरण केन्द्रों हेतु मुख्य पाइप लाइन बिछाने का कार्य वर्ष 2009-10 में पूर्ण कर इन वितरण केन्द्रों हेतु कुल 340 मिलियन लीटर स्वच्छ पेयजल प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है। जवाहर सर्किल से जगतपुरा एवं खो-नागोरियान क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन वर्ष 2009 में ही बिछाई जाकर तत्समय से ही गैटोर-जगतपुरा स्थित जल वितरण केन्द्र को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

इसी मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन से खो-नागोरियान क्षेत्र में पेयजल वितरण तंत्र की प्रथम चरण की परियोजना का कार्य माह मार्च, 2016 में पूर्ण किया गया। परन्तु इस क्षेत्र के निवासियों द्वारा क्षेत्र के बचे हुए भाग में सम्पूर्ण वितरण तंत्र विकसित करने की मांग को लेकर विरोध तथा पैकेज संख्या-3 के अंतर्गत जगतपुरा क्षेत्र हेतु दिनांक 14.08.2014 को आदेशित कार्य वादग्रस्त होने के कारण इन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से इन पम्पों की पूर्ण क्षमता का समुचित उपयोग वर्तमान में नहीं हो पाया है। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के दिनांक 12.07.2016 को जारी निर्देशों अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण कर पैकेज संख्या-3 का कार्य दिनांक 13.01.2017 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

उक्त स्वीकृत योजना के पैकेज संख्या-2 (जगतपुरा क्षेत्र में राईजिंग मेन एवं रिंग मेन का कार्य) के अंतर्गत पुन: निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रकियाधीन है। इन कार्यों की समाप्ति के पश्चात् जवाहर सर्किल पर दिनांक 20.04.2016 को स्थापित किये गये नये पम्पों की पूर्ण क्षमता का उपयोग संभव हो सकेगा।

(4) जी नहीं। उपरोक्तानुसार अधिकारियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न संख्या 537

(स्थगित)

नवलगढ़ के गांव व ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

538. डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़)**:** क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 01 जनवरी, 2014 के पश्चात् किन-किन नये गांव-ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी तथा उस पर कितनी राशि व्यय कर पेयजल संबंधी कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के नवलगढ़ व

(डा. राजकुमार शर्मा)

मुकंदगढ़ शहर सहित अनेक गांव व ढ़ाणियां पेयजल की गंभीर समस्या से ग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पर्याप्त व गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान व आगामी वर्षों में पेयजल संबंधी क्या-क्या योजनाएं व कार्य पर कितनी राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ़ के 41 ग्राम एवं 12 ढ़ाणियों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु दिनांक 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् अब तक (दिनांक 22.03.2017 की स्थिति के अनुसार) 53 योजनाओं/कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई। इस स्वीकृति के विरुद्ध 48 योजनाएं/कार्य अब तक पूर्ण किये जा चुके हैं।

उक्तानुसार शेष रहे 5 योजनाओं/कार्यों में से नलकूप निर्माण हेतु स्वीकृत 3 कार्यों में नलकूप वेधन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा योजना अंतर्गत नलकूपों को चालू करने हेतु विद्युत संबंध लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन नलकूपों को माह अप्रैल, 2017 में चालू करना अपेक्षित है।

विधायक कोष अंतर्गत ग्राम नाहरसिंहानी हेतु स्वीकृत एक भू-तल जलाशय निर्माण की स्वीकृति जिला परिषद, झुन्झुनूं द्वारा निरस्त कर दी गई है। विधायक कोष अंतर्गत ग्राम डुमरा के ब्राह्मणों के मौहल्ले में स्वीकृत एक नलकूप निर्माण के कार्य हेतु स्थानीय निवासियों द्वारा भूमि विवाद के कारण इसका कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। योजना/कार्यवार स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि संबंधी पूर्ण विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ़ के शहर नवलगढ़ एवं मुकुन्दगढ़ तथा समस्त 109 आबाद ग्रामों में भू-जल उपलब्धता अनुरूप की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है। योजनावार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति का विवरण क्रमश: परिशिष्ट- ख एवं ग पर संलग्न है।

उक्त क्षेत्र के शहर नवलगढ़ में जल सेवा स्तर में आवश्यक सुधार एवं पेयजल के समान वितरण हेतु राशि रुपये 2017.76 लाख की पुनर्गठित जल

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

योजना की स्वीकृति जारी की जाकर उक्त योजना के चार पैकेजों का कार्यादेश दिया जा चुका है। इन पैकेजों का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा सम्पूर्ण योजना माह अप्रैल, 2017 तक पूर्ण करनी निर्धारित है।

क्षेत्र में अल्पकालिक उपायों के अंतर्गत पेयजल समस्या के समाधान हेतु भू-जल की उपलब्धता, पेयजल की आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार जल योजनाओं का संवर्धन/पुनर्गठन का कार्य सतत प्रक्रिया के तहत कराया जा रहा है।

पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक उपायों के तहत विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ़ के 2 कस्बे क्रमश: नवलगढ़ एवं मुकन्दगढ़ तथा 109 ग्रामों सहित सीकर एवं झुन्झुनूं जिले के शेष कस्बों/ग्रामों (सीकर जिले के 6 कस्बे एवं 865 ग्राम तथा झुन्झुनूं जिले के 6 कस्बे एवं 321 ग्राम) को इंदिरा गांधी नहर आधारित चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट नहर से एकीकृत तारानगर-झुन्झुनूं-सीकर-खेतड़ी वृहत् पेयजल परियोजना अंतर्गत आगामी चरणों में लाभान्वित करने के लिए सर्वेक्षण एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु राशि रुपये 453.63 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 17.01.2017 को जारी की गई है। इस कार्य के निष्पादन हेतु कार्यादेश जारी करने संबंधी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर में रिक्त पदों को भरने की कार्ययोजना

539. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर शहर में विभाग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति क्या है? रिक्त पद कब से रिक्त हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में विभाग के विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत स्वीकृत एवं

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

पदस्थापित पदों सहित रिक्त पदों के संबंध में पदवार वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अधिशासी अभियन्ता एवं उच्च संवर्गों के समस्त पद 100 प्रतिशत पदौन्नति द्वारा भरे जाते हैं। मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पदों हेतु वर्ष 2016-17 तक की विभागीय पदौन्नति समिति (डी.पी.सी.) की बैठक आयोजित हो चुकी है। अधिशासी अभियन्ता पद की पदौन्नति हेतु बैठक की तिथि एवं समय निर्धारण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को लिखा जा चुका है।

सहायक अभियन्ता के पद 50:50 के अनुपात में क्रमश: सीधी भर्ती एवं पदौन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध वर्ष 2016 में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा नियुक्त किये गये 159 सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध 149 सहायक अभियन्ताओं को पदस्थापित किया जा चुका है। सीधी भर्ती के 696 रिक्त पदों को भरने हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सहायक अभियन्ता के पदौन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की लम्बित विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक के लिए समय एवं तिथि निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजेमर द्वारा आयोजित सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा-2014 के तहत दिनांक 30.09.2014 को विज्ञापन जारी किया जाकर कनिष्ठ अभियन्ता के 824 पदों पर नियुक्तियां विभाग में की गई।

विभाग में तकनीकी संवर्ग के 6 पदों (क्रमश: पम्प चालक-द्वितीय, फिटर-द्वितीय, विद्युतकार-द्वितीय, मीटर रीडर, लाइनमैन एवं हैल्पर) के कुल 1294 रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीसलपुर बांध की क्षतिग्रस्त माइनरों की मरम्मत

540. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अजीत सिंह)

क्या यह सही है कि बीसलपुर बांध की बांयी मुख्य नहर (एल. एम. सी.) के साउथ कैनाल फीडर के बरवास माइनर के प्रथम माइनर सहित अन्य क्षतिग्रस्त माइनरों से पानी टेल तक नहीं पहुंचने के कारण नजदीकी किसानों की फसल व खेत रिसाव से खराब हो जाते हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त सभी क्षतिग्रस्त माइनरों का पुनर्निर्माण व मरम्मत कब तक करा दी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। बीसलपुर बांध की बायी मुख्य नहर(एल.एम.सी.) के साउथ कैनाल फीडर के माइनर नम्बर-1 सहित समस्त माइनरों की टेल तक पानी पहुंचता है। इस माइनर की सामान्य मरम्मत की आवश्यकता के मद्देनजर महानरेगा योजना अंतर्गत राशि रुपये 64.03 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। कार्य आगामी माह से सम्पादित करवाया जाना प्रस्तावित है।

चम्बल नदी के अतिरिक्त जल को उपयोग में लेने की कार्ययोजना

541. श्री नवीन पिलानिया (आमेर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार चम्बल नदी में उपलब्ध अतिरिक्त जल का उपयोग करने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चम्बल नदी के अतिरिक्त जल को उपयोग में लाने में घड़ियाल सैंक्चुअरी बाधक है? यदि हां, तो क्या सरकार घड़ियाल सैंक्चुअरी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चंबल नदी में उपलब्ध अतिरिक्त जल का उपयोग करने हेतु धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की स्वीकृति वर्ष 2017-18 के दौरान जारी की जानी प्रस्तावित है।

(2) जी हां। घड़ियाल सैंक्चुअरी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने संबंधित निर्णय भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में है।

कोटा जिले में पोस मशीन से राशन सामग्री का वितरण

542. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री पोस मशीनों से बांटी जा रही है? यदि हां, तो कोटा जिले में कितने माह से किन-किन राशन डीलरों द्वारा पोस मशीन से राशन वितरण किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? डीलर वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रसद विभाग के कार्मिकों की संदिग्ध भूमिका के कारण राशन डीलर के पास पहले से ही उपभोक्ता के राशन कार्ड नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर पहुंच जाने से राशन डीलर बिना उपभोक्ता के ही राशन सामग्री उठा लेता है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे डीलरों की जांच की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोटा जिले में माह नवम्बर, 2015 से राशन डीलरों द्वारा पोस मशीनों के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में माह सितम्बर, 2016 से सभी राशन डीलरों द्वारा राशन सामग्री का वितरण पोस मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है। डीलर वार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस संबंध में रसद विभाग के कार्मिकों की संदिग्ध भूमिका की कोई जानकारी/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर जिले में स्वीकृत उचित मूल्य की दुकानें

543. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आम जन को उचित मूल्य में

(श्री नारायण सिंह देवल)

सामग्री उपलब्ध करवाने के लिये उचित मूल्य की दुकान की व्यवस्था का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या नई उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत स्तर पर या प्रत्येक राजस्व गांव इकाई पर ही खोले जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जालौर जिले में कितनी उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं? उनमें से कितनी दुकानें आवंटित व कितनी दुकानें रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सम्पूर्ण प्रदेश में उचित मूल्य दुकान खोले जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये गये है, जिसके अनुसार वर्तमान में 500 राशन कार्डस अथवा 2000 यूनिट पर एक दुकान खोले जाने का प्रावधान है। इस संबंध में जारी निर्देश दिनांक 07.04.2010 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है जहां पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नई दुकानों का आधार बनता है, संबंधित जिलों से युक्तियुक्त प्रस्ताव प्राप्त कर वहां पर नई दुकान खोले जाने की कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तथा राजस्व गांव इकाई पर अलग से नई उचित मूल्य दुकान खोले जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) जालौर जिले में वर्तमान में 620 उचित मूल्य दुकान स्वीकृत है, जिनमें से 568 दुकानें आवंटित है एवं 52 दुकानें रिक्त है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांदीकुई के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार का वितरण

544. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण की व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में गत 3 वर्षों में किस-किस केन्द्र पर किस-किस एजेंसी द्वारा कितना-कितना पोषाहार वितरण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अलका सिंह)

(3) क्या उक्त के संबंध में कभी कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर किस स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण हेतु मोनिटरिंग की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समेकित बाल विकास सेवाऐं योजनान्तर्गत समस्त इच्छुक पंजीकृत आयुवर्ग 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में टेक होम राशन की आपूर्ति मैसर्स फलोरा-ओ-फूड्स, जयपुर द्वारा तथा गर्म पूरक पोषाहार की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा की गई है। मैसर्स फलोरा-ओ-फूड्स, जयपुर द्वारा आपूर्ति किये गये पूरक पोषाहार का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

अप्रेल 2015 से टेक होम राशन एवं गर्म पूरक पोषाहार की आपूर्ति स्थानीय स्वयं सहायता समूहों द्वारा आपूर्ति किये गय पूरक पोषाहार की सूचना परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) जी हां। माह सितम्बर, 2016 में सरकार आपके द्वार अभियान में आंगनबाड़ी केन्द्र पीचूपाड़ा कलां द्वितीय का निरीक्षण के दौरान कमियां/अनियमितता पाई गई थी। जिसके फलस्वरूप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा उप निदेशक दौसा एवं संबंधित महिला पर्यवेक्षक को निलंबित कर दिया गया तथा आंगनबाड़ी केन्द्र पीचूपाड़ा कलां की कार्यकर्ता को भी मानदेय सेवाओं से पृथक कर दिया गया एवं शुभम स्वयं सहायता समूह का एम ओ यू समाप्त कर दिया गया।

(4) पूरक पोषाहार के नियमित वितरण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते है। पोषाहार के

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

नियमित वितरण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पोषाहार निर्माण का विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने, वितरण से पूर्व पोषाहार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा चखने एवं पोषाहार का वितरण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराने के निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर पोषाहार की गुणवत्ता की निगरानी हेतु समितियां गठित की हुई है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभान्वितों की सूची चस्पा करने, पोषाहार स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर का नियमित संधारण करने के निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य स्तरीय अधिकारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ महिला पर्यवेक्षकों द्वारा समय-समय पर सघन निरीक्षण किया जाकर पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त पूरक पोषाहार की गुण्वत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा पूरक पोषाहार की नियमित रूप से प्रयोगशाला जांच एन.ए.बी.एल. अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराई जा रही है।

(**विवरण पुस्तकालय में रखा गया**)

जोधपुर जिले में महिला एवं बालकों के विकास हेतु संचालित योजनाएं

545. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान मे प्रदेश के महिला एवं बालकों के विकास हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? उक्त योजनाओं पर वर्ष 2013 से 2016 तक व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में उक्त योजनान्तर्गत किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितने महिला एवं बालकों को लाभान्वित कर प्रति इकाई कितनी राशि व्यय की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र फलोदी में उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित महिलाओं एवं बालकों की संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में महिला एवं बालकों के विकास हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। वर्ष 2013 से 2016 तक व्यय की

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जोधपुर जिले के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्रवार लाभान्वित महिला एवं बालकों का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। महिला एवं बालकों को प्रति इकाई दी जाने वाली व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में लाभान्वित महिलाओ एवं बालको का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में महिला एवं बालकों के विकास हेतु आबंटित बजट

546. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में बच्चों व महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कौन-कौनसी योजनाएं कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितनी राशि का प्रावधान था एवं उसमें से कितनी राशि अब तक व्यय की गई है? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभिन्न जिलों में महिलाओं एवं बच्चों के लिए दिये गये बजट का उपयोग अन्य कार्यों में किया गया है? यदि हां, तो किन-किन जिलों में, किस-किस योजना की राशि किस-किस अन्य कार्य पर व्यय की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में प्रदेश में अनेक स्थानों पर ऑडिट में वित्तीय अनियमितताएं पाये जाने के उपरान्त भी अब तक किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार प्रदेश में महिलाओं व बालकों के विकास के लिए बजट राशि में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में बच्चों व महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) महिला एवं बाल विकास विभाग में संचालित योजनाओं का वित्त वर्ष 2016-17 में योजनावार आवंटित एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विभिन्न जिलों में योजनाओं के लिए दिये गये बजट का उपभोग योजना के लिए ही किया है।

(4) जी नहीं। नियमित अंकेक्षण एवं विशिष्ट जांच प्रतिवेदन के दौरान प्रकट हुई वित्तीय अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने बाबत सक्षम प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जाकर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम-1958 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। वित्तीय अनियमितताओं के लिए की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 1 हजार 904 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है,जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 17.06 प्रतिशत अधिक है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सानकोटड़ा (जमवारामगढ़) में अवैध खनन

547. डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की जमवारामगढ़ तहसील के ग्राम सानकोटड़ा में मैसर्स आंधी मार्बल्स द्वारा बिना ई.सी. के खान चलाई जा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 07 नवम्बर, 2016 को ग्रामवासियों ने खान विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उक्त खनन क्षेत्र में कई भारी एल एण्ड टी एवं अन्य उपकरणों से अवैध खनन करते बताया

(डॉ. किरोड़ी लाल)

गया था? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त लीजधारक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि मैसर्स आंधी मार्बल्स प्रा.लि. ग्राम रायावाला (तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर) में खान को आवंटित क्षेत्र से बाहर चलाया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि जयपुर जिले की तहसील जमवारामगढ़ के ग्राम रायावाला में सर्वश्री आंधी मार्बल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिना पर्यावरण सहमति (ई.सी.) के खान चलाई जा रही है। उक्त खनन पट्टे में पर्यावरण क्लीयरेन्स (ई.सी.) नहीं होने से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 04.05.2016 की पालना में खनन पट्टे में खनन कार्य प्रतिबंधित किया हुआ है तथा वर्तमान में उक्त क्षेत्र में खनन कार्य बंद है।

(2) जी नहीं। दिनांक 07.11.2016 को उक्त खान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खनन कार्य बंद पाया गया। अत: लीजधारक के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) सर्वश्री आंधी मार्बल प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे में खनन कार्य पूर्णतया बंद है। आंधी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड एवं पास में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या एम.एल. 53/2002 सर्वश्री अग्रवाल मार्बल्स क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड के बीच सीमा विवाद को लेकर याचिका माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है।

बाड़मेर जिले में रिफाइनरी की स्थापना

548. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर में रिफाइनरी लगाये जाने की योजना की कुल लागत गत तीन वर्ष पूर्व कितनी थी व वर्तमान में कितनी है?

(2) क्या उक्त रिफाइनरी स्थापित करने का कार्य शुरू हो चुका है?

(श्री प्रहलाद गुंजल)

यदि हां, तो उक्त रिफाइनरी का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा व नहीं, तो कार्य शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर में रिफाइनरी लगाये जाने की योजना की कुल लागत विगत तीन वर्ष पूर्व रुपये 37229 करोड़ थी तथा वर्तमान में रुपये 43149 करोड़ प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। वर्तमान सरकार बाड़मेर जिले में रिफाइनरी स्थापित करने हेतु सकारात्मक प्रयास कर रही है जिसके अन्तर्गत पैट्रोलियम मंत्रालय केन्द्र सरकार के निर्देशन में तैयार Fresh DFR के अनुसार प्राप्त नवीन प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किये गये समझौते के अन्तर्गत परियोजना लागत रुपये 37229/- करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार पर इन्सेन्टिव एवं 26% Equity के पेटे लगभग रुपये 60000/- करोड़ के वित्तीय भार के कारण ख्यातनांक एजेन्सी PWC से विस्तृत समीक्षा तथा पैट्रोलियम मंत्रालय की मध्यस्थता में एचपीसीएल को अवगत कराकर राजहित में अपनी शर्तों पर रिफाइनरी लगाने हेतु सरकार प्रयास कर रही है, जिसमें समय लगना स्वाभाविक है।

प्रदेश में बजरी की विक्रय दर का निर्धारण

549. श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजरी खनन के पट्टाधारकों के लिए बजरी विक्रय की अधिकतम एवं न्यूनतम दर निर्धारित करने का प्रावधान है? यदि हां, तो जिलेवार निर्धारित दरों की अनुमोदित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बजरी विक्रेताओं की मनमानी दरों पर अंकुश लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार आवंटित लीज क्षेत्र से बाहर खनन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्यक नियंत्रण) अधिनियम 2014 के तहत बजरी के विक्रय मूल्य निर्धारण के अधिकार संबंधित जिला कलक्टर को प्रदान किये गये, परन्तु बजरी लीज एलओआई होल्डर्स की सोसायटी द्वारा उक्त अधिनियम, 2014 पर माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगन ले रखा है।

(2) बजरी विक्रेताओं द्वारा वसूल की जा रही विक्रय राशि को नियंत्रित करने हेतु उक्त माल अधिनियम, 2014 पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन को हटाया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा स्थगन हटाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में प्रभावी पेरवी करने बाबत् सोलीसीटर जनरल को नियुक्त किया गया है। सरकार द्वारा स्थगन हटाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) आवंटित लीज क्षेत्र के बाहर खनन करने वालों के विरुद्ध एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 21 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 54 के तहत कार्यवाही करने का प्रावधान निहित है। पट्टेधारी द्वारा लीज क्षेत्र से बाहर खनन किये जाने पर अवैध खनन मानते हुए विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक व अधीनस्थ संवर्ग की भर्ती

मान्यवर,

निवेदन है कि वर्ष 2013 में पंचायती राज विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिक एवं राजस्थान अधीनस्थ सेवा (एसएसआर) हेतु तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 26535 पदों हेतु भर्ती निकाली गई। उक्त भर्ती हेतु पंचायती राज विभाग में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को 10, 20 व 30 बोनस अंक देकर भर्ती में प्राथमिकता दी गई। जिसमें से 7765 कनिष्ठ लिपिकों को नियुक्ति भी दे दी थी, परन्तु शेष पदों हेतु उच्च न्यायालय में लगी याचिका के निर्णय से 5, 10 व 15 अंक देने का आदेश दिया गया। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई। उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की नीति को सही मानते हुए बोनस अंक 10, 20 एवं अधिकतम 30 अंकों को वैध ठहराया है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में वर्ष 2006 से कार्यरत कार्मिक संविदा जो राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी निभा रहे है। अगर पंचायती राज भर्ती 2013 की शेष समस्त पदों पर भर्ती की जाती है तो भी राज्य सरकार पर आगमी 2 वर्षों तक किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्त प्रभाव नही पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में संविदा कर्मी के रूप में मानदेय राशि के समान ही वेतन उक्त भर्ती में चयनित कार्मिकों को अगले 2 वर्षों में परिवीक्षा काल में देय होगा।

अत: माननीय आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा की पंचायती राज में लम्बित कनिष्ठ लिपिकों एवं अधीनस्थ संवर्ग के 16763 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को प्रारम्भ कराने की महत्ती कृपा कराएं। ताकि उक्त पंचायती राज के संविदा कर्मियों को नियमित रोजगार प्राप्त हो सके।

सादर।

भंवरसिंह
(कोलायत)

लाल कोठी सब्जी मण्डी में सब्जी व फल विक्रेताओं के स्थान पर सूअर पालन

महोदय,

लाल कोठी, जयपुर स्थित फल सब्जी मण्डी में विक्रेताओं के लिए पूर्व में ओलंपिया होटल के पास चबूतरे एवं शेड बनाकर फल सब्जी बेचने की व्यवस्था की गई थी। चबूतरों के नीचे फल सब्जी रखने के लिए स्टोरेज की व्यवस्था भी की गई थी। यह स्थान लक्ष्मीमंदिर सिनेमा के मुख्य मार्ग से अंदर है एवं वाहन पार्किंग के लिए स्थान भी उपलब्ध है। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण छोटे-छोटे सब्जी एवं फल विक्रेताओं ने नवीन पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग के पीछे वाले मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण कर बैठना प्रारम्भ कर दिया। उनके बड़ी संख्या में बैठने और मुख्य मार्ग पर ही सब्जी फल बेचने के कारण आमजन का मंडी में अंदर जाना बंद हो गया। जिससे मजबूरन चबूतरों पर बैठे सब्जी और फल विक्रेताओं ने भी मुख्य सड़क पर बैठना प्रारम्भ कर दिया। जो स्थान सब्जी एवं फल विक्रेताओं के लिए बनाया गया था। वर्तमान में वहां पर एवं उसके आस पास अवैध रूप से बड़ी संख्या में सूअर पाले जा रहे हैं। अधिकारियों को अवगत कराने पर भी उन्होने बिना जांच सूअर पालन से इन्कार कर दिया। ये सूअर पूरे समय मण्डी में घूमते रहते हैं। जिससे पूरी मण्डी का वातावरण खराब हो रहा है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय के दायीं ओर स्थित मण्डी के सम्पर्क मार्ग के आस-पास की भूमि पर मांस के लिए मेढे, बकरे एवं अन्य पशु पाले जा रहे हैं एवं मास विक्रय किया जा रहा है, जो बिल्कुल अवैध है और इससे पूरी मण्डी में भयानक गंदगी, अव्यवस्था फैल रही है। अतिक्रमणों के कारण यह पूरी सड़क यातायात के उपयोग में नहीं आ रही है। जबकि राज्य सरकार रोड लाइट एवं फुटपाथ पर लाखों रुपये अलग से खर्च कर चुकी है।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि फल सब्जी विक्रताओं को निर्धारित स्थान पर बैठकर सड़क मार्ग से अतिक्रमण हटाया जाए एवं सूअर पालन और मांस विक्रय को सख्ती के साथ बंद कराया जाए।

सुरेन्द्र पारीक
(हवामहल)

नागौर के बालवा रीको औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को हो रही असुविधा

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र नागौर शहर में बालवा रीको के उद्यमियों को हो रही असुविधाओं का आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षण करना चहूंगा कि रीको में फैक्ट्रियां है, इनके विद्युत बिलों में विभाग नगरीय उपकार के रूप में 0.15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से वसूला जा रहा है एवं उद्यमी रीको को सर्विस चार्ज के रूप में रोड लाइट, सड़क नाली की व्यवस्था हेतु चार्ज के रूप में देता है, जबकि नगरीय उपकर ली गई राशि का रीको में कईं उपयोग नहीं होता है। अत: उद्यमियों को दोहरा चार्ज देना पड़ता है, जो न्यायोजित नहीं है। उद्यमियों द्वारा इसका मुदा उद्योग विभाग के सलाहकार समिति में भी उठाया गया है। रीको के उद्यमियों को विद्युत बिलों में होने वाले नगरीय चार्ज को समाप्त किया जाए।

विद्युत विभाग द्वारा रीको औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत सप्लाई गुणवत्तापूर्वक नहीं की जाती है। रीको के G.S.S. को ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ा गया है और लम्बी लाइन होने कारण विद्युत सप्लाई बार-बार बाधित हो जाती है। इस संदर्भ में उद्यमियों द्वारा जिला उद्योग सलाहकार समिति के समक्ष बैठक की गई फिर भी रीको द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। अत: रीको का अलग से G.S.S. बनाया जाए। अगर 132 KVA G.S.S. की स्थापना विद्युत विभाग द्वारा कर दी जाए तो यह समस्या हल हो सकती है।

नागौर जिला कृषि प्रधान जिला है, यहां पर दलहन तिलहन व मसाले मिर्च, धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, इसबगोल आदि की भारी भाग में पैदावार है। इसको ध्यान में रखते हुए ऐग्रोबेस इन्डस्ट्रीज के लिए बालवा रीको में अलग से भूमि आरक्षित करके रियायती दर से उद्यमियों को अगर दी जाए तो किसानों को अपनी ऊपज का अच्छा मूल्य मिल सकता है एवं नये उद्योग लगने की संभावना बढ़ सकती है।

अत: माननीय मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि रीको के

उद्यमियों के विद्युत बिलों में लगाये जा रहे नगरीय उपकार को समाप्त करवाने, रीको G.S.S. से ग्रामीण क्षेत्र में दी जाने वाली बिजली को हटाकर रीको को ही बिजली दी जाए एवं 132 KV G.S.S. का निर्माण कार्य करवाया जावे। नया रीको विकसित किया जावे तथा रीको क्षेत्र की मूलभूत सुविधा में सुधार हेतु अधिकारियों को पाबन्द करने का श्रम कराएं।

हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा
(नागौर)

सिवाना तथा बाड़मेर में चिकित्सा विभाग में रिक्त पद

महोदय,

नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षित करते हुए में निवेदन करना चाहता हूं कि मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य एवं शिक्षा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का पाया माना जाता है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा बाड़मेर जिले का भू-भाग बहुत ही बड़ा है, लेकिन चिकित्सा सुविधा में सबसे पिछड़ा हुआ है। राष्ट्रीय नोर्म्स के अनुसार प्रत्येक 20 हजार की आबादी पर एक पीएचसी होनी चाहिए, पर नोर्म्स रेगिस्तानी क्षेत्र में कारगर सिद्ध नहीं होता है। राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न योजनाएं चला कर क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने को भरसक प्रयास करती है पर रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर इसमें पिछड़ा रहा है।

इसमें सबसे बड़ी दुविधा रिक्त पदों का होना, हाँ राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में पद भरने हेतु विशेष पैकेज देने के साथ विशेष सुविधाएं देकर पद भरने की ओर कदम बढ़ाएं हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं।

लेकिन बाड़मेर जिले में कुल पदों के विरुद्ध लगभग 35 प्रतिशत पद अभी भी रिक्त चल रहे है। ब्लॉकवार पदों की स्थिति देखी जाएं तो हर ब्लॉक में पद रिक्त चल रहे हैं। हॉ वर्तमान में राज्य भर में 438 नये चिकित्सकों को नियुक्ति दी गई है, सराहनीय कदम है। जिले में स्वीकृत

281 चिकित्सकों के पदों में से 177 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार से अराजपत्रित संवर्ग के 1527 पदों में से 685 पद रिक्त हैं। उक्त आंकड़े आर.सी.एच. प्रोजेक्ट सहित है। टेक्नीकल लाइन में भी यही अनुपात है।

मेरा राज्य सरकार से सदन के माध्यम से आग्रह रहेगा कि बाड़मेर-जैसलमेर जिले हेतु गठित ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का एक विशेष केडर तैयार किया जाए जिसमें पदोन्नति वेतन, भत्ते कुछ विशेष हो ताकि इस क्षेत्र में चिकित्सक नियुक्ति लेने की इच्छा रख सके ताकि जनता को सुविधा सुलभ हो सके।

राज्य सरकार महिला सुरक्षा एवं महिला स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील है, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 3 सीएचसी, 13 पीएचसी काम कर रही है। जिससे क्षेत्र की लगभग 4 लाख जनसंख्या लाभान्वित होती है पर महिला चिकित्सक पूरे विधान सभा क्षेत्र में नही होने के कारण माता बहिनों को बड़ी दुविधा रहती है। विशेष कर प्रसव पीड़ा के समय स्थिति बड़ी विकट हो जाती है। नजदीक में जोधपुर जालौर या फिर गुजरात राज्य की ओर जाना पड़ता है। इसमें कई बार जनहानि भी हो जाती है।

मेरा सदन के माध्यम से निवेदन रहेगा कि बाड़मेर जिले एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना में चल रहे रिक्त पदों को भरने हेतु आवश्यक कदम उठाकर जनहित में सराहनीय कार्य किया जाए।

धन्यवाद।

हमीरसिंह भायल
(नागौर)

चाकसू (जयपुर) में औद्योगिक क्षेत्र (RICCO) खुलवाने की मांग

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चाकसू, जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर

दूर है, तथा टोंक चाकसू से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इस 50-60 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में तीन तहसीले चाकसू, फागी, कोटखावदा, तथा अनेक छोटे बड़े गांव, कस्बे व ढ़ाणिया आदि बसे हुए हैं। जिनकी आबादी लगभग 5-6 लाख है। इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। जो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। बढ़ते शहरीकरण तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता के कारण इस क्षेत्र के लोग कृषि और पशुपालन से दूर होने लगे है। बढ़ती मंहगाई के कारण मंहगे होते खाद बीज तथा कम होते खेत, व बारिश की अनिश्चितता के कारण कृषि में अब लागत भी प्राप्त नहीं होने के कारण लोग जीवनयापन के लिए मजदूरी करने को प्राथिमकता देने लगे हैं। साथ ही अपने बच्चों को पढ़ाने व व्यवसायिक प्रशिक्षण युक्त शिक्षा दिलाने लगे है। जिसके कारण यहां के निवासी शहरों में फैक्ट्रियों, कम्पनियों व अन्य व्यवसायों में मजदूरी करने लगे हैं। विधानसभा क्षेत्र चाकसू व आसपास से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग जयपुर व अन्य शहरों में रोजगार के लिये आते जाते हैं। अगर चाकसू क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाती है, तो क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और व्यापारियों को कम लागत में व्यापार करने का मौका मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु पर्याप्त मात्रा में सरकारी भूमि, पानी और बिजली तथा कुशल व अर्द्धकुशल श्रामिक उपलब्ध हैं। तथा कच्चा माल लाने और तैयार माल पूरे देश में भेजने के लिए सड़क (रा.रा.मार्ग-12) व चाकसू व शिवादसपुरा रेलवे स्टेशन) रेल यातायात के साधन है।

अत: मै नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि वे विधानसभा क्षेत्र चाकसू (जयपुर) क्षेत्र में अतिशीघ्र, प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र (RIICO) खोलने की कृपा करे।

लक्ष्मी नारायण बैरवा

(चाकसू)

भीम में पेयजल समस्या का स्थाई समाधान

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र भीम एक पहाड़ी क्षेत्र है एवं वर्षा का स्तर भी सामान्य ही रहता है, जिसकी वजह से हमेशा अकाल की स्थिति बनी रहती है और साथ ही बीसलपुर कैचमेंट प्रभावित न हो, जिसके लिए तीन मीटर से अधिक ऊंचा एनीकट बनाने की भी पाबंदी लगी हुई है, जिसकी वजह से मेरे क्षेत्र में पेयजल की समस्या हमेशा बनी रहती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के पास में आसीन्द (भीलवाड़ा जिला) में चम्बल पेयजल योजना का भी कार्य प्रगति पर है जो कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अजीतगढ़ ग्राम से होते हुए भादसी से गुजर रही है। दूसरा, मेरे पड़ौस की विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के तहसील टॉडगढ़ में बीसलपुर पेयजल योजना का कार्य विस्तार भी प्रगति पर है, जो योजना भी मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम से ही गुजर रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इन दोनों योजनाओं का सर्वे विभाग द्वारा किया जा चुका हैं व दोनों ही विस्तारित होने वाली योजनाओं द्वारा देवगढ़ एवं भीम को पेयजल का स्थाई समाधान किया जा सकता है। इन दोनों लाइनों का सरकार पर अतिरिक्त भार भी कम पड़ेगा। पेयजल का यह मुद्दा मैं वर्ष 2013 के प्रथम सत्र से ही उठाता आ रहा हूँ, जिसका मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसी बजट सत्र में लेने का आश्वासन भी दिया था, उसी अनुरूप मैंने मेरे क्षेत्रवासियों को भी आश्वस्त किया था, परन्तु 8 मार्च को बजट में घोषणा नहीं होने से मुझे एवं मेरे क्षेत्र की जनता को भारी आघात पहुंचा है।

अत: महोदय मैं आपके माध्यम से पुन: सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी बजट में यह योजना सम्मिलित कर, कार्य प्रारम्भ करा कर, मुझे एवं मेरे क्षेत्रवासिंयों को पेयजल योजना से जोड़ने की स्वीकृत दिलाए, जिसके लिए मेरे विधान सभा के क्षेत्रवासी आपके ताजिन्दगी आभारी रहेंगे।

सधन्यवाद।

हरि सिंह रावत

(भीम)

जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन बस्सी की पंचायतों में हो रहे अवैध निर्माण

महोदय,

जयपुर जिले की विधान सभा बस्सी की अधिकतर ग्राम पंचायतो का क्षेत्र जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आता है। बस्सी विधान सभा की अधिकतर ग्राम पंचायतों पर जयपुर विकास प्राधिकरण का स्वामित्व है इसलिये उक्त भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण एवं नियमन का अधिकार भी जयपुर विकास प्राधिकरण को ही है। पिछले कुछ महीनों से जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कालोनियों का निर्माण हो रहा है जिसमे प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है क्योंकि इसमे कुछ अधिकारियों का निजी हित है। पिछले वर्ष से लगातार बहुत सी अवैध कालोनियों का निर्माण हुआ है क्योंकि तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण जोन-13 एवं निरिक्षण जयपुर विकास प्राधिकरण जोन-13 की मिलीभगत के कारण किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही होती। जयपुर विकास प्राधिकरण की कृषि भूमि पर बिना भूमि के रुपान्तरण किये अवैध कालोनिया बसाई जा रही है जिसका रिकार्ड उपपंजीकय कार्यालय बस्सी मे भी देखा जा सकता है। जिसके कारण जयपुर विकास प्राधिकरण को राजस्व का नुकसान हो रहा है। आज भी विधान सभा क्षेत्र बस्सी मे अवैध कालोनियां अधिकारियों की मिली भगत से बसाई जा रही हैं विधान सभा क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण की कृषि भूमि पर बिना किसी आदेश एवं भूमि रूपान्तरण के अवैध कालोनियां बसाने के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा के कार्य प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख। कृपया अनुमति प्रदान करें।

श्रीमती अंजू देवी धानका

(बस्सी)

मसूदा में राजकीय महाविद्यालय

महोदय,

मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मसूदा मगरा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसमें लोग दूर दराज व बिखरे हुए रहते है तथा मेरा विधान सभा क्षेत्र जिला मुख्यालय से 70 कि.मी. दूर है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण छात्र व विशेष रूप से बालिकांए अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रही हैं। मेरे द्वारा पहले भी लिखित एवं मौखिक रूप से मंत्री जी को आग्रह किया जा चुका है जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जो कि खेद का विषय है।

आप मसूदा में राजकीय महाविद्यालय खोले, जिससे मेरे क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सके।

श्रीमती सुशील कंवर
(मसूदा)

किशनगढ़ की ग्राम पंचायतों के उप स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

माननीय,

मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आर्कषण करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय ढसूक, छोटालाम्बा, आकेड़िया, पंचायत समिति अराई के 15-20 गांवो एवं ढाणियों के ग्रामीण लोगों को छोटे मोटे उपचार हेतु पंचायत मुख्यालय पर स्थित उपकेन्द्रों पर सुविधा उपलब्ध हो जाती है लेकिन अत्याधिक मौसमी बीमारियों एवं गंभीर रोगो एवं कृषि कार्यों में आये दिन छोटी-मोटी दुर्घटना होने पर इस क्षेत्र के लोगों को अराई कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र पर आना पड़ता है वहीं ग्राम पंचायत मुख्यालय मनोहरपुरा, डबरेला पं.स. अराई के आसपास के 10-15 गावों एवं ढाणियों के रोगियों को उपचार हेतु केकड़ी या सारवाड़ जाना पड़ता है तथा दूसरी ओर विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति किशनगढ़ मुख्यालय सिलोरा एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8

पर स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय बान्दरसिंदरी में स्थित उपकेन्द्रों में भी पर्याप्त चिक्तिसा सुविधा नहीं होने से इसके आसपास के 10-15 गावों एवं ढाणियों के मरीजों को भी किशनगढ़ आना पड़ता है। वहीं बान्दरसिंदरी स्थित प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय स्तर के केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को भी समुचित एवं सुगम चिक्तिसा सुविधाओं का समग्र लाभ नहीं मिल पाने के कारण इन्हें मजबूरीवश किशनगढ़ अजमेर या जयपुर जाना पड़ रहा है एवं उक्त दोनों चिक्तिसा उपकेन्द्र राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने से यहां पर आये दिन होने वाली छोटी-मोटी दुर्घटनाओं पर भी मरीजों को भी किशनगढ़ या अजमेर या जयपुर रैफर किया जाता है।

अत: मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि किशनगढ़ (अजमेर) विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय ढसूक, छोटालाम्बा, आकोड़िया, मनोहरपुरा व डबरेला पं.स. अराई एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय सिलोरा एवं बान्दरसिंदरी पं.स. किशनगढ़ पर स्थित उप स्वास्थय केन्द्रों को आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 की विभागीय कार्य योजना अन्तर्गत प्राथमिकता प्रदान कर प्राथमिक स्वास्थय केन्द्रों में क्रमोन्नत कराने की कृपा कराएं ताकि आमजन को समुचित एवं समग्र चिकित्सा सुविधा की सुलभ प्राप्ति हो सके।

भागीरथ चौधरी
(किशनगढ़)

चौहटन की पंचायत समिति धनाऊ में पुलिस थाना

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र चौहटन राजस्थान की पश्चिमी अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र है, जिसे कुछ समय पूर्व हुए पंचायतीराज संस्था पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन के वक्त आबादी वद्धि व क्षेत्रफल के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए तीन पंचायत समितियां क्रमश: चौहटन, धनाऊ व सेड़वा में विभाजित किया गया है। इनमें से चौहटन व सेड़वा पंचायत समिति मुख्यालय पर पहले से ही पुलिस थाने खुले हुए हैं, जबकि धनाऊ पंचायत समिति मुख्यालय इस सुविधा से पूर्णतया वंचित है।

धनाऊ पंचायत समिति का अधिकांश क्षेत्र पुलिस थाना चौहटन के अधीन है और बढ़ते अपराधों की रोकथाम व सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए चौहटन थाने की इस क्षेत्र से दूरी व्यवधान बनती है। वर्तमान में धनाऊ व आस-पास के क्षेत्र में अपराध दर मे वृद्धि के कारण भी माकूल पुलिस व्यवस्था की जरूरत है। विगत कुछ समय से इस क्षेत्र से सौ से अधिक आपराधिक मामले चौहटन थाने में दर्ज हो चुके है। इस वजह से चौहटन पुलिस थानाधिकारी ने भी धनाऊ पंचायत समिति मुख्यालय पर अस्थाई पुलिस चौकी की वैकल्पिक व्यवस्था निर्मित की है, जो कि बढ़ती अपराध संख्या की दृष्टि से अपर्याप्त है। धनाऊ कस्बे की सघन आबादी के अनुरूप यातायात व्यवस्था सुधारने, आम चौराहे पर असामाजिक तत्वों, शराबियों व अपराधियों की ज्यादा आमद रफत पर अकुंश लगाने व आस-पास के संपूर्ण क्षेत्र मे आमजन के जानमाल की सुरक्षा व सुदृढ़ कानून व्यवस्था लागू करने के लिए धनाऊ पंचायत समिति मुख्यालय पर नवीन पुलिस थाना स्थापित करने की महत्ती आवश्यकता है।

अत: राज्य सरकार से मेरा व्यक्तिगत विनम्र आग्रह है कि अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित इस क्षेत्र के धनाऊ पंचायत समिति मुख्यालय पर आंतरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था को मजबूत करने हेतु नवीन पुलिस थाना स्थापित करावाया जाए।

तरुण राय कागा
(चौहटन)

प्रदेश में नर्सिंग प्रैक्टिसनर्स कोर्स को संसाधनयुक्त संस्थान से चालू करवाना

महोदय,

निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है और विशेषज्ञ चिकित्सकों की ज्यादा कमी है इसके लिये ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलकर पूरी की जाए व साथ ही इंडियन नर्सिंग काउसिंल ने नर्सिंग प्रैक्टिसनर्स कोर्स संचालित किया है जिसके लिये संसाधनयुक्त संस्थान को एन.ओ.सी. दी जाए जिससे चिकित्सक के स्थान पर आपातकाल में समय रहते जीवन रक्षक

प्रणाली चालू कर सकें जिससे मरीज की जान बच सकें व चिकित्सकों की जान बच सकें व चिकित्सकों की कमी दूर हो सके।

अत: सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश वासियों की समस्या को देखते हुए शीघ्र नर्सिंग कांउसिल द्वारा संचालित नर्सिंग प्रैक्टिसनर्स कोर्स राज्य में संसाधनयुक्त संस्थान को एन.ओ.सी. देकर चालू करवाया जाए।

सधन्यवाद

कंवरलाल मीणा
(मनोहरथाना)

महुवा में अपर जिला एवं सैशन न्यायालय की स्थापना

महोदय,

जिला दौसा की तहसील महवा में अभिभाषक संघ महवा की ओर से वर्ष 1999 से महुवा में न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायालय की स्थापना की मांग चली आ रही है, इस सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय राजस्थान सरकार द्वारा अभिशंसा भी की गई। विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक आ.शा.टीप. क्रमांक प. 1(1) न्याय 2016 दिनांक 19 जुलाई, 2016 को अपर जिला एवं सैशन न्यायालय महुवा की स्थापना का प्रकरण मा. उच्च न्यायालय द्वारा वित्त विभाग को भिजवाया हुआ है। आम जनता फरीकेन को संवैधानिक रूप से सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दशा में सरकार द्वारा मा. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पूर्व में अपर जिला एवं सैशन न्यायालय (फास्ट ट्रैक) महुवा के नाम से वर्ष 2009 में सृजित की गई थी जो केन्द्रीय व राज्य सरकार के फास्ट ट्रैक बजट के कारण समाप्त कर दी गई थी। उसके कारण उत्पन्न परिस्थितियों व विचारधीन प्रकरणों की बहुलता को देखते हुए मा. उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीन बांदीकुई का शिविर एक माह मे छ: दिवस के लिए महुवा मे किया गया था जो जारी है इस कारण विचारधीन प्रकरणों की सूची लम्बी होती जा रही है तथा त्वरित न्याय प्राप्त नही हो रहा है। महुवा उपखण्ड न्यायालय परिसर 12 बीघा क्षेत्रफल मय बाउण्ड्रीवाल एवं नवीन भवन के साथ संचालित है

जहां न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संचालित चले आ रहे हैं तथा अपर जिला एवं सैशन न्यायालय हेतु भवन तथा स्टाफ एवं जजशिप हेतु चैम्बर आदि की फिलहाल व्यवस्था सुचारु रूप से मौजूद है जिससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

श्रीमती गोलमा

(राजगढ़-लक्ष्मगढ़)